माला, खंड 20, अंक 4

गुरूवार, 22 नवम्बर, 2001
1 अग्रहायण, 1923 (शक)

NOT TO BE ISSUED

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. ...52...
Date...12/6/02...

(खण्ड 20 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी०सी० चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डॉ० राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 20, आठवां सत्र, 2001/1923 (शक)]

अंक 4, गुरूवार, 22 नवम्बर, 2001/1 अग्रहायण, 1923 (शक)

विषय		कॉलम
मंत्री का परिचय		2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	61	2-7
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	62 से 80	8-24
अतारांकित प्रश्न संख्या	691 से 704 और 706 से 920	24-251
सभा पटल पर रखे गए पत्र		252
राज्य सभा से संदेश		256
संसदीय समितियां—कार्य का सारांश		256
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		
उन्नीसवां प्रतिवेदन		257
आचार समिति		
पहला प्रतिवेदन		257
कार्य मंत्रणा समिति		
सत्ताईसवां प्रतिवेदन		257
उद्योग संबंधी स्थायी समिति		
की गई कार्यवाही संबंधी चौवनवां, पचपनवां, छप्पनवां और सत्तावनवां प्रतिवेदन		257
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य		
(एक) असम में विटामिन "ए" देने के बाद बच्चों की सूचित मौतें		
डा० सी०पी० ठाकुर		258-260
(दो) पूर्व रेलवे के मोकामा-क्यूल खंड पर 214 डाउन मोकामा-हावड़ा पैसेंजर ट्रेन की रिलीफ लाइट इंजन से टक्कर		
श्री नीतीश कुमार		276-277
(तीन) दोहा, कतर में विश्व व्यापार संगठन के चौथे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श के परिणाम		
श्री मुरासोली मारन		317-320

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
समितियों के लिए निर्वाचन	
(एक) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	260
(दो) लोक लेखा समिति . .	261
(तीन) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	261
कम्पनी (तीसरा संशोधन) विधेयक	262
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) देश में विशेष रुप से हरियाणा के कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री रतनलाल कटारिया	263
(दो) झारखंड राज्य में आतंकवादियों और नक्सलवादियों की गतिविधियों पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता	
प्रो० दुखा भगत	264
(तीन) मध्य प्रदेश में जबलपुर-बरास्ता दमोह-पन्न रेल लाइन का आमान परिवर्तन कार्य आरम्भ किए जाने की आवश्यकता	
डा० रामकृष्ण कुसमारिया . . .	264
(चार) सोयाबीन और पॉम ऑयल पर सीमा शुल्क बढ़ाये जाने की आवश्यकता	
श्री हरिभाई चौधरी . .	264
(पांच) देश में शहरी सहकारी बैंकों द्वारा धर्मार्थ निधि के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री वाई०जी० महाजन .	265
(छह) देश में विशेष रुप से पंजाब के कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री जे०एस० बराड़	265
(सात) इरियोफाइड कीटों से नारियल की फसल की रक्षा के लिए कर्नाटक सरकार को केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा	266
(आठ) नीदरलैंड सरकार की सहायता से दक्षिण कन्नड़ तटीय क्षेत्रों में समुद्री कटाव की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता	
श्री विनय कुमार सोराके	266
(नौ) केरल के "मालापुरम सेकेन्डरी स्विचिंग एरिया" में पर्याप्त संख्या में दूरसंचार कर्मचारी तैनात किए जाने की आवश्यकता	
प्रो० ए०के० प्रेमाजम	267
(दस) आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 214 को पामारू से ओंगोल तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु	267

विषय	कॉलम
(ग्यारह) देश में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता	
श्री रामजीलाल सुमन .	268
(बारह) तमिलनाडु में चेन्नई में राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान की शीघ्र स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
श्री के०के० कलिअप्पन	268
(तेरह) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर स्थित फुलनाखारा से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 203 पर नियाली-माधव, चरिछक-गोप-कोणार्क और पुरी के बीच की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री त्रिलोचन कानूनगो	269
(चौदह) दिल्ली से बाहर तैनात संघ राज्य क्षेत्र काडर के अधिकारियों को रिहायशी आवास के आवंटन की प्रणाली की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
डा० नीतिश सेनगुप्ता	269
(पन्द्रह) भटिंडा आयुध डिपो के आस-पास के 1200 मीटर क्षेत्र को अधिसूचित करने के सरकार के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री भानसिंह भौरा	270
दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गए भारतीय क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ियों के विरुद्ध मैच रैफरी द्वारा दिए गए दंड से संबंधित मुद्दों के बारे में	270-276
नियम 193 के अधीन चर्चा	
किसानों के समक्ष आ रही समस्याएं	
श्री बसुदेव आचार्य	279
श्री साहिब सिंह .	287
श्री लक्ष्मण सिंह	293
प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु . .	301
श्री एन०एन० कृष्णदास	306
कुंवर अखिलेश सिंह	309
डा० जसवंत सिंह यादव	314
श्री वी०एम० सुधीरन .	320
श्री रघुनाथ झा . . .	325
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह	328
श्री प्रह्लाद सिंह पटेल	332
कम्पनी (संशोधन) अध्यादेश द्वारा तुरंत विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला विवरण	
श्री संतोष कुमार गंगवार	336

लोक सभा

गुरूवार, 22 नवम्बर, 2001/1 अग्रहायण, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले उत्तर प्रदेश का मामला टेक-अप करिये, वहां संविधान और विधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वहां हर विधान सभा क्षेत्र के हजार वोट काटे जा रहे हैं, एक समुदाय दूसरे समुदाय को ·· *(व्यवधान)* उनके लिए लोक सभा का कोई मतलब नहीं है, उनके लिए संविधान का कोई मतलब नहीं है। ··· *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इसे जीरो ऑवर में टेक-अप करिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब, संसदीय कार्य मंत्री मंत्री महोदय का परिचय करायेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जीरो ऑवर में हम आपको मौका देंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यदि यह गंभीर मामला है तो आप इसे 'शून्य काल' में उठा सकते हैं। मैं आपको और एक या दो अन्य सदस्यों को भी अनुमति दूंगा। अब, कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कीजिए।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको पहले ही बता दिया है। डा० रघुवंश प्रसाद सिंह आप भी इसे 'शून्य काल' में उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

पूर्वाह्न 11.03 बजे

मंत्री का परिचय

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे और आपके माध्यम से इस सभा से अपने सहयोगी का परिचय कराता हूं : श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील — ग्रामीण विकस मंत्रालय में राज्य मंत्री

पूर्वाह्न 11.04 बजे

[अनुवाद]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

एजेंटों पर से प्रतिबंध हटाना

+
*61. **श्री प्रबोध पण्डा :**
श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा सौदों में एजेंटों पर से 14 वर्ष से चला आ रहा प्रतिबंध हटा लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे एजेंटों के पंजीकरण हेतु कोई दिशा-निर्देश और नियामक तंत्र तैयार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हथियारों के सौदों में बिचौलियों की नियुक्ति के साथ-साथ सरकार ने रक्षा मामलों को गुप्त अथवा गोपनीय रखने के लिए सभी संभव कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में कौन से कदम उठाए जाने की संभावना है ?

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

विदेशी आपूर्तिकारों द्वारा अपने उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए नियोजित प्राधिकृत प्रतिनिधियों/एजेंटों/अथवा बिक्री परामर्शदाताओं से कानूनी रूप से निभाई जाने वाली भूमिका, यदि कोई हो, तय करने का मामला कुछ समय से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता रहा है। हाल ही में ऐसे प्रतिनिधियों/एजेंटों को विदेशी आपूर्तिकर्ता या आपूर्तिकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देने के अवमर, सीमा तथा शर्तों को तय करने के उद्देश्य से समग्र नीति की गहन समीक्षा की गई है।

इस समीक्षा के आधार पर तथा संपूर्ण अधिप्राप्ति प्रक्रिया में अत्यधिक पारदर्शिता लाने के लिए और यह महसूस करते हुए कि प्राधिकृत प्रतिनिधियों/एजेंटों के होने से सुपुर्दगी करने और बाद की संविदागत बाध्यताओं की अनुवर्ती कार्रवाई करने में सुधार होगा, रक्षा मंत्रालय ने विदेशी आपूर्तिकारों के भारतीय प्राधिकृत प्रतिनिधियों/एजेंटों की नियुक्ति के संबंध में 2 नवम्बर, 2001 को अनुपूरक अनुदेश जारी किए हैं। प्राधिकृत प्रतिनिधि अद्यतन प्रौद्योगिकियों की जानकारी उपलब्ध कराएंगे, परीक्षणों के दौरान मदद करेंगे और बाद की संविदागत सेवाएं मुहैया कराने में सहायता करेंगे।

इन अनुदेशों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :–

(क) ऐसे सभी विदेशी आपूर्तिकार, जो भारतीय प्राधिकृत प्रतिनिधि/एजेंट नियुक्त करना चाहते हों वे उनका नाम रक्षा मंत्रालय में पंजीकृत करवाएंगे।

(ख) प्राधिकृत प्रतिनिधि/एजेंट एक अकेला व्यक्ति, एक साझेदार, एक निजी या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी हो सकती है।

(ग) एजेंट आयकरदाता होना चाहिए।

(घ) एजेंट की नियुक्ति करने वाले विदेशी आपूर्तिकर्ता को प्राधिकृत प्रतिनिधि/एजेंट को तैनात करने संबंधी करार/नियुक्ति की शर्तों की प्रतियां करनी होंगी।

(ङ) एजेंट के दायित्व रक्षा मंत्रालय के साथ की गई संविदा से तय होंगे।

(च) विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि/एजेंट को किए गए भुगतान की घोषणा करनी होगी।

(छ) रक्षा मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के प्रवर्तन निदेशालय को एजेंसी कमीशन से संबंधित ब्यौरे सूचित किए जाएंगे।

(ज) एजेंट की नियुक्ति विभाग के सचिव के अनुमोदन से की जएगी।

(झ) ये अनुदेश केवल भावी संविदाओं पर लागू होंगे।

दिशा निर्देशों में पर्याप्त रक्षोपाय किए गए हैं। यदि मूल उपस्कर विनिर्माता या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि/एजेंट अपनी संविदा या प्रत्यायन की शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो संविदा-और दिशा-निर्देशों में उपयुक्त शास्तियों का प्रावधान किया गया है।

श्री प्रबोध पण्डा : महोदय, सभी उत्तर अस्पष्ट हैं। अधिकांश बातों का उत्तर नहीं दिया गया है। संसद की मंजूरी के बिना प्रतिबन्ध हटा लिया गया है। रक्षा क्षेत्र ने 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ प्राइवेट सेक्टर को 100 प्रतिशत की पेशकश की है। लेकिन महोदय, मैं यहां कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछना चाहता। *(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्न को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री पण्डा आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछेंगे या नहीं ?

श्री प्रबोध पण्डा : नहीं महोदय। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्न को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तान्त में अन्य कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए। आप जो कुछ कह रहे हैं वह ठीक नहीं हैं।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा।

श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा : मैं भी कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछना चाहता। *(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप सभा में नयी परम्परा डाल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, संसद के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब दो माननीय सदस्यों ने अनुपूरक प्रश्न पूछने से मना कर दिया है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या प्रश्न काल में अनुपूरक प्रश्न पूछने का यही तरीका है ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। आप बैठ जाइए।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा : मैं कोई प्रश्न पूछना नहीं चाहता। ···*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रियरंजन दासमुंशी, मैं श्री पुट्टास्वामी गौड़ा से अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए कह रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पुट्टास्वामी गौड़ा, आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है ?

(व्यवधान)

श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा : यद्यपि अनुपूरक प्रश्न पूछने का मेरा अधिकार है लेकिन इस समय मैं अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछूंगा। ···*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पुट्टास्वामी गौड़ा, कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पुट्टास्वामी गौड़ा, क्या आप कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रहलाद सिंह पटेल, कृपया चुप हो जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह बहुत सराहनीय कदम मंत्री जी ने उठाया है। देश की सुरक्षा से जुड़े हुए जो भी सवाल हैं, उनमें जो दलाली का प्रश्न उठता था, उसको रोकने के लिए बहुत सराहनीय कार्य रक्षा मंत्री जी ने किया है। ···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रहलाद सिंह पटेल के प्रश्न को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह अनुसूचित है। यह क्या है ? आप क्या कर रहे हैं ?

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : अध्यक्ष जी, कम से कम मुझे तो प्रश्न पूछने दिया जाए क्योंकि आप अनुमति दे चुके हैं। विपक्ष के माननीय सदस्य सदन का समय बरबाद कर रहे हैं। ···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में यह कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्लीज, आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मैं बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, मैं बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, क्या सभा में किसी मामले पर बहस करने का यही तरीका है ? क्या यही प्रक्रिया है ? आप क्या कर रहे हैं ? आप सभा में नई परम्परा डाल रहे हैं। मामलों पर बहस का यह तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछना चाहते और अन्य माननीय सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछने दे रहे हैं। आप अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। साथ ही आप अन्य माननीय सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछने दे रहे हैं। यह कैसा रवैया है ? यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि रक्षा सौदों में दलाली खाने के कितने आरोप माननीय नेताओं पर लगते रहे हैं और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई और भविष्य में दलाली न खाई जाए इस हेतु क्या प्रयास किए गए हैं ? ···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अन्य माननीय सदस्यों को भी अनुपूरक प्रश्न पूछने हैं। श्री दासमुंशी आप वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया यह बात समझिए।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

यदि आपको कुछ कहना है तो उसे कहने का यह तरीका नहीं है। इसके लिए एक प्रक्रिया है। आप किसी मामले को प्रक्रिया के अनुसार उठा सकते हैं। लेकिन इसको उठाने का यह उचित तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, इसका यह उचित तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रहलाद सिंह पटेल के प्रश्न को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब, माननीय मंत्री उत्तर देंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैं माननीय सदस्य का प्रश्न नहीं सुन सका। यदि मैं प्रश्न सुनता तो उत्तर देता ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने रक्षा सौदों से जुड़े दलाली खाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने हेतु कदम उठाए हैं, लेकिन देश की सुरक्षा खतरे में न पड़े इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि भविष्य में रक्षा सौदों में दलाली न खाई जाए और बिना दलाली के रक्षा सौदे हो सकें उस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और जिन लोगों या राजनेताओं के नाम रक्षा दलाली के मामलों से जुड़े हैं या जिनके नाम उजागर हुए हैं, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की है ? ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : टी०वी० प्रसारण बन्द करो।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अधीर चौधरी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सभा में क्या कर रहे हैं ? बहुत हो गया। प्रश्न काल में किये जाने वाले कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं। आप अन्य सदस्यों को भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछने दे रहे हैं।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय चौकियों पर हमला

***62. श्रीमती जयश्री बैनर्जी :**
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन माह के दौरान सीमा पार से पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने भारतीय चौकियों पर तारीखवार और स्थानवार कितनी बार हमले किये;

(ख) क्या भारतीय सेना ने कोई जवाबी कार्रवाई की है;

(ग) यदि हां, तो इनमें हताहत लोगों की संख्या और अन्य नुकसान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान भारत-पाक सीमा पर अपनी सैन्य टुकड़ियां और भारी सैन्य उपकरण तथा गोलाबारूद जमा कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ङ) विगत तीन माह के दौरान सीमा के आस-पास की किसी भी भारतीय रक्षा चौकी पर पाकिस्तानी सेनाओं ने हमला नहीं किया है। तथापि, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा नियंत्रण रेखा/अंतरराष्ट्रीय सीमा पार से अकारण गोलीबारी की घटनाएं नियमित रूप से होती रही हैं जिनका भारतीय सैन्य टुकड़ियों ने समुचित जवाब दिया है।

सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तानी सेना ने हाल ही में अक्तूबर, 2001 के दूसरे सप्ताह से अपनी इन्फैंट्री डिजीवन और कवचित ब्रिगेडों के कुछ हिस्सों को प्रत्यक्षत: प्रशिक्षण/अभ्यास हेतु अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के आस-पास जम्मू-कश्मीर के अखनूर क्षेत्र तथा राजस्थान के गंगानगर क्षेत्र में तैनात किया है। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, कुछ पाकिस्तानी इन्फैंट्री डिवीजन अपने स्थाई स्थानों पर वापस चली गई हैं।

सीमा के बिल्कुल समीप पाकिस्तानी सैन्य गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है तथा उच्च दर्जे की सतर्कता बरती जा रही है। देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए समुचित एहतियाती कदम उठाए गए हैं।

बाह्य-स्थान बुकिंग कार्यालय/आरक्षण केन्द्र खोला जाना

***63. श्री पुन्नू लाल मोहले :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाह्य-स्थान बुकिंग कार्यालय/आरक्षण केन्द्र खोले जाने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या मुंगेली, पेंडरा गौरेला (जिला बिलासपुर) जसपुर, अम्बिकापुर जैसे रेलवे स्टेशनों से काफी दूरी पर बाह्य-स्थान आरक्षण केन्द्र खोला जाना विचाराधीन है;

(ग) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) दूरस्थ क्षेत्रों में पार्सल और टिकट बुकिंग के लिए आउट एजेंसियां यातायात बुकिंग की सुविधा के लिए खोली जाती हैं। ऐसी एजेंसियां खोलने के कुछ आधार होते हैं जैसे कि यातायात औचित्य, जनता की मांग, रेल शीर्ष से दूरी, मौजूदा परिवहन सुविधाएं और उपयुक्त ठेकेदार की उपलब्धता आदि। यात्री आरक्षण प्रणाली केन्द्र खोलने के संबंध में अब यह विनिश्चय किया गया है कि टिकटों से संबंधित प्रतिदिन 200 लेनदेन के मामलों के मानदण्ड को घटाकर 100 लेनदेन के मामले कर दिया जाए और इसमें महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों और जिला मुख्यालयों को चरणबद्ध आधार पर शामिल किया जाए।

(ख) से (घ) इन चार स्थानों में अम्बिकापुर और जसपुर जिला मुख्यालय हैं इसलिए ये ढील दिए गए मानदण्डों के अनुसार चरणबद्ध आधार पर इनमें शामिल हो जाएंगे।

[अनुवाद]

फ्रांस के साथ संयुक्त नौसेना अभ्यास

***64. श्री ए० वेंकटेश नायक :**
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार और फ्रांस ने संयुक्त नौसेना अभ्यास करने के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी बार संयुक्त नौसेना अभ्यास किए गए; और

(घ) रक्षा के अन्य ऐसे कौन-कौन से क्षेत्र हैं जिनमें सरकार द्वारा फ्रांस के साथ सहयोग बढ़ाये जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) भारतीय नौसेना तथा फ्रांसीसी नौसेना के बीच नौसेना अभ्यास दोनों में से किसी भी नौसेना की संक्रियात्मक आवश्यकताओं के आधार पर किए जाते हैं। यह सतत् चलते रहने वाली प्रक्रिया है तथा संयुक्त अभ्यास के आयोजन के संबंध में किसी औपचारिक करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

विगत तीन वर्षों के दौरान, भारत-फ्रांस संयुक्त नौसेना अभ्यास छह बार किए गए हैं।

पिछले वर्षों में भारत ने फ्रांस से रक्षा उपस्कर अधिप्राप्त किए हैं जिनमें हथियार, रात्रि दुष्टा उपकरण और हेलिकाप्टर शामिल हैं। भारत फ्रांस से अधिप्राप्त रक्षा उपस्करों की दीर्घकालिक उत्पाद सहायता के लिए इच्छुक है। फ्रांस के साथ सहयोग बढ़ाने के संभावित क्षेत्र हमारे सशस्त्र बलों द्वारा समय-समय पर आकलित सामरिक आवश्यकता पर निर्भर करते हैं।

तेल पूल खाते की ओर तेल कम्पनियों की बकाया धनराशि

***65. श्री जे०एस० बराड़ :**
डा० जसवंत सिंह यादव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूल खाते की ओर तेल कम्पनियों की बकाया धनराशि बहुत बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए इसकी ओर समय पर ध्यान न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) तेल पूल खाते के घाटे को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) 31.3.2000 और 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार तेल पूल खाते से तेल कंपनियों/भारत सरकार को भुगतान योग्य संचयी बकाया राशि क्रमशः 6,256 करोड़ रुपए और 12,600 करोड़ रुपए देय थी।

(ग) और (घ) तेल पूल खाते से तेल कंपनियों को देय बकाया राशि का सरकार द्वारा मानिटर किया जाता है और समय-समय पर उचित कार्रवाई की जाती है।

क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना

***66. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक :** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपनी संस्कृति के विकास और उसे बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक राज्य में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है और इन केन्द्रों को केन्द्र-वार कब तक स्थापित कर दिये जाने की संभावना है;

(घ) क्या ओडिसी नृत्य, छऊ नृत्य और गोटी पुआ नृत्य (सखी नाच) को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा के विभिन्न भागों में खुले थियेटरों का निर्माण करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) संस्कृति विभाग राज्यों में बहु-उद्देशीय सांस्कृतिक परिसर स्थापित करने की एक स्कीम चला रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत स्कीम की शर्तों के अनुसार समतुल्य (मैचिंग) आधार पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(ख) और (ग) अब तक 15 राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है जिसके ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

राज्य	स्वीकृत राशि (रुपये लाखों में)	टिप्पणी
सिक्किम	65.00	निर्माणाधीन
नागालैण्ड	100.00	निर्माणाधीन
मणिपुर	10.00	निर्माणाधीन
मिजोरम	75.00	निर्माणाधीन
त्रिपुरा	25.00	निर्माणाधीन
पश्चिम बंगाल	35.00	निर्माणाधीन
मध्य प्रदेश	90.00	निर्माणाधीन
उड़ीसा	25.00	निर्माणाधीन
जम्मू और कश्मीर	100.00	निर्माणाधीन
कर्नाटक	140.00	निर्मित
बिहार	15.00	निर्माणाधीन
हरियाणा	50.00	निर्माणाधीन
केरल	100.00	निर्मित
पाण्डिचेरी	25.00	निर्माणाधीन
पंजाब	50.00	निर्माणाधीन

(घ) और (ङ) भुवनेश्वर में एक बहु-उद्देशीय सांस्कृतिक परिसर स्थापित करने के लिए 25.00 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

यात्री सुविधाएं

*67. **श्री रघुनाथ झा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे यात्री सुविधाओं को प्राथमिकता नहीं दे रही है और इसके लिए धनराशि भी कम आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यात्री सुविधाओं में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं। रेलों द्वारा यात्री सुविधाओं को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। यात्री सुविधाओं के लिए 1998-1999, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान क्रमशः 91 करोड़ रुपए, 115 करोड़ रुपए और 144 करोड़ रुपए के व्यय की तुलना में 2001-02 के रेल बजट में 200 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाना एक सतत प्रक्रिया है और यह कार्य आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं यात्री यातायात की मात्रा के आधार पर निर्धारित मानदण्डों के अनुसार मुहैया करायी जाती हैं। यह पता लगाने के लिए प्रतिवर्ष समीक्षा की जाती है कि कहीं कोई कमी तो नहीं है और यदि ऐसा पाया जाता है तब स्टेशन की आवश्यकता के अनुसार प्रस्ताव पेश किया जाता है। इस प्रकार के कार्य सापेक्ष प्राथमिकताओं के आधार पर किए जाते हैं। इसके अलावा, 286 स्टेशनों को इन स्टेशनों पर बेहतर यात्री सुविधाओं की व्यवस्था के लिए मॉडल स्टेशनों के रूप में चुना गया है।

तेल आपूर्ति पर युद्ध का प्रभाव

*68. **श्री के०पी० सिंह देव :**
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवाद के विरूद्ध निरंतर चल रहे युद्ध का पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों और तेल आपूर्ति पर कोई प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) संयुक्त राज्य अमरीका में 11 सितम्बर, 2001 की घटनाओं के बाद आतंकवाद के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय अभियान ने अभी तक भारत में तेल आपूर्तियों और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं किया है।

[हिन्दी]

देश की परमाणु क्षमता

*69. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने पाकिस्तान की परमाणु क्षमता और सैन्य तैयारी को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) सरकार पाकिस्तान द्वारा हथियारों के अनुसंधान, विकास और अधिग्रहण से संबंधित सभी घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखती है। सरकार, सुरक्षा संबंधी खतरों के अपने आकलन के अनुरूप, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित के मद्देनजर सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है।

[अनुवाद]

उन्नत जैट प्रशिक्षण विमानों की खरीद

***70. श्री प्रियरंजन दासमुंशी :**
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना-थलसेना में उन्नत जैट प्रशिक्षण विमानों की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन्नत जैट प्रशिक्षण विमान खरीदने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी सौदे को अंतिम रूप दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इनकी संख्या और लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसे उन्नत जैट प्रशिक्षण विमानों को कब तक भारतीय वायुसेना/थलसेना में शामिल किए जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) भारतीय वायुसेना ने एक उन्नत जेट प्रशिक्षण विमान की आवश्यकता की पहचान की है ताकि युवा प्रशिक्षणार्थी पायलटों को सुरक्षित एवं निर्विघ्न रूप से अग्रिम पंक्ति की स्क्वाड्रनों के उच्च कार्य-निष्पादन/प्रौद्योगिकी विमानों तक को उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जा सके। अतः सरकार ने एक उन्नत जेट प्रशिक्षण विमान अधिप्राप्त करने का निर्णय लिया है।

(घ) से (च) उन्नत जेट प्रशिक्षण विमान का अर्जन करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न विकल्पों की जांच की जा रही है। अभी किसी सौदे को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। ऐसी बड़ी अधिप्राप्ति परियोजना के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं होगा।

[हिन्दी]

गांवों का विद्युतीकरण

***71. श्री रामशकल :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन गांवों का पूर्ण विद्युतीकरण करने के लिए योजना तैयार की है, जिनके आस-पास कोई विद्युत परियोजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के अनेक गांव ऐसे हैं जिनके आस-पास विद्युत परियोजनाएं हैं लेकिन वे आज तक विद्युतीकरण से वंचित हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन गांवों का कब तक विद्युतीकरण किए जाने और अधिक से अधिक समय तक विद्युत आपूर्ति किए जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) और (ख) देश में बसे हुए कुल गांवों की संख्या (1991 की जनगणना के अनुसार) 587258 है जिसमें से सितम्बर, 2001 तक 508162 गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है। ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों का निरूपण एवं क्रियान्वयन राज्य विद्युत बोर्डों (रा०वि०बो०) द्वारा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। राज्यों द्वारा शुरू किए गए ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम हेतु निधियों का प्रावधान संबंधित राज्य द्वारा किया जाता है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर०ई०सी०), जो केन्द्रीय स्तर का एक वित्तीय संस्थान है, भी ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों के लिए ऋण के जरिए रा०वि०बो०/राज्य सरकारों को निधि उपलब्ध कराता है जहां ये स्कीमें निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए विद्युत वितरण प्रणाली के संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय सहायता के लिए प्रायोजित किए जाते हैं।

3 मार्च, 2001 को आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह संकल्प किया गया कि ग्राम विद्युतीकरण कार्य को 10वीं योजना के अंत तक तथा समग्र विद्युतीकरण को 11वीं योजना के अंत तक पूरा किया जाएगा और ग्रामीण विद्युतीकरण को प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पी०एम०जी०वाई०) में शामिल किया जाएगा। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को अब पी०एम०जी०वाई० के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के समीप स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत मुहैया कराने की जिम्मेवारी राज्य सरकार एवं राज्य विद्युत बोर्ड/यूटिलिटी की है।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश में 97122 बसे हुए गांवों (1991 की जनगणना) में से 77071 गांवों को अगस्त, 2001 के अंत तक विद्युतीकृत किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। सरकार ग्राम विद्युतीकरण कार्य को 10वीं योजना के अंत तक तथा विद्युतीकरण हेतु सभी घरों को 11वीं योजना के अंत तक शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पी०एम०जी०वाई० के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने 1200 गांवों एवं 1200 दलित/जनजातीय बस्तियों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव किया है तथा पी०एम०जी०वाई० के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु अनुमोदित आवंटन 9417.00 लाख रुपये है। उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड ने पुनः स्थापन कॉलोनियों का भी विद्युतीकरण कर दिया है और उनके अनुरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।

[अनुवाद]

विदेशों में भारतीय कला और संस्कृति का प्रचार-प्रसार

***72. श्री पी०सी० थामस : क्या संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनेक देशों में भारतीय कला और संस्कृति का प्रचार-प्रसार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इस कार्य में अनिवासी भारतीयों को भी शामिल किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय कला और संस्कृति के प्रचार के लिए विदेशों में भारतीय दल भेजे जा रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विदेश भेजे गए दलों का ब्यौरा क्या है और इन पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) संस्कृति मंत्रालय, सांस्कृतिक संबंधों को बनाए रखने तथा उन्हें सुदृढ़ करने और विदेशों में भारत की सांस्कृतिक छवि को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सांस्कृतिक सहयोग की सक्रिय नीति का अनुसरण करता आ रहा है। तथापि, विदेश मंत्रालय के अधीन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् (आई०सी०सी०आर०) का उद्देश्य विदेशों में भारत की सांस्कृतिक धरोहर के प्रति अधिक जागरूकता बढ़ाना भी है। इस प्रयोजनार्थ उक्त परिषद् ने 14 सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित किये हैं और उनको चला रही है जो संबंधित देशों में भारतीय मिशनों के समग्र नीतिगत मार्गदर्शी सिद्धान्तों के तहत कार्य कर रहे हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने एन०आर०आई० तथा पी०आई०ओ० से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच के उद्देश्य से डा० एल०एम० सिंघवी, संसद-सदस्य की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है। इस समिति का कार्यकाल दिसम्बर, 2001 के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया गया है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन के रूप में भारत और अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध तथा परस्पर सूझबूझ को बढ़ाने के उद्देश्य से पूरे विश्व में सांस्कृतिक कार्यकलापों का आयोजन करता है। अनिवासी भारतीय भी ऐसे सांस्कृतिक सम्पर्कों से लाभान्वित होते हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों में भारतीय मूल के अनेक व्यक्तियों को भारतीय कला एवं संस्कृति का अध्ययन करने के लिए परिषद् की विभिन्न छात्रवृत्ति स्कीमों के तहत छात्रवृतियां प्रदान की गई हैं।

(ङ) और (च) परिषद् द्वारा 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान संगीत (गायन/वाद्य), नृत्य (शास्त्रीय/लोक) तथा अन्य कला रूप (रंगमंच/कठपुतली) प्रस्तुत करने वाले क्रमशः 108,72 तथा 62 प्रदर्शनकारी कला दल भेजे गये। इन तीन वर्षों के दौरान इस गतिविधि पर क्रमशः 199.89 लाख, 246.29 लाख तथा 317.94 लाख रुपये खर्च किये गये।

रसोई गैस कनेक्शनों का राजसहायता प्राप्त दरों पर उपलब्ध कराया जाना

***73. श्री साहिब सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गरीबों को, विशेषकर दूर-दराज के गांवों में रह रहे गरीबों को, जहां ईंधन का कोई स्रोत नहीं है, राजसहायता प्राप्त दरों पर गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) सरकार का विभिन्न विपणन योजनाओं के तहत विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1,247 एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की नियुक्ति का प्रस्ताव है। वर्तमान में घरेलू उपयोग के लिए लगभग 92/- रुपए प्रति सिलेंडर की राजसहायता देश में सभी उपभोक्ताओं को समान रूप से उपलब्ध है।

निजी क्षेत्र द्वारा विद्युत पारेषण परियोजनाएं

***74. श्री प्रभात सामन्तराय :**
श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उनके मंत्रालय के अधीन सुचारू रूप से चल रहे कुछ बिजलीघरों और कुछ पारेषण लाइनों को निजी निवेशकों को बेचने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों सहित कुछ निजी विद्युत कम्पनियों ने पावरग्रिड कारपोरेशन के लिए विद्युत पारेषण नेटवर्क स्थापित करने में रूचि दर्शायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या जिन स्थानों पर ये संयंत्र स्थित हैं वहां की राज्य सरकारों को इन्हें देने की कोई पेशकश की गयी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) इससे कितनी धनराशि सृजित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ज) इस धनराशि को किसी तरह उपयोग में लाए जाने की संभावना है; और

(झ) इसके परिणामस्वरूप राज्यों को किस सीमा तक लाभ मिलने की संभावना है ?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) और (ख) वर्तमान में किसी भी विद्युत केन्द्र या पारेषण लाइन को निजी निवेशकों को बेचे जाने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) पावरग्रिड ने संयुक्त उद्यम माध्यम से ताला जल-विद्युत परियोजना से सम्बद्ध विशिष्ट पारेषण परियोजनाओं के लिए निजी निवेश हेतु बोलियां आमंत्रित की है तथा स्वतंत्र निजी पारेषण कंपनी (आई०पी०टी०सी०) माध्यम से 400 के०वी० डी/सी बीना-नागदा-देहगाम पारेषण परियोजना के लिए अहर्ता हेतु अनुरोध आमंत्रित किया है। इसके लिए पावरग्रिड को निजी भारतीय कंपनियों तथा विदेशी कंपनियों से भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये प्रस्ताव पावरग्रिड में जांचाधीन हैं।

पावरग्रिड ने आठ भावी पारेषण परियोजनाओं के आई०पी०टी०सी० माध्यम से क्रियान्वयन के लिए प्रतिभागिता हेतु इच्छुक पार्टियों से रूचि अभिव्यक्ति आमंत्रित की है। आठ बहुराष्ट्रीय कंपनियों समेत सत्रह कंपनियों ने इसके लिए अभिरूचि दर्शाई है। इन कम्पनियों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ङ) से (झ) उर्पुक्त (क) और (ख) के उत्तर के मद्देनज़र प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

विवरण

उन पार्टियों की सूची जिन्होंने अभिरूचि अभिव्यक्ति का उत्तर दिया है और परियोजनाओं को निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन एवं हस्तांतरण (बूट) आधार पर क्रियान्वित करने के लिए अभिरूचि दर्शायी है :

1. मै० टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, मुम्बई
2. मै० कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लि०, गांधीनगर
3. मै० अमीरात ट्रेडिंग एजेंसी, दुबई तथा
   मै० कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, सियोल, द० कोरिया
4. मै० के०ई०सी० इंटरनेशनल लि०, मुंबई
5. मै० एल० एंड टी० चेन्नई/नयी दिल्ली
6. मै० बी०एस०ई०एस०, मुम्बई
7. मै० इंसटालेशन्स एबनगोवा, एस०ए० स्पेन
8. मै० ज्योति स्ट्रक्चर, मुम्बई
9. मै० सीमेंस ए०जी० जर्मनी एवं सीमें लि०, इंडिया
10. मै० एलस्टोम सिस्टम लि०, इंडिया
11. मै० ई०डी०एफ०, फ्रांस
12. मै० ई०एम०सी० स्टील लि०, कोलकता
13. मै० कोबरा इंसटालेशन्स वाई सर्विसियस, एस०ए० स्पेन
14. मै० ए०बी०बी० इक्विटी वेंचर, नयी दिल्ली
15. मै० एस्कोम, द० अफ्रीका
16. मै० गैमन इंडिया लि०, मुंबई
17. मै० भेल, नयी दिल्ली।

विश्व ऊर्जा कांग्रेस की बैठक

*75. **श्री विलास मुत्तेमवार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 2001 में विश्व ऊर्जा कांग्रेस की क्षेत्रीय बैठक हुई थी जिसमें तेल निर्यातक देशों के साथ-साथ जापान, चीन और भारत जैसे सबसे अधिक तेल की खपत वाले देशों में भी भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल उत्पादक देशों ने कच्चे तेल की आपूर्ति जारी रखने तथा मूल्यों में स्थिरता बनाए रखने का आश्वासन दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या तेल उत्पादक तथा निर्यातक देश (ओपेक) 25 डालर प्रति बैरल पर मूल्यों को स्थिर रखने के भारत के अनुरोध पर सहमत हो गये हैं; और

(घ) उक्त बैठक में मोटे तौर पर क्या आम सहमति बनी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) विश्व पेट्रोलियम कांग्रेस की पहली एशिया क्षेत्रीय बैठक 17 से 20 सितम्बर, 2001 के बीच चीन में शंघाई में आयोजित की गई थी। उक्त सम्मेलन में अन्यों के साथ-साथ चीन, भारत और सऊदी अरब ने भाग लिया था। बैठक का मुख्य विषय था – ''प्रौद्योगिकी और सहयोग – एशिया के पेट्रोलियम उद्योग के लिए मूलभूत कार्यनीति''। क्षेत्रीय बैठक में क्रूड के मूल्यों को स्थिर करने और इसकी आपूर्ति की निरन्तरता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा नहीं की गई। तथापि सऊदी अरब के पेट्रोलियम और खनिज संसाधन मंत्री के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई।

जल विद्युत को बढ़ावा देने हेतु नदी थालों का अध्ययन

*76. **श्री ए० ब्रह्मनैया :**
श्री एम०के० सुब्बा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने जल विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु सभी नदी थालों का थाल-वार अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी जल विद्युत परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए राज्यों को कोई वित्तीय सहायता दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों के लिए सहायता का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार देश में गैर-दोहित जल विद्युत शक्यता के दोहन को उच्च प्राथमिकता दे रही है। नये जल विद्युत स्थलों के सर्वेक्षण तथा जांच की प्रक्रिया को तीव्र करने तथा व्यवहार्य परियोजनाओं के एक शैल्फ को तैयार करने, जिन्हें क्रियान्वयन हेतु लिया जा सकता है, के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के०वि०प्रा०) को देश में वर्गीकृत सभी छः नदी बेसिनों के लिए शेष जल विद्युत स्थलों को श्रेणीबद्ध किए जाने से संबंधित अध्ययन करने के लिए कहा गया था। के०वि०प्रा० ने अब लगभग 1,07,000 मेगावाट की कुल अधिष्ठापित क्षमता वाली लगभग 400 जल विद्युत स्कीमों, जिन्हें अभिज्ञात कर लिया गया है परन्तु अभी उनका विकास किया जाना है, के प्रारंभिक रैंकिंग अध्ययन संबंधी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। बेसिनों के भी जल विद्युत स्थलों का अंतः प्राथमिकताकरण जल विद्युत स्कीमों के विकास में निहित विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कर लिया गया है। इस मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक बेसिन में विकास की प्राथमिकता के आधार पर स्कीमों को ''क'' ''ख'' और ''ग'' श्रेणियों में रखा गया है। रैंकिंग का बेसिन-वार ब्यौरा निम्नवत है :—

नदी बेसिन	क	ख	ग	जोड़
सिन्धू	11	51	17	79
गंगा	20	54	1	75
मध्य भारत की नदियां	3	9	1	132
पूर्व को बहने वाली नदियां	11	26	2	39
पश्चिम को बहने वाली नदियां	1	10	14	25
ब्रह्मपुत्र	52	97	19	168
कुल जोड़	98	247	54	399
अधिष्ठापित क्षमता	15650 मेगावाट	69830 मेगावाट	21420 मेगावाट	106,900 मेगावाट

इस अध्ययन से संभाव्य जल विद्युत विकासकर्त्ता प्रत्येक बेसिन में एक चरणबद्ध रूप में सर्वाधिक आकर्षक और उपयुक्त स्कीमों के लिए विस्तृत सर्वेक्षण एवं अध्ययन, लागत अनुमान एवं अनंतिम टैरिफ से संबंधित कार्य कर सकेंगे।

(ग) और (घ) सरकार जल विद्युत परियोजनाओं के वित्त पोषण और क्रियान्वयन की विभिन्न संभावनाओं की खोज कर रही है तथा जल विद्युत विकास पर एक गोल मेज वार्त्ता और 2002 की शुरूआत में गैर-जीवाश्म ईंधन उत्पादन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन कर रही है ताकि राज्यों, वित्तीय संस्थाओं और उद्यमियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् रणनीतियों को अंतिम रूप दिया जा सके। 16,338 मेगावाट और 25,254 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं को क्रमशः दसवीं और ग्यारहवीं योजना में लाभ हेतु अनंतिम रूप से अभिज्ञात किया गया है। तथापि, उनका क्रियान्वयन सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करने तथा आवश्यक निधियों को सुनिश्चित करने पर निर्भर करेगा। यह अनुमान लगाया गया है कि दसवीं योजना के दौरान केन्द्र क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं को क्रियान्वित एवं आरंभ करने के लिए लगभग 25000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता की आवश्यकता होगी।

एशियाई बाजारों के लिए भारतीय तेल निगम द्वारा समझौता

*77. **श्री ए० नरेन्द्र** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने पेट्रोल पम्प, स्नेहक (लुब्रिकेन्ट्स) खुदरा बिक्री केन्द्र और रसोई गैस विपणन शुरू करने के लिए दक्षिण, पश्चिम एशियाई बाजारों से समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितना राजस्व अर्जित किए जाने की संभावना है;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं और इन्हें किन-किन स्थानों पर शुरू किया जा रहा है/किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किये गये थे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) किसी दक्षिण एशिया या पश्चिम एशिया बाजार में पेट्रोल पम्प, लुब्रिकेंट्स खुदरा बिक्री केन्द्र आरम्भ करने हेतु अथवा एल०पी०जी० के विपणन के लिए भारतीय तेल निगम लि० (आई०ओ०सी०) ने कोई समझौता नहीं किया है। तथापि, आई०ओ०सी० ने सर्वो लुब्रिकेंट्स के विपणन के लिए नेपाल, बंगला देश और श्रीलंका में ल्यूब वितरकों की नियुक्ति की है।

(ख) और (ग) आई०ओ०सी० ने नेपाल, बंगला देश और श्रीलंका में सर्वो लुब्रिकेंट्स के विपणन के लिए क्रमशः मैसर्स जीतू कन्सर्नस, मैसर्स बराका लिमिटेड और मैसर्स डेविड पायरिस मोटर कंपनी को ल्यूब वितरकों के रूप में नियुक्त किया है।

नेपाल में वितरक सर्वो लुब्रिकेंट्स की प्रति वर्ष 400 किलो लीटर की औसत से बिक्री कर रहा है। बंगला देश में वितरक ने वर्ष

1999-2000 में 546 कि०ली० और अप्रैल-अक्तूबर, 2001 के दौरान 513 कि०ली० लुब्रिकेंट्स बेचा है। श्रीलंका के वितरक के साथ समझौता जून, 2001 में हुआ था। आई०ओ०सी० को श्रीलंका में प्रति वर्ष लगभग 1000 कि०ली० सर्वो लुब्रिकेंट्स बेचने की आशा है।

मलेशिया में, आई०ओ०सी० फ्रेंचाईज समझौते के माध्यम से सर्वो लुब्रिकेंट्स का सम्मिश्रण और विपणन कर रहा है। चालू बिक्री 250 कि०मी० प्रतिवर्ष के लगभग है।

चूंकि विदेशी बाजारों में सर्वो की पहचान नहीं हैं, अत: आई०ओ०सी० इस समय सुस्पष्ट व्यवस्था स्थापित करने के लिए, न कि उच्च लाभ हेतु, बाजार में स्थान बनाने का प्रयास कर रहा है।

आई०ओ०सी० दुबई में सर्वो लुब्रिकेंट्स के और बंगला देश में एल०पी०जी० के विपणन के लिए वितरकों की नियुक्ति की योजना बना रहा है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार की समग्र नीति में, विदेशों में पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन के संबंध में तेल कंपनियों को व्यावसायिक निर्णय लेने का अधिकार है।

महत्वपूर्ण क्षेत्र में परियोजना की प्रगति

***78. श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :**
श्री जी०एस० बसवराज :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा क्षेत्र ने महत्वपूर्ण क्षेत्र में परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करने और उन समस्याओं की पहचान करने, जिनका अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए समाधान किया जा सकेगा, के लिए एक ''पावर पैक्ड प्रजेन्टेशन'' तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी बाधाओं पर काबू पाने के लिए कोई ठोस कार्य योजना तैयार की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इससे अगले तीन वर्षों के दौरान ऊर्जा क्षेत्र को किस सीमा तक बढ़ावा दिए जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) से (घ) सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति द्वारा सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जाती है। अधिकार प्राप्त समिति में योजना आयोग तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय से भी प्रतिनिध शामिल हैं। 10वीं योजना और आगे के लिए परिकल्पित की गयी सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं की मॉनीटरिंग करने के लिए मॉनीटरिंग तंत्र को और अधिक सशक्त बनाया गया है और अधिकार प्राप्त समिति के अतिरिक्त एक नया तंत्र भी बनाया गया है।

क्रियान्वयनाधीन परियोजनाओं को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है इसके कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) भूमि अधिग्रहण में विलम्ब

(2) पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना संबंधी मुद्दे

(3) जल विद्युत परियोजनाओं के मामले में भू-वैज्ञानिक घटनाएं

(4) कार्यों का ठेका प्रदान करने में विलम्ब और ठेका एजेंसियों द्वारा विलम्ब

(5) प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षति

(6) पर्याप्त एस्क्रो कवर की अनुपलब्धता

(7) ईंधन लिंकेज और अन्य मुकदमेबाजी की समस्याएं आदि

10वीं पंचवर्षीय योजना के विद्युत संबंधी कार्यकारी दल ने 10वीं योजना अवधि के दौरान स्थापित किए जाने हेतु लगभग 47000 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया है। जिन परियोजनाओं को अगली योजना में शुरू किया जाएगा उन्हें भी अभिज्ञात किया जा चुका है। यह प्रत्याशा की जाती है कि सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं में की जा रही सघन मॉनीटरिंग के फलस्वरूप वास्तविक वसूली 8वीं और 9वीं पंचवर्षीय योजनाओं में प्राप्त वसूली से अधिक बेहतर हो जाएगी।

[हिन्दी]

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास पर प्रभाव

***79. श्री हरिभाई चौधरी :**
श्री लक्ष्मण गिलुवा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत की कमी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) से (ग) आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक अनिवार्य निवेश है और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास पर विद्युत की कमी का बुरा प्रभाव पड़ सकता है तथापि विगत 50 वर्षों में विद्युत क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ है। अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता वर्ष 1947 में लगभग 1350 मेगावाट से बढ़कर 30 सितम्बर, 2001 को 1 लाख मेगावाट हो गयी है। इसी प्रकार देश का ऊर्जा उत्पादन 11 वर्षों की अवधि के भीतर दुगुना हो गया है अर्थात् वर्ष 1989-90 के दौरान 245.4 बि०यू० से बढ़कर वर्ष 2000-01 के दौरान 499.45 बि०यू० हो गया है। यद्यपि, विद्युत क्षेत्र में विकास अधिक प्रभावी रहा है लेकिन इसकी गति बढ़ती मांग के अनुरूप नहीं रही है। वर्ष 2000-01 के दौरान उर्जा की कमी लगभग

7.8% और व्यस्ततम कमी 13% थी। विभिन्न राज्य सरकारें विशेषत: व्यस्ततमकालीन घंटों के दौरान उद्योग और कृषि क्षेत्र में विद्युत कटौती और प्रतिबंध लागू करते हैं। इन समस्याओं के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था ने कुल मिलाकर सामान्यत: धनात्मक विकास दर अर्जित की है। नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों (1997-2001) के दौरान जीडीपी की औसत विकास दर योजना लक्ष्य 6.5% की तुलना में 5.7% थी। इसी अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन में औसत वार्षिक विकास 6.0% था।

विद्युत आपूर्ति में कमी को दूर करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित बड़े पहल किए है :—

(1) विद्यमान, पुराने ओर अकुशल विद्युत उत्पादन यूनिटों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आर एंड एम) और विस्तार। आर एंड एम स्कीमों को आरंभ करने के लिए त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष निधियां राज्यों को प्रदान की जा रही है।

(2) विद्युत क्षेत्र में सुधार और पुनर्संरचना का शीघ्रतापूर्वक क्रियान्वयन

(3) राज्यों को ए०पी०डी०पी० से निधियां प्रदान करके उप पारेषण और वितरण प्रणालियों का सशक्तीकरण/विस्तार

(4) ऊर्जा क्षमता और संरक्षण उपायों का प्रोत्साहित करना

(5) छूटे हुए पारेषण लिंकों का निर्माण करके, प्रणाली सुधार करके तथा अंतत: नेशनल ग्रिड का विकास करके अंतर्राज्यीय और अंतरक्षेत्रीय विद्युत अंतरण को अधिकतम करना

(6) आरंभ की गयी नयी यूनिटों का शीघ्र स्थिरीकरण और ताप विद्युत यूनिटों के संयंत्र भार अनुपात में समग्र अभिवृद्धि

(7) सन् 2012 तक विद्यमान विद्युत उत्पादन क्षमता को दुगुना करने के लिए क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम का शीघ्र क्रियान्वयन

(8) देश में तेज गति से जल विद्युत शक्यता का दोहन करने के लिए जल विद्युत नीति तैयार करना।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम कम्पनियों में निवेश

***80. श्री के०ई० कृष्णमूर्ति :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पेट्रोलियम कम्पनियों में निवेश हेतु वर्तमान मानदंडों में छूट देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी नहीं। केवल आई०बी०पी० कं० लि० में विनिवेश के मामले में, यह निर्णय लिया गया है कि खुदरा बिक्री केन्द्रों के अलावा हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए दस वर्षों की समग्र समय सीमा के अंदर, वित्तीय समापन पांच वर्षों के अंदर प्राप्त कर लिया जाना चाहिए और परियोजना/परियोजनाओं को दस वर्ष में हर दृष्टि से कार्यान्वित कर लेना चाहिए।

समुद्री संसाधन

691. श्री पी० राजेन्द्रन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे समुद्री संसाधन और जिम्मेदारी का क्षेत्र कई गुना बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय नौसेना की चोरों, घुसपैठियों और अवैध नाविकों के विरुद्ध अपने क्षेत्रों की निगरानी रखने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ताकि अंडमान द्वीप समूह के आस-पास का पर्यावरण सुरक्षित रहे; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र, खोज, दोहन, संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के संप्रभु अधिकारों सहित 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन के अनुसार महाद्वीपीय फलक के पृथक्करण के कारण, भारत के आर्थिक अनन्य क्षेत्र के लगभग 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर और बढ़ जाने की आशा है।

(ग) जी, हां।

(घ) भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल संयुक्त रूप से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के चारों ओर के क्षेत्र में चोकसी करने और मछली पकड़ने वालों तथा घुसपैठियों को गिरफ्तार करने के वास्ते गश्त लगाते हैं। हाल ही में प्रभावी समन्वय और युद्धक कार्रवाई के लिए नौसेना, वायुसेना, सेना तथा तटरक्षक बल को लेकर अंडमान एवं निकोबार कमान का गठन किया गया है।

सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशनों पर आग की घटनाएं

692. श्री पी० मोहन :
श्री सुनील खां :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशनों में आग की घटनाएं बढ़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले छः महीनों के दौरान कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ग) क्या सी०एन०जी० कम्प्रेशर के कल पुर्जे आयात किए गए है जिसके परिणामस्वरूप कम्प्रेशर लगातार 15 दिनों तक काम नहीं कर सकता है और गैस की आपूर्ति भी प्रभावित होती है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में कल-पुर्जे की मांग को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) विगत 6 माह में दो मामले दर्ज किए गए हैं एक दिनांक 21.8.2001 को और दूसरा 14.10.2001 को।

(ग) आयातित उपकरणों के कल-पुर्जे पैकेज के साथ-साथ उपकरण में अनुवर्ती प्रयोग के लिए भी प्राप्त किए जाते हैं। यह प्राप्ति अग्रिम रूप से की जाती है ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाया जा सके और ब्रेक डाऊन मशीनों का रख-रखाव किया जा सके जिससे अविलम्ब संभव समय में ही प्रचालन कार्य शुरू किया जा सके और लम्बी अवधि तक सी०एन०जी० आपूर्ति प्रभावित न रहे।

(घ) सी०एन०जी० कम्प्रैशरों के कलपुर्जे सुचारू प्रचालन के लिए मूल देश से ही प्राप्त किए जाने चाहिए।

सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों के प्रमुखों के पैनल का गठन

693. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "टर्फ वार" से बचने के लिए सेवाओं हेतु सेनाध्यक्षों के संयुक्त समिति की तर्ज पर अपने प्रमुख के पैनल के गठन के लिए संभावनाओं की खोज करने हेतु तीन प्रमुख सरकारी तेल कम्पनियों को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे पैनल के गठन के पीछे मुख्य विचार क्या है;

(ग) क्या तीन तेल कम्पनियों के प्रमुखों के बीच कोई बातचीत की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या इस कदम से पेट्रोलियम उत्पादों के आयात और गैस पाइपलाइन बिछाने के संबंध में तेल कंपनियों के बीच मनमुटाव में कमी आने की संभावना है; और

(च) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे पैनल कब तक गठित कर दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय भाषाओं में दूरदर्शन चैनल

694. श्री टी० गोविन्दन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश की कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में दूरदर्शन चैनल शुरू करना बाकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन चैनलों को कब तक शुरू कर दिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) दूरदर्शन द्वारा संसाधनों की उपलब्धता के अधीन सम्बन्धित क्षेत्रों की आकांक्षा एवं अपेक्षाओं को पूरा करने की दृष्टि से उन क्षेत्र विशेष की भाषाओं में क्षेत्रीय चैनल शुरू किए जाते हैं ये चैनल मुख्य रूप से क्षेत्र की प्रमुख भाषा की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। दूरदर्शन के चैनलों और उनकी भाषाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

चैनल	भाषा	शुरू करने की तारीख
डीडी-4	मलयालम	15.8.94
डीडी-5	तमिल	18.10.93
डीडी-6	उड़िया	15.8.94
डीडी-7	बंगला	15.8.94
डीडी-8	तेलुगु	15.8.94
डीडी-9	कन्नड़	15.8.94
डीडी-10	मराठी	15.8.94
डीडी-11	गुजराती	15.8.94
डीडी-12	कश्मीरी	15.8.94
डीडी-13	उत्तर-पूर्वी	15.8.94
डीडी-14	पंजाबी	6.8.98

केरल की साइलेंट घाटी परियोजना के पुनरूद्धार का प्रस्ताव

695. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में साइलेंट घाटी जल विद्युत परियोजना के पुनरूद्धार हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) परियोजना के पुनरूद्धार हेतु अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) भारत सरकार के पास साइलेंट वैली परियोजना हेतु कोई ताजा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

आई०ओ०सी०एल० और बी०पी०सी०एल० द्वारा एल०पी०जी० सिलिंडरों का निर्माण

696. **श्री रामजी मांझी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड ने एल०पी०जी० सिलिंडरों के निर्माण हेतु अपने स्वीकृत निर्माताओं के बीच से निविदाएं आमंत्रित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एल०पी०जी० सिलिंडरों के निर्माण हेतु आई०ओ०सी० एल० और बी०पी०सी०एल० द्वारा कुल कितने निर्माताओं को स्वीकृति दी गई है और शेष निर्माताओं को छोड़ने के कारण देते हुए उनमें से कितने निर्माताओं को सिलिंडर निर्माण का काम दिया गया था; और

(घ) सरकार का उक्त कम्पनियों में भ्रष्टाचार दूर करने हेतु क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने दो भाग बोली पद्धति (तकनीकी व मूल्य बोली) आधार पर सिलेंडरों की प्राप्ति के लिए अलग से निविदाएं जारी की थीं। निविदा के निबंधनों और शर्तों के अनुसार निविदादाताओं की योग्यता के आधार पर उन्हें आदेशों का प्रस्तुतीकरण किया जाता है। इस समय, विभिन्न उंच्च न्यायालयों में निविदादाताओं द्वारा दायर विभिन्न रिट याचिकाओं को देखते हुए मामला न्यायाधीन है। तथापि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 24.8.2001 के अपने अंतरिम आदेश द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार आई०ओ०सी०एल० तथा बी०पी० सी०एल० ने कुछ पात्र निविदादाताओं को सिलेंडर आदेश प्रस्तुत किए हैं।

रामागुंडम में एन०टी०पी०सी० की दो इकाइयों की असफलता

697. **डा० एन० वेंकटस्वामी :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामागुंडम स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की दो इकाइयां 17 अक्तूबर, 2001 को असफलत हो गयी थीं;

(ख) यदि हां, तो असफलता के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) वाटर वाल ट्यूबों में लिकेज होने, जो कि सामान्यत: होता है, के कारण एन०टी०पी०सी० की रामागुण्डम एस०टी०पी०एस० में प्रत्येक 500 मेगावाट की दो यूनिटें (सं० 6 और 04) क्रमश: 16 अक्तूबर और 17 अक्तूबर, 2001 को ट्रिप कर गयी थी। यूनिट सं० 6, जो कि 16 अक्तूबर, 2001 को ट्रिप कर गयी थी, को 17.10.2001 को लिकेज ठीक करने के बाद समकालित कर दिया गया था जबकि यूनिट संख्या-4 को एन०टी०पी०सी० द्वारा वार्षिक बॉयलर ओवरहालिंग के लिए लिया गया है।

हैलीकॉप्टर रिंग्स की खरीद

698. **श्री मोहन रावले :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1992-96 के दौरान 820 हैलीकॉप्टर रिंग्स की खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल कीमत कितनी है;

(ग) क्या ये रिंग्स अभी भी अप्रयुक्त पड़ी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसी परिहार्य खरीद के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) खरीदे गए रिंगों का कुल मूल्य 1.70 करोड़ रुपए था।

(ग) इस समय, कुछ रिंग स्टॉक में पड़े हुए हैं जिन्हें सामान्य ओवरहाल के दौरान उपयोग में लाया जाएगा।

(घ) इन रिंगों की एम०आई०-8/एम०आई०-17 हेलीकॉप्टरों में इस्तेमाल किए जाने के लिए आवश्यकता है और इनका अगले कुछ वर्षों में उपयोग कर लिया जाएगा।

नई परियोजनाओं की स्थापना

699. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान नई परियोजनाओं की स्थापना/क्षमता के विस्तार आदि के लिए विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत, क्षमता और वाणिज्यिक उत्पादन का अनुमानित समय क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 (31.10.2001) के दौरान केविप्रा (सी०ई०ए०) द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृति (टीईसी) प्राप्त परियोजनाओं के ब्यौरे परियोजना लागत, क्षमता और चालू होने की अनुमानित तारीख समेत ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। सी०ई०ए० तथा विद्युत मंत्रालय टी०ई०सी० स्वीकृति के पश्चात् परियोजनाओं को निरंतर निगरानी कर रहे हैं ताकि उनको समय पर पूरा किया जा सके।

विवरण

क्र० सं०	स्कीम का नाम/राज्य/क्रियान्वयक एर्जेसी	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	परियोजना की अनुमानित लागत	के०वि०प्रा० की स्वीकृति की तिथि	चालू होने की वास्तविक/ अनुमानित (ए) तिथि
1	2	3	4	5	6
के०वि०प्रा० के द्वारा 1999-2000 के दौरान तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्राप्त स्कीमें					
	जल विद्युत				
1.	एमईएसईबी द्वारा मेघालय में मिंत्दू (लेइश्के) चरण-1 एचईपी	2×42	363.1 करोड़ रुपए	20.9.99	10/2006
2.	एचपीएसईबी द्वारा हि०प्र० में लारजी एचईपी	3×42	396.98 करोड़ रुपए	14.1.2000	3/2004, 5/2004, 7/2004
3.	उ०प्र० जल विद्युत निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में मनेरी भाली एचईपी चरण-2	4×76	1249.18 करोड़ रुपए	21.2.2000	1/2004, 2/2004, 3/2004 और 4/2004
	ताप विद्युत स्कीमें				
1.	प०बंगाल में गौरीपुर टीपीपी (मै० गौरीपुर पावर कंपनी)	1×150	यूएस डालर 28.07 एम + 548.566 करोड़ रुपए	19.4.99	स्कीम को स्थगित कर दिया गया है।
2.	रामागुण्डम टीपीपी, आंध्र प्रदेश (एनटीपीसी)	1×500	यूएस डालर 185.020 एम + 1284.265 करोड़ रुपए	29.4.99	8/2005
3.	धुबरी टीपीपी, उड़ीसा मै० कलिंग पावर कारपोरेशन लि०	2×250	यूएस डालर 313.596 एम + 952.83 करोड़ रुपए	29.4.99	वित्तीय समापन प्रतीक्षित
4.	नागार्जुन टीपीपी, कर्नाटक, मै० नागार्जुन पावर कारपोरेशन लि०	2×507.5	यूएस डालर 273.795 एम + जीबीपी 277.400 एम + फ्रेंचफ्रांक 907.190 करोड़ रुपए एम + 1792.685 करोड़ रुपए	29.4.99	वित्तीय समापन प्रतीक्षित
5.	गुजरात में जामनगर पेटकोक आधारित टीपीपी, मै० रिलायंस पावर लि०	2सी×250	यूएस डालर 434.36 एम = 726.429 करोड़ रुपए	24.5.99	वित्तीय समापन प्रतीक्षित
6.	महाराष्ट्र में परंली टीपीएस चरण-1 (एमएसईबी)	1×250	1053.90 करोड़ रुपए	9.7.99	2/2005
7.	मै० पांडिचेरी पावर कारपोरेशन लि० की कराइकल सीसीजीटी-संशोधित योजना 1948 32 का ई(एस)	32.5	131.29 करोड़ रुपए	12.7.99	जीटी-3/99 (ए) एसटी 10/99 (ए)

1	2	3	4	5	6
8.	राजस्थान में सूरतगढ़ टीपीएस चरण-2 (आरएसईबी)	2×250	2057.62 करोड़ रुपए	9.7.99	29/10/01 (ए) 3/2002
9.	तमिलनाडु में कुड्डालोर टीपीपी, मै० कुड्डालोर पावर कंपनी लि०	2×660	यूएस डालर 488.193 एम + जीबीपी 203.922 एम + फ्रेंचफ्रांक 1258.811 एम + 2036.501 करोड़ रुपए	13.8.99	वित्तीय समापन प्रतीक्षित
10.	मैथानिया एकीकृत सौर संयुक्त साइकिल विद्युत केन्द्र, राजस्थान (मै० राजस्थान स्टेट पावर कारपोरेशन लि०)	140	यूएस डालर 50.6 एम + 659.34 करोड़ रुपए	27.8.99	वित्तीय समापन प्रतीक्षित
11.	अकरीमोटा ताप विद्युत परियोजना, गुजरात मै० गुजरात मिनरल डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि०	2×125	यूएस डालर 47.914 एम + डीएम 47.929 एम + 1022.158 करोड़ रुपए	6.9.99	वित्तीय समापन प्रतीक्षित
12.	कनिर्मिके सीसीपीपी (कर्नाटक)	107.6	यूएस डालर 56.577 एम + 152.969 करोड़ रुपए	20.9.99	वित्तीय समापन प्रतीक्षित
13.	वेम्बर सीसीपीपी (तमिलनाडु)	1873	यूएस डालर 694.94 एम + 2106.67 करोड़ रुपए	24.9.99	वित्तीय समापन प्रतीक्षित
14.	रिहंद एसटीपीएस चरण-2 (उ०प्र०)	2×500	यूएस डालर 433.191 एम + 4049.49 करोड़ रुपए	1.10.99	8/2005 5/2006
15.	सिपत एसटीपीपी-1 (म०प्र०)	3×660	यूएस डालर 991.921 एम + 4797.168 करोड़ रुपए	17.1.2000	एनटीपीसी का निवेश निर्णय प्रतीक्षित
16.	प्रगति सीसीजीटी (दिल्ली)	330	यूएस डालर 59.888 एम + 819.30 करोड़ रुपए	10.2.2000	1/2002 3/2002 11/2002
17.	कन्नूर सीसीजीटी (केरल	513	यूएस डालर 210.010 एम + 587.971 करोड़ रुपए	16.2.2000	वित्तीय समापन प्रतीक्षित
2000-01 के दौरान स्वीकृत स्कीमें					
	जल विद्युत				
1.	श्रीनगर एचईपी (उ०प्र०)	4×82.5	यूएस डालर 95.054 एम + 1299.89 करोड़ रुपए	14.6.2000	2005-2006
2.	बैराबी बांध एचईपी (मिजोरम)	2×40	549.43 करोड़ रुपए	9.11.2000	2007-2008
3.	पार्वती एचईपी चरण-2 (हिं०प्र०)	4×200	यूएस डालर 11.774 एम + 4424.671 करोड़ रुपए	3.1.2001	2008-2009
4.	बालीमेला एचईपी विस्तार-यू 7 और 8 (उड़ीसा)	2×75	यूएस डालर 27.127 एम + 84.80 करोड़ रुपए	5.1.2001	1/2004 3/2004
	ताप विद्युत				
1.	गुरू हरगोबिंद टीपीपी चरण-2 (पंजाब)	2×250	1789.666 करोड़ रुपए	15.9.2000	वित्तीय समापन प्रतीक्षित

1	2	3	4	5	6
2.	हजीरा सीसीपीपी (गुजरात)	156	यूएस डालर 3.60 एम + सीएचएफ 73.480 एम + 310.051 करोड़ रुपए	22.9.2000	स्थिति प्रतीक्षित
3.	रायचूर टीपीपी यू-7 (कर्नाटक)	1×210	613 करोड़ रुपए	31.1.2001	1/2003
4.	रामगढ़ सीसीजीटी चरण-2 (राजस्थान)	75.325	300.10 करोड़ रुपए	16.2.2001	11/2002 5/2003
5.	कोविलकंलप्पल सीसीपीपी (तमिलनाडु)	107.88	यूएस डालर 20.860 एम + 199.290 करोड़ रुपए	28.2.2001	जीटी-5/2/2001 (ए) एसटी-30/3/2001 (ए)
	2001-02 के दौरान स्वीकृत स्कीमें				
	जल विद्युत				
1.	धामवाड़ी सुंडा एचईपी (हि०प्र०)	2×35	यूएस डालर 10.91 एम + 393.04 करोड़ रुपए	6.7.2001	9/2006 10/2006
	ताप विद्युत				
1.	सुरतगढ़ टीपीएस चरण-3 (राजस्थान)	1×250	752.738 करोड़ रुपए	27.7.2001	11/2003
2.	बाढ़ एसटीपीएस (बिहार)	3×660	यूएस डालर 1070.387 एम + 4115.632 करोड़ रुपए	28.9.2001	निवेश निर्णय प्रतीक्षित
3.	धुव्रण सीसीजीटी (गुजरात)	106.617	यूएस डालर 15.728 एम + 236.139 करोड़ रुपए	30.10.2001	वित्तीय समापन प्रतीक्षित

जाजपुर को रेल द्वारा जोड़ा जाना

700. **श्री त्रिलोचन कानूनगो :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में जाजपुर शहर को रेल द्वारा जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव पर निर्माण कार्य में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एम०एस०ई०बी० को दाभोल विद्युत परियोजना का हस्तांतरण नोटिस

701. **श्री प्रकाश वी० पाटील :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दाभोल विद्युत परियोजना (डी०पी०पी०) ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एम०एस०ई०बी०) को सम्पदा हस्तांतरण नोटिस दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नोटिस के परिणामस्वरूप बिजली खरीद समझौता ज्ञापन समाप्त होने जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसमें केन्द्र सरकार की क्या भूमिका है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) डाभोल पावर के० (डी०पी०सी०) ने 5 नवम्बर, 2001 को विद्युत क्रय समझौता (पी०पी०ए०) की सूची 11 के पैराग्राफ 2.2 (ए) के अनुसार महाराष्ट्र रा०वि० बोर्ड (एम०एस०ई०बी) को एक अंतरण नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने निर्धारित किया है कि पी०पी०ए० की सूची 11 के अनुसार एम०एस०ई०बी० को अंतरित की जाने वाली प्रचालन संबंधी परिसंपत्तियों में एल०एन०जी० सुविधा भी शामिल होगी। डी०पी०सी० द्वारा नोटिस में यह भी बताया गया है कि वे पी०पी०ए० के आवश्यक प्रावधानों के अनुसार

एम०एस०ई०बी० को अतिरिक्त अंतरण नोटिस जारी करने का अधिकार सुरक्षित रखते है। पूर्व में 19 मई, 2001 को डी०पी०सी० ने एम०एस०ई०बी० को प्रारंभिक समाप्ति नोटिस जारी किया था।

(ग) भारती औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०आई०) ने मुम्बई उच्च न्यायालय में डी०पी०सी० के खिलाफ प्रस्ताव संबंधी सूचना दायर की थी जिस पर उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि डी०पी०सी० को प्रारंभिक समाप्ति नोटिस संबंधी अगली कार्रवाई करने की अनुमति नहीं है।

(घ) भारत सरकार पी०पी०ए० की हस्ताक्षरकर्त्ता नहीं है, जहां पी०पी०ए० पर डी०पी०सी० एवं एम०एस०ई०बी० द्वारा हस्ताक्षर किए गए है। हालांकि भारत सरकार ने डाभोल विद्युत परियोजना से संबंधित विभिन्न मामलों के शांतिपूर्ण समाधान को और अधिक सुगम बनाने के लिए सहमति दे दी है।

फिक्की और विद्युत ग्रिड निगम द्वारा सम्मेलन आयोजित किया जाना

702. **श्री राम मोहन गाड्डे : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिक्की और विद्युत ग्रिड निगम द्वारा वितरण सुधार संबंधी सम्मेलन का हाल ही में आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन बिन्दुओं पर चर्चा हुई; और

(ग) सम्मेलन में क्या निर्णय लिए गए ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि० (पावरग्रिड) तथा फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) ने विद्युत मंत्रालय के तत्वाधान में 12-13 अक्तूबर, 2001 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में वितरण सुधारों पर दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया।

(ख) सम्मेलन में तकनीकी, नियामक, वित्तीय, कानूनी, निजीकरण तथा निवेश अवसरों जैसे वितरण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

(ग) सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित सिफारिशें/सुझाव दिए गए :

(1) प्रत्येक वितरण फीडर को लाभ केन्द्र में परिवर्तित किया जाना।

(2) प्रत्येक वितरण परिमंडल के विकास का लक्ष्य

(3) उप पारेषण प्रणाली को उन्नत तथा सुदृढ़ बनाया जाना

(4) सभी उपभोक्ताओं के लिए मीटरिंग, तथा राजस्व संग्रह के लक्ष्य को पूरा किया जाना

(5) तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों को पृथक करने के लिए विस्तृत ऊर्जा गणना व लेखा परीक्षा।

(6) सुधार संबंधी यूटिलिटियों को संक्रमण सहायता उपलब्ध कराना

(7) बहुवर्षीय टैरिफ ढांचें के जरिए नियंत्रकों को सुधार प्रक्रिया का अंग बनाना

(8) कुशल प्रबंधन प्रणाली के लिए एस०सी०ए०डी०ए० (पर्यवेक्षण नियंत्रण तथा आंकड़ा संग्रह प्रणाली) और जी०आई०एस० (भौगोलिक सूचना प्रणाली) जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना।

शोधन क्षमता

703. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शोधन की अत्यधिक क्षमता है;

(ख) यदि हां, तो इस अत्यधिक क्षमता के क्या कारण हैं;

(ग) क्या अवशोधन क्षेत्र में अनुत्पादक निवेशों में भारी पूंजी लगी हुई है;

(घ) सरकार का ऐसी देनदारियों को कम करने के लिए क्या प्रस्ताव है;

(ङ) बाजार की अनुपस्थिति में सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों द्वारा नई शोधन शालाओं में हाजारों करोड़ रुपये का निवेश करने के क्या कारण हैं;

(च) क्या ऐसे निवेशों की किसी जांच का आदेश दिया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) इस समय देश में तेल शोधन की क्षमता पेट्रोलियम उत्पादों की मांग से कुछ अधिक है। पेट्रोल, डीजल आदि जैसे कुछ उत्पादों की मात्रा का निर्यात किया जा रहा है, जबकि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल०पी०जी०) का आयात किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करते समय, पेट्रोलियम उत्पादों की भावी आपूर्ति – मांग स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां अन्य बातों के साथ-साथ योजना आयोग द्वारा तैयार

किए गए अनुमानित मांग परिदृश्य, अनुमानित जी०डी०पी० विकास दर (दरों) तथा अन्य सम्बद्ध कारकों पर विचार करते हुए अपनी निवेश योजनाएं तैयार करती है। इसके आगे, परिवर्तित परिदृश्य पर विचार करते हुए समय-समय पर निवेश निर्णय की समीक्षा की जाती है।

(च) और (छ) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा चेक/डिमांड ड्राफ्ट संग्रहण पर विनिमय प्रभार

704. **डा० रमेश चंद तोमर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** 26 अप्रैल, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5838 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासित मूल्य प्रणाली के अंतर्गत आने वाले उत्पाद के विपणन के लिए सभी आर०पी०ओ० डीलरों और तेल कंपनियों के सभी विपणन लाभ और लागत सरकार द्वारा निर्धारित और स्वीकृत किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल कंपनियां सरकार की अनुमति के बिना ऐसे उत्पादों पर अतिरिक्त चेक/डिमांड ड्राफ्ट संग्रहण पर विनिमय प्रभार लगा सकते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या आर०पी०ओ० डीलर इसी सिद्धान्त पर आधारित ग्राहकों से उनके द्वारा वहन किए जाने वाले वास्तविक डी०डी० पर प्रभार लगा सकते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या तेल कंपनियां विशेष रूप से आई०ओ०सी०एल०, एम०एस०/एच०एस०डी० पर 37 रुपये प्रति किलोमीटर और 15 रुपये प्रति किलोलीटर के स्वीकृत प्रभार के विरुद्ध दूसरे शहरों के चेक के मूल्य पर अतिरिक्त चेक संग्रहण विनिमय प्रभार की वसूली कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस तरह की अनियमितता को कब तक बंद कर दिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) नियंत्रित उत्पादों के संबंध में विपणन लाभ और डीलरों का कमीशन सरकार द्वारा नियत किया जाता है।

(ख) से (ङ) डीलरों को सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर मानवीय आधार पर डिमांड ड्राफ्ट/भुगतान आदेश/बैंकर चेक प्रभारों की प्रतिपूर्ति की जाती है। बाहरी चेक सुविधा तेल कंपनियों द्वारा डीलरों को दी जाने वाली एक अतिरिक्त सुविधा है। आई०ओ०सी० ने यह सूचित किया है कि चूंकि उन्हें डीलरों से इस प्रकार प्राप्त और उनके द्वारा जमा कराए गए बहारी चेकों पर बैंकरों को बैंक प्रभार देने होते हैं इसलिए इसके बदले वे ऐसे प्रभार डीलरों से प्राप्त करते हैं।

आर०पी०ओ० डीलर का कमीशन

706. **श्री अधीर चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्तुत आर०पी०ओ० डीलर कमीशन को अंतिम रूप देने में विलंब का कारण वर्तमान अलाभकारी डीलर कमीशन से आर०पी०ओ० डीलरों में उत्पन्न असंतोष का लाभ उठाने हेतु निजी तेल शोधकों/उद्यमियों द्वारा हस्तक्षेप और पहल है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में अधिकारियों की संलिप्तता का पता लगाने हेतु जांच कराने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या "न बिक्री न खरीद" के अभियान का आह्वान करने के लिए एफ०ए०आई०पी०टी० के अध्यक्ष को दंडित करने के उद्देश्य से विलंब किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विदेश में रेल लाइन बिछाना

707. **श्री अजय सिंह चौटाला : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल विदेश में रेल लाइन आदि बिछाने जैसे संबंधित कार्य भी करती है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा निवेश में किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इससे भरतीय रेल द्वारा कितनी आय अर्जित की गई; और

(घ) भारतीय रेल आगामी वर्ष के दौरान विदेश में कौन-सा कार्य शुरू करने जा रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

"पैलेस आन व्हील्स" में सी०बी०आई० द्वारा औचक निरीक्षण

708. श्री के० बलराम कृष्णमूर्ति :
श्री मोहन रावले :
श्री अधीर चौधरी :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री शिवाजी माने :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :
डा० अशोक पटेल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी०बी०आई० ने राजस्थान में प्रतिष्ठित सुख सुविधा सम्पन्न ट्रेन "पैलेस आन व्हील्स" में औचक निरीक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो कितने यात्री बिना टिकट यात्रा करते पाए गए और उनमें से कितनों के पास वैध टिकट थे;

(ग) रेलवे कर्मचारियों से संबंधित कितने यात्री थे और उनमें से कितने राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अतिथि थे; और

(घ) मामले में क्या कार्रवाई की गई ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी हां, जोधपुर शाखा के केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों की टीम द्वारा 8.9.01 को पैलेस ऑन व्हील्स पर औचक निरीक्षण किया था।

(ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 79 यात्री बिना टिकट तथा 38 यात्री वैध टिकटों के यात्रा करते पाए गए थे।

(ग) एक रेल अधिकारी ने अपनी पत्नी सहित मानार्थ आधार पर यात्रा की थी। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा 67 यात्रियों को आमंत्रित किया गया था। जबकि बोर्ड पर आंकड़े 67 से अधिक थे। बहरहाल, इसकी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा राजस्थान पर्यटन विकास निगम से पुष्टि की जा रही है।

(घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा 14.9.01 को एक नियमित मामला दर्ज किया गया है और उस पर उनके द्वारा सक्रिय जांच की जा रही है।

प्रथम श्रेणी सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

709. श्री रमेश सी० जीगाजीनागी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के अंतर्गत 1 जनवरी, 1998 की स्थिति के अनुसार प्रथम श्रेणी (समूह क) सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व केवल 13.59% है (अनुसूचित जातियां-10.38% और अनुसूचित जनजातियां-3.21%) और द्वितीय श्रेणी (समूह "ख") में यह प्रतिनिधित्व केवल 14.41% है (अनुसूचित जातियों-11.73% और अनुसूचित जनजातियां-2.68%) जबकि उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 22.5% (अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5%) है;

(ख) यदि हां, तो प्रथम श्रेणी (समूह क) और द्वितीय श्रेणी (समूह ख) और उनके समकक्ष के कुल कितने पद हैं; और

(ग) डी०ओ०पी०टी० के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था० (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार इन पदों पर सामान्य, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, नहीं। बहरहाल, श्रेणी "क" और श्रेणी "ख" की सेवाओं में अनुसूचित जाति (अ०ज०) और अनुसूचित जनजाति (अ०ज०जा०) का प्रतिनिधित्व वर्ष 1997-1998 (31 मार्च 1998 को समाप्त) के लिए निम्नानुसार हैं :-

श्रेणी	अ०ज०	अ०ज०जा०
"क"	14.61%	5.76%
"ख"	15.44%	5.19%

(ख) और (ग) समूह "क" और समूह "ख" सेवाओं (मपप, रेलवे सहित) में कुल रेल कर्मचारियों की संख्या और इनमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्यों (अन्य पिछड़े वर्गों सहित) की संख्या 31.3.1998 निम्नानुसार है :-

समूह	कुल कर्मचारी	अ०ज०	अ०ज०जा०	अन्य (अपि
"क"	7835	1145 (14.61%)	451 (5.76%)	6239 (79.63%)
"ख"	6450	996 (15.44%)	335 (5.19%)	5119 79.36%)

समूह "क" में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व निर्धारित संख्या (15%) से कुछ कम है। यह स्थिति मुख्य रूप से भारतीय रेलवे चिकित्सा सेवाओं में नियुक्ति की पेशकश में उम्मीदवारों की रूचि के न होने के कारण है। समूह "क" और समूह "ख" सेवाओं में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के निर्धारित प्रतिशत के लक्ष्य को उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों की बकाया/अग्रेनीत रिक्तियां

710. सरदार **बूटा सिंह** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 16(4) ख के तहत की गई व्यवस्था के अनुसार किसी वर्ष में आरक्षित रिक्त पदों की 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से बचने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित पिछले बकाया/अग्रेनीत रिक्त पदों को एक अलग और विशेष समूह के रूप में माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसार अर्थात् अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने वाले विशेष अभियान आदि की समाप्ति पर संस्कृति मंत्रालय में डी०ओ०पी०टी० के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था० (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार यथा सुनिश्चित समूह क, ख, ग और घ श्रेणियों में निर्धारित बकाया/अग्रेनीत रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत चार वर्षों के दौरान आज की तारीख तक प्रतिवर्ष ऐसे अग्रेनीत कितने रिक्त पद भरे गए और कितने पद रिक्त पड़े रहे; और

(घ) गत चार वर्षों के दौरान पद आधारित रोस्टर के अनुसार सभी श्रेणियों में आरक्षित वर्गों के लिए बने नए रिक्त पदों/दिये गये पदों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पट्टा करार की अवधि समाप्त होने के बाद भी चल रहे पेट्रोल पम्प

711. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भूमि की पट्टा करार की अवधि समाप्त होने के बाद भी आई०ओ०सी०एल०, बी०पी०सी०एल० और एच०पी० सी०एल० द्वारा चलाए जा रहे पेट्रोल पम्पों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पट्टा करार की अवधि समाप्त होने के बाद सरकार द्वारा भू-स्वामियों को उनकी सम्पत्ति लौटाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या किसी भू-स्वामी ने उसकी पट्टा करार अवधि समाप्त होने के बाद सरकार से अपनी भूमि लौटाने के लिए सम्पर्क किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) देश में पट्टा करारों की समाप्ति के बाद लगभग 1645 खुदरा बिक्री केन्द्र चल रहे हैं।

(ख) भूमि पट्टा करार की समाप्ति के बाद, मामला पट्टे के नवीकरण/एकबारगी खरीद के लिए भूस्वामी एजेंसियों/स्वामियों के साथ उठाया जाता है। ऐसे मामले जहां भू-स्वामी बेदखली चाहते हैं, वहां तेल कंपनी प्रत्येक मामले की जांच करती है और जहां कहीं आवश्यक हो किराएदार के रूप में कानूनी अधिकारों का प्रयोग करते हुए आवश्यक कार्रवाई करती है। इन मामलों, में आवश्यक कानूनी सहारा लिया जाता है।

(ग) और (घ) इस संबंध में जब कभी भू-स्वामियों से अनुरोध प्राप्त होते हैं, तो उन्हें संबंधित तेल विपणन कंपनियों को उनकी अपनी नीति के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए भेज दिया जाता है।

तमिलनाडु में रसोई गैस भराई संयंत्र

712. **डा० वी० सरोजा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में गत तीन वर्षों के दौरान कितने रसोई गैस भराई संयंत्र स्थापित किए गए;

(ख) क्या तमिलनाडु के नमक्कल में रसोई गैस भराई संयंत्र स्थापित किए जाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों ने विगत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में सात एल०पी०जी० भरण संयंत्र स्थापित किए हैं।

(ख) से (घ) वर्तमान में तमिलनाडु के अंतर्गत नामक्कल में एल०पी०जी० भरण संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना नहीं है क्योंकि इस क्षेत्र की वर्तमान मांग को सलेम तथा इरोडे स्थित विद्यमान भरण संयंत्रों के माध्यम से पूर्णतया पूरा किया जा रहा है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि

713. श्री राम सिंह कस्वां :
श्री उत्तमराव पाटील :
योगी आदित्यनाथ :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) सरकार ने हाल ही में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल भण्डारण स्थल मूल्यों में वृद्धि नहीं की है। तथापि, मुख्यतया डीलरों/वितरकों के कमीशन में वृद्धि के कारण पेट्रोल, डीजल तथा घरेलू एल०पी०जी० के खुदरा बिक्री मूल्यों में 9/10 नवम्बर, 2001 मध्य रात्रि से वृद्धि की गई है। पेट्रोल तथा डीजल पर देय डीलरों के कमीशन में क्रमश: 135 रुपए प्रति किलो लीटर तथा 8.8 रुपए प्रति किलो लीटर की वृद्धि की गई थी। एल०पी०जी० (घरेलू) पर देय वितरकों के कमीशन में 1.02 रुपए प्रति सिलेन्डर तक की वृद्धि की गई थी।

[अनुवाद]

हरिद्वार से आगे ऋषिकेश तक रेलों को चलाना

714. श्री बी० वेंकटेस्वरलु : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऋषिकेश के महत्व को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार तक चलने वाली रेलों को ऋषिकेश तक चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो कितनी रेलों को ऋषिकेश तक चलाया जाएगा; और

(ग) इस सेवा को कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में पवन ऊर्जा परियोजनाएं

715. श्री अनादि साहू : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उड़ीसा के लिए पवन ऊर्जा परियोजनाओं को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा में कोई निजी पवन ऊर्जा परियोजना है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने ऐसी परियोजनाओं के लिए धनराशि स्वीकृत की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) उड़ीसा में निजी क्षेत्र द्वारा अब तक कोई पवन विद्युत परियोजना नहीं लगाई गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विनिमय पटल

716. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक विदेशी मुद्रा विनिमय पटल खोला गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह यात्रियों के लिए उपयोगी साबित हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इन पटलों को अन्य किन-किन स्टेशनों पर खोले जाने का विचार है ??

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) इस समय, इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रतिनियुक्ति के लिए डी०ओ०पी०टी० के दिशानिर्देशों को अपनाना

717. श्री अरुण कुमार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों की केवल सदृश पद पर प्रतिनियुक्ति से संबंधित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देश आवश्यक परिवर्तनों सहित रेलवे के कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे कर्मचारियों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर भेजते समय इन अधिदेशात्मक दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्मारकों को विश्व विरासत का दर्जा देना

718. **श्री एच०जी० रामुलू** : क्या **संस्कृति मंत्री** विश्व विरासत स्मारकों के बारे में 9 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2843 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों के लिए नामांकन करने के संबंध में जारी किए गए संशोधित दिशानिर्देश प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्थानवार किन-किन प्रस्तावित स्मारकों के नाम विश्व विरासत स्थलों के रूप में सम्मिलित करने हेतु यूनेस्को के पास भेजे गए और भेजे जाने का विचार है;

(घ) इस संबंध में क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ङ) सरकार द्वारा उन्हें विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किए जाने के संबंध में अभी तक क्या प्रगति की गई है;

(च) यूनेस्को द्वारा जारी किए गए नए दिशानिर्देशों के अनुसार किन-किन स्मारकों के नाम विश्व विरासत स्थलों की सूची में से हटाए जाने की संभावना है; और

(छ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) यूनेस्को के संशोधित दिशानिर्देशों का सार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) निम्नलिखित स्मारकों/स्थलों को विश्वदाय सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया जा रहा है :

क. हड़प्पा स्थल, धौलावीरा, जिला कच्छ, गुजरात।

ख. प्रागैतिहासिक चित्रित शैलाश्रय, भीम बेटका, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश।

ग. रणथंभौर किला, जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान)।

(घ) प्रस्तावित स्थल अब तक अप्रत्यावेदित कोटि में पड़ते हैं।

(ङ) इस संबंध में, यूनेस्को की संशोधित अनुसूची के अनुसार, नामांकन प्रक्रिया फरवरी, 2002 में शुरू होगी और 2003 में पूरी होगी।

(च) नए दिशानिर्देश किसी सूचीबद्ध विश्वदाय स्थल को हटाने का प्रस्ताव नहीं करते।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

यूनेस्को के संशोधित दिशानिर्देशों का सार

यूनेस्को की विश्वदाय समिति के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार अबसे प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं वाले अप्रस्तावित या कम प्रस्तावित श्रेणियों के नामांकनों को वरीयता दी जाएगी। अब से, उन देशों को छोड़कर जिनका कोई भी स्थल अभी तक सूचीबद्ध नहीं है, प्रत्येक सदस्य देश को प्रतिवर्ष केवल एक नामांकन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। नई श्रेणियों जैसे पवित्र स्थलों, औद्योगिक विरासत, आधुनिक वास्तुकला, सामूहिक नामांकनों तथा समुद्रवर्ती बंदरगाहों को विश्वदाय सूची में नामांकन के लिए मान्यता प्रदान की गई है। नामांकनों की जांच क्षेत्रीय, कालक्रमानुसार, भौगोलिक तथा विषयक आधार पर की जाएगी।

[हिन्दी]

सतना में रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण

719. **श्री रामानन्द सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबलपुर रेलवे जाने में सतना में रेलवे अंडरब्रिज के निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है;

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ग) इस अंडरब्रिज के निर्माण पर कुल कितनी धनराशि व्यय किए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) रेलों द्वारा रेलवे भाग (रेलपथों पर) में तथा राज्य सरकार द्वारा पहुंचमार्गों पर कार्य प्रगति पर है। कार्य की वास्तविक प्रगति 47% है।

(ख) इस कार्य को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूरा किए जाने की आशा है बशर्ते राज्य सरकार अपनी वित्तीय वचनबद्धता को पूरा करे।

(ग) इस कार्य की स्वीकृत लागत 434.41 लाख रुपए है जिसमें रेलों का भाग 120.80 लाख रुपए है।

चाकन-रंजनगांव औद्योगिक क्षेत्र, महाराष्ट्र के जरिए पाईप लाइन गैस

720. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के चाकन-रंजनगांव-सूपा-अहमदनगर औद्योगिक क्षेत्र को पाइपलाइन के माध्यम से गैस की आपूर्ति करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सर्वेक्षण के परिणाम उत्साहवर्धक हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त स्थानों को पाइपलाइन के माध्यम से गैस की आपूर्ति का कार्य शुरू करने हेतु चालू वर्ष में धनराशि आबंटित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं। तथापि, गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने महाराष्ट्र सरकार के तत्वावधान में गैस सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें चाकन-रंजनगांव-सूपा-अहमदनगर औद्योगिक क्षेत्र में दीर्घ/मध्यम अवधि गैस मांग का निर्धारण करने के लिए सर्वेक्षण किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

तेल कम्पनियों का विलय

721. **श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी :**
श्री ताराचन्द भगोरा :
श्री रामेश्वर डूडी :
श्री भेरूलाल मीणा :
डा० चरणदास महंत :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आई०ओ०सी०एल०, ओ०एन०जी०सी० और जी०ए०आई०एल० के भव्य विलय हेतु सक्रियता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो विलय के पश्चात उसमें सरकार का हिस्सा कितना प्रतिशत होगा;

(ग) क्या विलय के पश्चात ये कंपनियां सरकारी क्षेत्र की कंपनियां बनी रहेंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बुलेट रेलें शुरू करना

722. **श्री पदमसेन चौधरी :**
श्री रामपाल सिंह :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शीघ्र ही देश में बुलेट रेलगाड़ियां शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बुलेट रेलगाड़ियों की अधिकतम गति कितनी होगी;

(घ) इन रेलगाड़ियों को किन-किन स्टेशनों के बीच चलाए जाने का विचार है;

(ङ) इस परियोजना पर कितना व्यय होने की संभावना है; और

(च) बुलेट-रेलगाड़ियों को कब तक चलाए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

फरक्का की छठी इकाई

723. **श्री अबुल हसनत खाँ :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन०टी०पी०सी० फरक्का की 500 मेगावाट की छठी इकाई का निर्माण कार्य अभी तक आरंभ नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) सरकार ने सितम्बर 1989 में 500 मे०वा० (अर्थात 1x500 मे०वा० फरक्का सुपर थर्मल पावर परियोजना के तहत) की 6 यूनिटों को निवेश अनुमोदन प्रदान किया। बहरहाल पूर्वी क्षेत्र में विद्युत की मांग के अभाव में परियोजना का क्रियान्वयन नहीं किया जा सका। अपर्याप्त भार विकास तथा कमजोर वितरण प्रणाली के कारण बाद में अन्य क्षेत्रों को विद्युत निर्यात के प्रावधानों को ध्यान में रखकर क्रियान्वयन हेतु परियोजना की जांच की गई। तथापि फरक्का बैराज से गंगा जल शेयरिंग पर दिसम्बर, 1996 में संपन्न भारत-बांगलादेश संधि के पश्चात् जल उपलब्धता अनिश्चित हो जाने के कारण परियोजना कार्य को शुरू नहीं किया जा सका।

होसपेट-कोट्टूर मार्ग पर रेलगाड़ियां

724. **श्री कोलूर बसवनागौड़ :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि होसपेट-कोट्टूर रेल मार्ग को 1996 में बड़ी लाइन में परिवर्तित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना व्यय हुआ था;

(ग) इस रेल मार्ग पर रेलगाड़ियों को न चलाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस रेल मार्ग पर रेलगाड़ियों को शीघ्र चलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) यह कार्य हॉसपेट-हुबली-गोवा आमान परिवर्तन परियोजना का भाग है। परियोजना के भाग का खर्चा अलग से नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ) कोतरू-गुंडारोड पर मांग की कमी के कारण कोई भी गाड़ी (पैसेंजर और मालगाड़ी) नहीं चल रही है, जबकि हॉसपेट-गुंडारोड खंड पर केवल मालगाड़ियां चल रही हैं।

राकेश मोहन समिति का प्रतिवेदन

725. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :
मोहम्मद शहाबुद्दीन :
श्री राजो सिंह :
श्री राधा मोहन सिंह :
श्री रामचन्द्र पासवान :
श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री शिवाजी माने :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग को रेल विभाग के पुनर्गठन के संबंध में राकेश मोहन समिति का प्रतिवदेन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेल विभाग ने उक्त समिति के प्रतिवदेन की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने रेल विभाग को अपना प्रतिवेदन सौंप दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या रेल विभाग ने अपने सर्वोच्च हितों का पता लगाने के लिए कोई कार्यशाला आयोजित की थी;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (ज) डॉ० राकेश मोहन की अध्यक्षता में रेलवे विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट 7.8.2001 को पेश की है। इस रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें सन्निहित हैं :—

1. नीति, विनियमन और प्रबंधन संबंधी कार्यों का संस्थानात्मक पृथक्करण इसका अभिप्राय निम्नलिखित होगा :—
   i. नीति निर्माताओं का कार्य केवल नीति को तय करने तक की सीमित होगा और इसके लिए उनको मुह मांगा भुगतान किया जाए। भारत सरकार की जिम्मेवारी दिशा नीति निर्धारित करने की होगी।
   ii. परिचालनिक स्वायत्तता प्रदान करता और भारतीय रेलवे को ''भारतीय रेल निगम'' (आई०आर०सी०) में तब्दील करके उसका निगमीकरण करना। इसका प्रशासन पुनसंरचित भारतीय रेल कार्यपालक बोर्ड द्वारा किया जाना।
   iii. रेल सेवाओं की एकमात्र आपूर्तिकर्ता विशेष रूप से दर सूची निर्धारण से संबंधित भारतीय रेल निगम की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए भारतीय रेल विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करना।
2. इस पुर्नसंरचना की सफल कवायद के लिए सरकार और भारतीय रेल द्वारा पहले किए गए अनुमोदन और वचनबद्धता कि भारतीय रेल वाणिज्यिक लाइनों पर परिचालित होगी, आवश्यक शर्तें होंगी। सरकार द्वारा बताई गई और वाणिज्यिक गतिविधियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा और भारतीय रेल को ऐसी गतिविधियों के लिए क्षतिपूर्ति दी जाए।
3. आर्थिक तंगी के मद्देनजर भारतीय रेलवे को वित्तीय रिकवरी के लिए सामरिक उच्च वृद्धि पैटर्न का अनुसरण करना चाहिए।
4. तब्दीली की अवधि अर्थात लगभग 5-7 वर्षों के दौरान कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर इत्यादि का भुगतान करने से छूट।
5. अतिरिक्त श्रमिकों की देखभाल के लिए एक सामाजिक सुरक्षा तंत्र की स्थापना करना।
6. कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार भारतीय रेल के वित्तीय लेखों की पुनर्संरचना।
7. गैर-महत्वपूर्ण गतिविधियों को समाप्त करना।

8. क्रास सब्सिडी को समाप्त करने के लिए दर-सूची में संतुलन बैठाना।

रिपोर्ट में बताई गई विभिन्न सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की गई है। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत किए जाने की आशा है। इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट की सिफारिशों पर चर्चा और बहस शुरू करने के लिए 15 और 16 सितम्बर, 2001 को रेलवे स्टाफ कालेज वड़ोदरा में एक सेमिनार आयोजित किया गया था। इस सेमिनार में रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार, रेल राज्य मंत्री श्री ओ० राजगोपाल, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य, रेलवे के वरिष्ठ और मध्यम वर्ग के प्रबंधक, रेलवे विशेषज्ञ दल के सदस्य, एसोसियशनों और फेडरेशनों के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा रेलवे बोर्ड के कुछ सेवानिवृत्त सदस्यों ने भाग लिया। विशेषज्ञ दल के सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट के प्रत्येक अध्याय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। रिपोर्ट पर खुल कर चर्चा हुई और चर्चा में भाग लेने वाले प्रत्येक सदस्य को अपने-अपने विचार रखने का मौका मिला। प्रेस तथा मीडिया के सदस्यगण भी मौजूद थे।

मेट्रो चैनल के कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक

726. **श्री पवन कुमार बंसल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेट्रो चैनल के कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक तलाश करने के दूरदर्शन के हाल के प्रयासों पर बहुत मामूली प्रस्ताव आए हैं;

(ख) यदि हा, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष "प्राइम टाईम स्लॉट" के लिए प्रायोजकों से कितना शुल्क अर्जित किया गया; और

(घ) अन्तनिर्मित कार्यक्रमों के निर्माण सहित इस स्थिति से निपटने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन के मैट्रो चैनल पर प्राइम टाइम स्लाटों के लिए 34 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रसार भारती द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान मैट्रो चैनल पर प्राइम टाइम स्लाटों से अर्जित प्रायोजकता शुल्क निम्नलिखित हैं :-

वर्ष	राशि (करोड़ रुपयों में)
1998-99	68.51
1999-2000	23.69
2000-2001	72.67

(घ) प्राइम टाइम पर कार्यक्रमों के दर निर्धारण की दृष्टि से दर्शकों का प्रत्युत्तर अच्छा है। इस चैनल को पूर्णतया मनोरंजन चैनल के रूप में प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

बीना, मध्य प्रदेश में तेलशोधक कारखाना

727. **श्री वीरेन्द्र कुमार :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बीना, मध्य प्रदेश में तेलशोधक कारखाना लगाने की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या इस परियोजना को तीव्र गति वाली परियोजना के रूप में सम्मिलित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त तेल-शोधक कारखाने को वर्ष 2001-2002 के दौरान शुरू किए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) बीना (मध्य प्रदेश) में मध्य भारत रिफाइनरी परियोजना की अध्यतन लागत जुलाई, 1998 मूल्यों पर 7374 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ग) ऐसी परियोजनाओं, जिनकी लागत 100 करोड़ रुपए तथा इससे अधिक है, के साथ-साथ इस परियोजना की प्रगति की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मासिक आधार पर पुनरीक्षा की जा रही है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह परियोजना, परियोजना क्रियान्वयन आरम्भ होने की तारीख से 48 माह के भीतर पूरी होने की आशा है।

बांग्लादेश से गैस का आयात

728. **डा० मन्दा जगन्नाथ :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बांग्लादेश से प्राकृतिक गैस का आयात करने जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) बांग्लादेश से प्राकृतिक गैस का किसी प्रकार का आयात बांग्लादेश

सरकार द्वारा तत्संबंधी निर्णय पर निर्भर करेगा, जो अभी तक वहां नहीं हुआ है।

(ख) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पवन ऊर्जा की संभावनाएं

729. श्री वाई०वी० राव : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार पवन ऊर्जा की क्या संभावनाएं हैं;

(ख) तत्संबंधी अधिस्थापित क्षमता कितनी है;

(ग) पवन टरबाइनों से कितनी ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है; और

(घ) पवन ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) देश में सकल पवन विद्युत संभाव्यता का अनुमान लगभग 45,000 मेवा० पर लगाया गया है। तथापि दोहन करने योग्य तकनीकी संभाव्यता लगभग 13,000 मेवा० है। सकल/तकनीकी संभाव्यता, संबंधी राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) देश में अब तक कुल 1426 मेवा० की पवन विद्युत क्षमता स्थापित की गई है। पवन टरबाइनों से 8 बिलियन इकाई से अधिक की विद्युत का उत्पादन किया है।

(घ) पवन संसाधन मूल्यांकन कार्यक्रम के अंतर्गत 13 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 208 संभाव्य स्थलों की पहचान की गई है। पवन विद्युत विकास के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए चेन्नई में पवन विद्युत प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी-वेट) की स्थापना की गई है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) से वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए वित्तीय और संवर्द्धनात्मक प्रोत्साहन और उदार ऋण भी उपलब्ध कराए जाते हैं। वाणिज्यिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों से ग्रिड कनैक्शन और पवन विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत की बिक्री के लिए प्रेरक नीतियां घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

विवरण

सकल एवं तकनीकी पवन विद्युत संभाव्यता

क्रम सं०	राज्य	सकल संभाव्यता (मेगावाट)	तकनीकी संभाव्यता (मेगावाट)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	8275	1550
2.	गुजरात	9675	1750
3.	कर्नाटक	6620	1025
4.	केरल	875	605
5.	मध्य प्रदेश	5500	1200
6.	महाराष्ट्र	3650	2990
7.	उड़ीसा	1700	680
8.	राजस्थान	5400	885
9.	तमिलनाडु	3050	1700
10.	पश्चिम बंगाल	450	450
	कुल	45195	12835

प्राकृतिक गैस का वितरण

730. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक गैस की आपूर्ति और वितरण संबंधी कार्यों को लेकर केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य सरकारों के साथ विवाद को हल करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) सरकार ने प्राकृतिक गैस की आपूर्ति एवं वितरण, जो कि केन्द्र सरकार का विषय है, के मामले में गुजरात सरकार द्वारा अधिनियमित गुजरात गैस (पारगमन, आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2001 पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है तथा केन्द्र सरकार का मत है कि राज्य सरकारों के पास इस संबंध में अधिकारिक सक्षमता नहीं है।

(ग) "प्राकृतिक गैस/तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल०एन०जी०)" विषय पर केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की विधायी सक्षमता के बारे में संविधान अनुच्छेद 143 के तहत एक राष्ट्रपतीय निदेश उच्चतम न्यायालय को उसकी राय प्राप्त करने के लिए भेजा गया है।

[हिन्दी]

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिजली का उत्पादन

731. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री ए० नरेन्द्र :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत उत्पादन क्षमता की वार्षिक वृद्धि दर का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नौवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत की वार्षिक उत्पादन दर में जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि हुई है;

(ग) क्या गत वर्षों की तुलना में वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान वार्षिक उत्पादन दर में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2000-2001 के दौरान वार्षिक उत्पादन दर में वृद्धि करने हेतु क्य लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) 9वीं योजना के दौरान संभावित क्षमता संवृद्धि लगभग 19000 मे०वा० होगी, जो प्रतिवर्ष औसतन 3800 मे०वा० की वृद्धि के बराबर है। 10वीं योजना के लिए कार्यदल द्वारा अनुमानित संभावित क्षमता वृद्धि 46939 मे०वा० है, जो अनुमानत: प्रतिवर्ष 9388 मे०वा० वृद्धि का द्योतक है।

(ख) 8वीं योजना के दौरान क्षमता संवृद्धि 16,423 मे०वा० थी, जो प्रतिवर्ष औसतर 3300 मे०वा० क्षमता संवृद्धि के बराबर बैठता है। 8वीं और 9वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान लगाई गई यूनिटों के बारे में वार्षिक विकास दर समेत संगत आंकड़े नीचे दिए गए है :–

8वीं योजना के दौरान उत्पादन के ब्यौरे

वर्ष	उत्पादन (मि०यू०)	बाद के वर्षों में विकास का %
1992-1993	301066	—
1993-1994	323531	7.5
1994-1995	351025	8.5
1995-1996	380084	8.3
1996-1997	39400	3.9
आठवीं योजना का औसत		6.2

9वीं योजना के दौरान उत्पादन के ब्यौरे

वर्ष	उत्पादन (मि०यू०)	बाद के वर्षों में विकास का %
1	2	3
1997-1998	420622	—
1998-1999	448367	6.6
1999-2000	480682	7.9
2000-2001	499548	3.9
2001-2002	253408	3.2*
(सितंम्बर 2001 तक) 9वीं योजना के आरंभिक 4 वर्षों का औसत		4.7

*परिकलन में शामिल नहीं है।

देश में विद्युत की प्रतिव्यक्ति खपत में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्ष 1996-97 में प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत 334.26 प्रतियूनिट थी जबकि 1997-98 एवं 1998-99 में यह खपत क्रमश: 348.5 यूनिट और 360 यूनिट थी।

(ग) से (ङ) अपर्याप्त वर्षों के कारण विद्युत उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर, जो 1999-2000 में 7.2% थी, 2000-2001 में घटकर 3.9% हो गई।

2000-2001 के दौरान क्षमता अभिवृद्धि के लिए 4000 मे०वा० का लक्ष्य था। विद्युत उत्पादन की दृष्टि से वर्ष 2000-2001 के लिए विद्युत उत्पादन लक्ष्य 500 बिलियन यूनिट था, जो 1999-2000 में 480 बिलियन यूनिट था।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के तहत गैस की खोज

732. डा० ए०डी०के० जयशीलन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के तहत 24 ब्लाकों में गैस की खोज हेतु कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी ब्लाक में गैस का पता चला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गैस की खोज के कार्य में तेजी लाने और इसके उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) उन सभी 24 अन्वेषण ब्लाकों में अन्वेषण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जिनके लिए नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन०ई०एल०पी०) के प्रथम चरण में उत्पादन-हिस्सेदारी ठेके पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) एन०ई०एल०पी० के पहले चरण के अंतर्गत प्रस्तावित एक अन्वेषण ब्लाक, अर्थात् के०जी०-डी०डब्ल्यू०एन०-98/2 (अपतटीय के०जी० बेसिन) के तीन सम्भावित क्षेत्रों में तेल एंव प्राकृतिक गैस की खोज की गई है। इनमें से दो तेल एवं गैस के खोज तथा एक गैस की खोज है। इन खोजों का वाणिज्यिकता के लिए आगे मूल्यांकन किया जाएगा। यदि खोज को वाणिज्यिक पाया गया, जो ठेकेदार विकास योजनाएं तैयार करेंगे।

कर्मचारियों की कमी

733. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलवे मजदूर संघ जोधपुर मंडल की ओर से कर्मचारियों और रेलवे सुरक्षा बल कर्मियों की तीव्र कमी के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्मचारियों और रेलवे सुरक्षा बल के कार्मिकों की कमी के कारण रेलवे सम्पदा की सुरक्षा और संरक्षण को खतरा है;

(घ) क्या रेल चालकों को बिना आराम दिए उन्हें अधिक समय तक कार्य करने के लिए कहा जाता है जिससे उनके जीवन और रेल सम्पत्ति को खतरा पैदा हो रहा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने जोधपुर मंडल में एक और विशेषकर रेलवे सुरक्षा बल और चालक श्रेणियों में रिक्त पद भरने के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का आकार छोटा करना

734. **श्री टी०एम० सेल्वागनपति :**
श्री थावर चन्द गेहलोत :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यय सुधार आयोग ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय का आकार छोटा करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कार्यान्वियन हेतु उक्त आयोग की सिफारिश को अंतिम रूप दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) व्यय सुधार आयोग ने अपनी दूसरी रिपोर्ट के भाग-3 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्यों, कार्यकलापों और ढांचे को युक्तिसंगत बनाने की सिफारिश की है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

डीजल इंजनों का आयात

735. **श्री शीशराम सिंह रवि :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 390.01 करोड़ रुपए की लागत पर बीस उच्च हार्स पावर वाले डीजल इंजनों का आयात किया गया और क्या भारतीय रेलवे की भविष्य की परिवहन कार्यनीति और डब्ल्यू०डी०एम० 2 इंजनों के उन्नयन को ध्यान में रखते हुए इन इंजनों के आयात का कोई औचित्य नहीं था;

(ख) क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वर्ष 1999 की अपनी रिपोर्ट सं० 9 के पृष्ठ 137-143 पर इस मामले पर गहराई से प्रकाश डाला है;

(ग) यदि हां, तो इनकी लागत का विश्लेषण करने के लिए गठित सलाहकार समिति द्वारा इस मामले की जांच की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा अधिकारियों को भूल चूक के सभी कृत्यों के लिए जवाबदेह बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) इन इंजनों की पोत पर्यंत निःशुल्क लागत 183 करोड़ रुपए (लगभग) और उतराई लागत 309 करोड़ रुपए थी न कि 390.01 करोड़ रुपए।

अत्याधुनिक उच्च अश्व शक्ति डीजल रेल इंजन को सेवा में लगाना रेलों की यातायात आवश्यकता और भारतीय रेल समवेत योजना 1985-2000 में की गई संकल्पना के अनुरूप था। उच्च अश्व शक्ति डीजल इंजन का आयात औचित्यपूर्ण था क्योंकि इन इंजनों के परिचालन से प्राप्त होने वाले समग्र वित्तीय परिचालनिक और संरक्षा लाभ 50 के दशक की प्रौद्योगिकी रखने वाले डब्ल्यू०डी०एम० 2 इंजन अपग्रेड करके प्राप्त नहीं किए जा सकते थे।

(ख) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया था कि इंजनों का आयात औचित्यहीन था। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है जिसमें इंगित किया गया है कि उपलब्धता, विश्वसनीयता, अपेक्षाकृत कम अनुरक्षण, वर्धमान ढुलाई क्षमता और निम्नतर ईंधन खपत आदि में उल्लेखनीय सुधार के दृष्टिगत आधुनिकतम डीजल इंजन सेवा में लाए जाने पर विचार किया गया था। भारतीय रेल समवेत योजना 1985-2000 में

ऐसे इंजनों को सेवा में लाए जाने की संकल्पना की गई थी और अनेक समितियों यथा योजना आयोग की विशेष समिति, रेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति (1995), आदि द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। इस प्रकार यह आयात पूर्णतया औचित्यपूर्ण था।

(ग) और (घ) किसी सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया था क्योंकि यह अपेक्षित नहीं था।

मुदखेड़-आदिलाबाद रेल लाइन का आमान परिवर्तन

736. **श्री अनंत गुढे :**
श्री शिवाजी माने :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुदखेड़-आदिलाबाद नई रेल लाइन को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने हेतु संसद सदस्यों की ओर से रेलवे को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हुडको के कारण मुदखेड़-आदिलाबाद रेल लाइन का आमान परिवर्तन का कार्य रुका हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हुडको भारतीय रेलवे से अनावश्यक सहुलियतों की मांग कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (च) जी, हां। दक्षिण-मध्य रेलवे में मुदखेड़-आदिलाबाद खंड के आमान परिवर्तन का कार्य निर्माण-स्वामित्व-पट्टा-हस्तांतरण (बोल्ट) योजना के अंतर्गत मैसर्स शक्ति कंक्रीट इण्डस्ट्रीज लि० (एस०सी०आई०एल०), हैदराबाद को सौंपा गया है। प्रारंभ में यह कार्य 30.9.97 तक पूरा करने का लक्ष्य था। चूंकि इस एजेंसी को इसके वित्तीय गठजोड़ में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था इसलिए यह तिथि 31.3.99 तक बढ़ा दी गई थी। बहरहाल, कार्य की प्रगति अत्यधिक मंदी बनी रही और यह एजेंसी अपने वित्तीय गठजोड़ नहीं कर पाई। फिर मैसर्स एस०सी० आई०एल० ने एक विशेष प्रयोजन योजना (एस०पी०वी०), के रूप में एक सम्बद्ध प्रतिष्ठान अर्थात् मैसर्स शक्ति इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और लीजिंग लि० (एस०आई०एल०एल०), स्थापित की और उनको सभी संविदात्मक अधिकार सौंप दिए हैं। इस नई एजेंसी, मैसर्स एल०आई०एल०एल० ने आवास एवं शहरी विकास निगम लि० (हुडको) से वित्तपोषण प्राप्त करने का प्रयास किया। बहरहाल, फलीभूत होता प्रतीत नहीं हो रहा है। इसके अलावा, मैसर्स हुडको ने किसी कभी जोखिम से हुडको को सुरक्षित रखने के लिए रेलवे से आश्वासन पत्र मांगा है जो संविदा की शर्तों के अनुसार रेलवे द्वारा नहीं दिया जा सकता है।

संविदा के उपबंधों के अनुसार आगे कार्रवाई की जा रही है।

गंगा नदी पर दूसरे रेल पुल का निर्माण

737. **श्री किरीट सोमैया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने पटना के निकट गंगा नदी पर दूसरे रेल पुल के निर्माण को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है; और

(ग) उक्त पुल के निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने और पूरा किए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) लगभग 650 करोड़ रुपये।

(ग) प्रारंभिक प्रबंधन यथा विस्तृत योजना बनाने निविदा संबंधी दस्तावेज तैयार करने, भूमि अधिग्रहण करने संबंधी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा भूमि सौंप दिए जाने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा। पुल का पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

कावेरी बेसिन में प्राकृतिक गैस

738. **श्री वी० वेत्रिसेलवन :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में कावेरी बेसिन और अन्य स्थानों में प्राकृतिक गैस गैस की अनुमानित मात्रा कितनी है;

(ख) क्या देश में वाणिज्यिक उपयोग हेतु गैस का दोहन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रलाय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) 1 अप्रैल, 2001 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु राज्य में पड़ने वाले कावेरी जमीनी बेसिन में प्राकृतिक गैस की अनुमानित स्थानिक मात्रा 53.12 बिलियन घन मीटर (बी०सी०एम०) है। अपतटीय कावेरी बेसिन के अंतर्गत, पी०वाई०-1 क्षेत्र तथा सी०वाई०-ओ०एस०-90/1 (पी०वाई-3 क्षेत्र), जो निजी/संयुक्त उद्यम प्रचालकों के तहत हैं, में

1 अप्रैल, 2001 की स्थिति के अनुसार गैस की स्थानिक मात्रा क्रमशः 5.91 बी०सी०एम० तथा 3.09 बी०सी०एम० होने का अनुमान है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रमुख क्षेत्रों अर्थात कोविलकलप्पल, थिरूवरूर, नारीमनम तथा पल्लीवरामंगलम से प्राप्त अधिकांश गैस का गैस अथारिटी आफ इंडिया लि० (गेल) के माध्यम से तथा सीधे ओ०एन०जी०सी० द्वारा भी मुख्यतया कई उद्योगों के लिए पहले ही विपणन किया जा रहा है। गेल द्वारा आधारभूत सुविधा विकास के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए ओ०एन०जी०सी० द्वारा रामनाद और कुथालम क्षेत्रों से गैस का दोहन करने के लिए कार्रवाई आरंभ की गई है।

जबकि पी०वाई०-1 क्षेत्र से भावी उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति करने की योजना हैं, वहीं पी०वाई०-3 क्षेत्र से गैस का उपयोग छोटी मात्रा में इसकी उपलब्धता के कारण वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

रक्षा उत्पादन परियोजनाएं

739. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रक्षा उत्पादन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके पूरा होने में मई 1998 के परमाणु परीक्षणों के चलते अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण अत्यधिक विलंब हुआ;

(ख) उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उन्हें पूरा करने के लिए क्या संशोधित लक्ष्य तारीख निर्धारित की गई है; और

(ग) ऐसे कौन-कौन से प्रतिबंध हैं जो अभी भी प्रभावी हैं और जिनके कारण परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) निम्नलिखित परियोजनाओं में अत्यधिक विलंब हुआ :

(i) **ए०एल०एच० परियोजना :** ए०एल०एच० के लिए चयन किया गया इंजन मैसर्स लहटेक, अमरीका से था परंतु इसकी सप्लाई नहीं की गई थी। बाद के घटनाक्रम से विशिष्टियों में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी जिसके लिए किसी दूसरे देश से एक अन्य विक्रेता का चयन किया गया था। इस इंजन का विकास 2005 के मध्य तक पूरा होने की संभावना है। वही विक्रेता तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए विकल्पी प्रयोग हेतु कम विशिष्टियों वाले इंजन सप्लाई कर रहा है।

(ii) **एस०एस० के पनडुब्बियों पर रिफिट कार्य :** माझगांव डाक लिमिटेड द्वारा हाथ में लिया गया रिफिटमेंट कार्य अमरीकी मूल के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से हिस्से पुर्जों/उपस्करों की आपूर्ति न होने के कारण प्रभावित हुआ था। कुछ मदों की आगामी महीनों में प्राप्त होने की संभावना है और इस परियोजना को पूरा करने के लिए निर्धारित लक्ष्य अगस्त, 2002 है।

(ग) प्रतिबंध उठाने संबंधी अधिसूचनाएं जारी नहीं की गई हैं।

अधिकारियों और कर्मचारियों पर किया गया खर्च

740. श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री रामजीवन सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष जोनल रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों पर कितना वार्षिक खर्च किया गया;

(ख) क्या सरकार ने उन जोनल रेलवे जिनके पास कोई काम नहीं है, की उपयोगिता की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों पर वहन किया गया वार्षिक व्यय निम्नानुसार है :

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपए में)
1997-98	14,140.91
1998-99	15,610.58
1999-00	16,288.68

(ख) से (घ) ऐसी कोई क्षेत्रीय रेलवे नहीं है जहां कोई कार्य न हो। अतः प्रश्न नहीं उठता।

वाहनों को सी०एन०जी० चालित वाहनों में बदलना

741. मोहम्मद शहाबुद्दीन :
श्री सईदुज्जमा :
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वाहनों को सी०एन०जी० चालित वाहनों में बदलने के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा कितनी बार समय सीमा बढ़ाई गई;

(ख) उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मुद्दे पर निर्धारित अंतिम सीमा रेखा को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इस बारे में अपनी वचनबद्धता को पूरा करने में विफल रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा दिल्ली में परेशान वाहन मालिकों की परेशानियां कम करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) उच्चतम न्यायालय द्वारा कुल तीन बार समय सीमा बढ़ाई गई थी।

(ख) उच्चतम न्यायालय के अधिकांश निर्देश की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिए है। दिल्ली में सी०एन०जी० स्टेशनों को स्थापित करने के लिए संघ सरकार ने इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आई०जी०एल०) का गठन किया है जिसमें से अभी तक 87 की स्थापना की जा चुकी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने फरवरी, 2000 में सी०एन०जी० वाहनों के प्रयोग के लिए उत्सर्जन मानदण्ड अधिसूचित किए हैं।

(ग) जी, हां। आई०जी०एल० ने 31 मार्च, 2000 तक 80 बिक्री केन्द्रों के स्थान पर 30 सितम्बर, 2001 तक केवल 87 सी० एन०जी० बिक्री केन्द्र स्थापित किए हैं जैसा कि न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है।

(घ) देरी के कारण अपेक्षित जटिल प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं तथा सी०एन०जी० उपकरण के आयात की आवश्यकता रहे हैं।

(ङ) सी०एन०जी० की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए उठाए गए और कदम इस प्रकार हैं :–

– 29 उच्च क्षमता वाले कम्प्रेशरों का आदेश दिया गया है।

– सी०एन०जी० सुविधा के सह-स्थान के लिए 50 खुदरा बिक्री केन्द्रों की पहचान की गई है।

– और अधिक सी०एन०जी० स्टेशन खोलने की सुविधा हेतु धौला कुआं को जी०टी० करनाल रोड से जोड़ने के लिए 23 कि०मी० लम्बी पाइपलाइन बिछाई जा रही है।

– सभी सी०एन०जी० डाटर स्टेशनों का डाटर बूस्टर एवं आनलाइन स्टेशनों के रूप में उत्तरोत्तर उन्नयन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

केबल टी०वी० नेटवर्क को उद्योग का दर्जा देना

742. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केबल टी०वी० नेटवर्क को उद्योग का दर्जा देने की मांग सरकार से की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) उद्योग मंत्रालय ने सूचित किया है कि केबल टी०वी० नेटवर्क की प्रतिष्ठापना एवं इसके प्रचालन को पहले ही अचल परिसम्पत्तियों (भूमि एवं भवन को छोड़कर) में अधिकतम 10 लाख रु० के निवेश वाले लघु सेवा एवं व्यापार (उद्योग संबंधी) उद्यम के रूप में पंजीकरण हेतु पात्र कार्यकलाप के रूप में मान्यता दे दी गई है। ये यूनिट, लघु उद्योगों को उपलब्ध सभी लाभों को प्राप्त करने के पात्र होंगे।

धौलपुर (राजस्थान) में न्यूज चैनल का देखना

743. श्री बहादुर सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित राजस्थान में धौलपुर में रहने वाले लोगों को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के समाचार बुलेटिन देखने पड़ते हैं जबकि यह क्षेत्र राजस्थान में पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) धौलपुर उच्च शक्ति टी०वी० ट्रान्समीटर, ग्वालियर के कवरेज क्षेत्र में पड़ता है और इसलिए, धौलपुर में उ०श०ट्रा० आगरा एवं उ०श०ट्रा० ग्वालियर से प्रसारित समाचार बुलेटिन प्राप्त किए जाते हैं।

(ग) राजस्थान के क्षेत्रीय सेवा कार्यक्रम धौलपुर सहित सम्पूर्ण देश में उपग्रह पद्धति के जरिए उपलब्ध है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पद

744. श्री रामजीलाल सुमन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के अंतर्गत 1 जनवरी, 1998 की स्थिति के अनुसार प्रथम श्रेणी (समूह 'क') सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कार्मियों का प्रतिनिधित्व केवल 13.59% (अनुसूचित जातियां 10.38% और अनुसूचित जनजातियां 3.21%) है और द्वितीय श्रेणी (समूह 'ख') में यह प्रतिनिधित्व केवल, 14.41% है (अनुसूचित जातियां 11.73% और अनुसूचित जनजातियां 2.68%) जबकि उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 22.5% है अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% है;

(ख) यदि हां, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन (1) प्रथम श्रेणी (समूह क) और (2) द्वितीय श्रेणी (समूह ख) और उनके समकक्ष के कुल कितने पद हैं; और

(ग) डी०ओ०पी०टी० के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/96 स्थापना (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार इन पदों पर (1) सामान्य (2) अनुसूचित जातियों, (3) अनुसूचित जनजातियों और (4) अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत कितना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डीजल इंजनों का आयात

745. श्री बसुदेव आचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 173.37 करोड़ रुपए की लागत से इक्कीस 4000 हार्स पावर के डीजल इंजनों का आयात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या डीजल इंजनों के इस्तेमाल में कोई कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे आयात का क्या औचित्य है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां। 21 अदद 4000 अश्व शक्ति डीजल इलैक्ट्रिक माल इंजनों का आयात अमरीका की मैसर्स जनरल मोटर्स कारपोरेशन से किया गया है। इन इंजनों से 20 अदद इंजन अप्रैल 1999 के दौरान प्राप्त किए गए हैं और एक इंजन अगस्त 1999 में प्राप्त किया गया था। इन इंजनों की पोत पर्यंत लागत 183 करोड़ (लगभग) थी।

(ख) डीजल इंजनों के उपयोग में कोई कमी नहीं हुई है। दूसरे मालभाड़ा तथा यात्री दोनों के लिए डीजल इंजनों द्वारा वहन किए गए यातायात के अनुसार डीजल इंजनों के उपयोग में स्थिर वृद्धि हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अनुभागों/कार्यालय को बंद करना

746. श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री एन०टी० षणमुगम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे बोर्ड के ऐसे अनुभागों/कार्यालयों को बंद करने और इनके फालतू पदों को अभ्यर्पित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं जिनकी कोई उपयोगिता नहीं रह गई है ताकि इससे बचत की जा सके;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अनुभागों/कार्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में निवल बचत कितनी हुई; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने उन अनुभागों/कार्यालयों और इनके फालतू पदों को कम करने की कार्रवाई शुरू कर दी है जिनसे सरकार को कुछ लाभ नहीं हो रहा है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

आर्थिक मंदी का प्रभाव

747. श्रीमती मिनाती सेन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे भी आर्थिक मंदी से नहीं बच सका और कुछ जोनों के ढुलाई आंकड़ों से इसका पता चलता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अनुत्पादक क्षेत्रों में खर्च कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (ग) जी, हां। देश में आर्थिक मंदी से भारतीय रेलों पर प्रारंभिक लदान पर भी असर पड़ा है। अक्तूबर, 2001 तक जोनवार आनुपातिक लक्ष्य और प्राप्त अनंतिम लदान नीचे दर्शाया गया है :

(मिलियन टन में)

रेलवे	लक्ष्य	लदान (अनंतिम)
मध्य	30.20	30.70
पूर्व	47.10	43.72
उत्तर	19.80	19.20
पूर्वोत्तर	1.60	1.38
पूर्वोत्तर सीमा	3.65	3.86
दक्षिण	16.10	14.69
दक्षिण मध्य	33.65	33.55
दक्षिण पूर्व	109.50	104.95
पश्चिम	21.20	21.05
जोड़	281.35	273.10

रेलवे की प्रारंभिक लदान एक व्युत्पन्न मांग होने के कारण अक्तूबर, 2001 तक अनुपातिक लक्ष्य से कम था। जिसका मुख्य कारण प्रमुख व गैर-प्रमुख क्षेत्रों से कम मांग होना था।

(घ) यह रेल का सतत प्रयास रहता है कि खर्च उचित तरीके से किया जाए और आवश्यकता के अनुसार कड़ाईपूर्वक इसका उपयोग किया जाता है। अन्य बातों के साथ-साथ खर्च को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय उठा रही है :—

i. मेहमाननवाजी, प्रचार-प्रसार, विज्ञापनों, उद्‌घाटन समारोहों, सेमिनार व कार्यशालाओं, कार्यालयों में आकस्मिक खर्चों इत्यादि जैसे क्षेत्रों में किफायती उपाय एवं मितव्ययिता।

ii. प्रतिव्यक्ति उत्पादकता में सुधार लाने के लिए बेहतर जनशक्ति प्रबंधन।

iii. ऊर्जा संरक्षण।

iv. परिसम्पत्तियों का कुशलता से उपयोग।

v. दुर्घटनाओं और उपस्कर की विफलताओं में कमी।

vi. मासिक बजट सामनुपातों तथा खर्च सीमा के निर्धारण प्रक्रिया के जरिए कठोर वित्तीय एवं बजटीय नियंत्रण।

vii. सभी आन लाइन तथा ऑफ लाइन गतिविधियों में लागत नियंत्रण लागत में कमी तथा उन्हें लागत किफायत बनाना।

viii. वस्तुसूची प्रबंधन में सुधार।

वेल्लूर किले का पुनरूद्धार

748. श्री एन०टी० षणमुगम :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सदियों पुराने वेल्लूर किले के खंडों जो किले की दीवारों से गिर गई हैं का पुनरूद्धार करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पुनरूद्धार कार्य के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्राचीन खाई की ऊपरी ईंट की दीवार तथा किले की दीवार के क्षतिग्रस्त खंड के एक भाग का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पहले ही जीर्णोद्धार कर दिया गया है। यदि कुल मिलाकर धनराशि उपलब्ध हुई, तो संरक्षण के लिए शेष कार्य को पूरा करने के लिए उसे हाथ में लिया जाएगा।

डी०ओ०पी०टी० के अंतर्गत आरक्षित पद

749. श्री के०एच० मुनियप्पा : : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के अंतर्गत 1 जनवरी, 1998 की स्थिति के अनुसार प्रथम श्रेणी (समूह क) सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व केवल 13.59% है (अनुसूचित जातियां-10.38% और अनुसूचित जनजातियां 3.21 है और द्वितीय श्रेणी (समूह ख) में यह प्रतिनिधित्व केवल 14.41% (अनुसूचित जातियां-11.73% और अनुसूचित जनजातियां 2.68%) है जबकि उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 22.5% (अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5%) है;

(ख) यदि हां, तो विद्युत मंत्रालय के अधीन प्रथम श्रेणी (समूह क) और द्वितीय श्रेणी (समूह ख) और उनके समकक्ष कुल कितने पद हैं; और

(ग) डी०ओ०पी०टी० के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था० (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा-5 के अनुसार इन पदों पर सामान्य, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत है और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत कितना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) 1.1.1998 के अनुसार केन्द्र सरकार में ग्रुप "ए" सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व 14.24% (अनुसूचित जाति 10.8% तथा अनुसूचित जन-जाति में 3.44%) और ग्रुप "बी" सेवाओं में 15.37% (अनुसूचित जाति 12.35% तथा अनुसूचित जन-जाति 3.02%) था।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

समूह	कुल पदों की संख्या	तैनात व्यक्तियों की संख्या	सामान्य%	अनुसूचित जाति (%)	अनुसूचित जन-जाति (%)	अन्य पिछड़ा वर्ग
ए*	427	372	274 (64.16)	70 (16.39)	14 (3.27)	14 (3.27)
बी	433	425	351 (81.06)	66 (15.24)	05 (1.15)	03 (0.6)

*केवल केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में पदों की स्थिति क्योंकि संवर्ग/पदों से संबंधित ग्रुप "ए" सेवाएं कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित की जाती है।

रेल लाइन बिछाना

750. **श्री लक्ष्मण सेठ :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी 2000 से लेकर मार्च 2001 तक बिछाई गई नई रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त कार्य पर कितनी धनराशि खर्च हुई ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) और (ख) जनवरी 2000 से मार्च 2001 तक पूरी हुई नई लाइनों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

क्र० सं०	लाइनों का नाम	लम्बाई (किमी)	परियोजना पर मार्च 2001 तक खर्च (करोड़ रुपयों में)
1.	गोलपारा-कामाख्या	124	523.19
2.	पैडापल्ली-करीमनगर	35	58.25
3.	काशीनगर-काकद्वीप	4	65.63
4.	इकलाखी-गजौल	14	89.1
5.	पुत्तापरथी-पेनूकोंडा	32	61.01
6.	बड़गछिया-महेन्द्रलालनगर	8	44.22
7.	तामलुक-देशप्रान	24	166.92
8.	बांसपानी-जोरूली	11	251.27
9.	कपड़वंज-मोडासा	59	51.74

[हिन्दी]

रसोई गैस के खुली सील वाले सिलिन्डरों की आपूर्ति

751. **प्रो० दुखा भगत :**
श्री बीर सिंह महतो :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उपभोक्तओं को कम गैस वाले और खुली सील वाले रसोई गैस सिलिन्डरों की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) क्या ऐसे सिलिन्डरों की आपूर्ति इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा की जा रही है जैसा कि पूछताछ करने वाले उपभोक्ताओं को वितरकों द्वारा बताया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां भरण संयंत्र में क्राउजल पर सिलैंडर की भराई के बाद जांच तुला पर वजन की 100 प्रतिशत पुन: जांच करती है। वितरण और ट्रक में चढ़ाने से पूर्व, भरे हुए सिलैंडरों की सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुन: जांच की जाती है ताकि वितरकों के पास सही गुणवत्ता और मात्रा वाला सिलैंडर ही पहुंचे। एल०पी०जी० वितरकों को भी यह निर्देश दिए हुए हैं कि उपभोक्ताओं को सिलैंड देने से पूर्व प्रत्येक सिलैंडर की श्रेष्ठता/सही वजन की जांच करें। उपर्युक्त उपायों के बावजूद, उपभोक्ता से कम वजन/पानी भरे सिलैंडर की आपूर्ति की शिकायत प्राप्त होने के मामले में, मुख्य विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों/विवरण समझौता के अनुसार चूककर्त्ता वितरक के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

मिग-21 लड़ाकू प्रशिक्षक विमानों की खरीद

752. **श्री कमलनाथ :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूकी पायलटों के प्रशिक्षण के लिए प्रयुक्त हो रहे मिग-21 विमान अगले वर्ष अपने कार्यकाल की समाप्ति पर सेवामुक्त किए जाने हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने मिग-21 लड़ाकू प्रशिक्षक विमानों की शीघ्रातिशीघ्र खरीद करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) इन लड़ाकू प्रशिक्षक विमानों की खरीद किन-किन स्रोतों से किए जाने का प्रस्ताव है और कितने विमान खरीदे जाने का प्रस्ताव है तथा इनकी लागत कितनी होगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) मिग-21 प्रशिक्षक विमान अगले वर्ष से चरणबद्ध ढंग से सेवा से हटने शुरू हो जाएंगे। उन्नत जेट प्रशिक्षकों के अधिप्राप्ति संबंधी कई विकल्पों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

दैतारी-बाँसपानी रेलमार्ग का काम पूरा होना

753. **श्री अनन्त नायक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दैतारी-बाँसपानी रेलमार्ग का काम लक्षित तिथि तक पूरा करने के लिए कदम उठाए ज़ा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख में परियोजना में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) उक्त परियोजना के लिए अब तक कितनी निधियों का आबंटन किया गया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) बांसपानी से जरोली ब्लाक खंड का कार्य पूरा हो गया है। शेष भाग पर मिट्टी संबंधी कार्य और पुलों संबंधी कार्य प्रगति पर है। 145 कि०मी० लम्बाई में से 110 कि०मी० लम्बाई के भू-भाग पर तत्प संबंधी कार्य प्रगति पर है। 335 छोटे पुलों में से 239 पुलों पर कार्य पूरा हो गया है और 26 बड़े पुलों में से 25 पुलों पर कार्य प्रगति पर है।

(ग) वर्ष 2001-02 के अंत तक परियोजना के लिए 301.27 करोड़ रुपए के परिव्यय की आशा है।

[हिन्दी]

रेल टिकट एजेंट

754. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने हाल ही में राजस्थान और अन्य राज्यों में रेल टिकट एजेंट नियुक्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार रेल ट्रेवलर्स सर्विस एजेंटों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित नहीं करती है। बहरहाल, क्षेत्रीय, रेलों ने बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू तथा कश्मीर, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ में विभिन्न शहरों में रेल ट्रेवलर्स सर्विस एजेंटों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा तेल की खोज

755. श्री एम०के० सुब्बा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल की खोज में लगे इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई०ओ०सी०एल०), ओ०एन०जी०सी० और अन्य संगटनों ने चीनी और अन्य तेल फर्मों से सहयोग मांगा है;

(ख) यदि हां, तो उन नई खोज फर्मों का ब्यौरा क्या है जिनसे इस वर्ष सहयोग मांगा गया है और किन-किन क्षेत्रों में खोज की जाएगी और क्या उनमें से कोई क्षेत्र पूर्वोत्तर से संबंधित है, और

(ग) यदि हां, तो यदि किसी समझौते को अंतिम रूप दिया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति पर प्रभाव

756. श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग विद्युत के लिए चीन के उद्योग की अपेक्षा तीन गुना अधिक भुगतान करता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार ने भारतीय उद्योग से विद्युत लागत कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) उद्योग द्वारा चीन में प्रदत्त औसत टैरिफ से पता चलता है कि भारत में औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ की दरें लगभग दुगुनी हैं।

(ख) भारत में औद्योगिक उपभोक्ता क्रॉस सब्सिडी घरेलू तथा कृषि उपभोक्ताओं, जो आपूर्ति की लागत से कम टैरिफ का भुगतान करते हैं, से अधिक ऊंची टैरिफ का भुगतान करते हैं।

(ग) भारत सरकार ने विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 को अधिनियमित किया। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार टैरिफ निर्धारण करते समय राज्य आयोगों के मार्गदर्शी सिद्धांतों में एक सिद्धांत यह है कि टैरिफ उत्तरोत्तर क्षमता के उचित तथा उन्नतशील स्तर पर विद्युत की आपूर्ति लागत को परिलक्षित करती हो। इसमें यह भी व्यवस्था है कि यदि राज्य सरकार को किसी उपभोक्ता या उपभोक्ता वर्ग के लिए सब्सिडी की आवश्यकता हो तो राज्य सरकार विनियामक आयोग के निदेशानुसार सब्सिडी के कारण प्रभावित व्यक्ति की क्षतिपूर्ति के लिए भुगतान करे।

ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव

757. श्री चिंतामन वनगा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अनुमति हेतु बी०एस०ई०एस० कम्पनी लिमिटेड की ओर से थाने जिले में केल्वे नामक स्थान पर ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है या किए जाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) मै० बम्बई सब-अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई (बी०एस०ई०एस०)

ने दिनांक 29.1.2001 को महाराष्ट्र के थाणे जिले में सफाले में 495 मेगावाट के संयुक्त साइकिल संयंत्र की स्थापना हेतु सिद्धांतत: तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एम०एस० ई०बी०) की सिफारिशों के बिना सीधे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के०वि०प्रा०) को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी०पी० आर०) प्रस्तुत की है। एम०एस०ई०बी० ने महाराष्ट्र सरकार को संबोधित दिनांक 21.7.2001 के अपने पत्र के माध्यम से जिसकी सूचना के०वि०प्रा० को भी भेजी गयी है, यह मत व्यक्त किया है कि सफाले में 495 मेगावाट की संयुक्त साइकिल विद्युत संयंत्र स्थापना के लिए बी० एस०ई०एस० का प्रस्ताव इस समय आवश्यक नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए के०वि०प्रा० ने एम०एस०ई०बी० को सूचना देते हुए 4.9.2001 को प्रस्ताव को बी०एस०ई०एस० को वापिस कर दिया। बी०एस०ई०एस० ने सूचित किया है कि इस परियोजना को पहले थाने जनपद में केल्वे में स्थापित करने का प्रस्ताव था।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के बकाया आरक्षित पद

758. **श्री ए०के०एस० विजयन :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 16 (4) ख के तहत की गई व्यवस्था के अनुसार किसी वर्ष में आरक्षित रिक्त पदों की 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से बचने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पिछले बकाया/अग्रेनित रिक्त पदों को एक अलग और विशेष समूह के रूप में माना अपेक्षित है;

(ख) यदि हां, तो 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसार अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने वाले विशेष अभियान, आदि की समाप्ति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में डी०ओ०पी०टी० के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था० (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार समूह क, ख, ग और घ श्रेणियों में निर्धारित बकाया आरक्षित रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे अग्रेनित कितने रिक्त पद भरे गए और कितने पद रिक्त पड़े रहे; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान पद आधारित रोस्टर के अनुसार सभी श्रेणियों में आरक्षित वर्गों के लिए बने नए रिक्त पदों/दिए गए पदों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा श्रेणी-1 (वर्ग क) पदों के संबंध में कोई सीधी भर्ती नहीं की जाती है। पद आधारित रोस्टर पर सेवाओं की शेष श्रेणियों, अर्थात् श्रेणी-2 (वर्ग ख), श्रेणी-3 (वर्ग ग) तथा श्रेणी-4 (वर्ग घ) की स्थिति नीचे दी गयी है :

श्रेणी 2 (वर्ग ख)	अ०पि०व०	7 की कमी
	अ०जा०	8 का अधिकतम
	अ०ज०जा०	1 की कमी
श्रेणी 3 (वर्ग ग)	अ०पि०व०	5 की कमी
	अ०जा०	5 का आधिक्य
	अ०ज०जा०	1 की कमी
श्रेणी 4 (वर्ग घ)	अ०पि०व०	9 की कमी
	अ०जा०	16 का आधिक्य
	अ०ज०जा०	1 की आधिक्य

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान अ०जा०/अ०ज०जा०/अ०पि० व० द्वारा वर्षवार भरे गए रिक्त पद निम्नवत् हैं :

वर्ष	अ०जा० द्वारा भरे गए रिक्त पदों की संख्या				अ०ज०जा० द्वारा भरे गए रिक्त पदों की संख्या				अ०पि०व० द्वारा भरे गए रिक्त पदों की संख्या			
	क	ख	ग	घ	क	ख	ग	घ	क	ख	ग	घ
1998	—	1	2	7	—	—	—	1	--	—	3	—
1999	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
2000	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान आरक्षित श्रेणियों के लिए प्रोदभूत नये रिक्त पदों से संबंधित सूचना निम्नवत् है :

	अ०जा० के लिए प्रोदभूत रिक्त पदों की संख्या				अ०ज०जा० के लिए प्रोदभूत रिक्त पदों की संख्या				अ०पि०व० के लिए प्रोदभूत रिक्त पदों की संख्या			
	क	ख	ग	घ	क	ख	ग	घ	क	ख	ग	घ
1998	—	1	2		—	—	—	—	—	1	—	—
1999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

रेलवे साइडिंग पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव

759. **श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन और देश के अन्य स्टेशनों पर बारिश से प्रति वर्ष करोड़ों रुपये की सीमेन्ट बर्बाद हो जाती है;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे साइडिंग स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाओं के अभाव, ढुलाई की ऊंची दर आदि के कारण सीमेन्ट व्यापारी रेलगाड़ी की तुलना में ट्रकों के माध्यम से आपूर्ति करने को प्राथमिकता देते हैं;

(ग) यदि हां, तो इससे रेल विभाग को कितना नुकसान हुआ है; और

(घ) सरकार द्वारा इन ग्राहकों के सामान के परिवहन के लिए बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, नहीं। वर्ष 2000-2001 के दौरान सीमेंट परेषण को नमी से हुई क्षति के लिए भारतीय रेलों द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में 82 लाख रुपये की राशि अदा की गई है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। सीमेंट व्यापारी समग्र संभार-तंत्र लागत, कम मात्राओं के संचलन, सीमेंट संयंत्रों के निकट उपभोग केन्द्रों तक कम दूरी के संचलन, परेषण आदि की अतिरिक्त सम्हलाई से बचने की दृष्टि से ट्रकों में सीमेंट के पविहन को वरीयता देते हैं न कि रेलों द्वारा मुहैया कराई गई अवसरचनात्मक सुविधाओं के कारण। बहरहाल, बेहतर सेवाएं मुहैया कराने के लिए सुविधाओं का विस्तार/सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के लम्बित प्रस्ताव

760. **श्री बृजलाल खाबरी :**
योगी आदित्यनाथ :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के पास उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त कुछ प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या कुछ परियोजनाओं संबंधी सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (च) रेल सेवाओं या परियोजनाओं की योजना राष्ट्रीय परिदृश्य तथा यातायात की मांगों और प्रणाली की आवश्यकताओं के एकीकृत दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। राज्य की भौगोलिक सीमाएं निवेशीय निर्णयों का मानदंड नहीं है। बहरहाल, स्वीकृत परियोजना के मामले में प्रत्येक परियोजना में की गई कार्रवाई, आवंटित निधियां और पूरा करने की लक्ष्य तिथि और अन्य परियोजनाओं को शुरू न किए जाने के कारणों सहित पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(I) लखनऊ में उपनगरीय सेवाओं की शुरूआत :

उपनगरीय सेवाओं को चलाने के लिए लखनऊ के आसपास सर्कुलर रेलवे के विद्युतीकरण को वर्ष 2000-01 में स्वीकृत किया गया है। 2000-01 तथा 2001-02 के लिए निधियों का आवंटन प्रमशः 1 करोड़ रुपए और 8.3897 करोड़ रुपए है। इस कार्य को पूरा करने की लक्ष्य तिथि मार्च 2002 है। प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय ले लिया गया है इन पर निर्णय लेने में कोई देरी नहीं हुई है।

(II) ऋषिकेश-देहरादून-नई लाइन

ऋषिकेश को दोइवाला (देहरादून के समीप) से जोड़ने वाली नई बड़ी लाइन के लिए हाल ही में सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण करने में कोई देरी नहीं हुई है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 19.26 कि०मी० रेल लाइन के निर्माण की लागत प्रतिफल की ऋणात्मक दर सहित 81.78 करोड़ रुपए आंकी गई है। संसाधनों की तंगी और प्रस्ताव की अलाभप्रद प्रकृति के कारण परियोजना को शुरू करना व्यावहारिक नहीं समझा गया है। प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय ले लिया गया है इन पर निर्णय लेने में कोई देरी नहीं हुई है।

(III) दादरी-ग्रेटर-नौयडा-नौयडा-तुगलकाबाद रेल लिंक

उत्तर रेलवे द्वारा हाल ही में दादरी को तुगलकाबाद से जोड़ने वाली नई बड़ी लाइन के लिए सर्वेक्षण किया गया है सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 35.8 कि०मी० रेल लिंक के निर्माण की लागत प्रतिफल की ऋणात्मक दर सहित लगभग 280 करोड़ रुपए है। बहरहाल, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस परियोजना में वित्तीय भागीदारी के लिए अपनी सहमति दर्शाई है और इसलिए इसकी व्यवहारिकता की पुनः जांच की जा रही है।

(IV) तिलक ब्रिज-साहिबाबाद-गाजियाबाद से समर्पित दैनिक यात्री गलियारा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन०सी०आर०पी० बी०) ने रेलवे से अनुरोध किया है कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों की सुविधा के लिए दैनिक यात्री गलियारों का विकास किया जाए। तदनुसार, राइट्स द्वारा एक प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया था और कुछ गलियारों की पहचान की गई है।

पहचाने गए इन गलियारों में से तिलक ब्रिज-साहिबाबाद-गाजियाबाद- और शहादरा-साहिबाबाद लिंक संयुक्त उद्यम के जरिये प्रथम चरण में कार्यान्वयन के लिए चुना गया है, जो समान अनुपात में रेल मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों की इक्विटी भागीदारी द्वारा सृजित की जानी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा इस योजना का समन्वय किया जा रहा है।

कम्पनी कार्य विभाग द्वारा निरीक्षण के नोटिस

761. **श्री रामदास आठवले : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी कार्य विभाग ने बाजार विनियामक निकाय सेबी की प्राथमिकता जांच के आधार पर कम्पनी अधिनियम की धारा 209 (क) के अधीन बहुत सी कम्पनियों को निरीक्षण के नोटिस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो पूर्वोक्त कम्पनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक की गई जांच की कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, हां। कम्पनी कार्य विभाग ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अन्तर्गत 98 कंपनियों की जांच के आदेश दे दिए हैं।

(ख) 98 कंपनियों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जबकि जांच रिपोर्टों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, जहां भी, प्रथम दृष्टया, कम्पनी अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन पाया गया है। समुचित कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं।

विवरण

हाल ही के बाजार घोटाले के संबंध में सेबी की प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट पर आधारित आदेशित जांच

1. मै० एन०एच० सिक्योरिटिज लि०
2. मै० ट्रम्फ इन्टरनेशनल फाइनेंस लि०
3. मै० क्लासिक शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज लि०
4. मै० के०एन०पी० सिक्योरिटिज प्रा०लि०
5. मै० वी०एन० पारेख सिक्योरिटिज प्रा०लि०
6. मै० पांथेर फिनकेप मैनेजमेंट सर्विसेज लि०
7. मै० पैंथर इनवेस्ट्रेड लि०
8. मै० क्लासिक क्रेडिट लि०
9. मै० साइमंगल इनवेस्ट्रेड लि०
10. मै० क्लासिक इनफिन लि०
11. मै० पैंथर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लि०
12. मै० गोल्डफिस कम्प्यूटर प्रा०लि०
13. मै० नक्षत्र सॉफ्टवेयर प्रा०लि०
14. मै० चित्रकुट कम्प्यूटर्स प्रा०लि०
15. मै० लुमिनेंट इनवेस्टमेंट प्रा०लि०
16. मै० ट्रम्फ सिक्योरिटिज प्रा०लि०
17. मै० बामा सिक्योरिटिज लि०
18. मै० निर्मल बैंग सिक्योरिटिज लि०
19. मै० बैंग इक्वीटी ब्रोकिंग प्रा०लि०
20. मै० बैंग सिक्योरिटिज प्रा०लि०
21. मै० सुरेश राठी सिक्योरिटिज प्रा०लि०
22. मै० नदी फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा०लि०
23. मै० फर्स्ट ग्लोबल फाइनेस प्रा०लि०
24. मै० फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक ब्रोकिंग प्रा०लि०
25. मै० वरूधी कनफाइनवेस्ट इंडिया प्रा०लि०
26. मै० दौलत कैपिटल मार्केट लि०
27. मै० निर्पण सिक्योरिटिज लि०
28. मै० शैलेश शाह सिक्योरिटिज लि०
29. मै० दमानी शेयर एण्ड स्टॉक ब्रोकर्स प्रा०लि०
30. मै० माहेश्वरी इक्वीटी ब्रोकर्स प्रा०लि०
31. मै० झुनझुनवाला स्टॉक ब्रोकर्स प्रा०लि०
32. मै० प्रटीक स्टॉक वीजन प्रा०लि०
33. मै० प्रुथी शेयर एण्ड टच ब्रोकिंग प्रा०लि०
34. मै० दमानी एस्टेटस एण्ड फाइनेंस प्रा०लि०
35. मै० ब्राइटस्टार इनवेस्टमेंट लि०
36. मै० कृष्णा सिक्योरिटिज लि०
37. मै० एवेन्यु स्टॉक ब्रोंकरस इंडिया लि०
38. मै० सी मैकरटीच लि०
39. मै० एस०एम०आई०एफ०एस० सिक्योरिटिज लि०
40. मै० स्टेवर्ट सिक्योरिटिज लि०
41. मै० माया ट्रेड लिंक लि०
42. मै० पावरफ्लो होल्डिंगस प्रा०लि०

43. मै० मैकरटीच कन्सलटेंसी सर्विसेज प्रा०लि०
44. मै० पी०एन०आर० सिक्योरिटिज लि०
45. मै० कन्सोर्टियम सिक्योरिटिज लि०
46. मै० सी०एस०एल० सिक्योरिटिज प्रा०लि०
47. मै० सी०एस०एल० स्टॉक ब्रोकिंग प्रा०लि०
48. मै० बी०एल०बी० लि०
49. मै० राठी ग्लोबल फाइनेंस लि०
50. मै० आनन्द राठी सिक्योरिटिज प्रा०लि०
51. मै० नवरत्न कैपिटल एण्ड सिक्योरिटिज प्रा०लि०
52. मै० राठी कैपिटल एण्ड सर्विसेज प्रा०लि०
53. मै० अमित कैपिटल एण्ड सिक्योरिटिज प्रा०लि०
54. मै० पुष्प कैपिटल एण्ड सिक्योरिटिज प्रा०लि०
55. मै० गेरार्ड विग्स फाइनवेस्ट प्रा०लि०
56. मै० हितकारी फाइनवेस्ट प्रा०लि०
57. मै० प्रीतराज फाइनवेस्ट प्रा०लि०
58. मै० सुरेश राठी सिक्योरिटिज प्रा०लि०
59. मै० जी० टेलिफिल्मस लि०
60. मै० सीटीकेबल नेटवर्क प्रा०लि०
61. मै० जी गोल्ड् रिफाइनरी लि०
62. मै० पालम्बे सिक्योरिटिज एण्ड फाईनेंस लि०
63. मै० ग्लोबल टेलिसिस्टमस लि०
64. मै० हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लि०
65. मै० डीजीटल सुपरहाइवे
66. मै० बरलिंगटन फाइनेन्स लि०
67. मै० ब्रिग्गस ट्रेडिंग कं०प्रा०लि०
68. मै० प्रजात्मा ट्रेडिंग कं०प्रा०लि०
69. मै० गंजम ट्रेडिंग कं०प्रा०लि०
70. मै० चुरू ट्रेडिंग कं०प्रा०लि०
71. मै० निरमा लि०
72. मै० रैनबेक्सी लेबोरेट्रीज लि०
73. मै० कॉपरान लि०
74. मै० अदानी एक्सपोर्ट लि०
75. मै० लुपिन लेबोरेटरिज लि०
76. मै० पदमिनी पोलिमर्स लि०
77. मै० शॉख टेक्नॉलोजिज लि०
78. मै० अमर राजा बैटरीज लि०
79. मै० ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि०
80. मै० मोनेश कंसल्टेंसी प्रा०लि०
81. मै० मोनकोन इनवेस्टमेंट प्रा०लि०
82. मै० प्रोफाइल इनवेस्टमेंट प्रा०लि०
83. मै० मनमंदिर एस्टेट डेवलेपर्स (पी) लि०
84. मै० क्रेडिट सुसे फर्स्ट बोस्टन (आई) सिक्योरिटिज प्रा०लि०
85. मै० जे०एम० मॉरगन स्टेनले सिक्योरिटिज प्रा०लि०
86. मै० जे०एम० मॉरगन रिटेल सर्विसेज प्रा०लि०
87. मै० एप्टेक इनफोसिज लि०
88. मै० सिल्वरलाइन इंडस्ट्रीज लि०
89. मै० डॉय जोन्स इन्वेस्टमेंट्स एंड कन्सलटेंट्स प्रा०लि०
90. मै० अरिहन्त एग्जिम स्क्रिप प्रा०लि०
91. मै० त्रिपोली कन्सलटेन्सी सर्विसेज प्रा०लि०
92. मै० खेनामी सिक्योरिटिज प्रा०लि०
93. मै० एस०एस०एल० लि०
94. मै० साइबरस्पेस लि०
95. मै० पृथवी ब्रोकर्स एंड शेयरहाल्डिंग प्रा०लि०
96. मै० बियानी सिक्योरिटिज प्रा०लि०
97. मै० पेन्टामीडिया ग्राफिक्स लि०
98. मै० सत्यम कम्प्यूटर्स सर्विसिज लि०

उपभोक्ताओं को धन वापसी

762. **श्री जयभान सिंह पवैया :**
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता अदालतों ने कितने मामलों में रेल विभाग को ग्राहकों का धन वापस करने का निदेश दिया है;

(ख) गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अब तक रेल विभाग ने कितना मुआवजा अदा किया है;

(ग) इस कारण रेल विभाग को कितने राजस्व की हानि हुई है;

(घ) क्या रेल विभाग ने इस प्रकार की हानि के कारणों का विश्लेषण किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) 828 मामले।

(ख) 8,28,305/- रुपये।

(ग) 13,42,219/- रुपये।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) कारणों का विश्लेषण करने के बाद संबंधित विभागों को इन मामलों की निगरानी तथा जिम्मेदार पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने और कार्यप्रणाली में सुधार भी करने के लिए कहा गया है। कमियों को ठीक करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई भी की जा रही है। परिणामस्वरूप कुछ रेलों पर मामलों के दर्ज होने में कमी आई है।

पचौरा-जामनेर रेलमार्ग का आमान-परिवर्तन

763. श्री रामदास रुपला गावीत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के भुसावल डिवीजन के तहत पचोरा-जामनेर रेलमार्ग की कुल लम्बाई कितनी है;

(ख) क्या सरकार को इस रेलमार्ग के आमान-परिवर्तन के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) 55 किमी०

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) पाहूर से (18.8 किमी) और जामनेर से बोड़वाड (30.25 किमी) अजंता सुरंग तक विस्तार सहित पचोरा-जामनेर छोटी लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने के लिए सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना की लागत ऋणात्मक प्रतिफल की दर से 116.44 करोड़ रुपए है। अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी के कारण, प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।

[अनुवाद]

सस्ते ऊर्जा स्रोतों की खरीद

764. श्री के० येरननायडू : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हमारी मांग को पूरा करने के लिए मध्य पूर्व से कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के सस्ते ऊर्जा स्रोतों की खरीद के लिए कोई प्रयास कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र तेल रिफाइनरियों के लिए कच्चे तेल की जरूरत अन्य बातों के साथ-साथ मध्य-पूर्वी देशों की राष्ट्रीय तेल कंपनियों के साथ वार्षिक सावधि संविदाओं के माध्यम से उनके सरकारी विक्रय मूल्यों के आधार पर पूरी की जाती है।

(ख) वर्ष 2001-2002 के लिए मध्य पूर्वी देशों की राष्ट्रीय तेल कंपनियों के साथ की गई कच्चा तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित सावधि संविदाओं का ब्यौरा निम्नवत् है :-

देश	कच्चा तेल (मिलियन मीट्रिक टन)	एल०पी०जी० (हजार मीट्रिक टन)
सऊदी अरब	7.5	156
कुवैत	7.5	156
संयुक्त अरब अमीरात	4.0	—
ईरान	2.5*	—

*एम आर पी एल (संयुक्त उद्यम रिफाइनरी) के कारण संविदाकृत 2.5 मिलियन मीट्रिक टन मात्रा को छोड़कर।

एम०टी० : मीट्रिक टन

कम्पनियों द्वारा धन का दुर्विनियोजन

765. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न पंजीकृत कम्पनियों ने अपने शेयर बेचने के बाद या ब्याज कमाने के लिए पूंजी को जमा कराने के बाद अपने पते बदल लिए हैं और इस प्रकार निवेशकों का धन खतरे में पड़ गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की अनियमितताएं करने वाली कम्पनियों की कुल संख्या कितनी हैं; और

(ग) इन कम्पनियां द्वारा कथित तौर पर दुर्विनियोजित की गई राशि का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (ग) जी, हां। पब्लिक निर्गम के माध्यम से 176 कंपनियों के द्वारा कथित तौर पर 958.90 करोड़ रु० की राशि एकत्र की गई है।

बड़ी विद्युत परियोजनाएं

766. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयातित कोयले पर चलने वाली स्थापित की जा रही बड़ी विद्युत परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(ख) परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ङ) इस कार्य को कौन-कौन सी एजेंसियां कर रही हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) भारत सरकार की संशोधित मेगा विद्युत नीति के अंतर्गत मेगा विद्युत परियोजना के रूप में अभिज्ञात 19 परियोजनाओं में से गुजरात की पिपावाव मेगा विद्युत परियोजना (2000 मेगावाट) को आयातित कोयला या तरल प्राकृतिक गैस पर आधारित किया जाना प्रस्तावित है। आंध्र प्रदेश में कृष्णापटनम ताप विद्युत परियोजना (1500 मेगावाट) एवं तमिलनाडु में कुड्डालोर ताप विद्युत परियोजना (1000 मेगावाट) को घरेलू एवं आयातित कोयले के सम्मिश्रण पर आधारित किया जाना प्रस्तावित है।

(ग) से (ङ) पिपावाव मेगा विद्युत परियोजना एवं कृष्णापटनम ताप विद्युत परियोजना की अनुमानित लागत एवं चालू करने की समय-सीमा को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिए टैरिफ आधारित पर बोलियों के आधार पर इन परियोजनाओं के विकासकर्त्ताओं के चयन के पश्चात् ही सुनिश्चित किया जा सकेगा। कुड्डालोर ताप विद्युत परियोज़ना को क्रियान्वित करने संबंधी प्रस्ताव तत्पश्चात् भूमि उपलब्धता एवं कुड्डालोर पत्तन की उपलब्धता में आने वाली कठिनाईयों के मद्देनज़र स्थगित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

नर्मदा जल विद्युत निगम द्वारा बांध का निर्माण

767. श्री नंदकुमार सिंह चौहान : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में नर्मदा जल विद्युत विकास निगम द्वारा बनाए जा रहे बांध के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में क्षेत्र के कितने गांव और कस्बे जलमग्न हो जायेंगे;

(ख) पुनर्वास नीति में विहित मानदंडों के अनुसार कौन-कौन से पूर्ण सुविधायुक्त पुनर्वास स्थल विकसित किए गए हैं और इन पुनर्वास स्थलों पर कितने परिवारों को बसाने का प्रस्ताव है; और

(ग) प्रथम चरण में जलमग्न होने वाले क्षेत्र के कितने परिवारों का पुनर्वास किया गया है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) नर्मदा हाइड्रो-इलेक्ट्रिक डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि० द्वारा इंदिरा सागर परियोजना का क्रियान्वयन किये जाने के कारण कुल दो सौ अड़तालीस (248) गांव जलमग्न हो जायेगा। ये गांव चार चरणों में निम्नवत जलमग्न होंगे :—

फेज-1	27
फेज-2	59
फेज-3	124
फेज-4	38
कुल	248

उपरोक्त गांवों के जलमग्न होने के अतिरिक्त चरण-II में हरसद टाउनसिप भी जल-मग्न हो जायेगी।

(ख) अभी तक छः (6) पुनर्वास स्थल विकसित किये गये हैं जिनमें से 3 पूर्वतः विकसित है और अन्य तीन (3) आंशिक विकसित है।

उपरोक्त स्थलों में कुल छः सो छब्बीस (626) का पुनर्वास किया जाना है। पुनर्वास स्थलों पर विकसित सुविधाएं पुनर्वास नीति में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार है।

(ग) जलमग्नता के प्रथम चरण में जलमग्न होने वाले परिवारों की संख्या चार हजार नौ सौ अट्ठासी (4988) अनुमानित की गई है।

[अनुवाद]

राज्यों की सांस्कृतिक पहचान बनाए रखना

768. श्री पी०एस० गढ़वी : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रमुख शहरों में राज्यों की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश के प्रमुख शहरों में सांस्कृतिक गतिविधियों में लगे विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों को प्रोत्साहित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) भारत की कला और संस्कृति के संवर्धन, संरक्षण तथा परिरक्षण की चुनौतियों से सरकार अवगत है। संस्कृति विभाग, विभिन्न स्कीमों के माध्यम से शहरी तथा ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में सामाजिक तथा सांस्कृतिक संगठनों को प्रोत्साहित करता है, जिनके तहत कला और संस्कृति के संवर्धन में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती

है। महत्वपूर्ण स्कीमें हैं :— (I) विनिर्दिष्ट प्रदर्शनकारी कला परियोजनाओं के लिए व्यावसायिक समूहों तथा व्यक्तियों को वित्तीय सहायता, (II) शताब्दी/वर्षगांठ मनाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता, (III) सांस्कृतिक संगठनों को भवन निर्माण हेतु अनुदान की स्कीम, (IV) जनजातीय/लोक कला एवं संस्कृति का संवर्धन एवं प्रचार-प्रसार, (V) सांस्कृतिक गतिविधियों में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुसंधान सहायता। इसके अलावा, संस्कृति विभाग द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त निकायों जैसे आंचलिक सांस्कृतिक केन्द्रों तथा राष्ट्रीय अकादमियों द्वारा भी ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों में लोक, शास्त्रीय नृत्य एवं संगीत कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों के आयोजन तथा साहित्यिक गतिविधियों के लिए सांस्कृतिक संगठनों को प्रोत्साहित किया जाता है।

रेल पटरियों के बीच की दूरी का संरक्षण

769. **श्री मोइनुल हसन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आजकल भारतीय रेल में सामान्यत: रेल पटरियों के बीच विस्तार और संकुचन हेतु दो पटरियों के बीच थोड़ी दूरी नहीं रह पा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) रेल प्रौद्योगिकी में उन्नति के कारण अब पृथक-पृथक पटरियों की लम्बी पटरियों में झलाई की जाती है जिससे पटरी के छोरों के बीच पटरियों का अंतराल समाप्त हो जाता है। पटरियों के झलाई के परिणामस्वरूप अनुरक्षण कार्यों में बचत हुई है, पटरियों की आयु बढ़ी है और यात्रा बेहतर एवं आराम-देह हुई है।

आंध्र प्रदेश में ओ०एन०जी०सी० की रिफायनरी

770. **श्री गंता श्रीनिवास राव :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम का विचार आंध्र प्रदेश में अपनी प्रथम 'वैल-हैड रिफायनरी' को चालू करने का है;

(ख) यदि हां, तो यह रिफायनरी किस स्थान पर है;

(ग) रिफायनरी का प्रत्याशित वार्षिक उत्पादन कितना है;

(घ) इससे कितने वार्षिक परिवहन व्यय की बचत होने की आशा है; और

(ङ) क्या तेल की कीमत कम की जाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिलान्तर्गत तातीपाका में आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 3 सितंबर, 2001 को एक स्किड-माउन्टि लघु-रिफाइनरी चालू की गई थी।

(ग) यह रिफाइनरी नाफ्था की लगभग 97 टन प्रतिदिन, हाई स्पीड डीजल की 46 टन प्रतिदिन उत्तन मिट्टी के तेल की 75 टन प्रतिदिन तथा रिड्यूस्ड कच्चा तेल की 32 टन प्रतिदिन मात्रा का उत्पादन करने के लिए परिरूपति है।

(घ) प्रति वर्ष लगभग 3 करोड़ रुपए।

(ङ) जी, नहीं।

रेलवे के रसोईघर में औचक निरीक्षण

771. **श्री चन्द्र भूषण सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के रसोई घर में औचक निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि रेलवे खान-पान नीति द्वारा कर्मचारियों की साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा संबंधी स्थापित मानकों का पालन उनमें से कहीं नहीं हो रहा है;

(ख) क्या इस वर्ष जुलाई महीने में कलकत्ता-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में विषाक्त भोजन का समाचार प्रकाश में आया था; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे द्वारा रेलवे के रसोई घरों के कार्यकरण और रेलगाड़ियों में खान-पान सेवा में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) आधार रसोइयाँ निर्धारित मानकों का अनुपालन कर रही हैं।

(ख) और (ग) रेल प्रशासन के नोटिस में यह लाया गया था कि 04.07.2001 को 2305 हवड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के पांच यात्रियों जो पटना से गाड़ी में चढ़े थे, को भोजन करते समय कुछ परेशानी हुई थी। लेकिन भोजन के विषाक्त होने का कोई निर्णायक सबूत नहीं मिल पाया। भोजन तैयार करने और परोसे जाने के बीच गमन समय कल करने के लिए पटना स्टेशन से 2305 राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी में चढ़ने वाले यात्रियों के लिए पटना आधार रसोई से भोजन लेने का विनिश्चय किया गया है। निरीक्षणों, परामर्श और प्रशिक्षण के माध्यम से आधार रसोई और चालित गाड़ी में खान-पान सेवाओं के संचालन के नियमित ग्रेडोन्नयन के अलावा खान-पान सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए समय-समय पर गहन अभियान भी चलाए जाते हैं।

ईंधन परीक्षण प्रयोगशालाएं

772. **श्री सुबोध मोहिते :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश मामलों में पेट्रोल और डीजल में मिलावट का पता नहीं लगता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ईंधन परीक्षण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानदंड क्या है;

(घ) क्या देश में ईंधन परीक्षण प्रयोगशालाएं पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा और अधिक ईंधन परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने तथा उपभोक्ताओं को मिलावट रहित ईंधन प्रदान कराने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, नहीं। तेल विपणन कंपनियों ने मिलावट का पता लगाने के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों की आवधिक/आकस्मिक जांच करने की प्रणाली विकसित की है। इसके अतिरिक्त, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में स्थापित मिलावट निरोधक कक्ष भी मिलावट की जांच करने के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों का निरीक्षण करता है।

(ग) भारतीय मानक ब्यूरो ने पेट्रोल एवं डीजल के लिए निम्नलिखित विनिर्देश निर्धारित किए हैं :—

ईंधन	बी०आई०एस० विनिर्देश
पेट्रोल	आई०एस० 2796:2000
डीजल	आई०एस० 1460:2000

(घ) से (च) देश में तेल कंपनियों के पास ईंधन का परीक्षण करने के लिए चलती-फिरती प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त, अपनी रिफाइनरियों/संस्थापनाओं में कई प्रयोगशालाएं हैं। तेल कंपनियां आवश्यकता पड़ने पर प्रयोगशालाओं की संख्या समय-समय पर बढ़ाती रहती है। इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, न्यायिक प्रयोगशालाएं, रक्षा प्रयोगशालाएं, पेट्रोलियम प्रयोगशाला समिति आदि जैसी विभिन्न अन्य एजेंसियों के पास भी ईंधनों का परीक्षण करने की सुविधाएं हैं।

खुदरा बिक्री केन्द्रों पर पेट्रोल/डीजल की मिलावट को रोकने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

1. मिट्टी तेल की फरफुरल डोपिंग
2. मिट्टी तेल को नीला रंगना
3. चलती-फिरती प्रयोगशालाएं एवं आक्टेन परीक्षण सुविधाएं
4. घनत्व जांच
5. स्टॉक अंतर
6. नियमित/आकस्मिक निरीक्षक
7. फिल्टर पेपर परीक्षण
8. डिस्पेंसिंग पम्पों की यथार्थता

कर्षण प्रभार

773. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य विद्युत बोर्डों ने कर्षण प्रभारों को कम करने से मना कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने बिजली प्राप्त करने के लिए अन्य संभावनाओं का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) और (ख) इस समय रेलें 17 राज्यों में स्थित 17 राज्य विद्युत बोर्डों और दो अन्य विद्युत कंपनियों से कर्षण बिजली खरीद रही हैं। इन 17 राज्यों में से 11 राज्यों में राज्य विद्युत नियामक आयोग (एस०ई०आर०सी०) कार्य कर रहे हैं। जब कभी राज्य विद्युत बोर्डों/वितरण अनुज्ञप्ति धारकों द्वारा रेलों सहित विभिन्न उपभोक्ताओं से प्राप्त अनुरोधों की जांच करने के पश्चात् प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं तब एस०ई०आर०सी० द्वारा टैरिफ में आवधिक रूप से संशोधन किया जाता है। चालू वित्त वर्ष के दौरान रेलें उपयुक्त प्रस्तुतीकरण द्वारा 3 राज्यों में टैरिफ में कटौती करवाने 2 राज्यों में वृद्धि से बचने और 2 राज्यों में वृद्धि सीमित करवाने में सफल हुई हैं। बहरहाल, रेलें अभी तक युक्ति संगत टैरिफ हासिल करने में पूर्णतया सफल नहीं हुई है जैसाकि विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम 1998 की धारा 29 के अंतर्गत कानून बनाया गया है जिसके अनुसार टैरिफ में उत्तरोत्तर बिजली की आपूर्ति की लागत परिलक्षित होनी चाहिए। शेष 6 राज्यों में कर्षण टैरिफ में कटौती के संबंध में कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) जी, हां।

(घ) रेलों ने निम्नलिखित संभावनाओं का पता लगाया है :

i. राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम जैसी केन्द्रीय उत्पादक एजेंसियों से सीधे बिजली आपूर्ति प्राप्त करना।

ii स्वतंत्र बिजली उत्पादकों से बिजली खरीदना।

iii. संयुक्त उद्यमों में कैप्टिव बिजली उत्पादन।

नवंबर, 2000 से उत्तर रेलवे के गजियाबाद कानुपर खंड के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम से सीधी बिजली आपूर्ति प्राप्त करके सफलता

हासिल की गयी है। अन्य स्थानों पर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम से बिजली प्राप्त करने के प्रस्तावों पर विद्युत मंत्रालय के परामर्श से सक्रिय विचार चल रहा है।

मिट्टी के तेल और रसोई गैस पर राजसहायता

774. श्री जी०जे० जावीया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के अंत तक मिट्टी के तेल और रसोई गैस से राजसहायता वापस लिये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसका आम उपभोक्ता विशेषकर मध्यम दर्जे के लोगों से नीचे के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण के लिए मिट्टी तेल और घरेलू एल०पी०जी० पर राजसहायता चालू वर्ष के अंत तक वापस लेने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (ए०पी०एम०) की चरणबद्ध समाप्ति पर सरकार के नवंबर 1997 के निर्णयों में यह परिकल्पित है कि सार्वजनिक वितरण के लिए मिट्टी तेल और घरेलू एल०पी०जी० पर राजसहायता 1.4.2002 से क्रमश: आयात समता के 33.33 प्रतिशत और 15 प्रतिशत स्तर तक पहुंच जाए जिसे सरकार के राजकोषीय बजट से पूरा किया जाएगा।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एन०एच०पी०सी० द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं की स्वीकृति की मांग

775. श्रीमती रेनु कुमारी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन देश में विद्युत की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जल विद्युत परियोजनाओं की स्वीकृति की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में राज्यवार इन जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से उत्पादित होने वाली विद्युत का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर बिहार के उन क्षेत्रों जो बाढ़ग्रस्त है और जहां भूमि कटाव की समस्या है, में इन परियोजनाओं के आधार पर स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त प्रयोजनार्थ पहचान किए गए क्षेत्रों का सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (च) भारत सरकार देश में ज़ल विद्युत परियोजनाओं के विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है 1 भारत सरकार ने अभी तक ग्यारहवीं योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए 25254 मेगावाट क्षमता और दसवीं योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए 16338 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं का अनंतिम रूप से पता लगाया है। तथापि इन योजनाओं के लिए अभिज्ञात की गयी क्षमता अभिवृद्धि का लाभ सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करने और आवश्यक निधियां सुनिश्चित करने पर निर्भर करेगा।

सरकार द्वारा अनुमोदित केन्द्रीय क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाओं हेतु तीन चरण वाली स्वीकृति के अनुसार नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एन०एच०पी०सी०) ने देश में विभिन्न परियोजनाओं के लिए चरण-1, चरण-2 और चरण-3 के अंतर्गत कार्य आरंभ करने के लिए स्वीकृति हेतु अनुरोध किया है। एन०एच०पी०सी० की नई और निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा स्थल, अधिष्ठापित क्षमता और अनुमानित वार्षिक ऊर्जा उत्पादन दर्शाने का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

निर्माणाधीन परियोजनाएं

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	क्षमता (मे०वा०)	अनुमानित वार्षिक उत्पादन (मिलियन यूनिट)
जम्मू व कश्मीर			
1.	दुलहस्ती	390	1928
हिमाचल प्रदेश			
1.	चमेरा-2	300	1500
उत्तरांचल			
1.	धौलीगंगा	280	1134
2.	तीस्ता-5	510	2573
मणिपुर			
1.	लोकतक डी/एस	90	420.25
मध्य प्रदेश (म०प्र० एवं एनएचपीसी का संयुक्त उद्यम)			
1.	इंदिरा सागर (एनएचडीसी)	1000	1980
2.	ओंकारेश्वर (एनएचडीसी)	520	1166

भावी परियोजनाएं

क्रम सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मे०वा०)	अनुमानित वार्षिक उत्पादन (मिलियन यूनिट)
जम्मू व कश्मीर			
1.	पकालडल	1000	3590
2.	बरसर	1020	2018.04
3.	सेवा-2	120	553.63
4.	उड़ी-2	280	1370
5.	चटक	18	अभी निर्धारित की जानी है
हिमाचल प्रदेश			
1.	पार्बती-2	800	3108.66
2.	पार्बती चरण-1	750	2800
अरूणाचल प्रदेश			
1.	सुबनसिरी (लोअर)	2000	7551.16
2.	सुबानसिरी (मिडिल)	2000	6000
3.	सुबानसिरी (अपर)	2500	7750
4.	सियांग (मिडिल)	700	1900
5.	सियांग (अपर)	11000	29000
पश्चिम बंगाल			
1.	तीस्ता लो डैम चरण-4	168	766.59
महाराष्ट्र			
1.	बाव चरण-1	18	37.005
2.	बाव चरण-2	37	81.08
झारखण्ड			
1.	कोयलकारो*	710	1000
कर्नाटक			
2.	अपर कृष्णा परियोजना	810	अभी निर्धारित की जानी है

* 7.13 रुपये प्रति यूनिट उच्च टैरिफ होने के मद्देनजर परियोजना से विद्युत की खरीद हेतु सुनिश्चित वचनबद्धता प्राप्त न होने के कारण परियोजना आरंभ नहीं की जा सकी। झारखण्ड राज्य परियोजना हेतु पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की समीक्षा कर रहा है।

बिल्लार-पीपार रेल लाइन का आमान परिवर्तन

776. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के जोधपुर जिले में बिल्लार-पीपार रेल लाइन के आमान परिवर्तन हेतु शिलान्यास किस तारीख को किया गया है;

(ख) क्या उक्त लाइन पर कार्य आरम्भ हो गया है;

(ग) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) आमान परिवर्तन संबंधी इस कार्य के लिए 22.9.1997 को शिलान्यास किया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) निम्न परिचालनिक प्राथमिकता, कम यातायात की संभावनाओं और संसाधनों की तंगी।

(ङ) संसाधनों की स्थिति में सुधार होने पर और कुछ चालू परियोजनाएं पूरी हो जाने पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

गुवाहाटी और तिनसुखिया के बीच बड़ी लाइन संपर्क

777. **श्री के०ए० सांगतम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिमापुर होते हुए गुवाहाटी से तिनसुखिया तक दूसरा नया बड़ा रेल सम्पर्क आरम्भ करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इकहरी लाइन खण्डों का दोहरीकरण/दोहरी लाइन खण्डों पर बहुल लाइने मुहैया कराने का कार्य तब शुरू किया जाता है जब इनकी वहन क्षमता संतृप्त हो जाती है। सुझावित खण्डों पर यातायात अभी उनके दोहरीकरण के औचित्य के स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। यातायात की आवश्यकता के अनुसार दोहरीकरण पर विचार किया जाएगा, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

कर्नाटक में 'इरेडा' द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं

778. **श्री आर०एल० जालप्पा : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में वर्ष 2001-2002 के दौरान इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां उक्त परियोजनाएं स्थापित की गई हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) और (ख) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) ने अब तक कर्नाटक में वर्ष 2001-02 के दौरान कुल 10 परियोजनाएं मंजूर की हैं। इन मंजूर की गई परियोजनाओं के, उनके स्थानों सहित, ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रम सं०	ऋण लेने वालों के नाम	परियोजना	परियोजना स्थल	क्षमता
1.	मालावल्ली पावर प्लांट प्रा० लि०	बायोमास विद्युत संयंत्र के लिए बायोमास फ्यूल प्रोसेसिंग मशीन	गांव सी०एम० कोपाल, किरूगवाल होबली, मालावल्ली, मांड्या जिला, कर्नाटक	—
2.	सेपको इंडस्ट्रीज प्रा०लि०	पवन फार्म	गांव कुसमारादिगरे एवं केनेडुलु, जिला चित्रदुर्ग, कर्नाटक	1.2 मेवा०
3.	न्यूटैक सिस्टम्स	सौर जल तापन प्रणालियां	पी०ओ० नं० 9167, बी०एम०, शंकराप्पा इंडस्ट्री इस्टेट, संकडाकेटे, मगादी मेन रोड, विश्वानीडम पोस्ट, बंगलौर-560091, कर्नाटक	47.04 एमटीसीआर
4.	श्री चामुडिश्वरी शुगर लि०	खोई आधारित सह-उत्पादन	गांव भारतीनगर, मदुर तालुका, मांड्या जिला, कर्नाटक	22 मेवा०
5.	भाग्यनगर सोल्वैंट एक्सट्रैक्टीन (प्रा०) लि०	बायोमास पावर	गांव हगोमहाली, रायचूर जिला, कर्नाटक	6 मेवा०
6.	कोपाल ग्रीन पावर लि०	बायोमास पावर	गांव कराटागी, कोपाल जिला, कर्नाटक	6 मेवा०
7.	पावरोनिक्स लि०	बायोमास पावर	गांव श्रीगुप्पा, बेलारी जिला, कर्नाटक	6 मेवा०
8.	कोगांती पावर लि०	बायोमास पावर	गांव वालकाउनडीनी, रायचूर जिला, कर्नाटक	6 मेवा०
9.	नूजीवीडू सीड्स लि०	पवन फार्म	गांव बिदराकेरे, जिला चित्रदुर्ग, कर्नाटक	4.5 मेवा०
10.	एनरकॉन सर्विसेज लि०	पवन फार्म	गांव मदनचकनहल्ली, चित्रदुर्ग जिला, कर्नाटक	3 मेवा०

मेवा० — मेगावाट, एम०टी०सी०आर० — मीट्रिक टन कोयला प्रतिस्थापन

[हिन्दी]

आई०बी०पी० की संपत्ति का मूल्यांकन

779. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आई०बी०पी० की संपत्ति का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन कराया है;

(ख) यदि हां, तो संपत्ति के मूल्यांकन के लिए क्या तरीका अपनाया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) आज की तारीख के अनुसार आई०बी०पी० संपत्ति के कुल मूल्यांकित अंतरित मूल्य का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) विनिवेश प्रक्रिया के एक भाग के रूप में आई०बी०पी० कंपनी लिमिटेड की परिसंपत्तियों, जिनमें आई०बी०पी० के स्वामित्व वाले सभी खुदरा बिक्री केन्द्रों की भूमि एवं इमारतें शामिल हैं, के मूल्यांकन के लिए सरकारी पंजीकृत मूल्यांकक नियुक्त किए गए हैं। मूल्यांककों की रिपोर्टें उद्यम मूल्य के निर्धारण तथा विनिवेश किए जाने के लिए प्रस्तावित शेयरों के बेन्चमार्किंग मूल्य से संबंधित प्रयासों में से एक है तथा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार इन मूल्यांककों की

रिपार्टें वित्तीय बोलियां मांगे जाने पर खोली जाएगी। इसलिए आई० बी०पी० की संपत्ति के कुल अनुमानित अंतरण मूल्य का ब्यौरा निर्दिष्ट करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

डी०डी० के समाचार चैनल को बंद करना

780. **श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसार भारती का विचार डी०डी० समाचार चैनल को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी विफलता और बंद होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे किसी अधिकारी की पहचान की है जो दूरदर्शन की बदनामी और भारी घाटे के लिए जिम्मेदार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) दूरदर्शन की पुनर्संरचना के एक भाग के रूप में, प्रसार भारती ने सैद्धांतिक रूप से डी०डी० समाचार और सम सामयिक विषय चैनल की उच्च लागत और अल्प दृश्यता के कारण इसे बन्द करने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया है कि दूरदर्शन राष्ट्रीय चैनल जिसकी अत्यधिक पहुंच है, सार्वजनिक सेवा प्रसारण के अधिदेश को अत्यधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए समाचार और सम सामयिक विषयों पर और अधिक कार्यक्रमों का प्रसारण करेगा।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

राज्य स्मारकों का रिकार्ड

781. **श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राज्य सरकारों द्वारा संरक्षित स्मारकों/मंदिरों/स्थलों का सम्पूर्ण रिकार्ड है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने ऐसे ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों/स्थलों/मंदिरों/किलों की सुरक्षा के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से समुचित अनुमति प्राप्त की है;

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य सरकार के विभागों द्वारा संरक्षित स्मारकों की निगरानी, जांच और निरीक्षण हेतु कोई प्रणाली अथवा समिति है; और

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, नहीं।

(ख) राज्य सरकार को राज्य संरक्षित स्मारकों के संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

(ग) और (घ) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 और नियम, 1959 में ऐसे रचनातंत्र का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अपने संरक्षित स्मारकों की देखभाल उनके सामान्य दैनिक कार्य के मुताबिक की जाती है।

भारतीय सेना में रेजीमेंट प्रणाली

782. **डा० नीतिश सेनगुप्ता : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना की भांति भारतीय सेना को जाट, सिक्ख, मराठा और राजपूत और अन्य रेजीमेंटों जैसी क्षेत्रीय पहचान के रूप में विभाजित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसी रेजीमेंट में भारतीय सेना के विभाजन की बर्तानी औपनिवेशिक प्रणाली को समाप्त करने का है ताकि भारतीय सेना में भारतीयता की भावना लायी जाये और मार्शल रेस और गैर-मार्शल रेस के सिद्धांत के संकेन्द्रण को दूर किया जाये जिसमें बंगालियों को बर्तानी शासकों ने अलग कर दिया था क्योंकि वे बर्तानी शासन के विरुद्ध सशक्त आंदोलन में भागीदार थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) भारतीय सेना क्षेत्रीय पहचान के आधार पर वर्गीकृत नहीं है। तथापि, आजादी से पहले कतिपय वर्गों, जिन्हें आमतौर पर योद्धा वर्ग माना जाता था, से सेना में भर्ती किए जाने पर जोर दिया जाता था, क्योंकि वर्ग संयोजन को युद्ध में सेनाओं के मध्य एकजुटता को बढ़ावा देने हेतु एक शक्तिशाली कारक माना जाता था। स्वतंत्रता के बाद, कुछ सीमा तक कवचित कोर, तोपखाना तथा इन्फैंट्री को छोड़कर सेनांगों तथा सेवाओं हेतु वर्ग संयोजन की अवधारणा का परित्याग कर दिया गया।

इन तीन सेनांगों को छोड़कर सभी सेनांगों तथा सेवाओं में भर्ती जाति, नस्ल, वर्ग, क्षेत्र तथा धर्म पर किसी प्रकार का विचार किए बिना सभी भारतीय राष्ट्रिकों के लिए खुली है। ऐतिहासिक तथा परंपरागत कारणों, युद्धक कारगरता, संक्रियात्मक निष्पादन तथा अनुभव के आधार पर कुछ यूनिटों को एकल/नियत/मिश्रित वर्गों वाली बनाए रखने का सुविचारित निर्णय लिया गया है। यह 'अखिल भारतीय सर्व वर्ग' यूनिटों की अवधारणा स्थापित करने के लिए किया गया है।

यह उल्लेखनीय है कि 'एकल वर्ग/मिश्रित वर्ग' के आधार पर कोई नई रेजिमेंट नहीं खड़ी की गई है।

[हिन्दी]

एन०टी०पी०सी०, सीपत की विद्युत परियोजना

783. **श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीपत, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ की एन०टी०पी०सी० परियोजना बिलासपुर पर पर्यावरणीय प्रभाव, व्यापक पुनर्वास योजना के प्रस्तुतीकरण संबंधी मानदंडों के अनुरूप है और 660 मेगावाट इकाईयों में परिवर्तन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र अपेक्षित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन प्रस्तुतीकरणों के संबंध में अंतिम पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन०टी०पी०सी०) ने वर्तमान नियमों एवं विनियमों के अनुसार पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ई०आई०ए०) रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से "अनापत्ति" प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम०ओ०ई० एंड एफ०) के समक्ष सिपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण-1 (4x500 मेगावाट) के संबंध में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आवेदन किया। एन०टी०पी०सी० द्वारा आवेदन में इंगित किया गया कि भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित जनसंख्या का मूल्यांकन करने हेतु किए जाने वाले विस्तृत सामाजिक-आर्थिक अध्ययन के पूरा होने के बाद राज्य सरकार की सहायता से एक व्यापक पुनर्वास योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। एन०टी०पी०सी० ने इस संबंध में एक प्रस्तुतीकरण भी किया जिसमें इसने एम०ओ०ई० एंड एफ० की विशेषज्ञ समिति के समक्ष ई०आई०ए० के सभी ब्यौरे प्रस्तुत किए।

एम०ओ०ई० एंड एफ० ने स्थल निरीक्षण, आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज एवं एन०टी०पी०सी० के प्रस्तुतीकरण के आधार पर जनवरी, 1998 में परियोजना को स्थल स्वीकृति दी।

एम०ओ०ई० एंड एफ० ने फरवरी, 1999 में परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृत प्रदान की। हालांकि पुनर्वास योजना एवं हरित पट्टी के विकास संबंधी स्वीकृति शर्तों के गैर-अनुपालन के कारण इस स्वीकृति पर रोक लगा दी गयी। एन०टी०पी०सी० द्वारा एम० ओ०ई० एंड एफ० को अपेक्षित ब्यौरे प्रस्तुत किए गए और जनवरी, 2000 में स्वीकृति पर से रोक को हटा लिया गया।

आंकड़ों के 550 मेगावट से 660 मेगावाट हो जाने के संबंधी संशोधन स्वीकृति हेतु एन०टी०पी०सी० द्वारा एम०ओ०ई० एंड एफ० के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

कार्य योजना (आर०ए०पी०) तैयार किया जिसकी कलैक्टर, बिलासपुर द्वारा गठित पुनर्वास समिति द्वारा समीक्षा की गयी। ग्राम विकास सलाहकार समिति, जिला प्रशासन एवं परियोजना प्रभावित लोगों के प्रतिनिधियों के साथ गहन विचार-विमर्श के उपरांत पुनर्वास समिति ने इस आर०ए०पी० की सिफारिश कर दी गयी। तत्पश्चात् कलैक्टर, बिलासपुर द्वारा इस आर०ए०पी० को अगस्त, 2000 में और एम०ओ० ई० एंड एफ० द्वारा दिसम्बर, 2000 में अनुमोदन प्रदान किया गया।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात

784. श्री पी० राजेन्द्रन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वित्तीय वर्षों की तुलना में 2000-2001 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में दस गुना वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तुलनात्मक आंकड़े क्या है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) वर्ष 2000-01 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में वर्ष 1999-2000 की तुलना में नीचे दिए गए अनुसार 11 गुना से अधिक वृद्धि हुई है :—

(मात्रा हजार मीट्रिक टन में)

2000-2001	8,365
1999-2000	746

(ग) वर्तमान वर्ष अर्थात 2001-02 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात 8,719 हजार मीट्रिक टन अनुमानित है। तथापि, इस संबंध में कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया है।

गुंतकल-रेनिगुंटा रेल लाइन का दोहरीकरण

785. श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल बजट 2001-2002 में शामिल करने के लिए महाप्रबंधक, दक्षिण मध्य रेल के साथ चर्चा के दौरान गुंतकल-रेनिगुंटा रेल लाइन के दोहरीकरण की पहचान की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार इस परियोजना हेतु अतिरिक्त धनराशि आवंटित करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) और (ख) जी, हां। रेलवे

बजट 2001-02 में शेष इकहरी लाइन में कहीं कहीं दोहरीकरण का प्रस्ताव शामिल कर लिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार 23 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आबंटन करने पर विचार कर रही है।

(ङ) कार्य पहले ही शुरू हो गया है। कार्य का पूरा होना आने वाले वर्षों में धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

निजाम की ज्वैलरी को स्थायी रूप से रखा जाना

786. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजाम की प्रसिद्ध ज्वैलरी जिसे देखने के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय में भारी भीड़ एकत्रित होती है, को स्थाई रूप से हैदराबाद रखे जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सवरकार ने इस ज्वैलरी के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढ लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच कोई विचार-विमर्श हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) यह मामला अभी भी विचाराधीन है।

(ख) से (छ) आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निजाम के आभूषणों को हैदराबाद में स्थाई रूप से प्रदर्शित करने का सुझाव दिया है। उन्होंने सूचित किया है कि प्रिंस मुकर्रम ज़ा बहादुर इस प्रयोजन के लिए चौ मोहल्ला पैलेस, हैदराबाद स्थित खिलावत महल उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गये है। इस विषय पर विचार-विमर्श करने के लिए मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री के बीच बैठक हुई थी। आभूषणों को स्थाई रूप से प्रदर्शित करने के बारे में अंतिम निर्णय संबंधित सुरक्षा प्राधिकारियों के परामर्श से आभूषणों की सुरक्षा तथा बचाव से संबंधित पहलुओं की पूरी जांच के बाद ही लिया जा सकता है।

ट्रांस एशियन रेल परियोजना

787. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया से होकर सीमलेस यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावित ट्रांस एशियन रेललिंक परियोजना पर एशिया और अमरीका की हाल की घटनाओं के कारण विपरीत प्रभाव पड़ता है;

(ख) प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत किन देशों को लाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या ये सभी देश परियोजना के कार्यान्वयन में पूरी तरह से शामिल हैं; और

(घ) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और इसमें प्रत्येक देश का कितना अंशदान है और इसके पूरा होने की क्या अवधि निर्धारित है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (घ) ट्रांस एशियन रेल परियोजना, जिसमें यूरोप को चीन/दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने के लिए तीन रेल-भूमि पुलों की परिकल्पना की गई है। जो अभी वैचारिक अवस्था में है। प्रस्तावित ट्रांस एशियन रेलवे का दक्षिणी गलियारा बुलगारिया, टर्की ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यामार और चीन/थाईलैन्ड-कम्बोडिया/मलेशिया और सिंगापुर से गुजरता है।

इस रेल सम्पर्क गलियारें की स्थापना के प्रयास यू०आई०सी० (इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज़) और यू०एन० इस्कैप (यूनाइटेड नेशंस-इकॉनामिक एन्ड सोशल कमीशन फॉर द एशिया एण्ड द पेसिफिक) दोनों के संरक्षण में किए जा रहे हैं। सदस्य देशों के बीच लागत और समय अनुसूची सहित सभी मामलों पर बातचीत बिलकुल प्रारंभिक स्तर पर है। वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से विभिन्न प्रयासों के समन्वय के लिए नोडल एजेंसी है।

पटरी के आसपास जलभराव

788. **श्री सुरेश रामराव जाधव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोनवार रेल लाइन के उन खंडों का ब्यौरा क्या है जहां भारी वर्षा के परिणामस्वरूप जलभराव के कारण अगस्त, 2001 में गाड़ियों विलंब से चली हैं;

(ख) पटरियों के आसपास जलभराव के क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में रेलपटरियों के आसपास जलभराव को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) उन रेल लाइन खंडों का जोन वार ब्यौरा, जहां पानी इकट्ठा होने के कारण अगस्त, 2001 में गाड़ियों के चालन में विलंब हुआ, इस प्रकार है :—

क्रम सं०	रेलवे	खंड/स्थान
1	2	3
1.	उत्तर रेलवे	लुधियाना यार्ड
2.	उत्तर रेलवे	दिल्ली क्षेत्र
3.	दक्षिण रेलवे	पोल्लाची-पोदानूर

1	2	3
4.	दक्षिण मध्य रेलवे	खंडवा-पूर्णा
5.	दक्षिण पूर्व रेलवे	झारसुगुडा-सम्बलपुर
6.	पूर्वोत्तर रेलवे	छपरा-थावे

(ख) रेलपथ के आसपास पानी निम्नलिखित मुख्य कारणों से इकट्ठा होता है :—

(i) बड़े शहर के स्टेशनों के आसपास पानी को निकासी की अपर्याप्त व्यवस्था, जिसके कारण मूसलाधार वर्षा के दौरान पानी को यार्ड से निकलने का पर्याप्त रास्ता नहीं मिलता है।

(ii) राज्य सरकार द्वारा छोटे सिंचाई टैंको/तटबंधों (जिन्हें रेलवे अफेक्टिंग टैंक/वर्क्स कहा जाता है; का अपर्याप्त अनुरक्षण, जिसके परिणामस्वरूप भारी वर्षा से बाढ़/दरारें आ जाती हैं।

(ग) रेल पथों के आसपास पानी इकट्ठा होने या रेलपथ में पड़ने वाली दरारों से बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं :—

(i) रेल लाइनों को प्रभावित करने वाले सिंचाई टैंको/तटबंधों के समुचित अनुरक्षण के लिए राज्य सरकार/स्थानीय निकायों के साथ नियमित संपर्क रखना।

(ii) रेलवे यार्डों की मौजूदा नालियों की मानसून पूर्व सफाई और उन्हें गहरा करना और जहां कहीं आवश्यक समझा जाए वहां अतिरिक्त गलियों की व्यवस्था करना।

(iii) योजनाबद्ध कार्य के रूप में अधिक पानी की निकासी के लिए नए पुल/अतिरिक्त स्पैनों का निर्माण करना।

आई०एफ०एफ०आई० का स्थगन

789. श्री जी०एस० बसवराज :
श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने अक्तूबर, 2001 में होने वाले दस दिवसीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव 2001 को स्थगित करने का केन्द्र सरकार से आग्रह किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) जी, नहीं। कर्नाटक सरकार ने राज्य में गंभीर सूखे की स्थिति के कारण भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, 2001 के सह-आयोजन में असमर्थता प्रकट की थी और समारोह को रद्द करने का सुझाव दिया था। इसके मद्देनज़र सरकार ने भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, 2001 जो दिनांक 10 से 20 अक्तूबर, 2001 तक बंगलौर में होना निर्धारित था, को रद्द करने का निर्णय किया।

'गेल' द्वारा [redacted] शुरू करना

790. डा० एन० वेंकटस्वामी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 'गेल' ने आंध्र प्रदेश में 700 करोड़ रुपये का निवेश करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) देश में गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) द्वारा वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) विजाग-सिकन्दराबाद एल०पी०जी० पाइपलाइन परियोजना के अतिरिक्त गेल ने संलग्न विवरण-II में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 688-47 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से आंध्र प्रदेश के कृष्णा-गोदावरी बेसिन में 6 परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया है अथवा कार्यान्वयन की प्रक्रिया में लगा हुआ है।

विवरण-I

गेल की प्रमुख कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं

मद	विजाग-सिकन्दराबाद एलपीजी पाइपलाइन परियोजना	जामनगर-लोनी एलपीजी पाइपलाइन-चरण-2	टेलीकॉम व्यवसाय परियोजना चरण-2
स्थान	विजाग-सिकन्दराबाद	कांडला-समालिहाली	दिल्ली-मुंबई
अनुमोदन की तारीख	27.2.2001	1.2.2001	4.6.2000
यांत्रिक रूप से समापन	27.6.2003	30.9.2002	15.9.2001
आरंभ होने की तारीख	27.8.2002	10.4.2002	30.9.2001
पूंजीगत लागत (रु०/करोड़)	490.65	70.00	96.50
थ्रूपुट क्षमता	1.164 एमएमटीपीए	0.5 एमएमटीपीए	—
उत्पाद	एलपीजी का परिवहन	एलपीजी का परिवहन	बैंडविड्थ क्षमता

विवरण-II

आंध्र प्रदेश में गेल द्वारा हाथ में ली गई परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रमांक	विवरण	ब्यौरा	परियोजना लागत रु०/ करोड़ में	समय कार्यक्रम
1.	के०जी० बेसिन चरण-1	4''-18'' की 135 कि०मी० पाइपलाइन	110	पूरी हो चुकी है।
2.	के०जी० बेसिन चरण-2	(1) तातीपाका-केसीजेपी 18''x45 कि०मी० प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (2) पोन्नामंडा-कडाली 14''x4 कि०मी० प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (3) दक्षिण यनम 16''x10 कि०मी० प्राकृतिक गैस पाइपलाइन	109	31.7.2002
3.	बी०एस०ई०एस० आंध्र पावर तक पाइपलाइन	काकीनाडा-बी०एस०ई०एस० 18''x8 कि०मी० प्राकृतिक गैस पाइपलाइन	21.5	30.10.2001
4.	के०जी० बेसिन चरण-3	कुल 130 कि०मी० की 8''x20'' ब्यास की विभिन्न प्राकृतिक गैस पाइपलाइन	145	26.12.2002
5.	लेन्को कोंडापल्ली पावर परियोजना	18''x204 कि०मी० प्राकृतिक गैस पाइपलाइन	300	पूरी हो चुकी है।
6.	के०जी० बेसिन में छोटे उप-भोक्ताओं को गैस की आपूर्ति	(1) रीजेन्ट एग्रो-1 कि०मी० पाइपलाइन (2) रीजेन्सी सिरेमिक्स — 4''x5 कि०मी० पाइपलाइन (3) गोदावरी फर्टिलाइजर्स 4''x25 कि०मी० पाइपलाइन	2.97	(1) 1.7.2001 (2) 1.1.2002 (3) 1.7.2002

हरिदासपुर-पारादीप रेल लाइन को पूरा करना

791. **श्री त्रिलोचन कानूनगो :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में हरिदासपुर-पारादीप रेल लाइन के कार्य को पूरा करने हेतु क्या लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई है;

(ख) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और इसके लिए अब तक कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ग) इस परियोजना के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) इस परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाइन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) परियोजना को पूरा करने की अभी कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

(ख) परियोजना की नवीनतम प्रत्याशित लागत 301.64 करोड़ रु० है। 31.3.2001 तक 14.53 करोड़ रु० खर्च किए गए। वर्ष 2001-02 के दौरान 20 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ग) और (घ) अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। मिट्टी की जांच, कार्यालय का निर्माण आदि जैसे प्रारंभिक कार्य प्रगति पर हैं। भूमि अधिगृहण संबंधी कार्रवाई आरंभ कर दी गई हैं और राज्य सरकार द्वारा अभी तक 52 एकड़ भूमि दे दी गई है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य सुव्यवस्थित किया जा रहा है।

शौकिया ग्रुप थियेटर को वित्तीय अनुदान

792. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और चालू वर्ष में देश में राज्यवार वित्तीय अनुदान प्राप्त करने वाले कौन-कौन से शौकिया ग्रुप थियेटर हैं;

(ख) क्या सरकार इन ग्रुप थियेटर की उच्च्व निर्माण लागत और इन्हें समर्थन प्रदान करने वाली अन्य आधारभूत संस्थाओं के मद्देनजर विशेषकर कोलकाता, मुम्बई, दिल्ली और अहमदाबाद के ग्रुप थियेटर

के मामले में, अनुदान राशि की समीक्षा करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं। विशिष्ट प्रदर्शन कला परियोजनाओं के लिए व्यावसायिक ग्रुपों तथा व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्कीम के अंतर्गत अनुदान-राशि की समीक्षा वर्ष 1998-99 में की जा चुकी है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

1998-99

आन्ध्र प्रदेश

1. रास रंजनी
2. श्री वेंकेटेश्वर नाट्य मंडली
3. श्री शारदा विजय नाट्य मंडली
4. श्री विनायक नाट्य मंडली
5. श्री विजय भारती नाट्य मंडली
6. जनपदम

चण्डीगढ़

7. स्वामी रामतीर्थ मेमोरियल सोसयटी
8. रंगमंच कर्मी

दिल्ली

9. क्षितिज
10. भूमिका
11. स्टेट डोर
12. नवरंग प्रतिष्ठान
13. दिल्ली बाल अकादमी
14. दिल्ली कला रंगमंच
15. यात्रिक थियेटर

हिमाचल प्रदेश

16. हिमाचल संस्कृति अनुसंधान फोरम एव रंगमंच प्रयोगशाला

जम्मू एवं कश्मीर

17. नटरंग
18. राष्ट्रीय भाण्ड रंगमंच
19. रंगयुग
20. अव्यवसायी रंगमंच मण्डली
21. कश्मीर भगत थियेटर
22. यूस मार्ग लोक रंगमंच
23. वूलर थियेटर
24. दिलाश लोक रंगमंच
25. समह थियेटर

कर्नाटक

26. यक्षाडेगुला
27. यक्षगण केन्द
28. नीनासम
29. ईडागूंजी महागणपति यक्षगान मंडली

केरल

30. फॉल्क लैण्ड
31. सोपानम

मणिपुर

32. मणीपुरी जगोई मरूप
33. कोरस रिपोर्टरी थियेटर
34. सार्वजनिक रंगमंच कलाकार संघ
35. ओग्री थियेटर रिपोर्टरी

मध्य प्रदेश

36. नया थियेटर
37. नट बुन्देले
38. कला समूह
39. अभिनव
40. लोक मंजरी
41. बाल रंगमंच अकादमी
42. रंग श्री लिटल बैलेट ट्रुप

महाराष्ट्र

43. अविष्कार
44. यात्री थियेटर एसोसियेशन
45. अंक
46. भारतीय राष्ट्रीय रंगमच

पंजाब

47. राष्ट्रीय रंगमंच कला सोसायटी

राजस्थान

48. आज
49. जयपुर नाट्य संस्था

तमिलनाडु

50. कोथू-पी-पट्टारे ट्रस्ट

उत्तर प्रदेश

51. ब्रेचटियन मिरर
52. यायावुर रंगमण्डल
53. रंग यात्रा
54. उत्तराखण्ड लोक कला एवं साहित्य स्मारक
55. मंचकृति
56. दर्पण
57. एकता

पश्चिम बंगाल

58. पडाटिक
59. कलकत्ता कठपुतली रंगमंच
60. अन्य थियेटर
61. नंदीकर
62. रंगकर्मी
63. बहुरूपी
64. थियेटर सेन्टर
65. भारतीय स्वांग रंगमंच
66. रविन्द्र नाट्य गोष्ठी
67. कलकत्ता बानरी
68. रंगरूप
69. सॉल्ट लेक सृजनात्मक रंगमंच संघ

1999-2000

आन्ध्र प्रदेश

1. रास रंजनी
2. श्री वेंकेटेश्वर नाट्य मंडली
3. श्री शारदा विजय नाट्य मंडली
4. श्री विनायक नाट्य मंडली
5. श्री विजय भारती नाट्य मंडली
6. जनपदम
7. श्री भानोदय नाट्य मण्डली
8. गंगोत्री

बिहार

9. दर्पण समाज
10. घर आंगन
11. सुर गगन
12. लोक रंग

13. सूत्रधार

14. शौर्य

चण्डीगढ़

15. स्वामी रामतीर्थ मेमोरियल सोसायटी

दिल्ली

16. स्टेज डोर

17. क्षितिज

18. भूमिका

19. पं० चतुरलाल मेमोरियल सोसायटी

20. बधिर सांस्कृतिक सोसायटी

21. उमंग

22. दृष्टा इण्डिया

गुजरात

23. रंग बहार

हिमाचल प्रदेश

24. हिमाचल सांस्कृतिक अनु-संधान फोरम एवं रंगमंच संग्रह

जम्मू और कश्मीर

25. नटरंग

26. राष्ट्रीय भाण्ड रंगमंच

27. मलिक बादशाह लूका पाथेर सेन्टर

28. कश्मीर भाण्ड थियेटर

29. कश्मीर कला मंच

30. कश्मीर भगत थियेटर

31. अजीज लोक भग थियेटर

32. क्षत्रेषी भाण्ड थियेटर

33. बोम्मई लूका थिएटर

34. यूसमर्ग लोक थिएटर

35. करमबुलन्द लोक थिएटर

कर्नाटक

36. यक्षदेगुला

37. यक्षगण केन्द्र

38. नीनासम

39. ऐश्वर्या कलानिकेतन

40. गज्जे हेज्जे रंगा टंडा

41. रंग शिक्षण केन्द्र

42. कुसुम कला संघ

43. समसतरू

44. यक्ष सम्पदा

45. रंग प्रयोग

केरल

46. सोपानम्

47. अंकानाम थियेटर ग्रुप

48. फोल्क लैंड

मणिपुर

49. मणिपुरी जगोई मरूप

50. कोरस रिपर्टरी थियेटर

51. पब्लिक थियेटर आर्टिस्ट एसासिएशन

52. दी पंतोइबी नाट्य मन्दिर

53. दा डील रिपर्टरी थियेटर

54. बनियन रिपर्टरी थियेटर

55. आर्ट एण्ड कल्चर ड्रामेटिक एसोसिएशन

56. मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन

57. रूपालय थियेटर

मध्य प्रदेश

58. नया थियेटर

59. नाटा बुन्देले

60. अभिनव

61. लोक मंजरी

62. बाल रंगमंच अकादमी

63. टोली

64. रंगशीर्ष संस्थान

65. रंग श्री लिट्टल बैलेट ट्रुप

महाराष्ट्र

66. आविष्कार

67. अंक

68. यात्री थियेटर एसोसिएशन

69. इंडियन नेशनल थियेटर

70. सेंटर फॉर कल्चरल रिलेशन्स

उड़ीसा

71. संचार

पंजाब

72. नेशनल थियेटर आर्ट सोसाइटी

राजस्थान

73. आज

तमिलनाडु

74. कुतु-पी-पत्तरै ट्रस्ट

75. पुरूसाय दुरईसामी कन्नप्पा तम्बीरन पाराम्बराय ट्रस्ट

76. अभिनय नाट्यालय

उत्तर प्रदेश

77. उत्तरांचल लोक कला एवं साहित्य संरक्षण

78. यायावर रंग मंडल

79. रंग यात्रा

80. स्वर संगम

81. कैम्पस थियेटर

82. साक्षात्कार

83. नौटंकी कला केन्द्र

84. वाराणसी नाट्य परिषद

85. संस्कार भारती

पश्चिम बंगाल

86. नन्दीपाट

87. चुप कथा

88. साराभुज

89. रंगरूप

90. पादातिक

91. सायक बिजोन थियेटर

92. भारतीय कठपुतली रंगमंच

93. पादातिक

94. भारतीय स्वॉग रंगमंच

95. नंदीकार

96. रंगमंच कार्यशाला

97. बहुरूपी

98. शुद्रक

99. कलकत्ता कठपुतली रंगमंच

100. अन्य रंगमंच

101. रंगकर्मी

102. चेतना

103. कालापी

104. पंचम वैदिक

2000-2001

आन्ध्र प्रदेश

1. रास रंजनी

2. श्री वेंकटेश्वर नाट्य मंडली

3. श्री भानोदय नाट्य मंडल

4. जनपदम

5. श्री विजय भारती नाट्य मंडली

6. श्री शारदा विजया नाट्य मंडली

7. श्री विनायक नाट्य मंडली

असम

8. सीगल

बिहार

9. शौर्य

10. सूत्रधार

11. अभिन्य प्रशिक्षण संस्थान

12. निदान

13. रविन्द्र भारती ग्रामीण थियेटर प्रशिक्षण

14. आर्क एजुकेशनल एण्ड डवलपमेंट सोसाइटी

15. प्रकाश फाउन्डेशन

16. संकल्प सेवालय

17. निर्माण कला मंच

चण्डीगढ़

18. स्वामी राम तीर्थ मेमोरियल सोसाइटी

दिल्ली

19. भूमिका

20. क्षितिज

21. स्टेज द्वार

22. दा लिटिल थियेटर ग्रुप

23. बाबानगढ़ लोक कल्याण विकास परिषद

24. उमंग

गुजरात

25. रंग बहार

हिमाचल प्रदेश

26. हिमाचल कल्चरल रिसर्च फोरम एंड थियेटर रिपर्टरी

27. नाट्यकार

जम्मू तथा कश्मीर

28. नट्रंग

29. नेशनल भांड थियेटर

30. न्यू कश्मीर कन्सट्रक्शन यूथ क्लब

31. काजी कश्मीर थियेटर

32. आलमदार लूका पथेर

33. समूह थियेटर

34. बाबा रशि फोल्क थ्येिटर

कर्नाटक

35. यक्ष सम्पदा

36. समसतरू

37. अमरेश्वर विजय नाट्य मंडल

38. श्री लक्ष्मी जनार्दन यक्षगण कला मंडली

39. गज्जे हेज्जे रंग ठंडा

40. इदागुंजी महागणपति यक्षगण मंडली

41. यक्षद गुला

42. यक्ष गण केन्द्र

43. कुसुम कला केन्द्र

44. ऐश्वर्या कला निकेतन

45. उदय कला निकेतन

46. नेताजी इस्टीट्यूट

47. कोशिश हैंडीकैप्ट एंड डिसऐबल्ड ऐसोसिएशन

48. चिंथलू शिक्षण एवं ग्रामीण विकास सोसायटी

49. जयंती ग्राम महिला तथा बाल कल्याण ऐसोसिएशन

50. श्री राजरोजेश्वरी युवती मंडली

51. इकोलॉजी सोसायटी के लिए कार्यरत पीपुल्स आर्गेनाइजेशन

52. एशिया में एकीकृत राष्ट्रीय विकास

केरल

53. सूर्य

54. फोक लैंड

55. सोपानम

56. अंकनम रंगमंच समूह

57. लोक धर्मी

58. सदगुरू चेम्बाई वैदयनाथा भागावतार विद्यालय

59. रंगप्रभात

मध्य प्रदेश

60. रंगाश्री लिटिल बैले ट्रुप

61. नया थिएटर

62. नाटा बुंदेले

63. रंगाशीर्ष संस्थान

64. कला समूह

65. अभिनव

66. बाल रंगमंच अकादमी

67. लोक मंजरी

68. अनवेस्टान रंगमंच समूह

69. कला मंदिर

70. महिला उत्कर्ष संस्थान

71. अमूल्य क्रांति

महाराष्ट्र

72. अविष्कार

73. यांत्री रंगमंच ऐसोसिएशन

74. अंक

75. भारतीय राष्ट्रीय रंगमंच

76. सांस्कृतिक संबंध केन्द्र

77. मैसूर ऐसोसिएशशंस

मणिपुर

78. श्री गोविंदाज भक्ति ग्रंथ केंद्र विद्यालय

79. पंथोबी नाट्य मंदिर

80. थिएटर मिरर

81. बनियान रिपर्टरी रंगमंच

82. मणिपुर जगोई मारूप

83. विकासशील कला प्रयोगशाला

84. दि डील रिपर्टरी थिएटर

85. कोरस रिपर्टरी थिएटर

86. पब्लिक रंगमंच कलाकार ऐसोसिएशन

87. मणिपुरी कलाकार टूरिंग ड्रामा पाटी

88. मणिपुरी ड्रामाटिक यूनियन

89. दि कांगजाबी मेती चानू आर्टिस्ट कम ड्रामा ऐसो-सिएशन

90. लांगमेईगॊंग ड्रामाटिक यूनियन

91. मणिपुरी आर्टिस्ट ऐसोसिएशन

92. ऑल मणिपुर गौरांगगलियाल सनसेनबा आर्टिस्ट ऐसो-सिएशन

93. थांगटा आर्टिस्ट ऐसोसिएशन

पंजाब

94. नेशनल थिएटर आर्ट्स सोसायटी

राजस्थान

95. जयपुर नाट्य संस्था

96. रंग ंडप लोक नाट्य सांस्कृतिक संस्थान

97. आज

तमिलनाडु

98. कूथू-पी- पट्टाराय ट्रस्ट

99. पुरीसाई दुराईसामी थामबिरान पारामबराई ट्रस्ट

त्रिपुरा

100. सोसायटी फॉर सोशल सर्विस इंडिया

उत्तर प्रदेश

101. ब्रेचटियान मिरर

102. कैम्पस रंगमंच

103. रंग यात्रा

104. यायावर रंग मंडल

105. उत्तरांचल लोक कला एवं साहित्य संरक्षण

106. आकांक्षा थिएटर आर्ट्स

107. अनुकृति

108. रूपांतर नाट्य मंच

पश्चिम बंगाल

109. नंदीपाट

110. चूप कथा

111. साराभुज

112. रंग रूप

113. पादाबोली

114. सायक बिजोन थिएटर

115. पंचम वैदिक

116. पीपुल्स लिटिल थिएटर

117. भारतीय कठपुतली रंगमंच

118. पदातिक

119. भारतीय स्वाँग रंगमंच

120. सुद्रक

121. रंगमंच कार्यशाला

122. बहरूपी

123. नांदीकार

124. सुंदरम

125. कलकत्ता कठपुतली रंगमंच

126. नांदीकार

127. अन्य थिएटर

128. चेतना

129. मोनीराथ साल्ट लेक समूह रंगमंच

130. कस्बा अर्ध्या

131. रबीन्द्रीक नाट्य संस्था

132. पुरातन नाट्य संस्था

133. मिदनापुर उदापन बारामानीकपोरे

134. प्राक्तीकोरी

135. जन संस्कृति सेंटर फॉर थिएटर ऑफ दि आप्रेस्ड

136. बालीगंज अनुभव नाट्य गोष्ठी

137. दि लवर्स

138. नाट्यायन

139. नंदीरंगा

2001-2002

विशेषज्ञ समिति के अनुमोदन के पश्चात ही चालू वर्ष के अनुदानों को जारी किया जाएगा।

फाजिल्का में वैगनों का पंजीकरण

793. **श्री जे०एस० बराड़ :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, जुलाई और अगस्त, 1996 में उत्तर रेलवे के फाजिलका में दर्ज वैगनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वैगनों में सामान बुक कराने वाली पार्टियों और उनमें से प्रत्येक के द्वारा जमा कराई गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन वैगनों में से कितनों को यात्रा के लिए रद्द किया गया और इसके फलस्वरूप कितनी राशि वापस की गई;

(घ) क्या कुछ पार्टियों को उक्त राशि वापस नहीं की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इस तरह के भेदभाव के क्या कारण हैं; और

(च) शेष पार्टियों को राशि वापस कराने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) उत्तर रेलवे के फाजिलका स्टेशन का जून, जुलाई तथा अगस्त, 1996 में पंजीकृत मालडिब्बों की संख्या क्रमशः 240, 80 तथा 160 थी।

(ख) छः पार्टियां अर्थात् (i) मैसर्स गोविन्द राम एंड कं०, (ii) मैसर्स भारत राइस मिल्स, (iii) मैसर्स रामा एंटरप्राइजेज, (iv) मैसर्स के०के० एंटरप्राइजेज, (v) मैसर्स रत्तना राइस एंड जनरल मिल्स तथा (vi) मैसर्स दीवान चन्द एंड संजीव ने माल डिब्बों के लिए मांग-पत्र पंजीकृत कराए थे। मैसर्स रत्तना राइस एंड जनरल मिल्स ने दो अवसरों पर मांग-पत्र भेजे थे। प्रत्येक मामले में पंजीकरण की राशि 16000/- रुपए थी।

(ग) 4.9.1996 को सभी पार्टियों के मालडिब्बा पंजीकरण मांगपत्र रद्द कर दिए गए थे। एक पार्टी अर्थात् मैसर्स रत्तन राइस एंड जनरल मिल्स को 16000/- रुपए की राशि वापस कर दी गई।

(घ) से (च) शेष पार्टियों के मालडिब्बा पंजीकरण शुल्क की धन वापसी के अनुरोध पर विचार किया जा रहा तथा मौजूदा नियमों के अनुसार उन पर निर्णय लिया जाएगा।

दूरदर्शन द्वारा मानदंडों का उल्लंघन

794. **श्री रघुनाथ झा :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता और दूरदर्शन महानिदेशालय ने निजी निर्माता (रैनबो प्रोडक्शन) को लाभ पहुंचाने के लिए अन्य प्रतिस्पर्धियों और स्वयं दूरदर्शन के हित की कीमत पर निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन किया था;

(ख) यदि हां, तो इस तरह के चूक में दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) दूरदर्शन केन्द्र, कोलकाता और दूरदर्शन महानिदेशालय के कुछ अधिकारियों द्वारा एक निजी निर्माता (मैसर्स रेनबो प्रोडक्शन) के पक्ष में दूरदर्शन केन्द्र, कोलकाता के लिए कार्यक्रम मंजूर करने में की गई कथित अनियमितताओं की जांच की गयी है। प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट की जांच कर ली गयी है। मामलों के गुण-अवगुण आधार, कुछ मामलों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग को उनके प्रथम स्तर के परामर्श के लिए भेज दिया गया है और अन्य मामलों में और सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विजयवाडा रेल मंडल में ट्रैवेल एजेंट

795. **श्री ए० ब्रह्मनैया :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा रेल मंडल में रेल टिकटों की बिक्री के लिए ट्रैवेल एजेंटों को अनुमति प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या विजयवाड़ा रेल मंडल में ऐसे ट्रैवेल एजेंटों का पैनल बनाया गया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे ट्रैवेल एजेंटों के चयन के लिए क्या मानदंड रखे गये हैं; और

(घ) इस नई योजना के कब तक प्रभावी होने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) और (ख) आज की तारीख तक आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा मंडल में 9 रेल यात्री सेवा एजेंट कार्यरत हैं। वे विधिवत् चुने गए हैं।

(ग) रेल यात्री सेवा एजेंटों के चुनाव का मानदंड 'रेल ट्रेवेलर्स सर्विस एजेंट नियम, 1985 का प्राधिकार' में दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-अमेरिका रक्षा संबंध

796. **श्री प्रबोध पण्डा :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से प्रतिबंध हटाने के अमेरिकी निर्णय के बाद भारत-अमेरिका रक्षा संबंध को बढ़ावा मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) 1998 के पोखरण परीक्षणों के बाद अमरीका द्वारा भारत पर प्रतिबंध लगाने से पहले भारत और अमरीका के बीच सतत् द्विपक्षीय रक्षा सहयोग संबंध थे। यह संबंध वर्ष 1999 में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आदान-प्रदान और कुछ अन्य सैन्य आदान-प्रदानों के साथ आंशिक रूप से पुन: आरंभ हुए। हाल ही के उच्च स्तरीय दौरों से दोनों देशों के बीच के द्विपक्षीय रक्षा सहयोग संबंध को प्रोत्साहन मिला है।

ग्रामीण क्षेत्रों के एल०पी०जी०/पेट्रोलियम बिक्री केन्द्र खोला जाना

797. **डा० वी० सरोजा :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में खोले गए पेट्रोलियम/एल०पी०जी० बिक्री केन्द्रों के ग्रामीण वितरकों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में कोई नया बिक्री केन्द्र खोला गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

पेट्रोलियम और डीजल पर माल अधिभार

798. **श्री ए० वेंकटेश नायक :**
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना० मोहोल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में एकरूपता बनाए रखने के लिए उन पर माल अधिभार लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जूनियर विश्व हॉकी प्रतियोगिता का दूरदर्शन पर प्रसारण

799. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :**
श्री आर०एस० पाटिल :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन ने 21 अक्तूबर, 2001 को आस्ट्रेलिया के हॉबर्ट में जूनियर विश्व हॉकी प्रतियोगिता के अंतिम मैच में भारतीय टीम के प्रवेश करने के बावजूद भी उस मैच का सीधा प्रसारण नहीं किया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि उन्होंने भारतीय हॉकी संघ के साथ एक समझौता किया था जिसके तहत भारतीय हॉकी संघ

से अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय क्षेत्र के लिए जब भी भारतीय हॉकी टीम भारत में अथवा बाहर होने वाले किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में भाग ले रही हो तो उसके उपग्रह एवं स्थलीय प्रसारण अधिकारों को प्राप्त करने में दूरदर्शन की सहायता करने की अपेक्षा की गई थी। जूनियर विश्व हॉकी प्रतियोगिता के लिए भारतीय हॉकी संघ से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था।

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि डीडी-स्पोर्टस चैनल पर प्रसारण के लिए प्रतियोगिता के मुख्य अंश प्राप्त करने हेतु कार्रवाई शुरू कर दी गयी है।

उड़ीसा में तेल खोज का कार्य

800. **श्रीमती कुमुदिनी पटनायक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में कार्यक्रम के मुताबिक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के संभावित तेल कुओं के उत्खनन का कार्य शुरू नहीं किया और 1 और 2 बार असफल होने के बाद इस काम को बंद कर दिया जबकि देश के अन्य भागों में लगातार कई बार असफल होने के बावजूद भी इसे जारी रखा गया जिससे कि चौथे कुओं के खनन में असफल रहने के 5वें और 6ठे कुओं के खनन में भी इसे जारी रखा गया;

(ख) क्या बंगाल की खाड़ी के उड़ीसा तट और महानदी की नदी घाटी में और संभावित स्थनों पर खोज करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार उड़ीसा में और आगे खोज का काम जारी रखेगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा महानदी बेसिन के तटवर्ती तथा अपतटीय दोनों क्षेत्रों में 70 के दशक के अंतिम वर्षों से अन्वेपी वेधन किया गया है। 15 अन्वेषी कूपों, 4 तटवर्ती तथा 11 अपतटीय, का वेधन करने के बावजूद कोई वाणिज्यिक हाइड्रोकार्बन खोज नहीं की गई थी। इस कंपनी ने पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पी०ई०एल०) वापस कर दिया है।

(ख) और (ग) जी, हां। नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन०ई० एल०पी०) के प्रथम तथा द्वितीय दौर के तहत महानदी बेसिन के अंतर्गत अपतटीय तथा जमीनी दोनों क्षेत्रों में, साथ ही इसके नजदीकी अपतटीय क्षेत्र में भी आठ अन्वेषण ब्लाकों के लिए राष्ट्रीय एवं निजी तेल कंपनियों के साथ संविदायें हस्ताक्षर की गई हैं। इनमें से सात ब्लाक अपतटीय क्षेत्र में है तथा एक ब्लाक जमीनी क्षेत्र में है, जिनका ब्यौरा निम्नवत है :-

ब्लाक	परिसंघ	संविदा हस्ताक्षर किए जाने की तारीख
एमएन-डीडब्ल्यूएन-98/2	आरआईएल/निको	12.4.2000
एमएन-डीडब्ल्यूएन-98/3	ओएनजीसी	12.4.2000
एमएन-ओएसएन-97/3	ओएनजीसी-गेल	12.4.2000
एनईसी-ओएसएन-97/1	गेल-ओएओ-गजप्रोम	3.10.2000
एनईसी-ओएसएन-97/2	आरआईएल-निको	12.4.2000
एमएन-ओएसएन-2000/1	ओएनजीसी	17.7.2001
एमएन-ओएसएन-2000/2	ओएनजीसी-गेल-आईओसी-ओआईएल	17.7.2001
एमएन-ओएसएन-2000/1	ओएनजीसी-गेल-आईओसी-ओआईएल	17.7.2001

इसके अतिरिक्त नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के तहत आगामी दौरों में नए ब्लाक प्रस्तावित करने के लिए इस क्षेत्र के गहन जल क्षेत्र में द्विआयामी भूकंपीय सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है।

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मीडिया नीति में संशोधन

801. **श्री सनत कुमार मंडल :**
श्री प्रभात सामन्तराय :
श्री अनंत गंगाराम गीते :
श्री बहादुर सिंह :
श्री के०ई० कृष्णमूर्ति :
श्री महबूब जहेदी :
डा० जसवंतसिंह यादव :
श्री भीम दाहाल :
श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में सरकार की मीडिया नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देकर मीडिया नीति में सीमित संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो नई मीडिया नीति में प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे संशोधनों के क्या कारण हैं और किन परिस्थितियों में इन संशोधनों की बात की जा रही है;

(ङ) इस पहल के विरोध में कोई आपत्ति की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) इस नई नीति में उक्त संशोधन कब तक किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) सरकार ने इलैक्ट्रानिक एवं फिल्म मीडिया को विनियंत्रित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। वाणिज्यिक प्रसारण संहिता आकाशवाणी और दूरदर्शन पर लागू है। मंत्रलाय की अपलिंकिंग नीति स्वामित्व को ध्यान में रखे बगैर भारत से अपलिंक करने के लिए सभी टी०वी० चैनलों को अनुमति देती है बशर्ते वे वाणिज्यिक प्रसारण संहिता के अनुपालन के प्रति वचनबद्ध हों। केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियम केबल के जरिए टेलीविजन प्रसारण की विषय-वस्तु को विनियंत्रित करते हैं। भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु विज्ञापन फिल्मों सहित सभी फिल्मों को चलचित्र अधिनियम, 1952 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जाना अपेक्षित होता है। जहां तक प्रिंट मीडिया का सम्बन्ध है, सरकार प्रेस से सम्बन्धित मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है। भारतीय प्रेस परिषद् एक संवैधानिक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना प्रेस की स्वतंत्रता बनाए रखने और प्रेस में स्वयं-विनियमन के सिद्धान्तों को बनाए रखने की व्यवस्था करने हेतु की गई है।

(ख) से (छ) गैर-समाचार और गैर सामयिक विषयक समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं का सम्बन्ध हैं, प्रिंट मीडिया में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दे कर मीडिया नीति में सीमित परिवर्तन करने पर सरकार विचार कर रही है।

[हिन्दी]

बिहार में रेल डकैती

802. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल :**
श्री बी0 वेंकटेस्वरलु :
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान बिहार और अन्य राज्यों में कितनी रेल डकैतियां हुई;

(ख) क्या सरकार का विचार यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेल डकैतियों को रोकने और ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु रेलवे पोस्टर जारी करने का है;

(ग) गत तीन महीनों के दौरान उन डकैतियों में कुल कितनी धनराशि लूटी गई थी;

(घ) क्या उनका मंत्रालय रेल डकैतियों के शिकार लोगों को मुआवजा देता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) चलती गाड़ियों सहित रेलों पर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है इसलिए डकैती आदि के संबंध में सूचना राज्य सरकार के पास उपलब्ध होती है। बहरहाल, इस मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर यह पता चला है कि पिछले तीन महीनों बिहार में डकैती के 10 मामलों तथा अन्य राज्यों में 21 मामलों की रिपोर्ट की गई थी।

(ख) सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए पोस्टरों तथा अन्य दृश्य मीडिया के माध्यम से पहले उपाय जारी किए हैं जिसमें यात्रा के दौरान अनजान व्यक्तियों से संपर्क करते समय सावधान तथा सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है।

(ग) सभी भारतीय रेलों पर पिछले तीन माह के दौरान 9,12,861/- रुपए की राशि लूटी गई।

(घ) और (ङ) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 124ए-के अंतर्गत प्रतिपूर्ति के लिए गाड़ी में हुई डकैती को 'अप्रिय घटना' माना जाता है। मृत्यु/चोट के लिए प्रतिपूर्ति भुगतान किया जाता है जबकि संपत्ति की हानि के लिए कोई मुआवजा अनुमेय नहीं है।

एन०टी०पी०सी० द्वारा उत्तर प्रदेश के गांवों का विकास

803. **श्री रामशकल** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन०टी० पी०सी०) का सोनभद्र संयंत्र निकटवर्ती गांवों के विकास पर अपने लाभ का एक प्रतिशत खर्च करता है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज तक कितने गांव लाभान्वित हुए और उन गांवों में क्रियान्वित योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) एन०टी०पी०सी० के उत्तर-प्रदेश के सोनभद्र जिले में सिंगरौली सुपर ताप-विद्युत परियोजना (एन०टी०पी०सी०) और रिंहद एस०टी०पी० पी० नामक दो विद्युत संयंत्र हैं। भू-विस्थापितों के मुद्दों का समाधान करने के लिए, एन०टी०पी०सी० की एक व्यापक पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना (आर० एण्ड आर०) नीति है। इस आर० एण्ड आर० नीति के अनुरूप, प्रभावित व्यक्ति, भारत सरकार और विश्व बैंक को शामिल करते हुए एक व्यापक परामर्शदात्री प्रक्रिया के द्वारा सिंगरौली हेतु उपचारात्मक कार्य योजना (आर०ए०सी०) तैर की गई जिसमें परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए समुदाय विकास गतिविधियां भी शामिल थीं। तद्नुसार, सिंगरौली और रिहंद परियोजनाओं में पिछले तीन वर्षों के दौरान समुदाय विकास गतिविधियों पर व्यय का ब्यौरा निम्नवत है :—

क्रम संख्या	विवरण	1998-99	1999-00	2000-01
1.	सिंगरौली	70.33	38.84	35.99
2.	रिहंद	33.12	75.12	45.28

(ख) लाभभोगी राज्य हैं-सिंगरौली परियोजना में चिलकाटांड, परासवार राजा तथा जवाहर नगर और रिहंद परियोजना में बिजपुर, सिरसोती, दोधार।

सिंगरौली और रिहंद परियोजनाओं के गांवों में क्रियान्वित स्कीमों का ब्यौरा निम्नवत है :—

सिंगरौली

1. स्कूल की इमारत, सुलभ काम्पलेक्स तथा समुदाय केन्द्र का निर्माण।
2. बस स्टैंड का निर्माण तथा आस-पास के क्षेत्रों का विकास।
3. पुनर्वास कालोनियों में पेय-जल की सुविधा।
4. सड़कों, नालियों और हैंड-पम्पों का अनुरक्षण/निर्माण।
5. जल-सूचना इमारत का रख-रखाव।
6. विद्यालय को आर्थिक सहायता।
7. चिकित्सा सुविधाएं।
8. स्व-रोजगार/प्रशिक्षण।
9. ग्रामीण खेल-कूद, मनोरंजन इत्यादि।
10. आय उत्पादन स्कीमें जैसे कि पी०ए०पी० का संविदा प्रदान करना, परियोजना कार्य हेतु पी०ए०पी० से संबंधित जीप तैनात करना, पी०ए०पी० के दुकानों का आवंटन करना।

रिहंद :

1. सड़कों एवं नालियों का निर्माण।
2. विद्यालयों; स्वास्थ्य केन्द्र समुदाय भवन, प्रशिक्षण केन्द्र, मुर्गी-पालन फार्म तथा सुलभ शौचालय इत्यादि का निर्माण करना।
3. बोर-वेल, हैंड-पम्प लगाना तथा टैंकों और पानी आपूर्ति प्रणाली।
4. घरेलू कनेक्शन हेतु बिजली के नेटवर्क का निर्माण करना।
5. सुलभ शौचालय के रख-रखाव हेतु अनुदान।
6. बहते हुए पानी की आपूर्ति की प्रणाली हेतु अनुदान।
7. विद्यालयों और स्वास्थ्य केन्द्र को चलाने हेतु अनुदान।

[अनुवाद]

नई विद्युत परियोजनाओं में निवेश

804. **श्री पी०सी० थामस :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश की नई विद्युत परियोजनाओं में कितना निवेश किया गया;

(ख) उन परियोजनाओं, उन पर आने वाली लागत, उनकी वर्तमान स्थिति और अन्य संबंधित विवरणों को दर्शाते हुए तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी परियोजनाएं निजी या संयुक्त क्षेत्र में है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केरल-पोडियमकुट्टी-कोची रिफाइनरी-अम्बाला-मुगल की 500 मेगावाट वाली तथा कोयमकुलम की सुपर थर्मल इकाई में प्रस्तावित विद्युत परियोजनाएं किस स्थिति में है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) उन सार्वजनिक क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे, जहां पिछले तीन वर्षों के दौरान निवेश निर्णय लिया गया है तथा उन निजी क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय समापन प्राप्त कर लिया है, विवरण के रूप में संलग्न है।

(ङ) केरल में प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है :

पुयानकुटी चरण-I एच०ई० परियोजना (2×120)

- केरल में पांड्यामुकुट्टी नाम की कोई हाइड्रो परियोजना नहीं है तथापि केरल में एक परियोजना को पुयानकुट्टी चरण-I एच०ई० परियोजना के रूप में जाना जाता है। इस परियोजना को जनवरी 1984 में के०वि०प्रा० (सी०ई०ए०) द्वारा स्वीकृत किया गया था और योजना आयोग द्वारा अगस्त, 1986 में मंजूरी दी गई थी बशर्ते कि पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त हो। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम०ओ०ई०एफ०) ने जुलाई, 2001 में संकेत दिया कि परियोजना कार्य अभी तक आरंभ न होने से 1985 में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति अब वैध नहीं है तथा नए सिरे से स्वीकृति प्राप्त की जाए। सी०ई०ए० में प्राप्त सूचना के अनुसार परियोजना के लिए एम०ओ०ई०एफ० द्वारा स्वीकृति अभी भी प्रतीक्षित है।

अम्बाला मुगल में कोचीन रिफायनरी परियोजना

- मार्च, 1998 में प्रस्ताव संबंधी विस्तृत संभावना रिपोर्ट सी०ई०ए० में प्राप्त हुई थी। डी०आर०एफ० में 35.8 अमरीकी डालर विनिमय दर पर 2994 करोड़ की अनुमानित लागत पर वैक्यूम अवशिष्ट का इंधन के रूप में उपयोग करके 522 मे०वा० के इंटीग्रेटेड गैसीफिकेशन कम्बाइन्ड साइकल (आई०जी०सी०सी०) पावर प्लांट स्थापन की परिकल्पना की गई है। सी०ई०ए० की टप्पणियां इस इस अनुरोध के साथ मैसर्स कोचीन रिफायनरीज लि० को भेजी गई थी कि वे तकनीकी आर्थिक स्वीकृति के लिए सभी आवश्यक स्वीकृतियों/निवेशों समेत

विस्तृत परियोजना रिर्पोट प्रस्तुत करें। सी०ई० ए० में विस्तृत परियोजना रपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

कायमकुलम पावर प्रोजेक्ट

- विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 20.10.98 के पत्र के द्वारा विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम की धारा 18(ए) के अंतर्गत एन०टी० पी०सी० को केरल मै० में कायमकुलम सी०सी०पी०पी० चरण-II- 4950 मे०वा० की स्थापना, प्रचालन और अनुरक्षण करने का निर्देश दिया है। कायमकुलम विस्तार परियोजना के संबंध में एनटीपीसी से परियोजना रिपोर्ट तकनीकी आर्थिक स्वीकृति हेतु के०वि०प्रा० में अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/क्रियान्वयक एर्जेसी	क्षमता (मे०वा०)	क्षमता (मे०वा०)	वास्तविक/अद्यतन लागत	स्वीकृति/ वित्तीय समापन की तारीख	चालू करने का कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7
	ताप विद्युत परियोजना केन्द्रीय क्षेत्र					
1.	रिहंद चरण-2	उ०प्र०/एनटीपीसी	1000	यू०एस० डालर 433.191 एम + 2208.43 करोड़ रुपए	5/2001	8/2005 5/2006
2.	रामागुण्डम टीपीएस-3	आ०प्र०/एनटीपीसी	500	1780.99 करोड़ रुपए + यू०एस० डालर 164.93 एम	8/2001	8/2005
	राज्य क्षेत्र					
1.	प्रगति सीसीजीटी	दिल्ली/डीवीबी	330.38	यू०एस० डालर 59.888 एम + 8.193 करोड़ रुपए	4/2000	1/2002 3/2002 11/2002
2.	सुरतगढ़ टीपीपी चरण-2	राजस्थान/आरआरयूवीएनएल	500	2057.62 करोड़ रुपए	9/1999	10/2001 (ए) 4/2002
3.	रायचूर टीपीएस	कर्नाटक/केपीसीएल	210	613.00 करोड़ रुपए	10/2000	वित्तीय समापन से 30 माह
4.	बारामूरा जीटी	त्रिपुरा/त्रिपुरा राज्य सरकार	21	95.36 करोड़ रुपए	–	9/2002
5.	परली टीपीएस विस्तार	महाराष्ट्र/एमएसइबी	250	1053.90 करोड़ रुपए	2/2001	2/2005
6.	रंगत बे डीजी	अंदमान व निकोबार द्वीप समूह/अंदमान निकोबार सरकार	5	26.39 करोड़ रुपए	9/1998	2002-03
7.	लकवा डब्ल्यूएच	असम/असम सरकार	38	1611.00 करोड़ रुपए	12/2000	वित्तीय समापन से 30 माह
	निजी क्षेत्र					
1.	रतलाम डीजी	म०प्र०/जीवीके पावर लि०	118.632	यू०एस० डालर 73.88 एम + 163.162 करोड़ रुपए	–	वित्तीय समापन प्रभावं होने के 14-17 माह

1	2	3	4	5	6	7
2.	नैवेली जीरो टीपीएस	टीएन/एसटी-सीएसएस इलेक्ट्रिक कंपनी	250	1325.11 करोड़ रुपए	11/1999	8/2002
3.	बम्बूफ्लैट डीजी	अंदमान व निकोबार द्वीप समूह/सूर्यचक्र पावर	20	63.14 करोड़ रुपए	9/2000	3/2002
4.	इलूर सीसीजीटी	केरल/बीएसईएस	174	455.67 करोड़ रुपए	3/2000	11/2000 (ए)
5.	एलवीएस डीजीपीपी	एपी/एलवीएस पावर	36.8	133.00 करोड़ रुपए	2/2000	10/2001 (ए)
6.	समलपट्टी डीजीपीपी	तमिलनाडु/समल पट्टी पीसीएल	105.66	यू०एस० डालर 55.978 एम + 172.508 करोड़ रुपए	12/1999	3/2001 (ए)
7.	समयानल्लूर डीजीपीपी	तमिलनाडु/बालाजी पावर कारपोरेशन	106	150.845 करोड़ रुपए + यू०एस० डालर 59.840 एम	4/2000	9/2001 (ए)
8.	तनीर बावी सीसीजीटी	कर्नाटक/तनीरबावी पावर कंपनी	220	एन०ए० परियोजना आइपीपी को टैरिफ बोली प्रक्रिया आधार पर प्रदान की गयी।	9/2000	5/2001 (ए) और 11/2001
9.	तोरांगल्लू टीपीएस	कर्नाटक/एसटी-सीएसएस इलेक्ट्रिक कंपनी	260	यू०एस० डालर 106.87 एम + 725.16 करोड़ रुपए	3/2000	1/1999 (ए) और 5/1999 (ए)
	जल विद्युत परियोजनाएं केन्द्रीय क्षेत्र					
1.	चमेरा चरण-2	हि०प्र०/एनएचपीसी	300	1684.02 करोड़ रुपए	18.05.99	10वीं योजना 2004-05
2.	तीस्ता चरण-5	सिक्किम/एनएचपीसी	510	2198.04 करोड़ रुपए	11.2.2000	2006-07
3.	कोटेश्वर बांध और विद्युत परियोजना	उ०प्र०/टीएचडीसी	400	1301.56 करोड़ रुपए	10.4.2000	2005-06
4.	लोकतक डी/एस	मणिपुर/एनएचपीसी	90	578.62 करोड़ रुपए	30.12.99	2006-07
5.	कोपिली चरण-2	असम/नीपको	25	76.09 करोड़ रुपए	6.7.99	2001-02 2003-04
	राज्य क्षेत्र					
1.	डब्ल्यूवाईसी-2	हरियाणा/राज्य सरकार	14.4	70.0 करोड़ रुपए/ 94.0 करोड़ रुपए	04.02.2000	10वीं योजना
2.	लारजी	हि०प्रा०/राज्य सरकार	126	796.98 करोड़ रुपए	14.1.2000	2002-03 2003-05
3.	मनेरी भाली-2	उत्तरांचल/राज्य सरकार	304	1249.18 करोड़ रुपए	21.2.2000	2003-05
4.	माहीखेड़ा	म०प्र०/राज्य सरकार	60	177.38 करोड़ रुपए	11.5.2001	10वीं योजना 2004-05

$परियोजना का कार्य रुका हुआ है।

बिहार और उत्तर प्रदेश में विद्युत की कमी

805. **श्री रामजी मांझी :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2001-2002 के दौरान विद्युत के वितरण में सुधार लाने और इसके आधुनिकीकरण में 1500 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों को दी गयी राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वीकृत राशि को किस तरह खर्च किया गया और इससे कितनी उपलब्धि मिली है;

(घ) क्या बिहार और उत्तर प्रदेश में बिजली की भारी कमी है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इनके कारणों को दूर करने के लिए कोई उपाय किये गये हैं और क्या इन राज्यों में ताप और जल विद्युत संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(च) क्या विद्युत आपूर्ति की स्थिति में सुधार लाने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश को पैकेज देने का आश्वासन दिया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2001-02 के दौरान त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (ए०पी०डी०पी०) के अंतर्गत विद्युत वितरण में सुधार लाने तथा पुराने जेनरेटिंग केन्द्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा जीवन विस्तार/दर-वृद्धि के लिए वितरण प्रणाली के उन्नयन हेतु 1500 करोड़ रु० आवंटित किए गए हैं। राज्यवार परियोजना रिपोर्टों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ग) 2000-01 के दौरान ए०पी०डी०पी० के अंतर्गत निधियों के आवंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा निम्नलिखित उपायों को लागू कर विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है :

(i) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र जुटिलिटियों एवं राज्य युटिलिटियों द्वारा त्वरित क्षमता अभिवृद्धि।

(ii) नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा जीवन विस्तार कार्यक्रमों के जरिए मौजूदा विद्युत संयंत्रों के द्वारा प्रचालनात्मक दक्षता एवं उपलब्धता में सुधार।

(iii) उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करके परियोजनाओं को लागू कर पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी।

(iv) ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण का संवर्धन।

(v) राज्य विद्युत बोर्डों एवं युटिलिटियों के निगमीकरण एवं वाणिज्यिक प्रचालन को अनिवार्य बनाने के लिए एक कानूनी ढांचा का प्रावधान ताकि उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो सके।

(vi) आवश्यक पारेषण प्रणाली की स्थापना कर अंत:-क्षेत्रीय विद्युत अंतरण को सुगम बनाना, और

(vii) विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के क्षेत्र में निजी क्षेत्र द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रशासनिक, वित्तीय एवं विनियामक ढ़ाचे की स्थापना।

(क) एन०टी०पी०सी० द्वारा उत्तर प्रदेश एवं बिहार में शुरू की गई परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार है :—

(ख) एन०टी०पी०सी० उत्तर प्रदेश के सोनभद्रा जिले में 1000 मेवा क्षमता (2x500 मेवा) वाले रिहन्द एस०टी०पी०पी० चरण-II को क्रियान्वित कर रहा है और इस परियोजना द्वारा 10वीं योजना-वधि के दौरान लाभ देने की आशा है।

(ग) बिहार में एन०टी०पी०सी० की निम्नलिखित परियोजनाओं द्वारा 10वीं योजनावधि के दौरान लाभ प्रदान करने हेतु अभिज्ञात किए गए है :—

(i) बिहार के पटना जिले में 1980 मे०वा० (3x660 मेवा) की क्षमता वाला बाढ़ एस०टी०पी०पी०।

(ii) बिहार के भागलपुर जिले में 1320 मे०वा० (2x660) वाला कहलगांव एस०टी०पी०पी० चरण-II

(च) और (छ) विद्युत मंत्रालय ने विद्युत क्षेत्र में सुधार कार्य आरंभ करने के लिए वचनवद्धता सुनिश्चित करने हेतु बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारों के साथ अलग-अलग समझौता ज्ञापन निष्पन्न किये है।

(i) बिहार सरकार को सहायता

(क) भारत सरकार ताप विद्युत और जल विद्युत यूनिटों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा उच्चीकरण हेतु तथा उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुधार हेतु ए०पी० डी०पी० के अंतर्गत निधियां प्रदान करेगी ताकि टी० एण्ड डी० हानियों को कम किया जा सके।

(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु सहायता।

(ग) मांग में अंतर को पूरा करने के लिए केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन से अतिरिक्त आवंटन।

(घ) मीटरिंग हेतु वित्तीय सहायता।

(ङ) पारेषण लाइनों के क्रियान्वयन।

(ii) उत्तर प्रदेश सरकार को सहायता

(क) ओबरा, पन्की, हरदुआगंज, परिछा और अनपारा-ए के ताप विद्युत स्टेशनों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु पी०एफ०सी० यू०पी०आर०वी०यू०एल० को वित्तपोषण प्रदान करेगी।

(ख) पारेषण: महत्वपूर्ण पारेषण एवं उप-पारेषण लाईनों पर कार्य आरंभ करने के लिए विशिष्ट परियोजनाओं का वित्तपोषण जी०एफ० सी० द्वारा किया जायेगा।

(ग) ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु सहायता।

(घ) केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों से विद्युत का अतिरिक्त आवंटन।

विवरण

2000-01 के दौरान ए०पी०डी०पी० के अंतर्गत स्वीकृति परियोजनाओं की सूची

क्रम सं०	राज्य यूटिलिटी	स्कीम का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना की लागत	प्रस्तावित एपीडीपी स्वीकृति		एपीडीपी के अंतर्गत कुल राशि
					अनुदान	ऋण	
1	2	3	4	5	6	7	8
	आन्ध्र प्रदेश						
1.	एपीजेनको	विजयवाड़ा टीपीएस का आर एंड एम 1 और 2 (2x210 मेगावाट)	आर एंड एम	22.30	5.58	5.58	11.15
2.	एपीजेनको	केटीपीएस बी और सी का आर एंड एम (2x105 + 2x110)	आर एंड एम	67.76	16.94	16.94	33.88
3.	एपीजेनको	त्वरित विद्युत निकासी एवं नवीकरण कार्यक्रम (पेजर) के अंतर्गत जल विद्युत केन्द्रों में विभिन्न गतिविधियां	आर एंड यू	2.06	0.52	0.52	1.03
4.	एपीजेनको	नागार्जुन सागर बांध में बाढ़ सुरक्षा दीवार एचईपी (1x110 मे०वा० + 7x100 मेगावाट)	आर एंड यू	3.00	0.75	0.75	1.50
5.	एपीट्रांस्को	इलुरू सर्किल	पारेषण रूपांतरण	7.38	1.85	1.85	3.69
6.	एपीट्रांस्को	इलुरू सर्किल	मीटर	29.26	7.32	7.32	14.63
7.	एपीट्रांस्को	तिरूपति सर्किल	पारेषण रूपांतरण	13.53	3.38	3.38	6.77
8.	एपीट्रांस्को	तिरूपति सर्किल	पारेषण रूपांतरण	19.72	4.93	4.93	9.86
9.	एपीट्रांस्को	वारंगल सर्किल	पारेषण रूपांतरण	9.97	2.49	2.49	4.99
10.	एपीट्रांस्को	वारंगल सर्किल	मीटर	19.72	4.93	4.93	9.86
				194.70	48.68	48.68	97.35
	बिहार						
11.	बीएसईबी	पेसू (पूर्व	रूपांतरण	8.93	2.23	2.23	4.47
12.	बीएसईबी	मुजफ्फरपुर का आर एंड एम	आर एंड एम	20.55	5.14	5.14	10.28
13.	बीएसईबी	पेसू (पूर्व)	मीटर	5.58	1.40	1.40	2.79
14.	बीएसईबी	मुजफ्फरपुर	मीटर	7.82	1.96	1.96	3.91
				42.88	10.72	10.72	21.45

1	2	3	4	5	6	7	8
गुजरात							
15.	जीईबी	वनाकबोरी टीपीएस का आर एंड एम	आर एंड एम	4.45	1.11	1.11	2.23
16.	जीईबी	साबरमती सर्किल	मीटर	12.98	3.25	3.25	6.49
17.	जीईबी	पालनपुर एवं हिम्मतनगर जोन	मीटर	9.80	2.45	2.45	4.90
18.	जीईबी	कच्छ जिले में विद्युत प्रणाली की बहाली (पहली 6 माह के लिए कुल लागत 470 करोड़ रुपये व्यय)	रूपांतरण	192.00	48.00	48.00	96.00
				219.23	54.81	54.81	109.62
हरियाणा							
19.	डीएचबीवीएनल	हिसार शहर	रूपांतरण	7.71	1.93	1.93	3.86
20.	डीएचबीवीएनल	हिसार सर्किल	रूपांतरण	4.50	1.13	1.13	2.25
21.	डीएचबीवीएनल	फरीदाबाद शहर	रूपांतरण	8.84	2.21	2.21	4.42
22.	डीएचबीवीएनल	फरीदाबाद सर्किल	रूपांतरण	8.50	2.13	2.13	4.25
23.	डीएचबीवीएनएल	सोनीपत सर्किल	मीटर	8.77	.19	2.19	4.39
24.	डीएचबीवीएनएल	सोनीपत सर्किल	रूपांतरण	1.98	0.50	0.50	0.99
25.	डीएचबीवीएनएल	करनाल सर्किल	मीटर	10.00	2.50	2.50	5.00
26.	डीएचबीवीएनएल	करनाल सर्किल	रूपांतरण	6.56	1.64	1.64	3.28
27.	एचपीजीसीएल	फरीदाबाद टीपीएस का आर एंड एम	आर एंड एम	23.70	5.93	5.93	11.85
28.		हिसार	कैपेसिटर्स	0.34	0.09	0.09	0.17
29.		फरीदाबाद	कैपेसिटर्स	1.93	0.48	0.48	0.97
30.		हिसार	वितरण रूपांतरण	2.40	0.60	0.60	1.20
31.		फरीदाबाद	वितरण रूपांतरण	14.00	3.50	3.50	7.00
				99.23	24.83	24.83	49.66
झारखण्ड							
32.	झारखण्ड	रांची सर्किल	रूपांतरण	29.89	7.47	7.47	14.95
33.	झारखण्ड	लोयाबाद सर्किल	रूपांतरण	14.05	3.51	3.51	7.03
				43.94	10.99	10.99	21.97
कर्नाटक							
34.	केपीसीएल	रायचूर टीपीएस यू-1, 2 और 3 का आर एंड एम (3x210 मेगावाट)	आर एंड एम	28.84	7.21	7.21	14.42

1	2	3	4	5	6	7	8
35.	केपीसीएल	शरावती, सुपा, लिंगनामकी, भद्रा एवं वाराही एचईपी का आर एंड यू	आर एंड यू	16.00	4.00	4.00	8.00
36.	वीवीएनएल	28 मेगावाट मुनिराबाद जल विद्युत केन्द्र (2×9+1×10 मेगावाट) का आरएम एंड यू	आर एंड यू	3.64	0.91	0.91	1.82
37.	केपीटीसीएल	मैसूर सर्किल		9.98	2.50	2.50	4.99
38.	केपीटीसीएल	मैसूर सर्किल		10.00	2.50	2.50	5.00
39.	केपीटीसीएल	मैसूर सर्किल		27.48	6.87	6.87	13.74
40.	केपीटीसीएल	बीजापुर सर्किल		5.84	1.46	1.46	2.92
41.	केपीटीसीएल	बीजापुर सर्किल		39.90	9.98	9.98	19.95
42.	केपीटीसीएल	बेलगांम सर्किल		9.99	2.50	2.50	5.00
43.	केपीटीसीएल	बेलगांम सर्किल		6.59	1.65	1.65	3.30
44.	केपीटीसीएल	बेलगांम सर्किल		4.72	1.18	1.18	2.36
				162.98	40.74	40.74	81.49
	मध्य प्रदेश						
45.	एमपीईबी	1142.5 मेगावाट की सतपुड़ा टीपीएस का आर एंड एम (5×625 + 1×200 + 3×210 मेगावाट)	आर एंड एम	22.34	5.59	5.59	11.17
46.	एमपीईबी	ग्वालियर	मीटर	12.41	3.10	3.10	6.21
47.	एमपीईबी	इंदौर	मीटर	19.35	4.84	4.84	9.68
48.	एमपीईबी	उज्जैन	मीटर	21.36	5.34	5.34	10.68
49.	एमपीईबी	ग्वालियर	कैपेसिटर्स	0.42	0.11	0.11	0.21
50.	एमपीईबी	इंदौर	कैपेसिटर्स	2.99	0.75	0.75	1.50
51.	एमपीईबी	उज्जैन	कैपेसिटर्स	1.70	0.43	0.43	0.85
52.	एमपीईबी	इंदौर	वितरण रूपांतरण	18.49	4.62	4.62	9.25
				99.06	24.78	24.78	49.55
	महाराष्ट्र						
53.	एमएसईबी	परली टीपीएस के अपशिष्ट निपटान संयंत्र (इटीपी) हेतु अतिरिक्त वित्तीय सहायता	आर एंड एम	4.41	1.10	1.10	2.21
54.	एमएसईबी	परली स्कीम का राख जल समुपयोजन	आर एंड एम	8.05	2.01	2.01	4.03
55.	एमएसईबी	ईएसपी संवर्धन नासिक टीपीएस का रिट्रोफिट	आर एंड एम	22.00	5.50	5.50	11.00
56.	एमएसईबी	कोराडी, नासिक एवं परली टीपीएस में एमपीएसपी प्रणाली द्वारा कोयला मिलों की मरम्मत एवं संवर्धन	आर एंड एम	6.00	1.50	1.50	3.00

1	2	3	4	5	6	7	8
57.	एमएसईबी	कोराडी टीपीएस का आर एंड एम (यू-5)	आर एंड एम	48.00	12.00	12.00	24.0
58.	एमएसईबी	शोलापुर सर्किल	मीटर	40.00	10.00	10.00	20.00
59.	एमएसईबी	रत्नागिरि सर्किल	वितरण रूपांतरण	10.00	2.50	2.50	5.00
60.	एमएसईबी	रत्नागिरि सर्किल	मीटर	14.15	3.54	3.54	7.08
61.	एमएसईबी	उस्मानाबाद सर्किल	मीटर	40.00	10.00	10.00	20.00
62.	एमएसईबी	जलगांव सर्किल	वितरण रूपांतरण	26.27	6.57	6.57	13.14
63.	एमएसईबी	जलगांव सर्किल	मीटर	50.00	12.50	12.50	25.00
				268.88	67.22	67.22	134.44
	उड़ीसा						
64.	ओएचपीसी	हीराकुड-1 का आर एम एंड यू (बुरला) यू-3 व 4	आर एंड यू	126.13	19.00	19.00	38.00
				126.13	19.00	19.00	38.00
	पंजाब						
65.	पीएसईबी	शानन एचईपी का आर एंड यू	आर एंड यू	11.98	3.00	3.00	5.99
66.	पीएसईबी	पटियाला सर्किल	वितरण रूपांतरण	8.51	2.13	2.13	4.26
67.	पीएसईबी	पटियाला सर्किल	मीटर	9.68	2.42	2.42	4.84
68.	पीएसईबी	पटियाला सर्किल	रूपांतरण	25.00	6.25	6.25	12.50
69.	पीएसईबी	खन्ना सर्किल	वितरण रूपांतरण	7.44	1.86	1.86	3.72
70.		खन्ना सर्किल	मीटर	12.79	3.20	3.20	6.40
				75.40	18.85	18.85	37.70
	राजस्थान						
71.	जोधपुर वीवीएनएल	जोधपुर सर्किल	वितरण रूपांतरण	27.89	6.97	6.97	13.95
72.	जोधपुर वीवीएनएल	जोधपुर सर्किल	मीटर	15.62	3.91	3.91	7.81
73.	आरआरवीपीएनएल	अलवर सर्किल	रूपांतरण	7.12	1.78	1.78	3.56
74.		अल्वर	मीटर	9.00	2.25	2.25	4.50
75.		झुंझनू	मीटर	8.15	2.04	2.04	4.08
75.		जोधपुर	मीटर	10.85	2.71	2.71	5.43
76.		अलवर	कैपेसिटर्स	3.20	0.80	0.80	1.60
77.		झुंझनू	कैपेसिटर्स	3.70	0.93	0.93	1.85
78.		जोधपुर	कैपेसिटर्स	4.45	1.11	1.11	2.23
				89.98	22.50	22.50	45.00

1	2	3	4	5	6	7	8
	तमिलनाडु						
79.	टीएनईबी	रूटीन आर एंड एम गतिविधियां (अतिरिक्त) तूतीकोरिन टीपीएस के अंतर्गत आरएंड एम चरण-2	आर एंड एम	33.84	8.46	8.46	16.92
80.	टीएनईबी	एन्नौर टीपीएस का आर एंड एम (एश डाइक का निर्माण)	आर एंड एम	73.04	18.26	18.26	36.52
81.	टीएनईबी	कैपेसिटर्स	कैपेसिटर्स	24.03	6.05	6.05	12.10
				130.91	32.77	32.77	65.54
82.	यूपीआरवीयूएनएल	परीचा टीपीएस का आर एंड एम (2×210 मेगावाट)	आर एंड एम	32.80	8.20	8.20	16.40
83.	यूपीआरवीयूएनएल	पनकी टीपीएस यूनिट-3 व 4 (2× 210 मेगावाट) का आर एंड एम	आर एंड एम	31.43	7.86	7.86	15.72
84.	यूपीआरवीयूएनएल	अनपारा ए टीपीएस का आर एंड एम (3×210 मेगावाट) का आर एंड एम	आर एंड एम	26.10	6.53	6.53	13.05
85.	यूपीआरवीयूएनएल	परीचा टीपीएस का आर एंड एम (2×210 मेगावाट) पेजर	आर एंड एम	8.02	2.01	2.01	4.01
86.	यूपीजेवीएनएल	खोदारी एचईपी का आर एंड यू	आर एंड यू	10.50	2.63	2.63	5.25
87.	यूपीजेवीएनएल	चिल्ला एचईपी का आर एंड यू	आर एंड यू	47.10	11.78	11.78	23.55
88.	यूपीजेवीएनएल	चिबरो एचईपी का आर एंड यू	आर एंड यू	20.90	5.23	5.23	10.45
89.		मुरादाबाद	मीटर	14.41	3.60	3.60	7.21
		गोरखपुर	मीटर	11.64	2.91	2.91	5.82
				202.90	50.72	50.72	101.46
	पश्चिम बंगाल						
90.	डब्ल्यूबीएसईबी	जलढका एचईपी का आर एंड यू चरण-1 (3×9 मेगावाट) एवं चरण-2 (2×4 मेगावाट)	आर एंड यू	49.79	12.45	12.45	24.90
91.	डब्ल्यूबीएसईबी	अभिज्ञात 3 सर्किलों में घरेलू उपभोक्ताओं की पहचान (हावड़ा, बिधाननगर एवं 24 परगना)	मीटर	7.20	1.80	1.80	3.60
92.	डब्ल्यूबीएसईबी	3 सर्किलों में मीटर्स, कैपेसिटर्स एवं वितरण रूपांतरण	मीटर	30.00	7.50	7.50	15.00
				86.99	21.75	21.75	43.50

1	2	3	4	5	6	7	8
	छत्तीसगढ़						
93.		रायपुर	मीटर	6.40	1.60	1.60	3.20
94.		बिलासपुर	मीटर	5.00	1.25	1.25	2.50
95.		राजनंदगांव	मीटर	6.10	1.53	1.53	3.05
96.		रायपुर	कैपेसिटर्स	1.00	0.25	0.25	0.50
97.		बिलासपुर	कैपेसिटर्स	1.40	0.35	0.35	0.70
98.		राजनंदगांव	कैपेसिटर्स	0.61	0.15	0.15	0.31
				20.51	5.13	5.13	10.26
	उत्तरांचल						
99.		देहरादून	मीटर	3.60	0.90	0.90	1.80
		रूद्रपुर	मीटर	3.00	0.75	0.75	1.50
100.		रूड़की	मीटर	3.00	0.75	0.75	1.50
		खोदरी एचईपी का आर एंड यू	आर एंड यू	10.50	2.63	2.63	5.25
101.		चिल्ला एचईपी का आर एंड यू	आर एंड यू	47.10	11.78	11.78	23.55
		चिबरो एचईपी का आर एंड यू	आर एंड यू	20.90	5.23	5.23	10.45
		कुल जोड़		1873.32	455.66	455.66	911.33

(क) विशेष श्रेणी राज्य

क्रम सं०	राज्य यूटिलिटी	स्कीम का नाम	विवरण	स्कीम की लागत	प्रस्तावित एपीडीपी स्वीकृति		
1	2	3	4	5	6	7	8
	अरूणाचल प्रदेश						
1.	अरूणाचल प्रदेश	11 केवी/एचटी तक मीटर डाउन	मीटर	2.82	2.54	0.28	2.82
2.	अरूणाचल प्रदेश	एपीईसी 3 सर्किल की मीटरिंग	मीटर	3.50	3.15	0.35	3.50
				6.32	5.69	0.63	6.32
	असम						
3.	एएसईबी	सिल्चर नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण	रूपांतरण	15.60	14.04	1.56	15.60
4.	एएसईबी	11 के०वी/एचटी तक मीटर डाउन	मीटर	4.42	3.98	0.44	4.42
				20.02	18.02	2.00	20.02
	हिमाचल प्रदेश						
5.	एचपीएसईबी	11 के०वी/एचटी तक मीटर डाउन	मीटर	25.32	22.79	2.53	25.32
				25.32	22.79	2.53	25.32

1	2	3	4	5	6	7	8
	जम्मू व कश्मीर						
6.	जे एंड के पीडीडी	11 के०वी/एचटी तक मीटर डाउन	मीटर	6.99	6.29	0.70	6.99
				6.99	6.29	0.70	6.99
	मणिपुर						
7.	मणिपुर पीडी	11 के०वी/एचटी तक मीटर डाउन	मीटर	0.72	0.65	0.07	0.77
				0.72	0.65	0.07	0.77
	मेघालय						
8.	मेघालय पीडी	11 के०वी/एचटी तक मीटर डाउन	मीटर	1.81	1.63	0.18	1.81
				1.81	1.63	0.18	1.81
	मिजोरम						
9.	मिजोरम पीडी	11 के०वी/एचटी तक मीटर डाउन	मीटर	1.06	0.95	0.11	1.06
				1.06	0.95	0.11	1.06
	नागालैंड						
10.	नागालैंड डीपी	11 के०वी/एचटी तक मीटर डाउन	मीटर	1.89	1.70	0.19	1.89
				1.89	1.70	0.19	1.89
	सिक्किम						
11.	सिक्किम पीडी	11 के०वी/एचटी तक मीटर डाउन	मीटर	1.88	1.69	0.19	1.88
12.	सिक्किम पीडी	चरण-2 मीटर्स	मीटर	4.50	4.05	0.45	4.50
				6.38	5.74	0.64	6.38
	त्रिपुरा						
13.	त्रिपुरा	11 के०वी/एचटी तक मीटर डाउन	मीटर	5.00	4.50	0.50	5.00
				5.00	4.50	0.50	5.00
		जोड़ (क)		75.51	67.96	7.55	75.51

सुरंग में वायु संचार का कार्य

806. **श्री प्रभात सामन्तराय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोरापुट-रायगड़ा परियोजना के दो लम्बे संरगों में वायु संचार कार्य के लिए कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई और इस पर कितनी राशि खर्च हुई;

(ख) इन दो लम्बे सुरंगों के कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) कोरापुट-रायगड़ा परियोजना की दो लम्बी सुरंगों को संवातन बनाने के कार्य के लिए 419.63 लाख

रु० की कुल राशि स्वीकृत की गई है। मार्च, 2001 तक सुरंगों को संवातन बनाने के कार्य पर खर्च की गई कुल राशि 365.87 लाख रु० है।

(ख) सभी बड़े कार्य पूरे हो गए हैं। चालू करने के दौरान ध्यान में आई कुछ कमियों और खराबियों को ठीक किया जा रहा है।

(ग) अगले 1-2 महीनों में कार्य पूरा होने तथा चालू हो जाने की आशा है।

कोल बेड मिथेन की खोज

807. श्री अनादि साहू :
डा० ए०डी०के० जयशीलन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोल बेड मिथेन की खोज करने और इसका दोहन करने की नीति को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में कोल बेड मिथेन की खोज का काम शुरू किया गया है; और

(ग) देश के विभिन्न भागों में इस खोज के लिए यदि कोई धन आवंटित किया गया है तो यह कितना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा अनुमोदित कोल बेड मिथेन (सीबीएम) नीति के तहत ब्लाकों के पहले प्रस्ताव में पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में पड़ने वाले 7 ब्लाक निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा बोली के लिए प्रस्तावित किए गए थे। इसके प्रत्युत्तर में पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान स्थित 6 बलाकों के लिए बोलियां प्राप्त हो चुकी हैं।

(ग) सीबीएम नीति के अनुसार सरकार से किसी निवेश की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

विमान दुर्घटना

808. श्री मोहन रावले :
श्री वाई०वी० राव :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री श्रीनिवास पाटील :
श्री रामजीवन सिंह :
श्री प्रहलाद सिंह पटेल :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री जी०एस० बसवराज :
श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी०जे० जावीया :
श्री कोलूर बसवनागौड :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001 के दौरान आज तक श्रेणीवार घटनावार कितने लडाकू विमान, हेलीकॉप्टर और यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं;

(ख) ये विमान और हेलीकॉप्टर किनके थे, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन दुर्घटनाओं में नुकसान हुई सरकारी/निजी संपत्तियों की कीमत क्या है और उनमें कितने विमान चालक मारे गए और प्रत्येक मामले में कितना मुआवजा दिया गया;

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक मामले में की गई जांच का क्या परिणाम निकला और इस पर क्या कार्यवाही की गई;

(ङ) क्या सरकार का ध्यान 22 अगस्त, 2001 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में "एम आई जीज हैव डिजाइन फ्लॉज सेज फॉर्मर एअर फोर्स चीफ्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रक्रिया है और इससे इनकी खरीद पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(छ) दुर्घटनाओं में असमान्य रूप से हो रही वृद्धि पर विशेषकर एम०आई०जी० लड़ाकू विमानों के मामले में रोक लगाने और इन विमानों को उन्नयन करने और इन्हें देश में बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) वर्ष 2001 के दौरान 18 नवंबर 2001 तक दुर्घटनाग्रस्त हुए लड़ाकू विमानों, हेलीकाप्टरों और परिवहन विमानों की संख्या का श्रेणीवार, घटनावार, निर्मातावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सेना की संपत्ति के रूप में 117.44 करोड़ रुपए की हानि हुई है तथा अभी तक जिन 20 मामलों में अंतिम फैसला हो चुका है उनमें से 18 मामलों में सिविलियनों को मुआवजे के रूप में 1.36 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस वर्ष अभी तक हुई दुर्घटनाओं के 20 मामलों में नौ पायलट मारे गए हैं। मारे गए पायलटों को नियमों के अनुसार मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है।

(घ) जांच अदालतों ने इन दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों के रूप में मानव चूक होना (वायुकर्मी दल) पक्षी टकराना तथा तकनीकी खराबी आना पाया है। प्रत्येक जांच अदालत के बाद जांच अदालत की सिफारिशों के आधार पर उपचारात्मक उपायों की व्यवस्था की गई है।

दक्षता स्तरों में सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण की गुणता समुचित निर्णय करने की योग्यता बढ़ाने तथा परिस्थितिजन्य जागरूकता में सुधार करने के उपायों की लगातार समीक्षा करके उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है। मशीन संचालित करने वाले व्यक्ति की गुणता में सुधार करने के लिए सिमुलेटरों तथा ट्रेनर विमानों का अर्जन करने पर भी नये सिरे से जोर दिया जा रहा है।

(ङ) जी, हां।

(च) किसी युद्धक विमान के जीवनकाल में हथियार प्लेटफार्म को प्रौद्योगिकीय रूप से उपयोगी रखने के लिए उनमें संशोधन/स्तरोन्नयन करना एक सतत् प्रक्रिया है। मिग-21 की उड़ान योग्यता समय-समय पर की गई उनकी संपूर्ण मरम्मत के माध्यम से सुनिश्चित कर ली गई है। मिग-21 बेड़े की उड़ान योग्यता पर कभी कोई संदेह नहीं रहा है।

(छ) भारतीय वायुसेना में मिग-21 विमान की होने वाली दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों के रूप में मानवचूक (वायुकर्मी दल), तकनीकी खराबी तथा पक्षी टकराना माना गया है। दुर्घटना रोकथाम कार्यक्रम, पर्यावरणीय स्वच्छता, पक्षी टकराने के खतरे पर नियंत्रण, मानवचूक तथा तकनीकी खराबियों का अध्ययन करने और हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड/मूल उपस्कर निर्माताओं से विचार-विमर्श करके सभी श्रेणियों के अंतर्गत होने वाले दुर्घटनाओं की दर में कमी लाने के लिए सतत् उपाय किए जा रहे हैं ताकि सभी श्रेणियों की दुर्घटनाएं कम हो सकें। कुल 125 मिग-21 बी०आई०एस० रूपांतरित विमानों का स्तरोन्नयन किए जाने की योजना बनाई गई है। इनमें से दो का स्तरोन्नयन डिजाइन और विकास चरण के दौरान रूस में पहले ही किया जा चुका है जिसे हाल ही में पूरा किया गया है। शेष विमानों का स्तरोन्नयन हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, नासिक में किए जाने की योजना बनाई गई है।

विवरण

विमानों का प्रकार	निर्माता देश	मानव चूक (वायु कर्मी)	तकनीकी खराबी	पक्षी टकराना	योग
मिग-21	रूस	4	4	1	9
मिग-23	रूस	2	1	—	3
मिग-27	रूस	—	1	—	1
मिग-29	रूस	1	—	—	1
जगुआर	ब्रिटेन	1	—	—	1
एमआई-8	रूस	2	1	—	3
एमआई-17	रूस	2	—	—	2
योग	—	12	7	1	20

[अनुवाद]

निविदा प्रणाली

809. श्री अरुण कुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय कई आइटमों के लिए निविदा आमंत्रित करता है और कई मामलों में सबसे कम राशि के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और ऐसे कितने मामले है जिनमें काउन्टर ऑफर दिया गया हो;

(ग) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने वर्ष 1999 की अपनी रिपोर्ट 9 की पृष्ठ संख्या 178 से 192 में इस मामले की ओर ध्यान आकृष्ट किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निविदा प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) और (ख) यह सत्य है कि इस मंत्रालय के अधीन क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों द्वारा बहुत-सी मदों के बारे में बहुत सी निविदाएं आमंत्रित की हैं और साधारणतया निम्नतम प्रस्ताव वाली निविदाएं स्वीकार की जाती हैं बशर्ते कि शर्तों एवं निबंधनों, विशिष्टियों और दरों की उपयुक्तता के अनुसार निविदा की आवश्यकता पूरी होती हो। यदि निम्नतम प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो नियमानुसार उसके कारण दर्ज किए जाने होते हैं। कतिपय निविदा मामलों में निम्नतम प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं जब वे विशिष्टियों, शर्तों एवं निबंधनों, निविदादाता की विगत की उपलब्ध साख अथवा अनुपयुक्त दर आदि के अनुसार न हों।

(ग) से (ङ) 1999 की रिपोर्ट 9 — पृष्ठ 178 से 192 विभिन्न विषयों से संबंधित हैं जो नीचे दिए गए हैं :—

(क) पैरा 4.3.5 — रेलवे बोर्ड
विषय :— उच्च तनन इस्पात तारों की खरीद पर हानि

(ख) पैरा 4.3.6 — दक्षिण मध्य, पूर्वोत्तर सीमा, दक्षिण और पश्चिम रेलवे —
विषय :— रेल इंजनों की रूकौनी के कारण हानि

(ग) पैरा 4.3.7 — दक्षिण रेलवे —
विषय :— माल डिब्बा निर्माताओं से पहिया सेटों के सुधार प्रभारों की गैर वसूली

(घ) पैरा 4.3.8 — दक्षिण पूर्व रेलवे —
विषय :— पूर्व बलित कंक्रीट स्लीपरों की खरीद पर परिहार्य हानि

(ङ) पैरा 4.3.9 — डीज़ल कलपुर्जा कारखाना, पटियाला — विषय :— निम्नतम निविदाओं का अविवेकपूर्ण रूप से रद्द करण

(च) पैरा 4.3.10 — उत्तर रेलवे — विषय :— युग्म ब्लाक पुन: बलित कंक्रीट स्लीपरों के थोक उत्पादन पर परिहार्य खर्च

उपर्युक्त पैरा 4.3.9 निम्नतम निविदादाता को अविवेकपूर्ण रूप से रद्द करने से संबंधित है।

मामला डीज़ल कलपुर्जा कारखाना, पटियाला द्वारा खरीदे गए विभिन्न आकारों के कापटॉन इन्सुलेटिड इलैक्ट्रोलिटिक कापर कंडक्टरों से संबंधित है। यह लेखा परीक्षा पैरा निम्नतम प्रस्ताव के मना करने से संबंधित है जो डच फार्म से विदेशी मुद्रा में आयात के आधार पर किया गया था। डच फर्म के पास गुणवत्ता आपूर्ति के पर्याप्त अनुभव न होने के कारण डीपुका द्वारा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया था। आदेश निम्नतम स्वदेशी निविदाकारों को दिए गए थे। वास्तव में लेखा परीक्षा पैरा में उल्लिखित सभी चार निविदादाता स्वदेशी स्रोतों के जरिए रुपयों में भुगतान करने की शर्तों पर भारत में खरीद के लिए विज्ञापित निविदादाता थे। लेखा परीक्षा पैरा का उत्तर प्रक्रिया के अनुसार 'की गई कार्रवाई' संबंधी नोट के जरिए पहले ही दे दिया गया है।

गिनिगेरा-महबूबनगर रेल परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण

810. **श्री एच०जी० रामुलू :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गिनिगेरा-महबूबनगर रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी भूमि अधिगृहित की गई है और इसके लिए मुआवजा के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया है;

(ग) कितनी भूमि अधिग्रहित की जायेगी;

(घ) समूची भूमि के अधिग्रहण का काम कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ङ) निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) अभी तक नई लाइन के भाग के लिए कोई भूमि अधिग्रहीत नहीं की गई है।

(ग) इस परियोजना के लिए 1060 हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराने और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में पेट्रोल पम्पों का बंद होना

811. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के प्रत्येक जिलों में बंद हुए डीजल/पेट्रोल पम्पों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) महाराष्ट्र में ऐसे कितनी डीजल/पेट्रोल पंप हैं जिन्हें फिर से चालू किया गया है और या जिन्हें पुन: चालू किए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 की अवधि के दौरान महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न जिलों में विभिन्न कारणों से जैसे भू-स्वामियों द्वारा बे-दखली मुकदमें जीतने, खराब प्रबंधन, गैर निष्पादन, मिलावट तथा कदाचार, बेनामी कार्य, डीलरशिप करार आदि के उल्लंघन के कारण 10 खुदरा बिक्री केन्द्र बंद कर दिए गए थे।

उपर्युक्त में से एक खुदरा बिक्री केन्द्र पुन: खोल दिया गया है। वर्तमान में, शेष खुदरा बिक्री केन्द्रों को पुन: खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

नालंदा से सियालदाह तक रेलगाड़ी

812. **श्री अबुल हसनत खां :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नालंदा और मुर्शिदाबाद के लोगों को प्रात: काल राज्य की राजधानी कोलकाता जाने में होने वाली परेशानियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नालन्दा से पूर्वी रेलवे के अजीमगंज/कटवा क्षेत्र से होते हुए सियालदाह/हावड़ा के लिए प्राप्त: काल एक रेलगाड़ी चलाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (ग) इसका संदर्भ संभवत: मालंदा से है न कि नालंदा से है। इस समय, परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण सुबह के समय आजीमगंज/कटवा के रास्ते मालदा टाउन से सियालदह/हवड़ा तक गाड़ी चलाने का कोई

प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, वर्ष 2001-02 के दौरान, मालदा टाउन-बोलपुर- बर्धमान के रास्ते नई जलपाईगुड़ी-सियालदह के बीच सप्ताह में दो बार एक जोड़ी गाड़ी यथा 2509/2510 एक्सप्रेस चलाने का प्रस्ताव है।

मध्य प्रदेश में रसोई गैस कनैक्शन

813. **श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में विभिन्न तेल कंपनियों द्वारा रसोई गैस के कितने कनैक्शन प्रदान किये गये;

(ख) वर्ष 2001-2002 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया; और

(ग) लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) मध्य प्रदेश राज्य में विगत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी एल०पी०जी० (घरेलू) कनेक्शनों के ब्यौरे निम्नवत् है :–

वर्ष	एलपीजी कनेक्शनों की सं० (लाख)
1998-1999	1.80
1999-2000	4.00
2000-2001	5.23

(ख) और (ग) वर्तमान में संपूर्ण देश के मौजूदा बाजारों में एल०पी०जी० कनेक्शन मांग पर जारी किए जाते हैं और सरकार द्वारा वर्तमान कैलेंडर वर्ष में संपूर्ण देश में 1.3 करोड़ नए एल०पी०जी० (घरेलू) कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य के मुकाबले जनवरी-सितंबर 2001 की अवधि में लगभग 48 लाख कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं।

भिड़ंत रोधी उपाय

814. **डा० मन्दा जगन्नाथ :**
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :
श्री रामजीवन सिंह :
श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर :
श्री अशोक ना० मोहोल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेलवे ने एक उपाय तैयार किया है जो रेलगाड़ियों के बीच टक्कर को बचाता है;

(ख) यदि हां, तो उक्त उपाय की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सुरक्षा उपायों को बढ़ाने हेतु मालगाड़ियों और यात्री रेलगाड़ियों दोनों में ऐसे उपाय शुरू करने का है;

(घ) क्या रेलवे के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा इस नए उपाय की जांच, सत्यापन और परीक्षा की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या टिप्पणी की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) टक्कररोधी उपकरण माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित संचार उपकरण हैं जिन्हें रेल इंजनों और ब्रेकवेन पर फिट किया जाता है अथवा स्टेशनों और समपारों पर स्थापित किया जाता है। इनसे रेल इंजनों और ब्रेकवैनों की विशिष्ट पहचान मिलती है और ग्लोबल पोजीशनिंग प्रणाली का प्रयोग करके तथा ऐंगुलर डेविएशन काउंट सिद्धांत के तहत "टक्कर जैसी" स्थिति का पता लगाते हैं और 3 कि०मी० की परिधि में रेल इंजनों में ब्रेक का प्रयोग करते हैं। इन टक्कर-रोधी उपकरणों से गाड़ियों के अलग होने का पता लगाने और समपारों पर चेतावनी सिगनलों को चालू करने में भी मदद मिलती है।

(ग) से (ङ) उपयुक्तता, विश्वसनीयता, रख-रखाव तथा कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के लिए इस उपकरण को रेलवे पर विस्तृत फील्ड परीक्षण किए जा रहे हैं। आवश्यक आशोधन फील्ड परीक्षणों के परिणामों का मूल्यांकन करने के बाद संसाधनों की उपलब्धता तथा लागत निहितार्थ के मद्देनजर इस उपकरण के गाड़ियों में लगाने पर विचार किया जाएगा।

रेलपटरियों का पुनः उपयोग

815. **श्री वाई०वी० राव : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग रेलपटरियों को अत्यंत व्यस्त रहने वाली लाइनों से हटाकर उनका कम यातायात वाले क्षेत्रों में पुनः उपयोग करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि इससे लोगों का जीवन खतरे में पड़ सकता है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की असुरक्षित कार्रवाई करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस व्यवस्था पर रोक लगायी जायेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (ङ) व्यस्त लाइनों से विनिर्मुक्त

की गई पटरियों को पुरानी उपयोग करने योग्य पटरियों अर्थात् जिनकी आयु शेष रहती है और स्क्रैप पटरियों के रूप में अलग-अलग रखा जाता है। सेवा योग्य विनिर्मुक्त पटरियों की हल्के यातायात वाले मार्गों पर नवीकरण के लिए उपयोग करने से पूर्व पराश्रव्य जांच की जाती है।

टिहरी बांध के लिए पूंजीगत भागीदारी

816. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के बीच टिहरी बांध के लिए पूंजीगत भागीदारी के मामले का समाधान हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दोनों राज्यों के बीच पूंजीगत भागीदारी के समाधान के लिए अपनाये गये सिद्धांतों का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

सुरक्षा मानक का उन्नयन

817. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :**
श्री किरीट सोमैया :
श्री जयभान सिंह पवैया :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेष सुरक्षा कोष के माध्यम से सिगनल प्रणाली के आधुनिकीकरण और सुरक्षा मानक के उन्नयन का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उद्देश्यों के लिए जोनवार अलग-अलग कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण कार्यों की योजना बनाई गई है और उत्तरोत्तर कार्यान्वयन किया जा रहा है :

- सेमाफोर सिगनलों के बदले रंगीन रोशनी वाले सिगनल की व्यवस्था।
- मैकेनिकल अंतर्पाशन के बदले पेनल/रूट रिले/इलेक्ट्रानिक अंतर्पाशन
- स्टेशनों पर रेलपथ परिपथन
- स्वचल सिगनल व्यवस्था
- धुरा काउंटरों द्वारा ब्लाक प्रूविंग
- रेडियो आधारित चल गाड़ी रेडियो संचार प्रणाली
- गाड़ी प्रबंधन प्रणाली
- समपारों पर बचाव उपकरण
- डाटा लागर
- एकीकृत पावर सप्लाई
- सहायक चेतावनी प्रणाली

(ग) चालू वर्ष के दौरान सिगनल प्रणाली के बदलाव/आधुनिकीकरण के लिए 269 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। जोन वार आबंटन इस प्रकार है :—

मध्य रेलवे	43.71 करोड़ रु०
पूर्व रेलवे	31.62 करोड़ रु०
उत्तर रेलवे	40.36 करोड़ रु०
पूर्वोत्तर रेलवे	7.21 करोड़ रु०
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	14.95 करोड़ रु०
दक्षिण रेलवे	28.91 करोड़ रु०
दक्षिण मध्य रेलवे	20.77 करोड़ रु०
दक्षिण पूर्व रेलवे	47.50 करोड़ रु०
पश्चिम रेलवे	33.97 करोड़ रु०

विशेष रेल संरक्षा निधि के अंतर्गत आगामी 5-7 वर्षों में भारतीय रेल पर सिगनल व्यवस्था के बदलाव/आधुनिकीकरण और संरक्षा संवर्द्धना कार्यों के लिए लगभग 3600 करोड़ रु० की व्यपगत न होने वाली राशि निर्धारित की जा रही है।

तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ०एन०जी०सी०) द्वारा हस्ताक्षरित समझौता

818. **डा० ए०डी०के० जयशीलन** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ०एन०जी०सी०) ने विदेशों में अपतटीय परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन विदेशी परियोजनाओं से अनुमानतः कितनी धनराशि अर्जित किये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) 19.5.1988 को आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ०एन०जी०सी०) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ओ०एन०जी०सी० विदेश लि० (ओ०वी०एल०) ने वियतनाम की राष्ट्रीय तेल कंपनी, पेट्रो वियतनाम के साथ पेट्रोलियम उत्पादन हिस्सेदारी ठेके (पी०एस०सी०) पर हस्ताक्षर किये थे। पी०एस०सी० के अंतर्गत किए गए अन्वेषण प्रयासों से अपतटीय ब्लाक 06.1 में गैस भंडार का पता चला है जो ब्रिटिश पेट्रोलियम, स्टेट आयत तथा पेट्रोवियतनाम की सहभागिता में ओ०वी०एल० द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना में ओ०वी०एल० की साझेदारी 45 प्रतिशत है तथा विकास लागत में इसका हिस्सा लगभग 228 मिलियन अमेरीकी डालर (1,075 करोड़ रुपये) है।

10.2.2001 को ओ०वी०एल० ने रूस की राष्ट्रीय तेल कंपनी रॉसनेफ्ट के साथ सखालिन-1 अपतटीय परियोजना में 20 प्रतिशत सहभागिता हिस्सा अर्जित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस परियोजना में ओ०वी०एल० का कुल अनुमानित निवेश लगभग 1.7 बिलियन अमेरिकी डालर (8000 करोड़ रु०) है।

ओवीएल ने 28.11.2001 को तेल मंत्रालय, इराक की तेल अन्वेषण कंपनी के साथ इराक में अन्वेषण कंपनी के साथ इराक में अन्वेषण ब्लाक 8 के लिए अन्वेषण और विकास ठेके पर भी हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना अन्वेषण चरण में है।

वियतनाम गैस परियोजना तथा सखालिन-1 परियोजना से ओवीएल निवेश पर क्रमश: 20 प्रतिशत और 15 प्रतिशत से अधिक का प्रतिलाभ मिलने की आशा है।

राजधानी सेवा का तिनसुकिया से गुवाहाटी तक विस्तार

819. श्री के०ए० सांगतम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तिनसुकिया से गुवाहाटी तक राजधानी एक्सप्रेस सेवा को सप्ताह में दो बार से बढ़ाकर 5 बार करने के लिए हाल में पूर्वोत्तर क्षेत्र के संसद सदस्यों के मंच को आश्वासन दिया था;

(ख) यदि हां, तो इस आश्वासन को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक एवं संसाधन तंगियों के कारण।

नाग मिसाइल का परीक्षण

820. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर 1-2, 2001 को बालासोर परीक्षण केन्द्र से टैंक-रोधी मिसाइल ''नाग'' का परीक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई;

(ग) इस मिसाइल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) मिसाइल रक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और किस सीमा तक लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) यह मिसाइल प्रोग्रेम्ड कन्ट्रोल मोड में ट्यूब से छोड़ी गई थी। इसने कंट्रोल सेंसर पैकेज, इलैक्ट्रोमैकेनिकल एक्टयूएटर तथा स्मोकलैस एक्स्ट्रडिड डबल बैंड सस्टेनर प्रोपेलैंट संबंधी सभी अर्हक मिशन लक्ष्य प्राप्त कर लिए।

(ग) और (घ) नाग का डिजायन सेना के लिए दो प्लेटफार्मों अर्थात नाग मिसाइल कैरियर एवं उन्नत हल्का हेलिकॉप्टर पर तीसरी पीढ़ी की ''टाप अटैक'' तथा ''फायर एंड फॉरगेट'' क्षमता वाली टैंक रोधी-मिसाइल के रूप में किया गया है। उक्त क्षमताओं से युक्त नाग की मारक रेंज 4 कि०मी० है। मिसाइल ने निर्देशित उड़ान चरण में प्रदेश कर लिया है और इसके बाद प्रयोक्ता परीक्षण/उत्पादन चरण होगा।

मेडक आयुध कारखाना द्वारा दोषपूर्ण बंदूकों की आपूर्ति

821. श्री ए० नरेन्द्र :
श्री राधा मोहन सिंह :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के मेडक जिले में स्थित आयुध कारखाने द्वारा पैदल सेना के साथ चलने वाली कुछ यांत्रिक बख्तरबंद गाड़ियों में दोषपूर्ण गनें लगायी हैं;

(ख) क्या इन गाड़ियों में हवा का दबाव पर्याप्त मात्रा में नहीं था और दो अलग-अलग मामलों में मिसाइल सर्किट इलैक्ट्रानिक उपस्कर दोषपूर्ण था;

(ग) क्या सरकार ने इन घटनाओं के संबंध में कोई जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम निकला और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाई की गयी है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) इस तोप (आर्टिकल 2ए 42) का आयुध निर्माणी, त्रिची में निर्माण किया जाता है और इसे बी०एम०पी०-II वाहनों, जिनका निर्माण आयुध निर्माणी परियोजना, मेडक में किया जाता है, के साथ जोड़ा जाता है। इन तोपों को गुणता आश्वासन महानिदेशालय द्वारा सहयोगियों के साथ विनिर्दिष्ट गुणता योजना के अनुसार परीक्षण करने के बाद ही इसे सेना को जारी किया जाता है। उपभोक्ता (मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री) ने हाल ही में अप्रैल, 2001 के दौरान इन वाहनों की जांच की है और बताया गया है कि इन तोपों का समग्र कार्य-निष्पादन संतोषजनक है। इस तरह, आयुध निर्माणी परियोजना, मेडक ने सेना को निष्क्रिय तोपों के साथ बी०एम०पी०-II वाहनों की आपूर्ति नहीं की है।

सेना को जारी किए गए 90 बी०एम०पी० वाहनों में से तीन में कम्प्रेस्ड वायु प्रणाली में जोड़ों से वायु दबाव के रिसाव की समस्या के बारे में रिपोर्ट मिली थी। ये नेमी सुधारयोग्य खराबियां हैं और इन्हें 20 मई, 2000 को आयुध निर्माणी परियोजना, मेडक के तकनीकी दल ने सुधार दिया था।

बी०एम०पी०-2 वाहनों में लगे प्रक्षेपास्त्रों और लांचरों के इलैक्ट्रानिक संघटकों/सर्किटों में कुछ खराबियाँ/ठीक से काम न करने के बारे में उपभोक्ताओं ने बताया है। इसे आयुध निर्माणी परियोजना, मेडक के तकनीकी दल ने 22 मई, 2000 को सुधारा था और इसे स्वीकार्य स्थिति में उपभोक्ताओं को सौंप दिया है।

आयुध निर्माणी परियोजना, मेडक में निर्मित बी०एम०पी० वाहनों को निम्नलिखित सख्त निरीक्षण कार्यक्रम के अनुपालन के बाद सेना को जारी किया जाता है :—

(क) निर्माणी गुणता आश्वासन द्वारा निरीक्षण

(ख) गुणता आश्वासन महानिदेशालय द्वारा निरीक्षण

(ग) सेना के डिपो ग्राही दल द्वारा निरीक्षण

(घ) निवासी निरीक्षक तकनीकी दल, डिपुओं में स्थित मुख्यालयों के विद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियरों द्वारा निरीक्षण (संयुक्त निरीक्षण)।

(ङ) उपभोक्ता इकाई के ग्राही दल द्वारा निरीक्षण।

निरीक्षण के विभिन्न चरणों के दौरान पाई जाने वाले कतिपय नेमी स्वरूप की खामियों का, इसे अंतिम रूप में उपभोक्ताओं को सौंपने से पहले आयुध निर्माणी परियोजना, मेडक के तकनीकी दल द्वारा देखा/सुधारा जाता है। इन पर नेमी रूप से और स्वीकृत एवं परस्पर सम्मत व्यवहार के तहत ध्यान दिया जाता है। इसलिए न तो जांच की कोई जरूरत समझी गई और न ही बिठाई गई।

[हिन्दी]

ताजमहल को क्षति

822. **श्री रामजीलाल सुमन :**
श्री नरेश पुगलिया :
श्री नवल किशोर राय :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :
श्री बेनी प्रसाद वर्मा :
श्री टी०एम० सेल्वागनपति :
श्री महबूब जहेदी :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 अक्तूबर, 2001 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में "ताज वंडलिज्म ऑफिसियल्स बिगिन पासिंग द बक्" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप ताजमहल को क्या क्षति हुई है;

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कारंवाई करने और कतिपय राजनैतिक कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़फोड़ की जांच कराने का निर्देश दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी ?

पर्यटन और संस्कृतिक मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां। एक राजनैतिक रैली में बड़ी संख्या में आगरा में एकत्रित हुए लोगों ने 13 एवं 14 अक्तूबर, 2001 को बिना प्रवेश टिकट के ताजमहल में प्रवेश किया।

(ख) से (ङ) स्मारक की दीवारों पर कुछ अभिरेखण किया गया था जिसे पूरी तरह से मिटा दिया गया है।

इस मामले में स्व-प्रेरणा से कार्यवाई में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा उत्तर प्रदेश सरकार को रिपोर्ट दायर करने का निदेश दिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के आलोक में आगे कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

तारकेश्वर में विष्णुपुर तक रेल लाइन का विस्तार

823. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तारकेश्वर से बिष्णुपुर तक रेलवे लाइन का विस्तार करने को मंजूरी प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितना आबंटन किया गया है;

(ग) क्या इस लाइन का निर्माण-कार्य आरंभ कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) तारकेश्वर से विष्णुपुर तक (84.70 कि०मी०) नई लाइन के कार्य को 260 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 2000-01 के बजट में शामिल किया गया है। वर्ष 2001-02 के दौरान इस कार्य के लिए 25 करोड़ रु० को राशि उपलब्ध कराई गई है।

(ग) और (घ) तारकेश्वर से आरामबाग तक प्रथम चरण के लिए अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है तथा बकाया खण्ड पर कार्य प्रगति पर है/भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराए जाने के पश्चात् निर्माण कार्य आरंभ कर दिया जाएगा।

प्रसारण क्षेत्र के लिए चुनौती

824. श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री एन०टी० षणमुगम :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रसारण, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आयी नवीन प्रौद्योगिकी की प्रतिस्पर्धा से निपटने हेतु प्रसारण क्षेत्र के लिए कोई भावी योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत क्रय समझौते

825. श्री के०ई० कृष्णमूर्ति : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गैर सरकारी परियोजनाओं के लिए होने वाले समझौतों में कोई परिवर्तन अपना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में विशेषकर आंध्र प्रदेश से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) सरकार द्वारा गैर सरकारी परियोजनाओं के संबंध में सामना किए जा रहे टकराव का ब्यौरा क्या है;

(च) गैर सरकारी पार्टियों के ऐसे मतभेदों की राज्यवार संख्या क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं अथवा करने का प्रस्ताव है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) केन्द्र सरकार ने किसी भी स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आई०पी०पी०) के साथ विद्युत क्रय समझौता (पी०पी०ए०) पर हस्ताक्षर नहीं किया। पी०पी०ए० राज्य विद्युत बोर्ड एवं राज्य विद्युत बोर्ड के बीच की एक ऐसी संविदा है जिसमें विद्युत की खरीद/बिक्री संबंधी तौर-तरीके तथा विभिन्न जोखिमों के विभाजन पर विद्युत परियोजनाओं के लिए दोनों पार्टियों के बीच वार्ता होती है। पी०पी०ए० के अंतर्गत विद्युत की बिक्री हेतु टैरिफ का नियंत्रण भारत सरकार द्वारा विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 43(ए) (2) के प्रावधानों के अंतर्गत 30.3.1992 को जारी टैरिफ अधिसूचना होता है। टैरिफ अधिसूचना कतिपय शर्तों को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मानदंडों से विपथन की अनुमति देती है। विद्युत विनियामक अधिनियम, 1998 के अधिनियम के फलस्वरूप उन राज्यों के मामले में धारा 43(ए) (2) के प्रावधानों को हटा दिया गया है जिन्होंने विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना कर ली है और टैरिफ निर्धारण की शक्ति विद्युत विनियामक को हस्तांतरित कर दी है।

(ख) दिनांक 30.3.1992 की टैरिफ अधिसूचना में यह व्यवस्था है कि किसी विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा राज्य विद्युत बोर्ड को विद्युत बिक्री हेतु टैरिफ का निर्धारण भी प्रचालन एवं संयंत्र भार घटक (पी०एल०एफ०) संबंधी मानदंडों को छोड़कर तथा निम्नलिखित शर्तों के शर्त पर अधिसूचना में निर्दिष्ट मानदंडों से विचलन पर भी किया जा सकता है :

(i) विपथन के फलस्वरूप मानदंडों के आधार पर परिकलित विद्युत की प्रति यूनिट समग्र टैरिफ अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर परिकलित प्रति यूनिट टैरिफ से अधिक न हो।

(ii) संबंधित राज्य सरकार ने अपने को पूरी तरह से संतुष्ट करने के पश्चात् सिफारिश की है कि विपथन औचित्यपूर्ण हैं; और

(iii) केन्द्र सरकार यह सुनिश्चित करते हुए की समग्र प्रति यूनिट टैरिफ उपरोक्त शर्त (i) के अनुसार है, विपथनों को अनुमोदन प्रदान करती है।

ये मानदंड केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर सौंपे गये निजी विद्युत परियोजनाओं के संबंध में औचित्यपूर्ण नहीं है।

(ग) से (ङ) वर्तमान में केन्द्र सरकार के पास विपथन के अनुमोदन हेतु राज्य सरकार से कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है। हालांकि पूर्व में सरकार ने महाराष्ट्र के डाभोल विद्युत परियोजना के संबंध में, राजस्थान के बरसिंगसर लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना तथा हिमाचल प्रदेश के मलाना जल-विद्युत परियोजना के मामलों में विपथन को अनुमोदन प्रदान किया है। अगस्त, 1998 आंध्र प्रदेश सरकार ने लैंको कोन्डापल्ली विद्युत परियोजना के संबंध में कतिपय विपथन का प्रस्ताव किया था जिसे राज्य सरकार से कतिपय स्पष्टीकरण नहीं प्राप्त होने के कारण अनुमोदन नहीं दिया जा सका। इसी बीच राज्य विद्युत विनियामक आयोग आंध्रप्रदेश में चालू हो गया है और नई परियोजनाओं के टैरिफ संबंधी मामले आयोग के अधिकार क्षेत्र में होंगे।

(च) और (छ) भारत सरकार का किसी भी प्रस्ताव के मामले में विपथन को अनुमोदन प्रदान करने हेतु निजी विद्युत परियोजनाओं से आपत्ति नहीं मिली है। 18.02.1995 के बाद निजी विद्युत परियोजनाओं को प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के जरिए अनिवार्य बना दिया गया है और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के गठन के बाद पी०पी०ए० समेत टैरिफ संबंधी मामलों को आयोगों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना अपेक्षित होगा।

[हिन्दी]

रीवा, मंडल मुख्यालय तक सीधी रेल सेवा

826. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शाहडोल से रीवा, मंडल मुख्यालय तक सीधी रेल सेवा उपलब्ध कराने से संबंधित कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या सरकार को इस समय शाहडोल तक चलने वाली कपिलधारा एक्सप्रेस रेल सेवा का विस्तार कटनी होते हुए बिलासपुर तक करने, जो 200 कि०मी० की दूरी पर स्थित है, का निवेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) जांच की गई। परंतु परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया।

(ग) और (घ) इसका संदर्भ संभवत: 409/410 बिलासपुर-शाहडोल पैसेंजर के लिए है — इसका रीवा तक विस्तार करना परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण व्यवहारिक नहीं है।

[अनुवाद]

नयी ईंधन नीति

827. श्री अनन्त नायक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली और अन्य नगरों में सार्वजनिक परिवहन वाहनों के लिए एक नयी ईंधन नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नयी ईंधन नीति को कब तक घोषित कर दिये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) देश में ऑटो ईंधन नीति की सिफारिश करने के लिए 13.9.2001 को डा० आर०ए० माशेलकर, महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी०एस०आई०आर०) की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। इस समिति को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए छह माह का समय दिया गया है।

सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों की विपणन रणनीति

828. डा० जसवंत सिंह यादव :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों ने अपने विक्रय केन्द्रों पर अपने उत्पादों की बिक्री के लिए विपणन रणनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उपक्रमों के उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने और बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना करने में यह किस सीमा तक लाभप्रद है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) जी हां, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों पर बिक्री के लिए अपनी विपणन कार्यनीति के भाग के रूप में विभिन्न नई अवधारणाएं शुरू की गई हैं जैसे :—

1. अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों का उन्नयन/आधुनिकीकरण;
2. मूल्य योजित सुविधाएं उपलब्ध कराना जैसे सुविधा स्टोर, ए०टी०एम०, आटोकार-धुलाई, साइबर कैफे, पिजा आऊटलेट, दवाई, अंकीय वायु गेज आदि की व्यवस्था।
3. खुदरा बिक्री केन्द्र पोर्टफोलिये के नवीकरण तथा उच्च संभाव्य बाजारों के नेटवर्क का विस्तार करते हुए खुदरा बिक्री केन्द्र नेटवर्क की उत्पादकता में वृद्धि।

4. प्रोत्साहन कार्यक्रमों द्वारा खुदरा ग्राहक की निष्ठा सुनिश्चित करना ताकि बाजार हिस्से को बनाए रखा जाए तथा उसमें सुधार किया जा सके।

दोषपूर्ण इस्पात की आपूर्ति

829. **श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र (बी०एस०पी०) द्वारा आपूर्ति की गयी पटरियों की गुणवत्ता को अपेक्षित मानक के अनुरूप नहीं पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो भिलाई इस्पात संयंत्र से प्राप्त होने वाली पटरियों की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या समाधान निकाला गया है;

(ग) क्या आपूर्ति और निपटान महानिदेशक द्वारा रेल विभाग को पटरियों की आपूर्ति से पूर्व निरीक्षण किये जाने के बावजूद पटरियों को दोषपूर्ण पाया गया है;

(घ) यदि हां, अपने कर्तव्यपालन में लापरवाही बरतने में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी; और

(ङ) रेल विभाग द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं की खरीद को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (ङ) भिलाई इस्पात संयंत्र (बी०एस०पी०) द्वारा सप्लाई की गई कुछ पटरियां विशिष्टियों के अनुरूप नहीं पाई गई थीं। पटरियों की गुणवत्ता में सुधार के लिए रेलवे बी०एस०पी० से नियमित रूप से संपर्क करती रही है। किए गए नवीनतम सुधार इस प्रकार हैं :— ऑन लाइन अल्ट्रासॉनिक टेस्टिंग, ऐडी करेंट टेस्टिंग, वैक्यूम डी गैसिंग और संशोधित गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम की स्थापना। विशिष्टियों के अनुरूप पटरियों की सप्लाई न किए जाने के मामलों की रिपोर्ट आवश्यक कार्रवाई हेतु महानिदेशक आपूर्ति और निपटान को कर दी गई थी।

पटरियों के निरीक्षण का कार्य 1.4.01 से मै० रेल इंडिया टेक्निकल एण्ड इकॉनॉमिक सर्विसेज़ को हस्तांतरित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

नेशनल पावर ग्रिड कारपोरेशन के विकास हेतु निधि आवंटन का प्रस्ताव

830. **श्री बृजलाल खाबरी :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नेशनल पावर ग्रिड कारपोरेशन के विकास के लिए धन आबंटित करने का प्रस्ताव कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि प्रदान किये जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को 1989 में क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय विद्युत ग्रिडकों की स्थापना तथा प्रचालन के उद्देश्य से स्थापित किया गया था ताकि क्षेत्रों के भीतर तथा आर-पार विश्यसनीयता, सुरक्षा एवं किफायत के साथ सशक्त वाणिज्यिक सिद्धांतों पर विद्युत के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाया जा सके। एक केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी के रूप में पावरग्रिड अंत: राज्यीय पारेषण प्रणाली के द्वारा उर्जा के पारेषण, सभी केन्द्रीय विद्युत स्टेशनों से विद्युत की निकासी तथा संघटक राज्यों को आवंटित विद्युत की आपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है।

राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड के गठन के लिए पारेषण प्रणाली का विकास एक सतत् प्रक्रिया है। इस समय भारतीय विद्युत प्रणाली पांच क्षेत्रीय ग्रिडों में विभाजित है और प्रत्येक क्षेत्र के भीतर सशक्त अंत: संयोजक तथा पूर्णत: विकसित क्षेत्रीय ग्रिड विद्यमान है। पूरे देश में उत्पादन संसाधनों के लाभ को फैलाने के लिए तथा अधिशेष विद्युत वाले क्षेत्र से विद्युत की कमी वाले क्षेत्र में विद्युत का अंतरण करने हेतु क्षेत्रों में अंत: संयोजन की आयोजना बनायी गयी है।

पावरग्रिड ने पहले से ही बिना किसी अवरोध के क्षेत्रों के मध्य विद्युत के अंतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए एचवीडीपी स्टेशनों/बाईपोल तथा 765 के०वी० ए०सी० के द्वारा सभी क्षेत्रों को एकीकृत करने की अपने योजना तैयार कर ली है। पश्चिमी और उत्तरी, पश्चमी और दक्षिणी तथा पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों के मध्य एच०वी०डी०सी० अंत:क्षेत्रीय संयोजक पहले से ही विद्यमान हैं और पूर्वी तथा उत्तरी क्षेत्र के मध्य एच०वी०डी०सी० संयोजक निर्माणाधीन हैं।

राष्ट्रीय ग्रिड को और अधिक सशक्त बनाने के लिए उच्च क्षमता के एच०वी०डी०सी० संयोजको तथ ए०सी० संयोजकों को मेगा परियोजनाओं के साथ चालू किए जाने की योजना बनायी गयी है। इन अंत: संयोजकों से कुल अंत: क्षेत्रीय विद्युत विनिमय क्षमता 2006-07 तक बढ़कर लगभग 23,400 मेगावाट हो जाएगी। अंतिम चरण में, एक सशक्त समकालिक राष्ट्रीय ग्रिड की परिकल्पना की गयी है ताकि प्रमुख उत्पादन संसाधनों से विद्युत की निकासी की जा सके। इसके लिए चिकन-नेक क्षेत्र में एक उच्च क्षमता के पारेषण कॉरीडोर का विकास करने तथा पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों को जोड़ने वाली 765 के०वो० लाइनों के एक रिंग की स्थापना करनी होगी। प्रस्तावित अंतिम राष्ट्रीय ग्रिड की अंत:क्षेत्रीय पारेषण क्षमजता 2012 तक बढ़कर लगभग 30,000 मेगावाट हो जाएगी।

पावरग्रिड की दसवीं और ग्यारहवीं योजनाओं के दौरान परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए लगभग 74,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना है जिसमें वर्ष 2012 तक 30,000 मेगावाट विद्युत का अंतरण करने की क्षमता वाले एक सशक्त एवं सुदृढ़ राष्ट्रीय ग्रिड के विकास के लिए आवश्यक परियोजनाएं शामिल हैं। इस राशि से

पावरग्रिड स्वयं से 53,000 करोड़ रुपये निवेश करने का प्रस्ताव रखता है तथा शेष राशि को निजी निवेश के द्वारा जुटाए जाने की परिकल्पना की गयी है। विशाल निवेश योजना की पूर्ति करने के लिए, पावरग्रिड बाजार तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे एशियाई विकास बैंक (ए०डी०बी०) तथा विश्व बैंक से समय-समय पर ऋण उगाहता रहता है। ए०डी०बी० ने हाल ही में पावरग्रिड को उसके ग्रिड सशक्तीकरण, अंत:क्षेत्रीय और उत्पादन से जुड़ी पारेषण परियोजनाओं के लिए 250 मिलियन अमरीकी डॉलर का प्रत्यक्ष ऋण अनुमोदित किया है। यह ऋण 10 जनवरी, 2001 से प्रभावी हो गया है। पावरग्रिड ने अपनी विभिन्न पारेषण स्कीमों के क्रियान्वयन हेतु 450 मिलियन अमरीकी डॉलर के एक ऋण हेतु विश्व बैंक के साथ 13 जून, 2001 को एक करार पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

कंप्यूटरीकृत ब्लू फिल्मों का उत्पादन

831. श्री रामदास आठवले : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कंपनियों को देश में कंप्यूटरीकृत ब्लू फिल्मों के निर्माण में लिप्त पाया गया है;

(ख) क्या इन फिल्मों को अन्य देशों विशेषकर खाड़ी देशों को भेजा जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आये हैं और इनमें शामिल कंपनियों के नाम क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये/उठाये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) भारत में फिल्म उद्योग निजी क्षेत्र में है। इसलिए इस संबंध में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। तथापि, चलचित्र अधिनियम, 1952 में निहित प्रावधानों के अनुसार, कोई भी फिल्म केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणन के बिना सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रदर्शित नहीं की जा सकती। देश में कम्प्यूटरीकृत ब्लू फिल्मों के निर्माण अथवा उनके वितरण/निर्यात के संबंध में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को कोई जानकारी नहीं है। चलचित्र अधिनियम, 1952 को लागू करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों की है और ऐसे अपराधों के संबंध में संबंधित कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई, संबंधित जिला/पुलिस प्राधिकारियों द्वारा की जानी अपेक्षित है।

[अनुवाद]

क्रास सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना

832. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने अगले कुछ वर्षों में शुल्क दरों की क्रास सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(ख) क्या उक्त को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने हेतु कोई विशेष समयसीमा या कार्यक्रम तय किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसी शुल्क विनियामक की नियुक्ति की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो विनियामक के क्या कृत्य हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दिहाड़ी मजदूरों को नियमित किया जाना

833. श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग में बड़ी संख्या में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों को नियमित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आज की तिथि के अनुसार दिहाड़ी मजदूरों की जोनवार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने पश्चिम और मध्य रेलवे में इन दिहाड़ी मजदूरों को धीरे-धीरे नियमित करने हेतु कोई कार्ययोजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन सभी मजदूरों को कब तक नियमित किये जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

यात्री रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता की स्थिति

834. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में यात्री रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता संबंधी खराब और असंतोषजनक स्थिति के बारे में शिकायतें बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो गत 6 महीनों के दौरान ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं; और

(ग) रेलगाड़ियों में और रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता की अच्छी स्थिति हेतु क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां। हाल के महीनों में यात्री गाड़ियों में तथा रेलवे स्टेशनों पर साफ-सफाई की खराब तथा असंतोषजनक स्थिति के कारण रेलों द्वारा प्राप्त शिकायतों में मामूली वृद्धि हुई है।

(ख) इस कारण रेलों द्वारा अप्रैल, 2000 से सितम्बर, 2000 के दौरान 334 शिकायतों की तुलना में अप्रैल, 2001 से सितम्बर, 2001 के दौरान कुल 355 शिकायतें प्राप्त की गई थीं।

(ग) गाड़ियों तथा रेलवे स्टेशनों में साफ-सफाई में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की जा रही है/किए जाने का प्रस्ताव है :

(i) रख-रखाव के लिए पर्याप्त समय की व्यवस्था करना।

(ii) सवारी डिब्बों की मासिक गहन सफाई।

(iii) कोचिंग डिपों पर उच्च दबाव के जेट क्लीनिंग संयंत्रों तथा रास्ते में स्टेशनों पर मोबाइल जेट क्लीनिंग मशीनों का प्रयोग।

(iv) बेहतर तथा पर्यावरण हितैषी सफाई एजेंटों का इस्तेमाल।

(v) विशिष्टता प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से सवारी डिब्बों पर पेस्ट कंट्रोल।

(vi) चुनिंदा गाड़ियों पर चल सफाई वालों की तैनाती

(vii) स्टेशनों पर प्रसाधनों का भुगतान करो तथा इस्तेमाल करो योजना की शुरूआत।

(viii) स्टेशनों पर धुलनीय एप्रेनों, अतिरिक्त कूड़ेदानों, नालियों की मरम्मत, कचरे हटाने की व्यवस्था।

(ix) रेलवे क्षेत्रों तथा गाड़ियों को साफ रखने के लिए यात्रियों का सहयोग प्राप्त करने की बार-बार घोषणा।

(x) हालत की निगरानी रखने के लिए नियमित निरीक्षण तथा अचानक जांचें।

(xi) लंबी दूरी की गाड़ियों की रास्ते में सफाई को प्रभावी बनाने के लिए 'साफ गाड़ी वाले स्टेशन' के रूप में पहचाने गए स्टेशनों का विकास करना।

[अनुवाद]

मीटर लाइन वाली पटरियों का बड़ी लाइन के लिए इस्तेमाल

835. **श्री मोइनुल हसन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1947 में मीटर लाइन के लिए विनिर्मित रेल की पटरियों का इस्तेमाल 1987 में जोधपुर डिविजन में बड़ी लाइन के लिए किया गया जिसके कारण रेलगाड़ियां कई बार पटरी से उतरीं;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (ग) फुलेरा-डेगाना के मीटर लाइन खण्ड का नवीकरण वर्ष 1987 में 1947 में निर्मित पहले से उपयोग की गई और बड़ी लाइन खण्डों से विनिर्मुक्त 90 आर पटरियों से किया गया था। आमान परिवर्तन के समय इन्हीं पटरियों का इस्तेमाल किया गया था। 90 आर पटरियां बड़ी लाइन पर उपयोग की जा रही थीं तथा इन पटरियों का उपयोग बड़ी लाइन और मीटर लाइन दोनों में किया जा सकता है।

फिल्मों के वित्तपोषण के लिये भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश

836. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान फिल्मों के वित्तपोषण के लिये भारतीय रिजर्व बैंक के अवास्तविक दिशा-निर्देशों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारतीय फिल्म फेडरेशन ने दिशा-निर्देशों में संशोधन का कोई सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) फिल्म उद्योगों को और वित्त उपलब्ध कराने हेतु क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं। इस मंत्रालय को भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 14.5.2001 के अवास्तविक दिशा-निर्देशों के वास्तविक होने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की बकाया रिक्तियां

837. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 16(4) ख के तहत की गई व्यवस्था के अनुसार किसी वर्ष में आरक्षित रिक्त पदों की 50% की अधिकतम सीमा से बचने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पिछले बकाया/अग्रेनीत रिक्त पदों को एक अलग और विशेष समूह के रूप में माना जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसार जब अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने वाले विशेष अभियान, आदि को रोका गया था, तब उनके मंत्रालय में डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था० (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार यथा सुनिश्चित समूह क, ख, ग और घ श्रेणियों में बकाया/अग्रेनीत रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत चार वर्षों के दौरान ऐसे कितने रिक्त पद भरे गए और कितने पद रिक्त पड़े रहे; और

(घ) गत चार वर्षों के दौरान पद आधारित रोस्टर के अनुसार सभी श्रेणियों में आरक्षित वर्गों के लिए बने नए रिक्त पदों/उपार्जित पदों का ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) जी, हां।

(ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की स्वीकृत स्टाफ संख्या 397 है जिसमें समूह क, ख, ग, एवं घ शामिल हैं। इसमें से केन्द्रीय सचिवालय से संबंधित 127 स्टाफ के संवर्ग का नियंत्रण विद्युत मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और उनके द्वारा आरक्षण रोस्टर आदि का रखरखाव किया जा रहा है। समूह 'क' के 13 पदों का नियंत्रण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है। राजभाषा विभाग द्वारा समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' में 5 पदों का नियंत्रण किया जा रहा है। यह मंत्रालय एक वैज्ञानिक मंत्रालय है और इसमें समूह 'क' के 81 वैज्ञानिक पद हैं। वैज्ञानिक पदों में आरक्षण केवल एन्ट्री ग्रेड पर ही लागू है। इस मंत्रालय का प्रशासनिक नियंत्रण केवल वैज्ञानिक और समूह 'घ' पदों पर ही है। इस मंत्रालय में कुछ पृथक (संवर्ग-बाह्य) पद प्रतिनियुक्ति आधार पर भरे जाते हैं किन्तु ऐसे पदों के लिए कोई आरक्षण लागू नहीं है। इस मंत्रालय में पिछले 6-7 वर्षों से वैज्ञानिक पदों के लिए कोई भर्ती नहीं की गई है। इस स्थिति के मद्देनज़र, कोई बकाया आरक्षित रिक्त पद उपलब्ध नहीं है।

(ग) पिछले चार वर्षों से कोई बकाया रिक्त पद मौजूद नहीं है। वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (ग्रेड-II) (समूह 'अ') के ग्रेड में एक रिक्त पद और चपरासी (समूह 'घ') के ग्रेड में एक रिक्त पद भरे जाने बाकी हैं।

(घ) पिछले चार वर्षों के दौरान पदों के सभी श्रेणियों में आरक्षित वर्गों के लिए कोई नए रिक्त पद/उपार्जित पद नहीं हुए।

तमिलनाडु में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र

838. **श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए नियमों में ढील देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत किन नगरों को शामिल किये जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (ग) यह एक सतत् प्रक्रिया है। यात्री आरक्षण प्रणाली का विस्तार स्वीकृति के समय मौजूदा नीति के अनुसार निर्धारित की जाती है।

[हिन्दी]

चीनी मिलों में खोई आधारित विद्युत संयंत्र

839. **श्रीमती जयश्री बैनर्जी :** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मिलों को खोई आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा;

(ख) क्या खोई को ईंधन के रूप में प्रयुक्त कर 5000 मेगावाट विद्युत उत्पन्न किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो क्या चीनी मिलों को शीरे से ईथानोल का उत्पादन करना बाध्यकारी बनाए जाने की संभावना है;

(घ) क्या चीनी मिलों के सह-उत्पादों के उपयोग हेतु राष्ट्रव्यापी योजना बनाए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) और (ख) जी, हां। देश में चीनी मिलों में खोई आधारित सहउत्पादन के माध्यम से अतिरिक्त विद्युत उत्पादन की कुल संभाव्यता 3500 मेगावाट होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) से (ङ) खोई आधारित सह उत्पादन को सुगम बनाने और साथ ही एल्कोहॉल से एनहाईड्रोज़ एल्कोहॉल के उत्पादन के लिए शुगर डेवलपमैंट फंड (एस०डी०एफ०) से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु शुगर डेवलपमेंट फंड अधिनियम में संशोधन करने के लिए उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा एक प्रस्ताव बनाया गया है।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा बायोमास विद्युत और खोई आधारित सहउत्पादन पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वियन किया जा रहा है। चीनी मिलों में खोई आधारित सहउत्पादन परियोजनाओं के माध्यम से 226 मेवा० की अतिरिक्त विद्युत क्षमता स्थापित की गई है। 259 मेवा० की अतिरिक्त क्षमता कार्यान्वयन के अधीन है।

ईथनोल फ्यूल मिश्रणों एवं अन्य बायोईंधनों के उपयोग पर एक नीति विश्लेषण अध्ययन भी किया जा रहा है।

[अनुवाद]

सह-उत्पादक संयंत्र

840. श्री जी०एस० बसवराज :
श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने मैसर्स मैसूर शुगर कंपनी, मांड्या (स्थापित क्षमताः 30 मेगावाट) द्वारा सह-उत्पादक संयंत्र स्थापित करने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की सहमति प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रक्षित/सह-उत्पादक विद्युत संयंत्र के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र में महत्वपूर्ण आंकड़े भी प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या यह प्रस्ताव अब भी मंत्रालय के पास लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) और (ख) मैसर्स मैसूर शुगर कंपनी द्वारा मांड्या में 30 मेगावाट क्षमता के सहउत्पादन विद्युत संयंत्र के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जनवरी, 2001 में कर्नाटक सरकार से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी०ई०ए०) में प्राप्त हुई थी। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी०ई० ए०) के प्रपत्र में प्रमुख डाटा मार्च, 2001 में कर्नाटक सरकार से प्राप्त हुआ था। विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 की धारा 44 (2क) के अंतर्गत सी०ई०ए० का परामर्श, मैसर्स मैसूर शुगर कंपनी लि० द्वारा मांड्या में 30 मेगावाट के सहउत्पादन विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए जून, 2001 में कर्नाटक सरकार को भेज दिया गया था।

(ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय को प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एन०टी०पी०सी० द्वारा उत्पादित बिजली

841. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2001-2002 के दौरान उड़ीसा में एन०टी०पी० सी० की तालचेर द्वितीय चरण परियोजना और अन्य संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन हेतु क्या अनुमान लगाया गया है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के उड़ीसा में दो क्रियाशील विद्युत केन्द्र हैं नामशः तालचेर सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरण-1 (2×500 मेगावाट) एवं तालचेर ताप विद्युत केन्द्र (460 मेगावाट)। जिन्हें तत्कालीन उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड से हाथ में लिया गया है। वर्ष 2001-02 के दौरान इन केन्द्रों से क्रमशः 5475 मिलियन यूनिट एवं 2500 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन का अनुमान है।

वर्तमान में एन०टी०पी०सी० उड़ीसा में तालचेर सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरण-2 (4×500 मेगावाट) को क्रियान्वित कर रहा है। परियोजना के प्रथम यूनिट को नवम्बर, 2003 में चालू किया जाना तय है।

पंजाब में संयुक्त खुदरा बिक्री केन्द्र

842. श्री जे०एस० बराड़ : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में बी०पी०सी०एल० द्वारा संयुक्त खुदरा बिक्री केन्द्रों के आवंटियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) जिला प्राधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र करने हेतु आवेदन करने की तारीख और प्रत्येक विक्रय केन्द्र के खोले जाने की तारीख अलग-अलग क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में चालू कैलेंडर वर्ष के दौरान अब तक प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर क्या कार्रवाई की गई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जुबिली खुदरा बिक्री केन्द्रों (जे०आर०ओज०) का प्रचालन श्रमिक ठेकेदारों द्वारा उपलब्ध कराई गई मानवशक्ति की सहायता से संबंधित तेल कम्पनियों द्वारा स्वयं किया जाता है। भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बी०पी०सी०एल०) द्वारा पंजाब राज्य में आरंभ किए गए जुबिली खुदरा बिक्री केन्द्रों का ब्यौरा, जिसमें अनापत्ति प्रमाण पत्रों से संबंधित आवेदन पत्रों की तारीखें भी दी गई हैं, नीचे दिया गया है :-

क्र० सं०	स्थान	जिला	1.10.2001 की स्थिति के अनुसार	
			आवेदन पत्र की तारीख	आरंभ होने की तारीख
1.	सादिक	फरीदकोट	9.11.99	24.2.00
2.	सलबतपुरा	भटिंडा	9.11.99	28.3.00
3.	बनवाला	फिरोजपुर	22.11.99	24.3.00
4.	डीरबा	संगरूर	27.12.99	12.4.00
5.	गुरदासपुर	गुरदासपुर	26.2.00	25.6.00

(ग) और (घ) एक जुबिली खुदरा बिक्री केन्द्र की उसे प्रचालकता के आवंटन के लिए बुर्ज, जिला फिरोजपुर में स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित किया गया था, के लिए पहचानी गई भूमि के भूस्वामियों के अटर्नी से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। चूंकि आगे और जुबिली खुदरा बिक्री केन्द्रों के विकास से संबंधित योजना नवंबर 2000 में बंद कर दी गई थी इसलिए बुर्ज में इस जुबिली खुदरा बिक्री केन्द्र से संबंधित प्रस्ताव समाप्त कर दिया गया था।

बिना टिकट यात्रा

843. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे में बिना टिकट वाले यात्रियों की संख्या बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे की ओर से सर्तकता की कमी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या दक्षिण मध्य रेलवे में आरक्षित डिब्बों में बड़ी संख्या में लोग गैर-कानूनी ढंग से घुस जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा आरक्षित डिब्बों में इस तरह से अवैध ढंग से घुसने वालों को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (घ) बिना टिकट यात्रा का सही-सही अनुमान लगा पाना संभव नहीं है। इस बुराई पर अंकुश लगाने के लिए रेलों के प्रयास में कोई ढिलाई नहीं है। बहरहाल, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब कुछ व्यक्ति गाड़ियों के आरक्षित डिब्बों में बलात् प्रवेश कर जाते हैं। इन्हें नियमों के अनुसार दंडित/अभियोजित किया जाता है। इस बुराई पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे कर्मचारियों द्वारा पुलिस और रेलवे मजिस्ट्रेटों के सहयोग से गाड़ियों में नियमित जांच और समय-समय पर अचानक जांच की जाती है। गाड़ियों के सुचारू चालन में संभावित गड़बड़ी के बारे में आसूचना भी एकत्र की जाती है और पुलिस के सहयोग से इस समस्या से निपटने के लिए सभी संबंधित प्राधिकरियों को सूचित किया जाता है।

कम्प्यूटर की खरीद में धनराशि का दुरूपयोग

844. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ वर्ष पहले जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के लिये कम्प्यूटर और अन्य सामग्रियों की खरीद की गई थी, तो उसमें निधियों का दुरूपयोग किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) कितने कम्प्यूटर खरीदे गये और उन पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(घ) इसके लिये आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के लिये कम्प्यूटरों की खरीद करते समय प्रतिष्ठित डीलरों से मुहरबंद निविदायें मंगाई थी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (च) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपने मुख्यालय के उपयोग के लिए 1997 से कम्प्यूटरों की खरीद शुरू की। 31.12.2000 तक, लगभग 26.33 लाख रुपये के 25 कम्प्यूटर प्रतिष्ठित डीलरों एवं सरकार अनुमोदित एजेंसियों से खरीदे गए थे। ये खरीदें कार्यालय-व्यय के तहत किए गए आबंटन से की गई थीं।

छोटे आकार के सिलिंडर शुरू किया जाना

845. डा० वी० सरोजा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों का विचार घरेलू उपयोग के लिये छोटे आकार के सिलिंडर शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) उपभोक्ताओं को छोटे सिलिंडर कब तक उपलब्ध हो जायेंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) सरकार ने घरेलू प्रयोजन के लिए 5 किलोग्राम भार के एल०पी०जी० सिलेंडरों के विपणन हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को सिद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी है। घरेलू प्रयोजन के लिए छोटे आकार के सिलेंडरों की बिक्री उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना विकसित होने के बाद आरंभ होगी।

विशेष पार्सल रेलगाड़ी

846. श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना० मोहोल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग यात्री रेलगाड़ियों से ब्रेक वैन हटाने और उनके बदले चयनित मार्गों पर विशेष पार्सल रेलगाड़ी चलाने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए किन मार्गों की पहचान की गई है;

(घ) क्या यह सच है कि रेल विभाग पार्सल व्यवसाय पर आय की तुलना में खर्च अधिक करता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) रेल विभाग द्वारा पार्सल से हुये घाटे को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) रेलें बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाने वाले आवश्यक पण्यों जैसे फल, सब्जियां तथा समाचार पत्र/पत्रिकाओं की बड़ी मात्रा में विशेष रियायती दरों पर ढ़ोती है ताकि आम आदमी पर भार कम पड़े। रियायती दरें कठोर पार्सलों के लिए लागू जनरल पार्सल स्केल की तुलना में 50% से 77% तक कम हैं। इस हानि को वहन करने का प्रमुख कारण सामाजिक दायित्व है।

(च) रेलों ने पार्सल सेवा से आमदनी बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में कदम उठाए हैं। इनमें फ्रंट एस०एल०आर० (ब्रेक यानों) को पट्टे पर देना, राउंड ट्रिप वी०पी० (पार्सल यान) को पट्टे पर देना, आम विशेष, केला विशेष, चीकू विशेष सहित व्यस्त समय की मांग को पूरा करने के लिए विनिर्दिष्ट विशेष पण्यों का चालन तथा हालही में शुरू की गई सहस्त्राब्दी पार्सल सेवा के अंतर्गत इंटर मेट्रो मार्गों पर स्थल दर स्थल नामित दिन गांरटीशुदा-पारवहन उच्च क्षमता वी०पी० (पार्सलयान) शामिल हैं।

एशिया-प्रशांत सम्मेलन

847. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल में सिंगापुर में आयोजित एशिया-प्रशांत सम्मेलन में भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में जिन विषयों पर चर्चा हुई उनका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने सिंगापुर में 10-12 सितंबर, 2001 के बीच आयोजित 17वें एशिया पेसिफिक पेट्रोलियम कानफ्रेंस (एपेक, 2001) में भाग लिया। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री के मुख्य भाषण में मूल्य के अंतर्राष्ट्रीय रूझान तथा विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव, हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की नियंत्रणमुक्ति के लिए भारत की वचनबद्धता तथा भारत में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के अंतर्गत निवेश के अवसरों को केन्द्र बिन्दु बनाया गया था। विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ पारस्परिक हितों के बारे में द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गई थीं।

उड़ीसा में एल०पी०टी० केन्द्रों की स्थापना

848. **श्रीमती कुमुदिनी पटनायक :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के गंजम जिले में पोलासारा, कोडाला और मंजानगर और अन्य हिस्सों में कम शक्ति ट्रांसमीटर केन्द्रों की स्थापना की मांग के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान में गंजम जिले के 5 ट्रान्समीटरों सहित उड़ीसा में 93 ट्रान्समीटर कार्य कर रहे हैं। उड़ीसा में कवरेज के और विस्तार के लिए 4 ट्रान्समीटर परियोजनाएं नामश: बेरहामपुर में उ०श०ट्रा० तथा चिकती, तुतारा और बहाल्ड़ा में अ०श०ट्रा० कार्यान्वयनाधीन हैं। पोलासारा और कोड़ाला में ट्रान्समीटर स्थापित करने की फिलहाल कोई स्कीम नहीं है।

आयुध निर्माणी, मेडक द्वारा दोषपूर्ण आपूर्ति

849. **श्री रघुनाथ झा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना को आपूर्ति किए जाने वाले मोर्टार, अन्य गोलाबारूद और बैरेलों की गुणवत्ता अच्छी नहीं है;

(ख) क्या 2 नवम्बर, 2001 को 'दैनिक जागरण' में प्रकाशित समाचार के अनुसार देहरादून के असन फाइरिंग रेंज में हाल में मोर्टार के गोलों में हुये विस्फोट से भारतीय रक्षा अकादमी के कैडटों और उनके प्रशिक्षक की मौत हो गई;

(ग) क्या आयुध निर्माणी मेडक, राइफल कारखाना इशापुर को 'इन्वेस्टमेंट कास्टिंग' की आपूर्ति करता रहा है और यह कारखाना उन 'इन्वेस्टमेंट कास्टिंग' को अस्वीकृत कर लौटाता रहा है जिसके फलस्वरूप 78.16 लाख रु० का नुकसान हुआ है लेकिन आयुध कारखाना, मेडक इस दलील पर इस हानि को स्वीकार नहीं कर रहा है कि उनके गुणवत्ता आश्वासन विभाग ने इनकी स्वीकृति दे दी थी; और

(घ) यदि हां, तो आयुध निर्माणी, मेडक द्वारा इशापुर राइफल फैक्ट्री को की जा रही 'इन्वेस्टमेंट कास्टिंग' आपूर्ति की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने और सुधारात्मक कदम उठाने का कोई प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) पहली नवंबर, 2001 को असन फायरिंग रेंज में फायरिंग अभ्यास के दौरान 51 मि०मी० मोर्टार के बैरल के भीतर बम में

समयपूर्व विस्फोट होने के कारण भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के दो जेंटलमैन कैडेट और एक हवलदार हथियार प्रशिक्षण अनुदेशक की मृत्यु हो गई थी।

(ग) राइफल फैक्ट्री, ईशापुर (आर०एफ०आई०) को आयुध निर्माणी परियोजना, मेडक (ओ०एफ०पी०एम०) से जून, 1993 से जुलाई, 1997 के दौरान नौ प्रकार की इन्वेस्टमेंट कास्टिंग्स प्राप्त हुई थीं। 78.16 लाख रुपये मूल्य की इन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग्स में से कुछ में अंतर (डेविएशंस) होने के कारण राइफल फैक्ट्री, ईशापुर ने उन्हें आयुध निर्माणी परियोजना मेडक को लौटा दिया था। मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, आयुध निर्माणी परियोजना, मेडक ने राइफल फैक्ट्री, ईशापुर से इन्वेस्टमेंट कास्टिंग्स की नामंजूरी को विनियमित करने का अनुरोध किया है।

(घ) इन्वेस्टमेंट कास्टिंग्स की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है। यह आशा की जाती है कि आयुध निर्माणी परियोजना, मेडक में इन कास्टिंग्स में परिशोधन किए जाने से नामंजूरियों की कीमत काफी घट जाएगी।

[हिन्दी]

भागलपुर–किऊल रेल खंड का विद्युतीकरण

850. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भागलपुर-किऊल रेल खंड के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) संसाधनों की तंगी और अन्य उच्च घनत्व वाले मार्गों के विद्युतीकरण की सापेक्ष प्राथमिकताओं के कारण है।

संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में भारतीय सैनिक

851. **श्री रामशकल :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक देशवार कितने भारतीय रक्षा कार्मियों की तैनाती की गई है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने सैनिकों के मारे जाने की खबर है; और

(ग) संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में मारे गये रक्षा कर्मियों के परिवारवालों को क्या सहायता प्रदान की गई ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत सदा से ही अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाए रखने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के प्रति गंभीरता से वचनबद्ध रहा है और संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना मिशनों के लिए सैन्य टुकड़ियों के वास्ते उसके अनुरोध के प्रति यथासंभव उत्तरदायी रहा है। विगत तीन वर्ष में संयुक्त राष्ट्र मिशनों हेतु भारत भेजे गए कार्मिकों का देशवार और मिशन-वार तथा अब तक नियोजित किए गए कुल कार्मिकों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) विगत तीन वर्ष में लेबनान में 2 कार्मिक और सिएरा लियोन में 5 कार्मिकों सहित विदेशों में सुंयक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में सेवारत भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सात कार्मिक हताहत हुए हैं।

(ग) विदेश में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में सेवारत भारतीय सशस्त्र सैन्य कार्मिकों की मृत्यु होने की स्थिति में उनके निकट संबंधी भारत में युद्ध अथवा युद्धसमान संक्रियाओं में मारे गए सशस्त्र सैन्य कार्मिकों के संबंध में देय उदारीकृत पेंशनरी लाभ पाने के हकदार हैं। इसके अतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र मिशनों में सेवा करते हुए मारे गए अथवा निशक्त हुए कार्मिकों के संबंध में मृत्यु/निशक्तता हर्जाने की प्रतिपूर्ति संयुक्त राष्ट्र द्वारा की जाती है।

विवरण

विगत तीन वर्ष में, भारत से रक्षा कार्मिकों के नियोजन का देश/संयुक्त राष्ट्र मिशन-वार विवरण :

क्रमांक	देश	मिशन	कार्मिकों की संख्या	अवधि
1.	लेबनान	यूएनआईएफआईएल	सभी रैंकों के 3702	नवंबर 1998 से आगे
2.	सिएरा लियोन	यूएनएएमएसआईएल	सभी रैंकों के 3443	जनवरी 1999 से दिसंबर 2000
3.	कांगो	एम ओ एन यू सी	41 अफसर	1999 से आगे
4.	कुवैत	यू एन आई के ओ एम	19 अफसर	1999 से आगे
5.	इथोपिया/एरिट्रिया	यू एन एम ई ई	सभी रैंकों के 1555	मार्च 2001 से आगे

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना संक्रियाओं के लिए भारत द्वारा अब तक कुल 59,082 सशस्त्र सैन्य कार्मिक नियोजित किए गए हैं।

[अनुवाद]

निधियों का दुरुपयोग

852. **श्री रामजी मांझी : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2000 की अपनी रिपोर्ट संख्या 7 में आयुध निर्माणी बोर्ड, आयुध निर्माणी महानिदेशक, और गुणवत्ता नियंत्रण महानिदेशक प्रतिष्ठान पर गंभीर आरोप लगाया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनमें से प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और इसके लिये सुरक्षोपाय उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाने गये हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने मार्च 1999 को समाप्त वर्ष के लिए 2000 की रिपोर्ट संख्या-7 में आयुध निर्माणी बोर्ड की कार्य प्रणाली के बारे में बीस लेखापरीक्षा पैरा तथा गुणता आश्वासन महानिदेशालय संगठन की कार्य प्रणाली के बारे में एक लेखापरीक्षा पैरा का उल्लेख किया है। इन लेखापरीक्षा पैराओं में आयुध निर्माणी संगठन का कार्य-निष्पादन, उत्पादन योजना, विनिर्माण, संभार, निरीक्षण और अन्य विविध क्षेत्र सम्मिलित हैं।

(ख) और (ग) ऐसी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रणाली में सुधार हेतु लेखापरीक्षा पैराओं पर, जहां कहीं आवश्यक था, उपचारात्मक कार्रवाई की गई है। जांच के दौरान जहां कहीं व्यक्तियों की चूक ध्यान में आई है वहां दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की शुरू की गई है। आयुध निर्माणी संगठन से संबंधित लेखापरीक्षा पैराओं पर की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी को लेखापरीक्षा प्राधिकारियों को भेज दिया गया है।

राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र की स्थापना

853. **श्री प्रभात सामन्तराय :**
डा० संजय पासवान :
श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसकी अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को लागू करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना प्रसारक एजेंसियों को स्वीकृत करने के उद्देश्य से पत्र सूचना कार्यालय द्वारा एक राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र स्थापित किया जाना है। प्रस्तावित प्रेस केन्द्र में मीडिया व्यक्तियों के लिए प्रेस सम्मेलन कक्ष, समिति कक्ष, पुस्तकालय आदि जैसी नवीनतम सुविधाएं होंगी। राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र स्थापित करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने 1994 में भूमि का एक प्लॉट आबंटित किया था। तथापि, पत्र सूचना कार्यालय को इसका कब्जा नहीं दिया जा सका क्योंकि यह बाधा-रहित नहीं था। हाल ही में एक वैकल्पिक प्लॉट रायसीना रोड पर आबंटित किया गया है। भूमि का अधिग्रहण न होने के कारण लागत अनुमान तैयार नहीं किया जा सके, हालांकि 9वीं योजना में प्रेस केन्द्र के लिए निधियां प्रक्षिप्त की गई थीं। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 10वीं योजना में भी राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र की स्थापना हेतु बजटीय प्रावधान करने का प्रस्ताव है।

भारतीय कंटेनर निगम (कानकॉर) द्वारा लिया गया ऋण

854. **श्री अरुण कुमार : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कंटेनर निगम (कानकॉर) ने टर्मिनल आपरेट करने वाले उपकरण खरीदने हेतु आई०एफ०सी०आई० से 24% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर ऋण लिया है और दूसरी ओर यह निजी और अनधिकृत ठेकेदारों को कम ब्याज दर पर ऋण/अग्रिम प्रदान करता रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे ऋणों का उपभोग करने हेतु कोई मानदंड व शर्तें तय की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे ऋण के दुरूपयोग के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (ग) जी, हां। कॉनकोर ने एक्सचेंज रिस्क एडमिनिस्ट्रेशन स्कीम (ई०आर०ए०एस०) के अंतर्गत भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि० (आई०एफ०सी०आई०) से सम्हलाई उपस्करों (सिंगापुर से दो रबर टायर गेन्ट्री क्रेन (आर०टी०जी०) के आयात के लिए विदेशी मुद्रा ऋण लिया था। कॉनकोर ने ऋण समझौते के अनुसार 23% वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान किया।

कॉनकोर ने कंपनी की सरप्लस विधि से व्यवसाय गतिविधियों से संबद्ध पार्टियों को कुछ ऋण दिए हैं। आई०एफ०सी०आई० ऋण का उपयोग इस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व धरोहर स्थलों के लिए यूनेस्को की निधियां

855. **श्री एच०जी० रामुलू :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण हेतु यूनेस्को से स्मारक वार कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान खर्च की गई राशि और कराये गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित विश्वदाय स्थलों के लिए धन दिया गया है।

(i) सांची स्थित बौद्ध स्मारक

(ii) आगरा किला में प्रस्तर संरक्षण हेतु एक प्रयोगशाला की स्थापना।

(ख) प्राप्त वित्तीय सहायता एवं किए गए कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

स्मारक	वर्ष	प्राप्त धन (लाख रुपयों में)	व्यय	शुरू किए गए कार्य
1. बौद्ध स्मारक सांची	1998-99	शून्य	पहले ही प्राप्त धन में से 10.54 लाख रुपये	संरचना एवं मन्नत स्तूप का संरक्षण (i) हौज सं० 1 के स्कीम प्रस्तर क्षेपण (ii) सांची पहाड़ी के चारों ओर बाड़ लगाना
2. आगरा किला में प्रस्तर संरक्षण हेतु प्रयोगशाला की स्थापना	1998-99	शून्य	शून्य	छत, फर्श, पलस्तर बदलकर, जल आपूर्ति कर एवं वातानुकूलन संयंत्र लगाकर मौजूदा भवन को पुर्नव्यवस्थित करना।
	1999-2000	2.53	2.44	
	2000-2001	—	—	
	2001-2002	4.14	0.09 (अब तक)	

[हिन्दी]

जेड०आर०यू०सी०सी० में नामनिर्देशन हेतु दिशानिर्देश

856. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा जोनल रेल उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति (जेड०आर०यू०सी०सी०)/स्टेशन सलाहकार समिति में नामनिर्देशन हेतु क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) क्या उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार मुम्बई जोन तथा अहमदनगर स्टेशन पर इन समितियों का चयन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का जोनल रेलवे उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति में नामनिर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्य भी नियुक्त करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) क्षेत्रीय रेलें उपयोगकर्ता परामर्श समिति/स्टेशन परामर्श समिति में नामांकन के दिशानिर्देश भारतीय रेल यातायात संहिता (वाणिज्य विभाग) (1993 संस्करण) के अध्याय V में अंतर्विष्ट हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार क्षेत्रीय जल उपयोगकर्ता परामर्श समिति में संसद सदस्यों, केंद्रीय मंत्रियों के प्रतिनिधियों, राज्य सरकार, राज्य विधान सभाओं, प्रमुख वाणिज्य मंडल एवं व्यापार एसोसिएशन, कृषि एसोसिएशनों, पत्तनों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पंजीकृत यात्री संगठनों, उपभोक्ता संरक्षण संगठनों और मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति के निर्वाचित सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इसके अलवा, रेल मंत्री द्वारा उन उपयोगकर्ताओं जिन्हें अन्यथा प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, के हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए 'विशेष हित' कोटि के अंतर्गत कुछ सदस्यों का भी नामांकन किया जाता है।

स्टेशन परामर्श समितियां प्रत्येक क्षेत्रीय एवं मंडल मुख्यालय और महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं वाणिज्य केन्द्रों को सेवित करने वाले चुनिंदा स्टेशनों पर भी गठित की जाती है। इस समिति में वाणिज्य मंडल, स्थानीय व्यापार एवं उद्योगों, पंजीकृत यात्री एसोसिएशनों, स्थानीय शैक्षिक संस्थानों, स्थानीय स्वशासी निकायों और आम जनता के प्रतिनिधि शामिल

होते हैं। सामान्यत: स्टेशन परामर्श समिति की सदस्यता 10 से अधिक नहीं होती है।

(ख) जी, हां।

(ग) मध्य और पश्चिम रेलवे के मुम्बई जोन में क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों तथा अहमदनगर में स्टेशन परामर्श समिति का गठन 1.1.2000 से 31.12.2001 तक दो वर्ष की अवधि के लिए किया गया है और इन समितियों में नामांकन सामान्यत: निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

(घ) और (ङ) मौजूदा क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति का कार्यकाल केवल 31.12.2001 तक है और इसलिए मौजूदा क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति में कोई अतिरिक्त सदस्य नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

आरक्षित रिक्तियों का बैकलॉग

857. डा० मन्दा जगन्नाथ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 16(4) ख के तहत की गई व्यवस्था के अनुसार किसी वर्ष में आरक्षित रिक्त पदों की 50% की अधिकतम सीमा से बचने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पिछले बकाया/अग्रेनीत रिक्त पदों को एक अलग और विशेष समूह के रूप में मांना जाना अपेक्षित है; .

(ख) यदि हां, तो 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसार अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने वाले विशेष अभियान, आदि की समाप्ति पर रेल मंत्रालय में डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था० (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार समूह क, ख, ग और घ श्रेणियों में निर्धारित बकाया आरक्षित रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे अग्रेनीत कितने रिक्त पद भरे गए और कितने पद रिक्त पड़े रहे; और

(घ) गत चार वर्षों के दौरान पद आधारित रोस्टर के अनुसार सभी श्रेणियों में आरक्षित वर्गों के लिए बने नए रिक्त पदों/दिए गए पदों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) संविधान (इक्यासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 के अनुसरण में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संबंध में नोडल मंत्रालय यथा कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (डी०ओ०पी०टी०) के दिनांक 20.7.2000 के कार्यालय ज्ञापन सं० 36012/5/97-स्था० (आरक्षण) जिल्द-II के तहत आवश्यक निर्देश प्राप्त हुए थे। बहरहाल, इस संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों के संबंध में कोई नीति गत अनुदेश उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) डी०ओ०पी०टी० के उपरोक्त उल्लेखित निर्देशों के प्राप्त होने पर विशेष भर्ती अभियान द्वारा 30.6.2000 को अ०ज०/अ०ज०जा० की आकलित/मौजूदा बकाया/पिछले वर्ष से चली आ रही रिक्तियों को भरने के लिए कार्रवाई की गई है जिनमें विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से अ०जा०/अ०ज०जा० की कमी/पिछले वर्ष से चली आ रही रिक्तियां भी शामिल हैं। आकलन के अनुसार, समूह 'क' और समूह 'घ' के भर्ती के उक्त अभियान में निम्नलिखित रिक्तियों की पहचान की गई है।

समूह 'ग'		समूह 'घ'	
अ०जा०	अ०ज०जा०	अ०जा०	अ०ज०जा०
1340	1058	1707	2327

(घ) पिछले चार वर्षों अर्थात् 31 दिसंबर 1996, 1997, 1998 और 1999 के अंत में अ०जा०/अ०ज०जा०/अ०पि०व० (नयी प्रोद्‌भूत रिक्तियों सहित) के लिए भर्ती कोटियों में आरक्षित रिक्तियां निम्नानुसार हैं :—

वर्ष	अ०जा०/अ०ज०जा०/अ०पि०व० के लिए आरक्षित रिक्तियां			
	समूह 'क'	समूह 'ख'	समूह 'ग'	समूह 'घ'
1996				
अ०जा०	37	1	1897	1899
अ०ज०जा०	18	कुछ नहीं	1120	1452
अ०पि०व०	133	कुछ नहीं	4574	3364
1997				
अ०जा०	47	1	1753	3122
अ०ज०जा०	23	1	1146	1712
अ०पि०व०	100	2	4445	5017
1998				
अ०जा०	91	1	1917	2131
अ०ज०जा०	47	1	1085	1480
अ०पि०व०	173	2	2587	2333
1999				
अ०जा०	59	4	2050	1336
अ०ज०जा०	26	1	966	420
अ०पि०व०	123	2	3702	3585

जैविक युद्ध से निपटने के लिए प्रशिक्षण

858. **श्री वाई०वी० राव :**
श्री पी०आर० खूंटे :
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :
श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी०आर०डी०ओ०) का राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में नागरिक अधिकारियों के लिए जैविक तथा रासायनिक युद्ध के सभी पहलुओं से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रशिक्षण कार्यक्रम से जैविक और रासायनिक युद्ध के खतरे से नागरिकों को किस हद तक बचाया जा सकेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) रक्षा अनुसंधान एवं विकास स्थापना ग्वालियर, जो कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की एक प्रयोगशाला है, कि नवंबर, 2001 के अंतिम सप्ताह में चार दिन की अवधि के पाठ्यक्रम शुरू किए जाने की योजना है। इस पाठ्यक्रम में समस्या के सभी पहलुओं से संबंधित सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक सत्र होंगे।

(ग) इस प्रशिक्षण से जागरूकता पैदा होगी तथा यह समस्या के विभिन्न पहलुओं से निपटने हेतु प्रतिभागियों को कौशल प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, सूचना के अधिक प्रसार से प्राधिकारियों तथा जनता के दिमाग मे भय दूर होगा।

मुंबई हाई परियोजना

859. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में मुम्बई हाई में एक नई परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना से तेल और प्राकृतिक गैस में होने वाली वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना पर कितना व्यय होने की संभावना है;

(घ) इस परियोजना से कब तक उत्पादन शुरू होने की संभावना है; और

(ङ) इस परियोजना से कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां। मुंबई हाई (उत्तर) क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए परियोजना का क्रियान्वयन कार्य जनवरी, 2001 में शुरू हुआ और मुंबई हाई दक्षिण क्षेत्र का कार्य अक्तूबर, 2001 में शुरू हुआ।

(ख) इन क्षेत्रों से तेल और गैस का अनुमानित संवर्धित उत्पादन निम्नवत् हैं :—

	तेल (मि०मी०ट)*	गैस (बि०घ०मी०)*
मुंबई हाई (उत्तर)	24.80	5.85
मुंबई हाई (दक्षिण)	35.95	9.63

*मि०मी०ट० मिलियन मीटरी टन

*बि०घ०मी० मिलियन घन मीटर

(ग) मुंबई हाई उत्तर तथा मुंबई हाई दक्षिण की पुनर्विकास परियोजनाओं पर होने वाला अनुमानित व्यय क्रमशः 2929.40 करोड़ रुपए तथा 5255.97 करोड़ रुपए है।

(घ) इन क्षेत्रों के कुछ कूपों से संवर्धित उत्पादन वर्ष 2001-02 में प्रारंभ होगा और वर्ष 2003-04 तक इसका उत्पादन चरम सीमा पर पहुंच जाएगा।

(ङ) कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्य को 18 अमरीकी डालर/प्रति बैरल मानते हुए अतिरिक्त उत्पादन द्वारा विदेशी मुद्रा राशि बचाए जाने की संभावना है, परिणामतः कम आयातों के कारण अनुमानतः लगभग 9,072.58 मिलियन अमेरीकी डालर (43,548.41 करोड़ रु०) की बचत होगी। तथापि, परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर उपगत पूंजी व्यय के कारण, लगभग 1,427.28 मिलियन अमेरिकी डालर (6,708.25 करोड़ रु०) विदेशी मुद्रा का व्यय भी होगा।

तेल कंपनियों द्वारा इंटरनेट के माध्यम से बुकिंग

860. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के तेल कंपनियां इंटरनेट के द्वारा अपने ग्राहकों के आदेश बुक कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रिफिल की बुकिंग हेतु उत्तरोत्तर स्वचालित और इंटरेक्टिव प्रणाली शुरू हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने कुछ शहरों में प्रायोगिक आधार पर ग्राहकों से संबंध बढ़ाने के प्रयत्न करते हुए ऑन-लाइन ग्राहक सेवा प्रारंभ की है। इसी प्रकार, इन कंपनियों के

कुछ एल०पी०जी० वितरक अपने ग्राहकों को इंटरेक्टिव वॉयस रिकार्डिंग प्रणाली (आई०बी०आर०एस०) के जरिए रिफिल बुकिंग सुविधा भी दे रहे हैं।

मुम्बई में सड़क उपरिपुल के लिये रक्षा विभाग की भूमि

861. **श्री किरीट सोमैया :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना और मुम्बई नगर निगम के बीच मतभेद के कारण गांधीनगर जंक्शन, कंजूर मार्ग, मुम्बई में सड़क उपरिपुल के निर्माण का कार्य रुका हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मुद्दे को हल करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) मुम्बई नगर निगम ने 3518 वर्ग मीटर भूमि के अन्तरण का अनुरोध किया है। सिद्धांत रूप से नौसेना, सफल, पारस्परिक, स्वीकार्य वार्ता होने पर भूमि के अन्तरण के लिए इच्छुक है।

पारेषण और वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाना

862. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 340 जिलों में पारेषण और वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए तथा राज्य विद्युत बोर्डों की राजस्व अर्जित करने की क्षमता में सुधार लाने हेतु 34,000 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो राशि को किस प्रकार जुटाया जाएगा और प्रस्ताव को कब तक लागू किया जाएगा ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) भारत सरकार ने राज्य विद्युत बोर्ड (रा०वि० बोर्डों) के कार्यनिष्पादन में वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए देश में पुराने विद्युत उत्पादन स्टेशनों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार करने तथा उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क का उच्चीकरण करने के लिए सुव्यवस्थित वित्तपोषण प्रदान करने के उद्देश्य से त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (ए०पी०डी०पी०) आरंभ किया है। ए०पी०डी०पी० के अंतर्गत विशेष श्रेणी के राज्य 100% परियोजना लागत के 90% अनुदान राशि और 10% केन्द्रीय ऋण के अनुपात में प्राप्त करते है जबकि गैर विशेष राज्य परियोजना लागत का 50% भाग ए०पी० डी०पी० के अंतर्गत आधी अनुदान राशि और आधी ऋण राशि के रूप में प्राप्त करते हैं और परियोजना लागत का शेष 50% वित्तीय संस्थानों से ऋण के रूप में प्राप्त किया जाता है। ए०पी०डी०पी० कार्यक्रम के अंतर्गत 63 वितरण सर्किलों में उप-पारेषण एवं पारेषण प्रणाली का उच्चीकरण आरंभ किया गया है। शेष वितरण सर्किलों पर यह कार्य 10वीं योजना अवधि (2002-2007) के दौरान आरंभ किया जायेगा। ए०पी०डी०पी० स्कीम के अंतर्गत आंशिक वित्तपोषण प्रदान किया जाएगा और शेष ऋण राशि विशिष्ट परियोजनाओं के लिए पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पी०एफ०सी०)/रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आर०ई०सी०) और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान की जायेगी।

एनरान मामले का निपटारा

863. **श्री सुशील कुमार शिंदे :**
श्री किरीट सोमैया :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष 4 सितम्बर को एनरान मामले के शीघ्र निपटारे का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो उस दिशा में अभी तक क्या कदम उठाये गए है और मामले-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) एनरान द्वारा और नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी विलंब के क्या कारण है;

(घ) क्या एनरान अपना डी०पी०सी० बेच रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या डी०पी०सी० को बेचने की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) डाभोल विद्युत परियोजना के संबंध में विद्युत खरीद समझौते (पी०पी०ए०) में हस्ताक्षर महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एम०एस०ई० बी०) और एनरॉन द्वारा प्रवर्तित डाभोल पावर कंपनी (डी०पी०सी०) और अन्य द्वारा लिए गए थे। महाराष्ट्र सरकार (जी०ओ०एम०) में डी०पी०सी० से उच्च लागत पर विद्युत खरीदने के लिए एम०एस० ई०बी० की असमर्थता व्यक्त की है क्योंकि संयंत्र के दोनों चरणों से उपलब्ध होने वाली विद्युत को खपाने के लिए राज्य में पर्याप्त मांग नहीं है। परियोजना की टैरिफ उच्च होने का कारण नेफ्था की कीमतों में दोगुनी वृद्धि होना, अमरीकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये का ह्रास होना और महाराष्ट्र राज्य विद्युत विनियामक आयोग से मैरिट डिस्पैच निर्देश होना है जिसके कारण एम०एस०ई०बी० 90% संयंत्र भार घटक जैसाकि डी०पी०सी० के साथ सहमति बनी थी, पर विद्युत खरीदने में असमर्थ रहा है। एम०एस०ई०बी० की वित्तीय दशाएं भी एम०एस०ई०बी० को नियमित आधार पर उच्च लागत वाली विद्युत हेतु भुगतान करने की अनुमति प्रदान नहीं करते हैं। भारत सरकार मैत्रीपूर्ण समाधान करने के लिए सहमत हो गयी है और भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित डाभोल परियोजना

संबंधी समझौता वार्ता समिति में अपना नामिति नियुक्त किया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के०वि०प्रा०) ने उन राज्यों को अभिज्ञात किया है जो विद्युत की कमी का सामना कर रहे हैं और जो डी०पी०सी० द्वारा आपूर्ति की जाने वाली अधिशेष विद्युत की खरीद कर सकते हैं। तथापि इस प्रकार की व्यवस्था संबंधित राज्यों के लिए स्वीकार्य स्तर तक कम की जाने वाली टैरिफ पर निर्भर करेगी। डाभोल परियोजना से संबंधित आधारभूत मुद्दों का समाधान करने की दृष्टि से वित्तीय संस्थानों ने, जिनका परियोजना में स्टेक अधिक है। एक कार्य योजना तैयार की है। डाभोल परियोजना समेत सभी वर्तमान मुद्दों का दीर्घकालीन समाधान महाराष्ट्र सरकार के अतिरिक्त संविदा के अंतर्गत दोनों पार्टियों अर्थात् डी०पी०सी० और एम०एस०ई०बी० की पहल और सहमति से किया जा सकता है।

(ग) डाभोल परियोजना से संबंधित मुद्दों का समाधान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी डी०पी०सी०, एम०एस०ई०बी० और महाराष्ट्र सरकार की है। एम०एस०ई०बी० ने 23.5.2001 को पी०पी०ए० रद्द कर दिया है और डी०पी०सी० ने एम०एस०ई०बी०, जी०ओ०एम० और जी०ओ०आई० के खिलाफ विविध कानूनी, मध्यस्थता और समाप्ति की कार्रवाई आरंभ की है।

(घ) शामिल मुद्दों के समाधान के लिए समझौते हेतु कार्रवाई करने के वास्ते संबंधित पार्टियों की सहमति आवश्यक होगी। एनरॉन ने डाभोल पावर कंपनी में अपनी इक्विटी बेचने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की है।

(ङ) ब्यौरे एनरॉन एवं उसके सहयोगियों तथा परियोजना के संदर्शी प्रायोजकों द्वारा वित्तीय संस्थानों की सहमति से ब्यौरे तैयार किए जायेंगे।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड की निवेश योजना

864. श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :
श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :
श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर :
श्री जी०एस० बसवराज :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड ने देश में गैस पाइपलाइन नेटवर्क को एकीकृत करने की परियोजनाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) यह परियोजना कब तक प्रारंभ होने तथा पूरी होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड की देश में गैस पाइपलाइन नेटवर्क को एकीकृत करने की परियोजना सहित विभिन्न परियोजनाओं को शुरू करने तथा क्रियान्वित करने के लिए 9428 करोड़ रुपए (लगभग) का निवेश करने की योजना है। इन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)
एलपीजी पाइपलाइन (मैंगलूर-मदुरै)	606.00
एचबीजे उन्नयन	2606.90
सीओ 2	800.00
यूपीपीसी विस्तार	1500.00
कोच्चि एलएनजी पाइपलाइन नेटवर्क	2045.00
उत्तर-दक्षिण गुजरात पाइपलाइन नेटवर्क	480.00
दूरसंचार परियोजना का उन्नयन	262.12
जामनगर लोनी एलपीजी पाइपलाइन से कोयाली लिंकेज	200.00
बहादुरगढ़ और टिकरीकंला-जामनगर लोनी एलपीजी पाइपलाइन	50.00
लोनी-लालरू एलपीजी पाइपलाइन विस्तार	220.00
बैंगलूर-चित्तूर-विजयवाड़ा-तिरूपति-चेन्नई एलपीजी पाइपलाइन	600.00
कलौल-स्मौल-रिलायंस-एईसी पाइपलाइन	58.00
कुल	9428.02

विद्युत वितरण हेतु जिला ऊर्जा समिति गठित करने का प्रस्ताव

865. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रभावी विद्युत वितरण की निगरानी हेतु जिला ऊर्जा समितियां गठित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन समितियों पर कितना खर्च आएगा, और

(ग) सम्पूर्ण देश में राज्य विद्युत बोर्डों की खराब वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) भारत सरकार ने राज्य विद्युत बोर्ड (रा०वि० बोर्डों) के कार्यनिष्पादन में वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए देश में पुराने विद्युत उत्पादन स्टेशनों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार करने तथा उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क का उच्चीकरण करने के लिए सुव्यवस्थित वित्तपोषण प्रदान करने के उद्देश्य से त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी) आरंभ किया है। एपीडीपी के अंतर्गत विशेष श्रेणी के राज्य 100% परियोजना लागत के 90% अनुदान राशि और 10% केंन्द्रीय ऋण के अनुपात में प्राप्त करते है जबकि गैर विशेष राज्य श्रेणी परियोजना लागत का 50% भाग ए०पी०डी०पी० के अंतर्गत आधी अनुदान राशि और आधी ऋण राशि के रूप में प्राप्त करते हैं परियोजना लागत का शेष 50% वित्तीय संस्थानों से ऋण के रूप में प्रदान किया जाता है। प्रथम चरण में 63 वितरण सर्किलों को उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली के उच्चीकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु अभिज्ञात किया गया है। यह प्रस्तावित किया गया है कि देश में सभी वितरण सर्किलों पर उप-पारेषण एवं वितरण नेटवक के उच्चीकरण हेतु कार्य 10वीं योजना के दौरान आरंभ किया जायेगा। एपीडीपी से वितरण क्षेत्र में सुधार किये जाने और विद्युत क्षेत्र की वाणिज्यिक व्यवहार्यता में सुधार किये जाने की प्रत्याशा है। यह प्रस्तावित किया गया है कि वितरण नेटवर्क संबंधी उच्चीकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रभावी मॉनीटरिंग करने के लिए जिला स्तरीय समितियां गठित की जायेगी।

हैदराबाद में सालारजंग हाल का संरक्षण

866. डा० एन० वेंकटस्वामी : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में निजाम कॉलेज में सालारजंग हाल ध्वंस होने के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे धरोहर स्मारकों के संरक्षण के लिए क्या उपाय किये गए हैं; और

(घ) लापरवाही के लिए प्राधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (घ) सालारजंग हॉल, निजाम कॉलेज, हैदराबाद परिसर का एक भाग है। यह कॉलेज ओस्मानिया विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। संस्कृति विभाग का इस संस्था पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार सालारजंग हॉल भवन काफी अच्छी हालत में है और इसका उपयोग नियमित रूप से शैक्षिक कार्यकलापों के लिए किया जा रहा है। उक्त भवन की पहले ही व्यापक मरम्मत की जा चुकी है और आवश्यकता के आधार पर समय-समय पर मरम्मत की जा रही है। केवल इसके मद्रास टेरेस रूफ के छोटे से हिस्से को बदलने का कार्य किया जाना अपेक्षित है।

[हिन्दी]

शाहदरा से मेट्रो रेल सेवा के निर्माण कार्य में विलंब

867. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी :
श्री ताराचन्द भगोरा :
श्री रामेश्वर डूडी :
श्री भेरूलाल मीणा :
डा० चरणदास महंत :
श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शाहदरा से तीस हजारी तक मेट्रो रेल सेवा के निर्माण कार्य में विलंब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या निर्धारित समय सीमा को मार्च, 2002 से बढ़ाकर अक्तूबर 2002 कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस कार्य को निश्चित रूप से निर्धारित समय सीमा में पूरा कर लिया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) शाहदरा-तीस हजारी खंड के सिविल कार्य मार्च, 2002 तक पूरे हो जाने की आशा है। बहरहाल, यह खंड मार्च, 2002 तक यात्री यातायात के लिए खोला नहीं जा सकता है क्योंकि इस तारीख तक चल स्टॉक उपलब्ध नहीं होगा।

(ख) शाहदरा-तीस हजारी खंड खोले जाने की अनुसूची मार्च, 2002 से बढ़ाकर दिसंबर, 2002 तक कर दी गई है।

(ग) और (घ) यह कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा हो जाने की प्रत्याशा है।

[अनुवाद]

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया

868. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :
डा० एन० वेंकटस्वामी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भारतीय रेलवे में ई-इज आरंभ करने का प्रस्ताव किया था और वित्तीय अभाव में जूझ रहे राजकोष में करोड़ों रुपये जूटाने थे;

(ख) क्या 18 महीनों के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला है;

(ग) अब तक बजट से कितना धन आवंटित किया गया है;

(घ) भारतीय रेलवे में 62,000 कि०मी० ट्रैक नेटवर्क में से जोनवार और डिविजनवार कुल कितने किलोमीटर को ऑप्टीकल फाइबर में परिवर्तित किया गया है;

(ङ) भारतीय रेलवे द्वारा इस प्रक्रिया पर कितना व्यय किया गया;

(च) क्या कुछ निजी पार्टियों के दबाव के कारण यह कार्य बहुत धीरे चल रहा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऑप्टीकल फाइबर में अपने नेटवर्क को शीघ्रतापूर्वक बदलने के लिए क्या कदम उठाये गये/उठाये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) भारतीय रेल द्वारा भारतीय रेलटैल निगम लि० की स्थापना रेलों के मार्गाधिकार का उपयोग करते हुए रेलपथ के साथ-साथ ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाकर एक राष्ट्रव्यापी ब्रॉड-बैंड दूरसंचार और मल्टी मीडिया नेटवर्क का सृजन करने और रेलों के परिचालन एवं संरक्षा बेहतर बनाने हेतु आधुनिक संचार प्रणाली उपलब्ध कराने तथा अतिरिक्त दूरसंचार क्षमता का विपणन करके अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए किया गया है।

(ख) सितंबर, 2000 के दौरान रेलटैल की स्थापना की गई थी और दीर्घकालिक वार्षिक पट्टा के आधार पर रेलों का मार्गाधिकार पट्टे पर देने की कार्रवाई की जा रही है। रेलटैल की इक्विटी के बदले लगभग 7,000 मार्ग किलोमीटर पर ऑप्टिकल फाइबर केबल परिसंपत्तियां भी रेलटैल को हस्तांतरित करने की कार्रवाई की जा रही है। मंत्रीमंडल के निर्णय के अनुसार रेलटैल में संयुक्त उद्यम भागीदार (भागीदारों) को प्रेरित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। रेलटैल ने नेटवर्क तैयार करने के लिए कदम उठाए हैं ताकि प्रमुख शहरों को जोड़ा जा सके। संस्थापित हो जाने पर अतिरिक्त दूरसंचार क्षमता लाभांश के रूप में रेलटैल और रेलवे के लिए भी राजस्व जुटाएगी।

(ग) अभी तक भारतीय रेलटैल निगम लि० को मूल पूंजी के रूप में 15 करोड़ रुपए अंतरित किए गये हैं।

(घ) अभी तक रेलटैल को रेलवे की कोई भी ऑप्टिक फाइबर केबल हस्तांतरित नहीं की गई है।

(ङ) उपर्युक्त (ग) में उल्लिखित मूल पूंजी के अलावा भारतीय रेल द्वारा रेलटैल के लिए कोई अन्य प्रमुख व्यय वहन नहीं किया गया है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जबलपुर स्थित रक्षा उत्पादन कारखानों का आधुनिकीकरण

869. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जबलपुर स्थित रक्षा उत्पादन कारखानों के आधुनिकीकरण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कम उत्पादन के क्रयादेश के मद्देनज़र काम देने के लिए कोई योजना तैयार की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या उत्पादन को निजी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) आधुनिकीकरण के लिए प्रस्तावित निवेश का निर्माणी-वार विवरण (करोड़ रुपए में) इस प्रकार है :—

नौवीं योजना प्रत्याशित	दसवीं योजना प्रस्तावित	आधुनिकीकरण के क्षेत्र
तोप गाड़ी निर्माणी (जीसीएफ)		
17.34	61.00	शस्त्र प्रणालियां
आयुध निर्माणी, खमरिया (ओएफके)		
40.96	39.00	गोलाबारूद हार्डवेयर की भराई
वाहन निर्माणी, जबलपुर (वीएफजे)		
58.00	203.00	सैन्य परिवहन वाहन
ग्रे आयरन फाउंड्री (जीआइएफ)		
4.31	13.00	वाहनों की कास्टिंग

(ग) से (ङ) **वाहन निर्माणी, जबलपुर** — मौजूद आर्डर बही की स्थिति के अनुसार, निर्माणी के जनशक्ति संसाधनों का बड़े पैमाने पर संघटकों के आंतरिक निर्माण से पूर्ण रूप में उपयोग किया जा सकता है। वाहन निर्माणी, जबलपुर ऐसे यातायात वाहनों का उत्पादन करती है जिनमें सेना की आवश्यकता को पूरा करने संबंधी कुछ खास विशिष्टताएं होती हैं और सिविल क्षेत्र में इनकी तुलना के कोई वाहन उपलब्ध नहीं है।

ग्रे आयरन फाउंड्री — 'बी' वाहन के संघटकों के निर्माण और सिविल व्यापार के आर्डरों को पूरा करने के लिए समग्र जनशक्ति

की तैनाती की गई है। ऑटोमोबाइल संघटकों के कास्टिंग उत्पाद सहयोगियों (मैसर्स अशोक लेलैंड एवं टेल्को) के उत्पादों के सदृश हैं। सिविल व्यापार आर्डरों को भी खुली प्रतियोगिता के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

तोपगाड़ी निर्माणी एवं आयुध निर्माणी, खमरिया — मौजूदा समय में इन दोनों निर्माणियों में समग्र जनशक्ति को तैनात करने के लिए पर्याप्त कार्य-भार है। निर्माणी के उत्पाद सशस्त्र सेनाओं के लिए निर्दिष्ट हैं और ये उत्पाद सिविल क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हैं।

[अनुवाद]

मुम्बई में मलिन बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं

870. **श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुम्बई में रेलवे भूमि पर 50 मलिन बस्तियां हैं जहां रेलवे से "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" न मिल पाने के कारण बुनियादी सुविधाएं प्रदान नहीं की जा सकी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे प्राधिकारियों द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे ने मलिन बस्तियों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए कुछ शर्तें लगाई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में महाराष्ट्र सरकार के साथ कोई समझौता किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनापत्ति प्रमाण-पत्र कब तक जारी कर दिया जाएगा ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) और (ख) सरकार को मुंबई में रेलवे भूमि के अतिक्रमण के बारे में जानकारी है। रेलवे की सामान्य नीति के अनुसार रेलवे भूमि से अतिक्रमणकर्त्ताओं को हटाने के लिए अप्राधिकृत अतिक्रमणों को हटाया जाना है। बहरहाल, मुंबई में अतिक्रमणकर्त्ताओं के मामले में 1998 में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई थी जिसमें यह बताया गया था कि राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त होने के बाद ही रेलवे अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने की व्यावहार्यता की जांच कर सकती है। अभी तक ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) जी, हां। निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना था :—

(i) नगरपालिका के भूमिगत सीवरों को प्रस्तावित शौचालयों को जोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक स्पष्ट योजना प्रस्तुत की जानी है।

(ii) संरक्षा जोन में (अंतिम रेलपथ के दोनों ओर बीच की लाइन से 10 मीटर-10 मीटर) से सभी अतिक्रमणों को हटाया जाना।

(iii) उपर्युक्त (II) में बीच की लाइन से 10 मीटर की दूरी पर अतिक्रमणों को हटाने के बाद राज्य सरकार द्वारा एक दीवार का निर्माण कराया जाना, ताकि साफ किए गए क्षेत्र में दोबारा अतिक्रमण न हो।

(iv) 1.1.1985 से पहले अतिक्रमणों से जोड़ा जाना चाहिए।

(v) राज्य सरकार के जरिए प्रार्थना पत्र दिए जाने चाहिए।

(vi) राज्य सरकार द्वारा वचनबद्धता कि सभी उन रेल भूमियों पर, जहां मूल सुख सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, राज्य सरकार द्वारा हटाया जाएगा जब कभी रेलवे द्वारा भविष्य में बनाई जाने वाली परियोजना के लिए भूमि की जरूरत हो।

(vii) सड़क पर रोशनी, आवासीय बिजली कनैक्शन, नल, गटर जैसी सुविधाओं की व्यवस्था की अनुमति मार्गाधिकार सुविधाओं की मौजूदा मानक व्यवस्थाओं के तहत दी जाएगी जिसके लिए राज्य सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी और उनके द्वारा मार्गाधिकार प्रभार का भुगतान किया जाना होगा।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में गिरावट

871. **डा० सुशील कुमार इन्दौरा :**
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्ष 2000-01 की तुलना में 2001-02 के प्रथमार्थ के दौरान में पेट्रोलियम उत्पादों के उपयोग में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान देश में विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा की अलग-अलग कितनी खपत हुई;

(ग) चालू वर्ष के अगली छमाई में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग के संबंध में सरकार का क्या अनुमान है; और

(घ) इन उत्पादों की मांग में गिरावट के क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के पहले छह महीनों अर्थात अप्रैल-सितंबर में निजी पक्षकारों द्वारा आयात/बिक्री सहित पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री/खपत नीचे दी गई है :—

(आंकड़े टीएमटी में)

अप्रैल-सितंबर

उत्पाद	2000-01			2001-02			
	सा०क्षे०उ०	निजी पक्षकारों द्वारा आयात/बिक्री*	योग	सा०क्षे०उ०	निजी पक्षकारों द्वारा आयात/बिक्री*	योग	प्रतिशत वृद्धि
एलपीजी	3129	216	3345	3450	201	3651	9.1
एमएस	3296	0	3296	3486	0	3486	5.8
एसकेओ	5365	387	5752	5063	99	5162	-10.3
एचएसडी	19397	20	19417	18375	0	18375	-5.4
नाफ्था/एनजीएल	3949	1972	5921	4153	1880	6033	1.9
एटीएफ	1084	0	1084	1116	0	1116	3.0
एलडीओ	742	0	742	622	84	706	-4.9
एफओ/एलएसएचएस	5658	711	6369	5873	520	6393	0.4
बिटुमैन	1205	5	1210	1066	61	1127	-6.9
स्नेहक	365	73	438	349	169	518	18.2
सारे उत्पाद	44983	5409	50392	44311	4462	48773	-3.2

*स्वयं/समूह कंपनी की खपत सहित सा०क्षे०उ० बिक्रियों में बीआरपीएल की नाफ्था और एफओ/एलएसएचएस की स्वयं की खपत सम्मिलित है।

(ग) अक्तूबर 2001 – मार्च 2002 की अवधि का संशोधित मांग अनुमान* नीचे दिया गया है :–

(आंकड़े टीएमटी में)

उत्पाद	अक्तूबर, 2001 – मार्च, 2002
एलपीजी	4213
एमएस	3563
एचएसडी	18725
एलडीओ	675
एफओ/एलएसएचएस	6475
बिटुमैन	1530
एसकेओ	5300
एटीएफ	1101
नाफ्था/एनजीएल	6238
स्नेहक	532
अन्य	2311
योग	50663

*निजी पक्षकारों द्वारा बिक्री/आयात और स्वयं/समूह कंपनी खपत सहित।

(घ) पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में कमी के कुछ कारण नीचे दिए गए हैं :–

(1) अर्थ व्यवस्था में मंदी।

(2) औद्योगिक मंदी जिसके कारण उद्योग के मुख्य उपभोक्ता क्षेत्र द्वारा डीजल की कम खपत हुई।

(3) सीएनजी का वर्धित उपयोग।

(4) वस्तुओं के परिवहन के माध्यम में सड़क से रेल में क्रमिक परिवर्तन।

(5) कुछ राज्यों में सूखे की परिस्थितियों का प्रभाव।

(6) विशेष रूप से उत्तरी क्षेत्र में धान से कपास में फसल प्रतिरूप में परिवर्तन जिससे पम्पिंग सेटों के लिए डीजल के कम उपयोग की आवश्यकता पड़ी।

(7) ग्रिड विद्युत के सस्ता हो जाने के कारण केपटिव विद्युत उत्पादन के लिए डीजल की कम खपत।

(8) उच्च क्षमता वाले ट्रकों (50 टन तक) का उपयोग जिससे डीजल की प्रति टन/प्रति कि०मी० खपत कम हो गई है।

(9) वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन/बिक्री में कमी।

[अनुवाद]

स्मारकों से प्रवेश शुल्क का संग्रह

872. **श्री एन०टी० षणमुगम :**
श्री सुबोध मोहिते :
श्री पी०डी० एलानगोवन :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तिथि तक भातरीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्मारकों से प्रवेश शुल्क के रूप में भारतीय और विदेशी पर्यटकों से अलग अलग स्मारकवार संग्रह की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या स्मारकों के प्रवेश शुल्क में वृद्धि के समय से प्रवेश शुल्क से प्राप्त राजस्व में कमी आयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या प्रवेश शुल्क को कम करने अथवा इसे समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार किस प्रकार प्रवेश शुल्क संग्रह प्रक्रिया की निगरानी और जांच करती है और स्मारकों का भ्रमण करने वाले देशी/विदेशी पर्यटकों की संख्या क्या है; और

(छ) देश में पंजीकृत और सूचीबद्ध टुअर आपरेटरों की सूची क्या है और उक्त अवधि के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्मारकों तक विदेशी पर्यटकों को लाने से उन्हें क्या आय प्राप्त हुई ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) नवम्बर, 2000 से जून, 2001 तक भारतीय तथा विदेशी पर्यटकों के ब्यौरे के साथ पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रवेश शुल्क से संग्रहीत राजस्व का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) 1 अक्तूबर, 2001 से टिकट लगे विश्व दाय स्मारकों पर विदेशी आगन्तुकों के संबंध में प्रवेश शुल्क 10 अमरीकी डालर से घटा कर 5 अमरीकी डालर तथा टिकट लगे अन्य 110 स्मारकों में 5 अमरीकी डालर से घटाकर 2 अमरीकी डालर कर दिया गया है।

(च) सभी टिकट लगे स्मारकों पर प्रवेश शुल्क के संग्रह तथा पर्यटकों के आगमन को देखने के लिए पर्याप्त प्रशासनिक तथा लेखा संबंधी उपाय किए गए हैं।

(छ) इस विषय पर टुअर आपरेटरों से संबंधित सूचना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्यक्षेत्र में नहीं आती।

विवरण

अप्रैल 98 से मार्च 99, अप्रैल 99 से मार्च 2000 तथा अप्रैल 2000, अगस्त 2000 की अवधि के लिए प्रवेश शुल्क से संग्रहित राजस्व तथा नवम्बर 2000 से अगस्त 2001 तक पर्यटक आगमन का ब्यौरा :

क्र० सं०	मंडल का नाम	अप्रेल 1998-मार्च 1999	अपैल 1999-मार्च 2000	अप्रैल 2000 से अगस्त 2001	*भारतीय आगन्तुक	*विदेशी आगन्तुक
1	2	3	4	5	6	7
1.	आगरा	1,86,30,272	2,03,59,945	23,70,04,251	28,80,416	1,33,825
2.	औरंगाबाद	85,24,582	84,01,223	4,60,82,927	25,51,346	64,777
3.	बंगलौर	20,77,155	16,54,138	72,96,338	8,82,321	18,590
4.	भोपाल	19,05,422	19,19,015	1,53,00,955	4,95,963	48,406
5.	भुवनेश्वर	22,86,446	25,50,119	1,30,32,661	6,77,183	3,134
6.	कलकत्ता	2,68,114	6,18,244	17,19,874	3,81,236	102
7.	#चंडीगढ़	0	0	5,11,907	86,681	264
8.	चेन्नई	32,42,287	35,52,103	2,41,73,810	6,32,950	21,571
9.	दिल्ली	1,49,27,356	1,58,69,764	11,08,27,723	37,88,675	2,37,347
10.	धारवाड़	1,85,327	21,70,571	73,94,740	8,58,003	11,129

1	2	3	4	5	6	7
11.	गोहाटी •	36,000	29,160	1,40,085	53,137	—
12.	हैदराबाद	10,59,307	10,15,684	53,64,694	6,79,284	4,873
13.	जयपुर	1,02,390	1,22,786	14,51,187	1,25,833	5,326
14.	लखनऊ	3,39,885	3,70,006	9,57,625	2,15,937	6,821
15.	पटना	11,19,644	11,12,998	1,73,50,875	4,35,730	52,773
16.	श्रीनगर	8,952	12,944	16,038	13,689	701
17.	त्रिसूर	2,15,035	3,10,128	10,38,926	2,28,558	3,289
18.	वडोदरा	4,25,732	4,46,472	22,90,866	3,01,014	1,155
	जोड़	5,53,53,906	6,05,15,300	49,19,55,482	1,52,09,956	6,14,103

*भारतीय नागरिक तथा विदेशियों के शुल्क दर में अन्तर 28.10.2000 से प्रभावी हैं।

#प्रवेश शुल्क 28.10.2000 से लगाया गया।

बंगलौर में एयरफोर्स इंजीनियरिंग कॉलेज

873. **श्री कोलूर बसवनागौड़ :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना ने बंगलौर में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितना विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है;

(ग) विद्यार्थियों की चयन-प्रक्रिया क्या है;

(घ) क्या एयरफोर्स इंजीनियरिंग कॉलेज आवास सहित विद्यार्थियों का संपूर्ण व्यय वहन करता है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त कालेज को चलाने पर अनुमानित कितना वार्षिक व्यय होता है;

(च) क्या सीटों का कतिपय प्रतिशत कर्नाटक सरकार के सी०ई०टी० प्रकोष्ठ के माध्यम से भरा जाता है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ाई

874. **श्री जे०एस० बराड़ :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू कश्मीर में चालू वर्ष के दौरान ऐसी घटनाओं की संख्या कितनी है जहां रक्षा बलों को आंतकवादियों और उग्रवादियों के विरुद्ध लड़ाई में लिप्त रहना पड़ा है.

(ख) ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मुठभेड़ में कितने आतंकवादी, रक्षा कर्मी तथा असैनिक मारे गए; और

(ग) परस्पर गोलीबारी में मारे गए निर्दोष असैनिकों को कितना मुआवजा दिया गया ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) चालू वर्ष में 15.11.2001 तक जम्मू-कश्मीर में सेना/राष्ट्रीय राइफल्स के गश्ती दलों की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ की 1367 घटनाएं हुई हैं जिनमें 1629 आतंकवादी और भारतीय सेना के 274 कार्मिक मारे गए। जम्मू-कश्मीर की राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार अक्तूबर, 2001 के अंत तक 793 नागरिक मारे गए थे।

(ग) जम्मू-कश्मीर की राज्य सरकार द्वारा सीमा पार से होने वाली गोलाबारी में मारे जाने वाले व्यक्ति के निकटतम संबंधी को अनुग्रह राहत के रूप में एक लाख रुपए और स्थाई निशक्तता, गंभीर रूप से घायल होने तथा मामूली रूप से घायल होने पर क्रमशः 75000/- रुपए, 5,000/- रुपए और 1,000/- रुपए का भुगतान किया जाता है।

[हिन्दी]

अधिवक्ताओं को चैम्बरों का आबंटन

875. **श्री रामदास आठवले : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** अधिवक्ताओं का चैम्बरों के आबंटन के बारे में 26.04.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5824 और 16.8.2001 अतारांकित प्रश्न संख्या 3714 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वांछित सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त सूचना कब तक एकत्र कर ली जाएगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) जी, नहीं। वांछित जानकारी अभी राजस्थान और मद्रास उच्च न्यायालयों से प्राप्त होनी है।

(घ) वांछित जानकारी में कुछ और समय लगने की संभावना है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राइफल्स का दर्जा

876. **श्री विलास मुत्तेमवार : क्या रक्षा मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में उपद्रव से निपटने हेतु गठित राष्ट्रीय राइफल्स का दर्जा स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान में आर०आर० बटालियनों को प्रादेशिक सेना (टी०ए०) और नेशनल कैडेट कोर (एन०सी०सी०) के साथ समामेलित कर दिया गया है जो गैर फीता बल है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आर०आर० की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने का है ताकि उपद्रव ग्रिड से निपटने में संचालनात्मक कमान के संबंध में किसी समस्या से बचा जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) राष्ट्रीय राइफल्स का गठन 1990 में सेना की संक्रियात्मक कमान एवं रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक अर्धसैनिक बल के रूप में किया गया था, जिसकी स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिका पश्चवर्ती क्षेत्र में सुरक्षा, प्रतिविद्रोही संक्रियाएं, कानून और व्यवस्था बनाए रखने, सिविल प्राधिकारियों की सहायता करने और युद्ध जैसी स्थितियों में फील्ड बल को बढ़ाने के कार्यों के निर्वहन की थी।

(ख) राष्ट्रीय राइफल्स की ऊपर उल्लिखित विशेषीकृत संक्रियात्मक भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए, उसे प्रादेशिक सेना और राष्ट्रीय कैडेट कोर के साथ संयोजित नहीं किया जा सकता। तथापि, प्रादेशिक सेना, राष्ट्रीय कैडेट कोर और राष्ट्रीय राइफाल्स की नफरी नियमित सेना की प्राधिकृत जनशक्ति के अलावा है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राइफल्स की भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित है और प्रति-विद्रोही ग्रिड में राष्ट्रीय राइफल्स की संक्रियात्मक कमान की बाबत कोई समस्या नहीं हुई है।

पाकिस्तान से घुसपैठ

877. **श्री मोइनुल हसन : क्या रक्षा मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से आंतकवादियों की घुसपैठ एक सतत प्रक्रिया है और सरकार सीमा की रक्षा करने में असमर्थ रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा सीमाओं की कारगर ढंग से रक्षा हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) कठिन भू-भाग, मौजूदा जलवायु संबंधी स्थितियों तथा सीमा के साथ-साथ पाकिस्तानी चौकियों द्वारा सक्रिय रूप से आतंकवादियों को दुष्प्रेरित करने के बावजूद सरकार सीमा के साथ-साथ आतंकवादियों की घुसपैठ की काफी हद तक रोक सकी है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने सीमा की हिफाजत और सुरक्षा करने के लिए समुचित उपाय किए हैं। चालू वर्ष के दौरान 15.11.2001 तक लगभग 1629 आतंकवादी मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं।

[हिन्दी]

विद्युत वित्त निगम की परियोजनायें

878. **श्री राजो सिंह : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और वर्षवार विद्युत वित्त निगम द्वारा विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत किये गये कुल निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों, विशेषकर बिहार को आवंटित और जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और वर्ष 2001-02 के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए राज्य वार संवितरण के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ख) पी०एफ०सी० विद्युत क्षेत्र का एक विकासकर्त्ता वित्तीय संस्थान है, जो संबंधित विद्युत यूटिलियों से प्राप्त ऋण संबंधी अनुरोधों के व्यापक मूल्यांकन के आधार पर सुपात्र विद्युत परियोजनाओं के लिए विद्युत सहायता प्रदान करती है वित्तीय सहायता की मंजूरी/संवितरण पी०एफ०सी० के प्रचालनात्मक नीति विवरण (ओ० पी०एस०) के आधार पर की जाती है। नीति के अनुसार किसी भी विद्युत यूटिलिटी/ परियोजना हेतु निधि पूर्व निर्धारित नहीं रहती है बल्कि यह सहायता प्रत्येक स्कीम/परियोजना के गुणों के आधार पर दी जाती है। पी०एफ०सी० वित्तपोषण के लिए सुपात्र बनने हेतु ऋण प्राप्तकर्त्ता के पास एक स्वीकार्य प्रचालनात्मक एवं वित्तीय कार्य योजना होनी चाहिए तथा उन्हें यूटिलिटी की प्रचालनात्मक एवं वित्तीय

स्थिति में सुधार करने हेतु निर्धारित कार्य बिन्दुओं को लागू करने हेतु इच्छुक होना चाहिए।

पी०एफ०सी० ने दिसम्बर, 1999 में पतरातू ताप विद्युत केन्द्र यूनिट 6 और 10 के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 76 करोड़ रु० की ऋण मंजूरी किया। इस ऋण को अब झारखण्ड रा०वि० बोर्ड को अंतरित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2001-02 के दौरान बिहार को अब तक विद्युत परियोजनाओं के लिए न कोई वित्तीय सहायता दी गई है और न ही पी०एफ०सी० के पास वित्तीय सहायता हेतु कोई ऋण संबंधी अनुरोध लंबित है।

विवरण

1998-99, 1999-2000, 2000-2001 हेतु ऋणीवार संवितरण

(लाख रुपये में)

ऋणी	1998-99 के दौरान	1999-00 के दौरान	2000-01 के दौरान
1	2	3	4
हरियाणा	8730	20249	10194
हिमाचल प्रदेश	2922	9686	5860
जम्मू व कश्मीर	0	0	2089
पंजाब	22060	28378	15873
राजस्थान	35583	29560	72393
उत्तर प्रदेश	5155	4660	155
गोवा	372	984	849
गुजरात	21542	11820	14011
मध्य प्रदेश	21270	18003	9492
महाराष्ट्र	42916	37390	14093
सीएसईबी	1121	7813	974
आंध्र प्रदेश	15017	41035	34927
कर्नाटक	31063	25439	27287
केरल	2482	613	817
तमिलनाडु	14496	17277	26609
बिहार	0	0	0
उड़ीसा	16970	11247	3190
सिक्किम	0	0	0
पश्चिम बंगाल	5232	6071	13666
अरूणाचल प्रदेश	0	0	0
असम	0	4474	1152
मणिपुर	0	0	0
एमईएसईबी	0	0	0
मिजोरम	1171	32	0
नागालैंड	1266	1402	2495
बीएसइएस	4750	9994	0
एसएचएमपीपी-माहे	2500	2463	5470
कोंडापल्ली	0	14149	5565
एनजेपीसी	0	13800	12500
एनएचपीसी	0	0	0
नीपको	0	13558	8527
एनटीपीसी	0	0	10500
पीजीसीआईएल	0	0	10000
जीआईनपीसीएल	0	1800	0
जेआईएपीएचपीसीएल	6000	3000	4000
मलाना पी०सी०	0	0	2500
बालाजी	0	0	7808
कुल जोड़	264617	334895	322995

कार्यशील पूंजी शामिल

एफ०सी०एल० शामिल

सूरतगढ़ ताप विद्युत केन्द्र में उत्पादन

879. डा० जसवंतसिंह यादव : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरतगढ़ ताप विद्युत केन्द्र की तीसरी इकाई में उत्पादन शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राजस्थान में उक्त इकाई को चालू किये जाने के बाद कितनी अतिरिक्त बिजली मिलने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) सूरतगढ़ ताप विद्युत स्टेशन में 250 मेगावाट क्षमता की यूनिट संख्या-3 को 29.10.2001 को समकालित कर दिया गया था। कोयला आधारित यूनिट को स्थरीकरण होने में समकालित होने की तिथि से सामान्यत: तीन से चार माह का समय लगता है।

टी०वी० टावरों को चालू न किया जाना

880. श्री मोहन रावले : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में 57 टी०वी० टावरों को उनके पुरा हो जाने के बाद भी शुरू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उन्हें चालू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) देश के विभिन्न भागों में 48 ट्रांसमीटर परियोजनाओं की स्थापना का कार्य पूरा हो गया है और ये चालू किए जाने के लिए तकनीकी रूप से तैयार हैं। स्थान-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

चूराचांदपुर स्थित उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, उधमपुर और अमरपुर स्थित अल्प शक्ति ट्रांसमीटर तथा कांजगिरि और दत्तालूर स्थित अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर परियोजनाओं को चालू करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गयी है।

शेष परियोजनाओं के लिए स्टाफ मंजूर किया जाना है। दूरदर्शन का इन परियोजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र चालू करने का प्रयास है।

विवरण

तकनीकी रूप से तैयार टी०वी० ट्रांसमीटर परियोजनाएं

	परियोजना का स्थान	राज्य
	1	2
1. (उ०श०ट्रां०) (7)	चूराचांदपुर	मणिपुर
	पांडिचेरी (अन्त०)	पांडिचेरी
	लसीमपुर (अन्त०)	उत्तर प्रदेश
	कैन्नोर (अन्त०)	केरल
	वारंगल	आंध्र प्रदेश
	शहडोल	मध्य प्रदेश
	बेरहामपुर	उड़ीसा
2. (उ०श०ट्रा०) (39)	उधमपुर	जम्मू और कश्मीर
	मिनमाल	राजस्थान
	विजयनगर	राजस्थान
	बिधुना	उत्तर प्रदेश
	नरौरा	उत्तर प्रदेश

1	2
अलीगढ़ (डीडी-2)	उत्तर प्रदेश
खेतीखान	उत्तरांचल
रामनगर	बिहार
चन्ना	झारखण्ड
चिक्ती	उड़ीसा
अमरपुर	त्रिपुरा
जोलईनारी	त्रिपुरा
झालदा	पश्चिम बंगाल
सिरचुर	आंध्र प्रदेश
पुलमानेर	आंध्र प्रदेश
पेडापल्ली	आंध्र प्रदेश
सिरसिल्ला	आंध्र प्रदेश
मचलीपटनम्	आंध्र प्रदेश
जहीराबाद	आंध्र प्रदेश
कन्डूकुर	आंध्र प्रदेश
वेमालवाड़ा	आंध्र प्रदेश
तालिकोटा	कर्नाटक
इन्टी	कर्नाटक
कोप्पा	कर्नाटक
बेल्थानगढ़ी	कर्नाटक
मुन्डार्गी	कर्नाटक
कोट्ट्राक्कारा	केरल
मंजेरी	केरल
पोलाची	तमिलनाडु
पलानी	तमिलनाडु
अम्बूर	तमिलनाडु
कल्लाकुरूची	तमिलनाडु
अम्बासामुद्रम	तमिलनाडु
कोंटा	छत्तीसगढ़
बरेली	मध्य प्रदेश
लखनडांन	मध्य प्रदेश
दधागांव	महाराष्ट्र

	1	2
	भामरगढ़	महाराष्ट्र
	रावेर	महाराष्ट्र
3. अ०अ०श०ट्रां०	*दत्तालुर	आंध्र प्रदेश
	*काणिगिरि	आंध्र प्रदेश

नोट : इन्हें शीघ्र चालू किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

एच०पी०सी०एल० द्वारा एम०आर०पी०एल० तेल शोधक कारखाने की खरीद

881. **प्रो० उंम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच०पी० सी०एल०) ने एम०आर०पी०एल० तेल शोधक कारखाने को खरीदने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस खरीद से हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड को क्या लाभ मिलने की संभावना है; और

(घ) इस अनुबंध को कब तक लागू किया जाएगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) ए०वी० बिरला ग्रुप (ए०बी०जी०) तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच०पी०सी०एल०) मंगलौर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एम०आर०पी०एल०) के सह-प्रवर्तक हैं। ए०बी०जो० ने एम०आर०पी०एल० से बाहर निकलने का अपना इरादा व्यक्त किया है। एम०आर०पी०एल० के शेयरों का मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त संयुक्त मूल्यांककों ने मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। एम०आर०पी०एल० के अंतर्गत अपने शेयर बिक्री करने संबंधी ए०बी०जी० के प्रस्ताव की एच०पी०सी०एल० द्वारा जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

हल्के लड़ाकू विमानों का उत्पादन

882. **श्री अजय सिंह चौटाला : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हल्के लड़ाकू विमानों (एल०सी०ए०) का उत्पादन शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक विमान की लागत कितनी है;

(ग) इससे देश के लड़ाकू विमानों की मांग की किस सीमा तक पूर्ति होने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं। हल्का लड़ाकू विमान अभी विकास तथा उड़ान परीक्षण चरण में हैं।

(ख) वर्तमान आकलनों के अनुरूप प्रत्येक हल्के लड़ाकू विमान की लागत 72.54 करोड़ रुपए होने की संभावना है।

(ग) हल्के लड़ाकू विमान का डिजायन मौजदा लड़ाकू विमान बेड़े के कार्यकाल का पूर्णरूप से इस्तेमाल किए जाने पर उसका स्थान लेने के लिए वायुसेना द्वारा बताई गई वायुस्टाफ की जरूरतों के आधार पर तैयार किया गया है।

(घ) लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

दूरदर्शन/आकाशवाणी योजनाएं

883. **श्री प्रभात सामन्तराय :**
श्री दानवे रावसाहेब पाटील :
श्री एच०जी० रामुलू :
श्री वीरन्द्र कुमार :
श्री त्रिलोचन कानूनगो :
श्री टी०एम० सेल्वागनपति :
श्री पी०आर० खूंटे :
श्री बहादुर सिंह :
श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्री रामदास आठवले :
श्री के० येरननायडू :
श्री वाई०जी० महाजन :
श्री एम०के० सुब्बा :
श्री हरिभाई चौधरी :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री मानसिंह पटेल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार और स्थान-वार चल रही/लंबित दूरदर्शन/आकाशवाणी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) आज तक दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र/प्रसारण सुविधा से रहित स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके क्या कारण हैं और देश में और अधिक दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र/प्रसारण सुविधाएं खोलने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं और उनकी स्थान-वार, राज्य-वार अनुमानित लागत कितनी है;

(ङ) लम्बित परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिया जाएगा और नए केन्द्रों पर प्रसारण सुविधाओं को कब तक शुरू कर दिया जाएगा;

(च) आकाशवाणी/दूरदर्शन के कवरेज में वृद्धि करने और विद्यमान केन्द्रों का आधुनिकीकरण करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं;

(छ) क्या सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में दूरदर्शन/आकाशवाणी के कवरेज में वृद्धि करने के लिए कोई विशेष पैकेज दिया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) वर्तमान में कार्यान्वियनाधीन आकाशवाणी परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा उनकी अनुमानित लागत सहित विवरण-I में दिया गया है। वर्तमान में कार्यान्वियनाधीन दूरदर्शन परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) आकाशवाणी केन्द्र/दूरदर्शन केन्द्र/ट्रांसमीटरों के स्थान की योजना शहरवार/कस्बेवार नहीं बल्कि अब तक कवर न किए गए क्षेत्रों में अधिकतम कवरेज उपलब्ध कराने की दृष्टि से तैयार की जाती है। देश में आकाशवाणी/दूरदर्शन नेटवर्क के विस्तार के लिए योजनाएं निर्दिष्ट स्थान पर मौजूदा कवरेज और आधारभूत सुविधाओं, परिणामी कवरेज की सीमा, पारस्परिक प्राथमिकताओं, वित्तीय संसाधनों आदि की उपलब्धता को ध्यान में रखने के बाद तैयार की जाती हैं। हालांकि दूरदर्शन के संकेत उपग्रह पद्धति के जरिए सम्पूर्ण देश में उपलब्ध हैं तथापि, वर्तमान में दूरदर्शन की स्थलीय कवरेज देश की 89.1 प्रतिशत जनसंख्या तथा 76.6 प्रतिशत क्षेत्र को उपलब्ध होने का अनुमान है। वर्तमान में आकाशवाणी के कार्यक्रम देश की लगभग 98.82 प्रतिशत जनसंख्या और 89.51 प्रतिशत क्षेत्र को उपलब्ध होने का अनुमान है। आकाशवाणी/ दूरदर्शन के राज्यवार कवरेज के आंकड़े विवरण-III में दिए गए हैं।

(ङ) चूंकि परियोजनाओं को विभिन्न समय अवस्थाओं में मंजूर किया गया है इसलिए परियोजनाएं कार्यान्वियन के विभिन्न चरणों में हैं और इनके अगले दो वर्षों के दौरान चरणबद्ध रूप से पूरी हो जाने की आशा है।

(च) मौजूदा आकाशवाणी/दूरदर्शन नेटवर्क का विस्तार/ आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए इस बारे में स्कीमें समय-समय पर तैयार/कार्यान्वित की जाती हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन की कवरेज के विस्तार के लिए 63 आकाशवाणी परियोजनाएं और 227 टी०वी० ट्रांसमीटर परियोजनाएं वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन हैं।

(छ) और (ज) सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम सहित) में दूरदर्शन तथा आकाशवाणी की सेवाओं में सुधार हेतु स्कीमों के विशेष पैकेज के कार्यान्वयन को सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित कर दिया है। इस पैकेज की 10वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित किया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई चालू वित्तीय वर्ष में शुरू हो जाएगी।

विवरण-I

आकाशवाणी

कार्यान्वियनाधीन परियोजनाएं

क्र० सं०	स्थान	परियोजना	पूंजीगत लागत (लाख रुपयों में)	लक्ष्य
1	2	3	4	5
	राज्य : आंध्र प्रदेश			
1.	मछरेला	स्था०रे०के०-3 एफ०एम०ट्रां०, बहुउद्देश्यीय स्टूडियो तथा स्टाफ क्वार्टर	353.00	2001-02
2.	हैदराबाद	20 कि०वा०मी०वे० ट्रां०	202.00	2001-02
	राज्य : अरूणाचल प्रदेश			
3.	चांगलांग	सा०रे०के०-1 कि०वा०एफ०एम० ट्रां०	65.00	2003-04
4.	खोंसा	-तथैव-	65.00	2003-04
	राज्य : असम			
5.	सिलचर	20 कि०वा०मी०वे०ट्रां० (10 कि०वा० को बदलना)	195.00	2001-02
	राज्य : बिहार			
		शून्य		

1	2	3	4	5
	राज्य : छत्तीसगढ़			
6.	सराईपल्ली	स्था०रे०के०-1 कि०वा०एफ०एम०ट्रां०	265.65	2001-02
	राज्य : गोवा			
		शून्य		
	राज्य : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली			
7.	दिल्ली (खामपुर)	3×250 कि०वा०शा०वे०ट्रां० (100 कि०वा० का उन्नयन)	5251.45	2002-03
8.	दिल्ली	नया प्रसारण भवन	5917.00	2002-03
9.	दिल्ली (तोडापुर)	स्थायी अभिलेखागार	1537.00	2004-05
	राज्य : गुजरात			
10.	हिम्मतनगर	स्था०रे०के०-1 कि०वा०मी०वे०ट्रां०	284.15	संस्थापन पूर्ण स्टाफ स्वीकृत प्रतीक्षित
11.	वडोदरा	10 कि०वा०एफ०एम०ट्रां० (वि०भा०) (1 कि०वा० को बदलना)	246.20	2001-02
12.	भुज	20 कि०वा०मी०वे०ट्रां० (10 कि०वा० को बदलना)	231.00	2002-03
	राज्य : हरियाणा			
		शून्य		
	राज्य : जम्मू एवं कश्मीर			
13.	भदरवाह	6 कि०वा०एफ०एम०ट्रा०	321.05	2002-03
14.	जम्मू	50 कि०वा०शा०वे०ट्रां०	250.00	2001-02
15.	लेह	20 कि०वा०मी०वे०ट्रां० (10 कि०वा० को बदलना)	188.00	
16.	जम्मू	अपलिंकिंग सुविधाएं	176.00	2002-03
	जम्मू तथा कश्मीर विशेष योजना			
17.	नौशेरा	20 कि०वा०मी०वे०ट्रां०	427.00	2001-02
18.	कुपवाड़ा	20 कि०वा०मी०वे०ट्रां०	427.00	2001-02
19	राजौरी	10 कि०वा०एफ०एम०ट्रां०	439.00	2001-02
20.	श्रीनगर	300 कि०वा०मी०वे०ट्रां०	1220.00	2001-02
21.	खाल्सी	1 कि०वा०मी०वे०ट्रां०	210.00	2001-02
22.	दिसकित	-तथैव-	210.00	2001-02
23.	नौमाराप	-तथैव-	210.00	2001-02
24.	दास	-तथैव-	210.00	2001-02
25.	तिसुरू	-तथैव-	210.00	2001-02
26.	पदम	-तथैव-	210.00	2001-02
27.	करगिल	200 कि०वा०मी०वे०ट्रां०	2343.00	2003-04

1	2	3	4	5
	राज्य : झारखण्ड			
		शून्य		
	राज्य : कर्नाटक			
28.	मैसूर	10 कि०वा०एफ०एम०ट्रां० (1 कि०वा०मी०वे० को बदलना)	255.20	2001-02
29.	मंगलोर	10 कि०वा०एफ०एम०ट्रां० (1 कि०वा०मी०वे० को बदलना)	256.00	2001-02
30.	धारवाड	10 कि०वा०एफ०एम०ट्रां० (1 कि०वा०मी०वे० को बदलना) (विविध भारती)	252.00	2001-02
	राज्य : केरल			
31.	मंजेरी	स्था०रे०के०-3 कि०वा०एफ०एम०ट्रां०	358.60	2001-02
32.	कालीकट	10 कि०वा०एफ०एम०ट्रां० (1 कि०वा०मी०वे० को बदलना) (विविध भारती)	249.70	2001-02
33.	त्रिवेन्द्रम	20 कि०वा०मी०वे०ट्रां० (10 कि०मी० को बदलना)	200.00	2001-02
	राज्य : मध्य प्रदेश			
34.	मंडला	स्था०रे०के०-1 कि०वा०एफ०ट्रां०	265.65	2001-02
35.	राजगढ़	स्था०रे०के०-3 कि०वा०एफ०एम०ट्रां०	285.00	संस्थापन पूण स्टाफ स्वीकृति" प्रतीक्षित
36.	इन्दौर	200 कि०वा०मी०वे०ट्रां० (100 कि०वा० को बदलना)	705.00	2001-02
	राज्य : महाराष्ट्र			
37.	नागपुर	300 कि०वा०मी०वे०ट्रां० (100 कि०वा० को बदलना)	917.00	2001-02
	राज्य : मणिपुर			
38.	चुराचांदपुर	स्था०रे०के०-6 कि०वा०एफ०एम०ट्रां०	300.82	स्थानीय कानून और व्यवस्था की समस्या के कारण स्थापना प्रभावित हुई।
39.	इम्फाल	10 कि०वा०एफ०एम०ट्रां०	331.90	संस्थापन पूर्ण स्टाफ स्वीकृत प्रतीक्षित
40.	इम्फाल	अपलिंकिंग सुविधाएं	141.00	2001-02
41.	इम्फाल	300 कि०वा०मी०वे०ट्रां० (50 कि०वा० को बदलना)	919.00	2001-02
	राज्य : मेघालय			
42.	शिलांग	10 कि०वा०एफ०एम०ट्रां०	304.50	2001-02
43.	शिलांग	आर०टी०आई० (पी)		2001-02
	राज्य : मिजोरम			
44.	चेम्फई	सा०रे०के०-1 कि०वा०एफ०एम०ट्रां०	65.00	2003-04
45.	एजवाल	6 कि०वा०एफ०एम०ट्रां०	361.80	2001-02

1	2	3	4	5
46.	एजवाल	20 कि०वा०मी०वे०ट्रां० (मौजूदा को बदलना)	182.00	2001-02
	राज्य : नागालैण्ड			
47.	फेक	सा०रे०के०-1 कि०वा०एफ०एम०ट्रां०	65.00	2003-04
48.	कोहिमा	100 कि०वा०मी०वे०ट्रां०	540.00	2001-02
	राज्य : ओड़ीसा			
49.	सोरो	स्था०रे०के०-1 कि०वा०मी०वे०ट्रां०	284.15	संस्थापन पूर्ण स्टाफ स्वीकृति प्रतीक्षित।
50.	कटक	300 कि०वा०मी०वे०ट्रां० (100 कि०वा० को बदलना)	1377.00	2001-02
	राज्य : पंजाब			
		शून्य		
	राज्य : राजस्थान			
51.	जयपुर	6 कि०वा०एफ०एम०ट्रां०	285.30	संस्थापन पूर्ण स्टाफ स्वीकृति प्रतीक्षित।
52.	जोधपुर	300 कि०वा०मी०वे०ट्रां० (100 कि०वा० को बदलना)	917.00	2001-02
	राज्य : सिक्किम			
		शून्य		
	राज्य : तमिलनाडु			
53.	धर्मपुरी	10 कि०वा०एफ०एम०ट्रां० सहित स्था०रे०के०	469.65	2001-02
	राज्य : त्रिपुरा			
54.	धर्मनगर	1 कि०वा०मी०वे०ट्रां० सहित स्था०रे०के०	327.00	2003-04
55.	नूतन बाजार	सा०रे०के०-1 कि०वा०एफ०एम०ट्रां०	65.00	2003-04
56.	अगरतला	अपलिंकिंग सुविधाएं	141.00	2001-02
57.	अगरतला	10 कि०वा०एफ०एम०ट्रां०	335.00	2001-02
58.	लोंगथेराई	6 कि०वा०मी०वे०ट्रां० सहित स्था०रे०के०	433.00	2003-04
	राज्य : उत्तर प्रदेश			
59.	अलीगढ़	2x250 कि०वा०शा०वे०ट्रां० (मौजूदा को बदलना)	3220.00	2001-02
60.	नजीबाबाद	200 कि०वा०मी०वे०ट्रां० (100 कि०वा० को बदलना)	766.00	2002-03
61.	कानपुर	10 कि०वा०एफ०एम०ट्रां०	360.00	2003-04
	राज्य : उत्तरांचल			
		शून्य		
	राज्य : पश्चिम बंगाल			
62.	शांतिनिकेतन	स्था०रे०के०-3 कि०वा०एफ०एम०ट्रां०	339.60	संस्थापन पूर्ण स्टाफ स्वीकृति प्रतीक्षित।

1	2	3	4	5
	संघ शासित क्षेत्र : अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह			
63.	पोर्ट ब्लेयर	100 कि०वा०मी०वे०ट्रां० (20 कि०वा० को बदलना)	550.00	2001-02
	संघ राज्य क्षेत्र :	चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमण एवं द्वीव, लक्षद्वीप तथा मिनीकॉय द्वीपसमूह तथा पांडिचेरी शून्य		

विवरण-II

दूरदर्शन ट्रांसमीटर

राज्य	कार्यान्वयनाधीन
1	2
आंध्र प्रदेश	उ०श०ट्रां० वारंगल
	विशाखापटनम (डीडी 2)
	अ०श०ट्रां० सिरपुर
	पेडापल्ली
	कन्डुकूर
	मदुगुला
	पुमनेर
	वेगनूर
	वेमलवाड़ा
	सिरसिल्ला
	मछलीपटनम
	जाहिराबाद
	मिरयालगुड्डा
	काकीनाडा (डीडी 2)
	नेल्लोर (डीडी 2)
	तालकोडापल्ली
	कोल्हापुर
	अ०अ०श०ट्रा० काणिगिरि
	कुद्टालूर
	मसिपाडु
अरूणाचल प्रदेश	उ०श०ट्रा० ईटानगर (डीडी 2)
	अ०अ०श०ट्रां० सिओमाली
	इटालिन
असम	अ०श०ट्रा० सतारसल
	एक्सपोजर गुवाहाटी
बिहार	अ०श०ट्रा० रामनगर
	किशनगंज
	गया (डीडी 2)
	भभुआ
	अ०अ०श०ट्रां० बफलियाज
छत्तीसगढ़	उ०श०ट्रां० अम्बिकापुर
	अ०श०ट्रा० खारको
	पंडारिया
	कोटा
गुजरात	उ०श०ट्रा० वड़ोदरा
	सूरत
	सूरत (डीडी 2)
	वड़ोदरा (डीडी 2)
	राजकोट (डीडी 2)
	अ०श०ट्रा० सूरत (डीडी 2)
	बड़ोदरा (डीडी 2)
	राजकोट (डीडी 2)
	भावनगर (डीडी 2)
	जामनगर (डीडी 2)
हरियाणा	अ०श०ट्रा० हिसार (डीडी 2)
	महेन्द्रगढ़ नारनौला (डीडी 2)
	होडल
हिमचाल प्रदेश	अ०अ०श०ट्रां० बिजली महादेव
	डलहोजी
	जतिनगिरि
	काजा
	आहवादेवी
	नेहरी
	चिरगांव
जम्मू एवं कश्मीर	उ०श०ट्रा० नौशेरा
	कुपवाड़ा
	गुरेज

1	2
	टिथवाल
	दरहल
	तराल
	बसौली
	बोनियार
	धार
	गंडोह
	मूल
	गुलबर्ग
	गुलमर्ग
	सक्ति
	केरन
	खरीव लाती
	निमूर (बासगो)
	लोरन
	मण्डी
	मंसूर
	पानीकेर
	पोनी
	पुलवामा
	टंगमार्ग
	तातापानी
	थाथरी
	तिलेल
	युसमर्ग
झारखण्ड	उ०श०ट्रा० जमशेदपुर (डीडी 2)
	अ०श०ट्रा० चतरा
	धनबाद (डीडी 2)
	जमशेदपुर (डीडी 2)
	बोकारो (डीडी 2)
	अ०अ०श०ट्रां० रामगढ़ हिल
कर्नाटक	उ०श०ट्रा० मैसूर
	रायचूर
	गुलबर्गा (डीडी 2)
	धारवाड़ (डीडी 2)
	मैसूर (डीडी 2)
	अ०श०ट्रा० मुडौल

1	2
	तालीकोटा
	साम्बा
	पूंछ (डीडी 2) (स्थायी)
	नौशेरा (डीडी 2)
	कुपवाडा (डीडी 2)
	गुरेज (डीडी 2)
	टिथवाल (डीडी 2)
	साम्बा (डीडी 2)
	अ०श०ट्रां, ऊधमपुर
	बनिहाल (चल)
	दरास (चल)
	गंडोह (चल)
	पटनीटोप (चल)
केरल	उ०श०ट्रा० कन्नानूर
	अ०श०ट्रा० मंजेरी
	कोटाराकारा
	थरीसूर (डीडी 2)
	अ०अ०श०ट्रां० इराटुपेट्टा
	मुंडाकायम
मध्य प्रदेश	उ०श०ट्रा० गुना
	शहडोल
	ग्वालियर (डीडी 2)
	अ०श०ट्रा० बेरली
	लखनाडोन
	सिंधवा
महाराष्ट्र	उ०श०ट्रा० चन्द्रपुर
	जलगांव
	रतनगिरि
	पुणे (डीडी 2)
	औरंगाबाद (डीडी 2)
	अ०श०ट्रा० रावेर
	धाड़गांव
	भामरागढ़
	नासिक (डीडी 2)
	अमरावती (डीडी 2)
	कोल्हापुर (डीडी 2)
	सांगली (डीडी 2)

1	2
	इंडी
	कोप्पा
	बेलथांगडी
	मुंदरगी
	सिंधनूर
	मैसूर (डीडी 2)
	दावनगेरे (डीडी 2)
	बेल्लारी (डीडी 2)
	अ०अ०श०ट्रां० हुवीनहिपारगी
	कुडलिगी
उड़ीसा	उ०श०ट्रा० बेरहामपुर
	अ०श०ट्रा० तुशारा
	चिकिती
	बहालदा
पंजाब	उ०श०ट्रा०फाजिल्का (स्थायी)
	अमृतसर (सं०) (स्थायी)
	अमृतसर (डीडी 2)
	जालधंर (डीडी 2)
	अ०श०ट्रा० लुधियाना (डीडी 2)
राजस्थान	उ०श०ट्रा० अजमेर (स्थायी)
	बाडमेर (स्थायी)
	अ०श०ट्रा० पिरवा
	नासिराबाद (डीडी 2)
	भिनमाल
	सैंजत
	संचोर
	किशनगढ़ (अजमेर) (डीडी 2)
	विजयनगर
	बीकानेर (डीडी 2)
	अजमेर (डीडी 2)
	उदयपुर (डीडी 2)
सिक्किम	उ०श०ट्रा० गंगटोक (डीडी 2)
	अ०अ०श०ट्रा० जोरथंग
तमिलनाडु	उ०श०ट्रा० कुम्बाकोनम (स्थायी)
	कोडईकनाल (डीडी 2)
	मालेगांव (डीडी 2)

1	2
	अकोला (डीडी 2)
	नांदेड (डीडी 2)
	धूले (डीडी 2)
	बदलापुर
	अ०अ०श०ट्रा० अम्बेट
मणिपुर	उ०श०ट्रा० चूराचांदपुर
	इम्फाल (डीडी 2)
मेघालय	उ०श०ट्रा० शिलांग (डीडी 2)
	अ०श०ट्रा० चेरापूंजी
मिजोरम	उ०श०ट्रा० एजवाल (डीडी 2)
नागालैण्ड	उ०श०ट्रा० कोहिमा (डीडी 2)
	एक्सपोजर बाराबस्ती
उत्तर प्रदेश	लखीमपुर
	अयोध्या/फैजाबाद
	कानपुर
	अ०श०ट्रा० नरौरा
	बिधुना
	बरेली (डीडी 2)
	अलीगढ़ (डीडी 2)
	झांसी (डीडी 2)
	मुरादाबाद (डीडी 2)
	शाहजहांपुर (डीडी 2)
	सुल्तानपुर (डीडी 2)
उत्तरांचल	अ०श०ट्रा० धूनाघाट
	खेतीखान
	गोपेश्वर
	अ०अ०श०ट्रा० चमोली
	मनीला
	केदारनाथ
	गुगड्डा
	अरौली
	एक्सपोजर मसूरी (डीडी 2)
पश्चिम बंगाल	उ०श०ट्रा० बालूरघाट
	कृष्णानगर (स्थायी)
	अ०श०ट्रा० इरोड

1	2
	पलानी
	अम्बासमुंदरम
	कल्लाकुरूची
	अम्बूर
	पोलाची
	चिरूचिरापल्ली (डीडी 2)
	कोयम्बटूर (डीडी 2)
	मदुरै (डीडी 2)
	बेल्लौर (डीडी 2)
	ईरोडे (डीडी 2)
	तिरूनेलवेल्ली (डीडी 2)
	तूतीकोरन (डीडी 2)
	तिरूपति (डीडी 2)
त्रिपुरा	अ०श०ट्रा० जोलाईबारी
	अमरपुर
	अम्बासा
	खड़गपुर
	अ०श०ट्रा० झालदा
	बागमंडी
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	उ०श०ट्रा० पोर्ट ब्लेयर
	पोर्ट ब्लेयर (डीडी 2)
	अ०अ०श०ट्रा० कालीघाट
	स्वराजग्राम
पांडिचेरी	उ०श०ट्रा० (डीडी 2) (डीडी 2)
	पांडिचेरी

विवरण-III

(आकाशवाणी)

दिन के समय राज्य-वार कवरेज मौजूदा

क्र०सं०		क्षेत्र (प्रतिशत)	जनसंख्या (प्रतिशत)
1	2	3	4
I.	राज्य		
1.	आंध्र प्रदेश	99	99.5
2.	अरूणाचल प्रदेश	57	72
3.	असम	94.22	97.5
4.	बिहार	99*	99*
5.	छत्तीसगढ़	90.9	95.17
6.	गोवा	99*	99*
7.	गुजरात	99*	99*
8.	हरियाणा	99*	99*
9.	हिमाचल प्रदेश	50	87.4
10.	जम्मू एवं कश्मीर	31	98
11.	झारखण्ड	99*	99*
12.	कर्नाटक	96.2	96.8
13.	केरल	99.6	99.6
14.	मध्य प्रदेश	98.33	98.76
15.	महाराष्ट्र	98	98.8
16.	मणिपुर	48.3	80.4
17.	मेघालय	97.5	97.3
18.	मिजोरम	57.2	67.9
19.	नागालैण्ड	77	82.5
20.	उड़ीसा	98	98.8
21.	पंजाब	99*	99*
22.	राजस्थान	91.5	98.8
23.	सिक्किम	72	95
24.	तमिलनाडु	99*	99*
25.	त्रिपुरा	84.31	88
26.	उत्तर प्रदेश	99.3	99.75
27.	उत्तरांचल	52.8	75.76
28.	पश्चिम बंगाल	99*	99*
2.	संघ शासित प्रदेश		
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	80	85
2.	चंडीगढ़	99*	99*
3.	दादरा एवं नगर हवेली	99*	99*
4.	दिल्ली	99*	99*

1	2	3	4
5.	दमन एवं द्वीव	99*	99*
6.	लक्षद्वीप एवं मिनीकॉय द्वीपसमूह	99*	99*
7.	पांडिचेरी	99*	99*
	राष्ट्रीय कवरेज	89.51	98.82

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में टी०वी० कवरेज

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्तमान कवरेज क्षेत्र (प्रतिशत)	(1.11.2001 की स्थिति के अनुसार) जनसंख्या (प्रतिशत)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	80.6	87.7
2.	अरूणाचल प्रदेश	16.7	53.3
3.	असम	74.6	82.8
4.	बिहार	93.4	93.4
5.	छत्तीसगढ़	57.5	69.8
6.	गोवा	99.9	99.9
7.	गुजरात	84.3	86.0
8.	हरियाणा	96.8	98.7
9.	हिमाचल प्रदेश	42.9	67.3
10.	झारखण्ड	96.7	97.4
11.	जम्मू एवं कश्मीर	36.9	91.9
12.	कर्नाटक	70.1	76.2
13.	केरल	99.1	92.5
14.	मध्य प्रदेश	73.6	75.3
15.	महाराष्ट्र	79.6	88.6
16.	मणिपुर	32.1	67.0
17.	मेघालय	94.6	97.2
18.	मिजोरम	69.0	73.1
19.	नागालैण्ड	68.5	69.6
20.	उड़ीसा	87.4	92.0
21.	पंजाब	99.9	99.9
22.	राजस्थान	71.3	78.1
23.	सिक्किम	77.4	95.0
24.	तमिलनाडु	93.6	93.6
25.	त्रिपुरा	93.5	93.5
26.	उत्तर प्रदेश	90.0	96.2
27.	उत्तरांचल	54.6	80.3
28.	पश्चिम बंगाल	95.9	96.2
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	26.2	99.5
30.	चंडीगढ़	99.9	99.9
31.	दादरा एवं नगर हवेली	65.2	65.0
32.	दमन एवं द्वीव	99.9	99.9
33.	दिल्ली	99.9	99.9
34.	लक्षद्वीप द्वीपसमूह	99.0	99.0
35.	पांडिचेरी	99.9	99.9
	राष्ट्रीय औसत	76.6	89.1

टिप्पणी :

1. कवरेज आंकड़ों में सीमावर्ती क्षेत्रों के आंकड़े शामिल हैं (सीमावर्ती क्षेत्रों में प्राप्ति के लिए उन्नत एन्टिना और बूस्टर अपेक्षित होते हैं)।

2. भू-भागीय स्थितियों पर विचार नहीं किया गया है।

3. 99.9 प्रतिशत कवरेज उन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के बारे में दर्शायी गयी जिनका संपूर्ण क्षेत्र/जनसंख्या मौजूदा/प्रस्तावित ट्रांसमीटरों के कवरेज क्षेत्र में पड़ता है। छाया क्षेत्रों के कारण इन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कुछ कवर न हुए पॉकेटों की संभावना है।

चीनी सेना द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ

884. श्री अनादि साहू : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी सेना द्वारा चालू वर्ष के दौरान अरूणाचल प्रदेश के तवांग, सुभानगिरी और लिहित क्षेत्रों में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय सेना घुसपैठियों को भगा पायी है;

(ग) यदि हां, तो इस कार्यवाही में भारतीय सेना के कितने जवान हताहत हुए; और

(घ) ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या निवारणोपाय किए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) भारत और चीन के बीच सीमा-विवाद का समाधान नहीं हुआ है। दोनों पक्षों में अरूणाचल प्रदेश सहित सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा की अवधारणा में मतभेद भी हैं। दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा की अपनी-अपनी अवधारणा के अनुरूप गश्त संबंधी कार्रवाई करते हैं। वास्तविक नियंत्रण लेखा के उल्लंघन के मामले दोनों पक्षों द्वारा राजनयिक माध्यमों और सीमा कार्मिक बैठकों/ध्वज बैठकों के माध्यम से उठाए जाते हैं। मौजूदा जमीनी स्तर की कार्य प्रक्रिया से स्थानीय स्वरूप के मामलों को उठाने और उन्हें सुलझाने में दोनों पक्षों को सहायता मिलती है। अरूणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ-साथ चीनी सेना की गतिविधियों को इस संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है।

चालू वर्ष में ऐसी गतिविधियों के दौरान भारतीय सेना की ओर से कोई हताहत नहीं हुआ।

भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर विभिन्न मंचों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है। ऐसा होने पर भी सरकार भारत की प्रभुसम्पन्नता, प्रादेशिक अखण्डता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सतत् निगरानी रखती है और समुचित उपाय करती है।

[हिन्दी]

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंड पीठ की स्थापना

885. डा० सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री भालचन्द्र यादव :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ की स्थापना के लिए कोई अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संगठनों के नाम क्या हैं जिनसे सरकार को अब तक ऐसे अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लेने के बारे में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (घ) हाल ही में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वकीलों ने अपने क्षेत्र में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना की मांग करते हुए हड़ताल की थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बार एसोशिएशन ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थायी न्यायपीठ की शीघ्र स्थापना के लिए जोर दिया है। इस संबंध में विभिन्न संगठनों से लगातार अभ्यावेदन भी प्राप्त हो रहे हैं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति ने, जिनसे अपने विचार/टीका-टिप्पणियां भेजने का अनुरोध किया गया था, सरकार को यह सूचित किया है कि वह अपने पूर्वाधिकारियों के उन विचारों का समर्थन करते हैं, जो किसी ऐसी न्यायपीठ के सृजन के विरुद्ध रहे थे। उन्होंने यह कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की किसी न्यायपीठ के सृजन का कोई औचित्य नहीं है।

सरकार ने, कर्नाटक के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालयों की सलाह की बाध्यकारी प्रकृति और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के उत्तर प्रदेश को लागू न होने के बारे में विधिक स्थिति के मामले में भारत के महान्यायवादी की सलाह के लिए मामले को भारत के महान्यायवादी को निर्दिष्ट किया है।

विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की स्थिति

886. डा० सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री रामजीलाल सुमन :
श्री नवल किशोर राय :
श्री रामदास रुपला गावीत :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान विद्युत उत्पादक परियोजनाओं की क्षमता में वृद्धि के लिए इनके आधुनिकीकरण हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना के अंतर्गत ऐसी परियोजनाओं की पहचान कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत वर्ष के दौरान उक्त योजना हेतु सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ङ) इस योजना के कार्यान्वयन से देश में कितनी मात्रा में अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन होने की संभावना है;

(च) क्या वर्तमान में चल रही विद्युत परियोजनाओं में थोड़ा सुधार करके नई विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की तुलना में अधिक मात्रा में सस्ती विद्युत का उत्पादन होने की संभावना है; और

(छ) इसका ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (छ) जी, हां। सरकार ने त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (ए०पी०डी०पी०) नामक एक नई स्कीम आरंभ की है। ए०पी० डी०पी० के अंतर्गत नवीकरण आधुनिकीकरण/जीवन विस्तार/पुराने विद्युत संयंत्रों (थर्मल तथा हाइड्रो) का उच्चीकरण, मीटरिंग समेत

उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्क का उन्नयन से संबंधित परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था की जाती है। पावर फाइनेंस कारपोरेशन ऋण तथा अनुदान के जरिए नवीकरण तथा आधुनिकीकरण स्कीमों को वित्त पोषित करता है। वित्तीय वर्ष 2000-01 के दौरान पावर संयंत्रों के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण एवं मीटरिंग समेत उप-पारेषण तथा वितरण प्रणाली के लिए ए०पी०डी०पी० के अंतर्गत कुल 1000 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया था। 2000-2001 के दौरान ए०पी०डी०पी० के अंतर्गत 704 करोड़ रु० के परिव्यय से 29 स्कीमों को अनुमोदित किया गया।

10वीं योजना के दौरान 7500 मे०वा० संस्थापित क्षमता की 209 हाइड्रो उत्पादक यूनिटों के नवीकरण व आधुनिकीकरण, उच्चीकरण तथा जीवन विस्तार कार्यों के लिए 2900 करोड़ रु० (दो हजार नौ सौ करोड़ रु०) की जरूरत होगी। 17400 मे०वा० संस्थापित क्षमता की 141 थर्मल यूनिटों (1100 मे०वा० की 106 यूनिटों के नवीकरण+ 6400 मे०वा० की 35 यूनिटों के नवीकरण व आधुनिकीकरण) उन्नयन व नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यों के लिए 9900 करोड़ रु० (नौ हजार नौ सौ करोड़ रु०) की जरूरत होगी।

10वीं योजना के दौरान थर्मल यूनिटों पर जीवन विस्तार कार्यों के क्रियान्वयन के पश्चात थर्मल उत्पादन में लगभग 57% की वृद्धि होगी। और लगभग 11000 मेवा क्षमता का जीवन 15-20 वर्ष और बढ़ जाएगा। इसके अलावा 10वीं योजना के दौरान हाइड्रो उत्पादक यूनिटों के नवीकरण व आधुनिकीकरण से हाइड्रो यूनिटों के उच्चीकरण व जीवन विस्तार के परिणामस्वरूप लगभग 12000 मि०यू० अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होगी।

मौजूदा विद्युत परियोजनाएं नवीकरण व आधुनिकीकरण के जरिए और अधिक व सस्ती बिजली उत्पादन में समर्थ होगी। नई परियोजनाओं की स्थापना के बजाय मौजूदा विद्युत संयंत्रों के नवीकरण व आधुनिकोकरण के जरिए उत्पादन को अधिकाधिक करना अपेक्षाकृत सस्ता व किफायती माना जा रहा है। नवीकरण व आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार कार्यों के जरिए संयंत्र की मौजूदा स्थिति व आयु के आधार पर नई विद्युत योजनाओं की 20-30% लागत पर अतिरिक्त उत्पादन क्षमता सृजित की जा सकती है।

रसोई गैस एजेंसियों/पेट्रोल पंपों के आवंटन में अनियमितताएं

887. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड में रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों के आवंटन में अनियमितताएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी अनियमितताओं को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार ने अनियमितताओं में लिप्त अधिकारियों/व्यक्तियों की पहचान कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) झारखंड राज्य में डीलर चयन बोर्डों (डी०एस०बी०) द्वारा डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चयन के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें इस मामले में मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई के लिए तेल विपणन कंपनियों/महानिदेशक, मिलावट-रोधी प्रकोष्ठ को भेज दी गई हैं।

[अनुवाद]

सैनिक स्कूल, तिलैया में शुल्क में वृद्धि

888. **श्री अरुण कुमार :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक स्कूल, तिलैया में अभिभावकों से वसूले जाने वाले शुल्क में भारी वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्ष 1997 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी तथापि 1998 से उनसे शुल्क वसूल किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी, नहीं। सैनिक स्कूल, तिलैया सहित सभी सैनिक स्कूलों का शुल्क 10% प्रतिवर्ष की वृद्धि सहित 18.6.1999 से 14000/-रु० प्रतिवर्ष से संशोधित कर 20,000/-रु० प्रतिवर्ष कर दिया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

अनुच्छेद 371 के संबंध में संविधान में संशोधन

889. **श्री एच०जी० रामुलू :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए उत्तरी कर्नाटक के पिछड़े जिलों को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 371 में संशोधन करने हेतु कर्नाटक से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में छावनी बोर्ड

890. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कार्य कर रहे छावनी बोर्डों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन छावनी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) छावनी बोर्डों को और प्रभावी बनाने के लिए सरकारी योजनाएं कौन-कौन सी हैं; और

(घ) अहमदनगर छावनी बोर्ड से सम्बन्धित कितने मामले सरकार के पास लम्बित हैं और इस सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) महाराष्ट्र राज्य में अहमदनगर, औरंगाबाद, देहू रोड, देवलाली, कांपटी, किरकी और पुणे, सात छावनी बोर्ड हैं।

(ख) और (ग) छावनी बोर्ड सांविधिक निकाय होने के कारण इनका नियंत्रण छावनी अधिनियम, 1924 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है तथा ये अपने स्त्रोतों से सड़क, नालियां, जलापूर्ति आदि विकास संबंधी कार्य करते हैं। बोर्डों के पास धन की कमी होने पर जब कभी आवश्यकता पड़ती हो तो केन्द्रीय सरकार विशेष मंजूरियों के माध्यम से उन्हें केवल वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। रक्षा सम्पत्तियों के संबंध में सम्पत्ति कर के रूप में उन्हें सेवा प्रभारों का भी भुगतान किया जाता है।

बोर्डों के काम-काज की कमान में रक्षा संपदा निदेशालय द्वारा, रक्षा संपदा महानिदेशालय द्वारा और मंत्रालय स्तर पर भी गहन मानीटरी की जाती है। जब कभी आवश्यक होता है, बोर्डों के काम-काज में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा रक्षा संपदा महानिदेशक के माध्यम से निर्देश जारी किए जाते हैं।

(घ) छावनी बोर्ड, अहमदनगर से सैन्य इंजीनियरी सेवा द्वारा जल प्रभारों के लिए किए गए दावा संबंधी एक विवादित मामला सरकार के विचाराधीन लम्बित है।

रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार

891. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे 15 रक्षा सौदों की पहचान की है जिनकी भ्रष्टाचार का संदेह होने के कारण जांच की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो सौदा-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) तहलका, कॉम द्वारा "आपरेशन वैस्ट एंड" के नाम से जारी किए गए वीडियोटेपों और ट्रांसक्रिप्टों में लगाए गए आरोपों के परिणामस्वरूप सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति के० वेंकटस्वामी की अध्यक्षता में एक-सदस्यीय जांच आयोग की नियुक्ति की है। उसकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, आयोग रक्षा मंत्रालय से संबद्ध कतिपय लेन-देनों की जांच कर रहा है।

आयोग ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

[अनुवाद]

जापान के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

892. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री किरीट सोमैया :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवाद से लड़ने के लिए उनके मंत्रालय और जापान के प्रतिनिधियों के बीच कोई बैठक हुई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी, हां। 11 सितंबर, 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादी हमले के बाद जापान के पूर्व प्रधानमंत्री तथा जापान के प्रधान मंत्री के विशेष दूत श्री योशिरो मोरी ने 29 अक्तूबर, 2001 को भारत का दौरा किया था। श्री मोरी ने माननीय रक्षा मंत्री के साथ मौजूदा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति तथा विश्व समुदाय, जापान जिसका एक सदस्य है, द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध छेड़ी गई लड़ाई पर विचार-विमर्श किया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आयुध निर्माणी संगठन द्वारा विकसित गोलाबारूद

893. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991-93 के दौरान आपूरित 155 एम०एम० होविट्जर गन के लिए आयुध निर्माणी संगठन द्वारा सात प्रकार का गोलाबारूद बनाया जाना था;

(ख) यदि हां, तो क्या आयुध निर्माणी संगठन 155 एम०एम० होविट्जर की सात किस्मों में से तीन प्रकार का गोलाबारूद बनाने में विफल हो गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने आयुध निर्माणियों द्वारा आपूर्ति किये गये चार प्रकार के गोलाबारूद के दोषों पर ध्यान दिया है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(च) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(छ) सरकार द्वारा ऐसे नुकसान से बचने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां। 155 मि०मी० तोप प्रणाली के लिए सात तरह के गोला-बारूद की 1991-93 के दौरान आपूर्ति करने हेतु आयुध सेवा महानिदेशालय द्वारा अगस्त, 1990 में मांग-पत्र जारी किए गए थे। इस गोला-बारूद का बोफोर्स, स्वीडन की प्रौद्योगिकी के अनुसार विकास किया जाना था।

(ख) और (ग) प्रतिबंध लग जाने के कारण दो तरह के इन गोला-बारूद के प्रौद्योगिकी दस्तावेज बोफोर्स से प्राप्त नहीं हुए थे। मुहरबंद विवरण धारक प्राधिकारी अर्थात् नियंत्रक, गुणता आश्वासन (गोला-बारूद) द्वारा इन 155 मी०मी० स्मोक इन्फ्रा रैड एवं 155 मि०मी० कार्गो गोला-बारूद के वास्ते मांग-पत्रों की विधीक्षा नहीं की जा सकी थी। इसलिए इन दो गोला-बारूदों का विकास/उत्पादन शुरू नहीं किया गया था। जबकि आयुध निर्माणी बोर्ड ने शेष बचे पांच तरह के गोला-बारूद का विकास कर लिया है।

(घ) आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा बोफोर्स प्रौद्योगिकी के अनुरूप विकसित किए गए पांच तरह के गोला-बारूद ने अपेक्षित परीक्षण तथा स्वीकार्यता मानदंड उत्तीर्ण कर लिए हैं।

(ङ) कोई जांच नहीं बिठाई गई।

(च) और (छ) उपर्युक्त (ङ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा संबंधी खरीद

894. श्री टी०एम० सेल्वागनपति : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेंकटस्वामी आयोग द्वारा तहलका मामले की जांच के कारण रक्षा संबंधी खरीद में ठहराव आ गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस समस्या पर काबू पाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान (अक्तूबर 2001 तक) पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत अनुमानित बजट की व्यय प्रतिशतता सेना के वास्ते 18%, नौसेना के वास्ते 38% और वायुसेना के वास्ते 32% तथा राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत सेना के वास्ते 37, नौसेना के वास्ते 41 और वायुसेना के वास्ते 36 प्रतिशत रही है। अधिप्राप्ति एक सतत् प्रक्रिया है। कतिपय अधिप्राप्ति प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है और यथासमय उन्हें कार्यरूप दिए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

कच्चे तेल का आयात

895. श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री रामजीलाल सुमन :
श्री महबूब जहेदी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए कच्चे तेल का आयात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या मांग को पूरा करने के लिए आयात पर 70 प्रतिशत निर्भरता है ?

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है; और

(घ) गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के पहले छह: माह के दौरान उक्त अवधि हेतु देश में कितनी मात्रा में कच्चे तेल का आयात किया गया और इस वर्ष में कुल अनुमानित आयात कितना होगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) पिछले 2 वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान मांग को पूरा करने के लिए कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता इस प्रकार है :

1999-2000	–	68%
2000-2001	–	69%
2001-2002	–	68% (अनुमानित)

(घ) गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के पहले छह माह के दौरान उक्त अवधि हेतु कच्चे तेल का आयात और इस वर्ष में कुल अनुमानित आयात इस प्रकार है :

2000-2001 (अप्रैल-सितम्बर)	–	38.035 मिलियन मीट्रिक टन
2001-2002 (अप्रैल-सितम्बर)	–	39.452 मिलियन मीट्रिक टन
2001-2002 (अनुमानित)	–	80.397 मिलियन मीट्रिक टन

[अनुवाद]

टी०वी० दर्शकों के लिए कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सी०ए०एस०)

896. मोहम्मद शहाबुद्दीन :
श्री रामप्रसाद सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार टेलीविजन देखने वालों के लिए कंडीशनल एक्सेस प्रणाली को अनिवार्य बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्य ऐसी मांग होती रही है कि टेलीविजन देखने वालों को केबल आपरेटरों द्वारा दिलाए जाने वाले चैनलों को स्वीकार करने के बजाए अपनी पसंद के चैनलों को चुनने का अधिकार होना चाहिए;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कृतिक बल बनाया है अथवा कानून बनाने का विचार किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे कदम कब तक उठाए जाने की संभावना है;

(च) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ विश्व में उपलब्ध प्रौद्योगिकी का पता लगाया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (छ) ''सशर्त पहुंच प्रणाली (सी०ए०ए०)'' शुरू करने संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए एक कृतिक दल का गठन किया गया है जिसमें केबल आपरेटरों, बहु-सेवा अपरेटरों, प्रसारकों, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय तथा उपभोक्ता आदि के प्रतिनिधि शामिल हैं।

कृतिक बल के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :–

(1) केबल नेटवर्क के माध्यम से टेलीविजन देखने के लिए सशर्त पहुंच प्रणाली लागू करने की व्यवहार्यता एवं वांछनीयता के संबंध में सिफारिश करना;

(2) कीमतों, लागत तथा ऐसे अन्य संबद्ध मुद्दों जैसे पहलुओं सहित सशर्त पहुंच प्रणाली लागू करने (व्यवहार्य एवं वांछनीय पाए जाने की अवस्था में) संबंधी रूणत्मकताओं के बारे में सिफारिश करना;

(3) ''सैट टॉप नॉवरगें'' हेतु प्रौद्योगिकी और उसके मानकीकरण की संभावना तथा अत्यधिक संगत/उपयुक्त प्रौद्योगिकी के मुद्दे पर विचार करना; और

कृतिक बल अपनी रिपोर्ट में सभी मुद्दों पर ध्यान देगा।

न्यायिक सुधार

897. श्री मानसिंह पटेल : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर बड़ी मात्रा में लंबित मामलों, लम्बे समय तक चलने वाले मुकदमों, मुकदमों का बार-बार स्थगन, सुनवाई के समय अभियोजन और प्रतिवाद काउंसलों की अनुपस्थिति, साक्ष्य की दोषपूर्ण रिकार्डिंग, अभियोजन पक्ष के वकीलों की उदासीन भूमिका, कम दोष सिद्धि न्यायालयों में कम कार्य दिवसों, देर से निर्णय देने, मुकदमेबाजों की तुलना में वकीलों के लिए आचार संहिता न होना और उसका पालन न करना और बी०सी०ए० की निष्क्रियता आदि के कारण न्यायिक सुधार की तत्काल आवश्यकता है;

(ख) क्या सरकार के पास अपराध प्रक्रिया संहिता की विभिन्न धाराओं में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) न्यायिक सुधार एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत समय-सीमा नियत करना, स्थगनों पर निर्बंधन लगाना, निर्णयों का तत्परतापूर्वक दिया जाना और न्यायिक प्रक्रिया में वकीलों की सक्रिय भूमिका आदि हैं।

दिसंबर, 2000 में संसद् में पुरःस्थापित किए गए सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 और सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2000 में, अन्य बातों के साथ-साथ, वाद के विभिन्न चरणों पर समय-सीमा नियत करने, किसी वाद के पक्षकार को तीन से अनधिक स्थगन मंजूर करने, आयुक्त द्वारा साक्ष्य अभिलिखित करने, मामले की सुनवाई के पश्चात् 60 दिन के भीतर निर्णय देने से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। जहां तक न्यायालयों में कम कार्यदिवसों का संबंध है, इस मामले पर उच्च न्यायालयों के साथ कार्रवाई आरंभ की गई है।

मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सरकार द्वारा न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने, न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की पद-संख्या में वृद्धि करने, विशेष न्यायालयों/अधिकरणों की स्थापना करने, विशेष न्यायिक/मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करने आदि जैसे अनेक उपाय किए गए हैं।

(ख) और (ग) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की विभिन्न धाराओं का संशोधन करने के लिए प्रस्तावित 49 खंड अंतर्विष्ट हैं, 1994 में राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया है। सरकार ने दांडिक न्याय सुधारों के संबंध में पद्धति के पुर्नसुधार के बारे में उपायों का सुझाव देने के लिए एक समिति भी गठित की है। समिति को अभी अपनी रिपोर्ट देनी है।

इन्फैंटरी बटालियनों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व

898. डा० अशोक पटेल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना की इन्फैंटरी बटालियनों में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं। सेना की इन्फैंट्री बटालियनों में महिलाओं को भर्ती किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

मतदाताओं के लिए पहचान पत्र का उपयोग

899. डा० अशोक पटेल : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब मतदाता पहचान पत्र का उपयोग अन्य कार्यों के लिए करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस दिशा में कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सैनिक विद्यालयों की वित्तीय स्थिति

900. श्री श्रीनिवास पाटील : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सैनिक विद्यालयों की खराब वित्तीय स्थिति से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात से भी अवगत है कि सम्पूर्ण शुल्क ढांचे में 1999-2000 से प्रभावी भारी वृद्धि, जोकि 15,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये वार्षिक की गई है, के कारण अभिभावक अपने बच्चों को इन विद्यालयों से निकालने के लिए मजबूर हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार छात्रवृत्ति में केन्द्र का हिस्सा 2,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने का है; और

(घ) यदि हां, तो सैनिक विद्यालयों की वित्तीय स्थिति को सुधारने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) 1999-2000 से सभी सैनिक स्कूलों की वार्षिक फीस 14,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये तक करने तथा बाद में उसमें प्रति वर्ष 10% की वृद्धि करने से ये स्कूल लगभग आत्म-निर्भर हो गए हैं।

(ख) जी, हां। फीस में वृद्धि होने के कारण अभिभावकों द्वारा अपने कच्चे स्कूल से निकाले गए हैं।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

गोपनीय रक्षा दस्तावेज आई०एस०आई० एजेंटों को देना

901. श्री बहादुर सिंह :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री एन० जनार्दन रेड्डी :
श्रीमती रेनु कुमारी :
श्री पी० राजेन्द्रन :
श्री पी० मोहन :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2000 और 2001 के दौरान सुरक्षा बलों के विभिन्न अधिकारी आई०एस०आई० के एजेंटों को विशिष्ट और गोपनीय दस्तावेज देते पकड़े गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सुरक्षा अधिकारियों की ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु अपने आसूचना नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ङ) वर्ष 2000 तथा 2001 के दौरान रक्षा सेनाओं (सिविलियन कर्मचारियों सहित) के कुछ अधिकारियों को पाकिस्तान के आई०एस०आई० एजेंटों को गुप्त तथा वर्गीकृत दस्तावेज देते हुए पाया गया है तथा सरकारी गुप्त बात अधिनियम/भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ऐसे सभी कार्मिकों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की गई थी। सरकार ने इस प्रकार की जघन्य गतिविधियों को रोकने के लिए अपने आसूचना नेटवर्क को सक्रिय करने के वास्ते तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हों, सुरक्षा के अनेक उपाय किए तथा कदम उठाए हैं। इस संबंध में उठाए गए कुछ कदमों में जांच-पड़ताल करने के लिए आसूचना ब्यूरो के साथ अतिरिक्त निगरानी दलों की तैनाती, डिफेंस सुरक्षा जोन के अंतर्गत पहुंच मार्गों पर नियंत्रण के लिए अतिरिक्त सुरक्षा टुकड़ियों की तैनाती, सुरक्षा उपायों को सक्रिय करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर की तैनाती पर सिविलियन राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारियों को प्रत्येक माह विभागीय सुरक्षा अनुदेशों से अवगत कराने तथा उन्हें सुरक्षा के प्रति संवदेनशील बनाने के लिए सुरक्षा संबंधी सूचना देना शामिल है। आसूचना ब्यूरो के अधिकारियों ने संपूर्ण सुरक्षा परिदृश्य से अवगत कराने तथा की जाने वाली निरोधात्मक कार्रवाई

के संबंध में मंत्रालय/सेना मुख्यालयों/अंतर सेवा संगठनों के अधिकारियों को भी अवगत कराया है। अधिक ब्यौरे का खुलासा करना जन-हित में नहीं है।

प्रसारण कानून बनाना

902. श्री एन०टी० षणमुगम :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक प्रसारण कानून बनाने और केबल अधिनियम, 1995 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन्हें कब तक लाए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) संचार अभिसरण विधेयक, 2001 31.8.2001 को संसद में प्रस्तुत कर दिया गया है और इस स्थिति में एक पृथक प्रसारण विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है।

इनवैस्टर प्रोटेक्शन एक्ट पर सेबी और कंपनी कार्य विभाग में मतभेद

903. श्री के०ई० कृष्णमूर्ति : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इनवैस्टर प्रोटेक्शन एक्ट के संबंध में सेबी और कंपनी कार्य विभाग में कुछ मतभेद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निवेशकों के हितों की रक्षा हेतु सेबी ने क्या प्रस्ताव रखे है;

(घ) इन प्रस्तावों पर कंपनी कार्य विभाग की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय विधि स्कूल, बंगलौर के भूतपूर्व निदेशक डा० एन०एल० मित्रा की अध्यक्षता वाली समिति ने एक नए निवेशक संरक्षण अधिनियम की सिफारिश की है। विद्यमान कम्पनी अधिनियम, 1956 का उद्देश्य कारपोरेट निकायों को पर्याप्त रूप से प्रबन्धकीय स्वायतता तथा निवेशक संरक्षण दोनों के लिए समान रूप से वित्तीय तथा प्रबंधकीय पहलुओं को नियमित करना है। वास्तव में शेयरधारकों, डिबेंचधारकों जमाकर्त्ताओं आदि का संरक्षण कम्पनी अधिनियम, 1956 का एक मुख्य उद्देश्य है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 ग (4) के अन्तर्गत गठित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के प्रतिनिधि भी है ने भी यह महसूस किया है कि वर्तमान कानून पर्याप्त हैं। इसके अतिरिक्त कम्पनी अधिनियम की धारा 205ग के अन्तर्गत निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि स्थापित कर दिया गया है और इस बारे में नियमों का अधिसूचित कर दिया है। इसलिए यह महसूस किया गया कि विद्यमान कानून के अन्तर्गत निवेशकों को प्रर्याप्त संरक्षण प्राप्त है और हो सकता है कि एक और अधिनियम की आवश्यकता न हो।

युद्ध से संबंधित अधिकारिक इतिहास

904. श्री भर्तृहरि महताब :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री शिवाजी माने :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने युद्ध से संबंधित अधिकारिक इतिहास को सार्वजनिक करने के लिए एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के निदेश पद क्या हैं;

(ग) क्या यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मंत्रियों के समूह की सिफारिशों की प्रतिक्रिया है;

(घ) यदि हां, तो मंत्रियों के समूह द्वारा इस संबंध में अन्य क्या सिफारिशें की गई थीं;

(ङ) इनमें से कितनी सिफारिशें स्वीकार की गई और उन पर क्या कार्यवाही की गई; और

(च) उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या हे जिनकी अभी जांच की जानी है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) इस समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :—

यह समिति भारत-पाक युद्ध 1971, भारत-पाक युद्ध 1965, चीन के साथ संघर्ष 1962 के इतिहास और आपरेशन पवन-श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के इतिहास तथा इस मामले से संबंधित रक्षा मंत्रालय/विदेश मंत्रालय की फाइलों की समीक्षा खुली बिक्री के लिए उनके प्रकाशन की सिफारिश/नामंजूर करने की दृष्टि से करेगी। यह समिति विदेश मंत्रालय के सभी संगत दस्तावेजों और रक्षा मंत्रालय के सभी संगत दस्तावेजों को देख सकेगी। यह समिति अपनी सिफारिश 31 दिसंबर, 2001 तक प्रस्तुत करेगी।

(ग) जी, हां।

(घ) मंत्री-समूह ने कारगिल का सरकारी इतिहास लिखे जाने की भी सिफारिश की है।

(ङ) कुछ सिफारिशों को छोड़कर मंत्री-समूह की सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। मंत्री-समूह की सिफारिशों का कार्यान्वयन पहले ही शुरू किया जा चुका है।

(च) रक्षा स्टाफ प्रमुख का पद बनाने से संबंधित मंत्री-समूह की सिफारिश पर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात् निर्णय लिया जाएगा। कारगिल का सरकारी इतिहास लिखे जाने के प्रश्न पर निर्णय लेने की कार्रवाई चल रही है।

सिविल कार्यों के लिए सशस्त्र बलों की तैनाती

905. **श्री दिलीप संघाणी :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिविल कार्यों के लिए सशस्त्र बल तैनात किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो 2001 के दौरान और आज की तिथि तक उनकी तैनातियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) सेना इंजीनियर सेवा, जिसमें सिविल तथा सैन्य कार्मिक शामिल हैं, सशस्त्र सेनाओं में सिविल निर्माण कार्यों के लिए तैनात एक पदनामित विशिष्ट एजेंसी है। तथापि, मौका पड़ने पर, आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी के एिल अपनी तैनाती तथा प्राकृतिक आपदाओं में सिविल प्रशासन की सहायता करने के अतिरिक्त सशस्त्र सेनाएं विशेष रूप से सेना, जम्मू तथा कश्मीर तथा उत्तर पूर्व के उग्रवाद प्रभावित राज्यों में स्कूलों, क्रीडास्थलों, सामुदायिक केन्द्रों तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग के स्थलों का निर्माण/जीर्णोद्धार करने, चिकित्सा सहायता तथा पेयजल सुविधाओं आदि की व्यवस्था करने जैसी नागरिक कार्य परियोजनाओं को प्रायः करती हैं। ये लघु परियोजनाएं होती हैं तथा स्थानीय आबादी की आवश्यकताओं के आधार पर इनकी रूपरेखा बनाई जाती है तथा इनका निष्पादन स्थानीय आबादी की सक्रिय भागीदारी से किया जाता है। इन परियोजनाओं के लिए किसी विशेष तैनाती की आवश्यकता नहीं होती है, इन्हें संबंधित सेना विरचनाओं द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

[हिन्दी]

झुनझुनू में भर्ती कार्यालय

906. **श्री शीश राम ओला :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों से झुनझुनू के जिला मुख्यालय में सैन्य भर्ती केन्द्र पर भर्ती नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि झुनझुनू जिले के युवकों को भर्ती के लिए जिला मुख्यालय से कम से कम 800 कि०मी० दूर बुलाया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) झुनझुनू जिला मुख्यालय पर भर्ती करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) सेना में भर्ती खुली रैली के माध्यम से की जाती है। रैलियां मुख्यालय भर्ती जोन के तत्वाधान में आयोजित की जाती हैं जिसके अंतर्गत झुंझुनू को पर्याप्त रूप से कवर किया गया है। पिछले दो वर्ष के दौरान जिले को कवर करने के लिए नवंबर, 1999 में सूरतगढ़ में, जनवरी, 2000 में नसीराबाद में, अप्रैल, 2000 में बीकानेर में तथा फरवरी, 2001 में जसई में भर्ती रैलियां आयोजित की गई हैं।

(घ) दिसंबर, 2001 में झुंझुनू में भर्ती रैलियां आयोजित करने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

अदालत में चश्मदीद गवाहों का रवैया

907. **श्री सुरेश चन्देल :** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि धन-बल के प्रभाव के चलते चश्मदीद गवाह अदालत में सच्चाई से मुकर जाते हैं;

(ख) क्या भारतीय दंड संहिता के प्रावधान का अनुचित लाभ उठाते हुए वकील सच्चाई का पता लगाने में अदालत का सहयोग करने के बजाय: अभियुक्तों को बचाने में सभी भ्रष्ट हथकंडे अपनाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो देश वासियों को शीघ्र किफायती तथा सही न्याय दिलाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) भारत के विधि आयोग ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 पर अपनी 154वीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ धारा 164 में एक नई उपधारा 1 (क) अंतः स्थापित करने की सिफारिश की है, जो निम्नानुसार है :

> "प्रत्येक अन्वेषण अधिकारी, अन्वेषण के प्रक्रम के दौरान सभी तात्विक साक्षियों को निकटतम मजिस्ट्रेट को भेजेगा और मजिस्ट्रेट शपथ पर उनके कथन अभिलिखित करेगा, यदि ऐसा मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर मामले का संज्ञान लेने के लिए सशक्त है तो वह ऐसे कथन को उसके द्वारा प्राप्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ रखेगा और धारा 173 के अधीन आगे और पुलिस रिपोर्ट की प्रतीक्षा करेगा। यदि वह ऐसा संज्ञान लेने के लिए सशक्त नहीं

है तो वह इस प्रकार शपथ पर अभिलिखित कथनों को मामले का संज्ञान लेने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को भेजेगा।''

उपरोक्त के संबंध में किसी विनिश्चय के लिए किसी विनिर्दिष्ट समय-सीमा के संबंध में सरकार को 154वीं रिपोर्ट में विधि आयोग की सिफारिशों को पूर्ण रूप से विचार में रखना होगा।

(ग) सरकार ने देशवासियों को त्वरित, कम खर्चीला और उचित न्याय उपलब्ध कराने के लिए अनेक उपचारात्मक उपाय प्रस्तावित किए हैं। इनके अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के संशोधन भी हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2000 और दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994 संसद् के विचाराधीन लंबित हैं। इसके अतिरिक्त जहां तक दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता का संबंध है, भारत के विधि आयोग ने दोनों अधिनियमों का व्यापक रूप से पुनर्विलोकन किया है।

न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की पदसंख्या में वृद्धि करना, विशेष न्यायालयों/अधिकरणों की स्थापना करना, माध्यस्थम् और सुलह जैसे विवाद समाधान के वैकल्पिक ढंगों को अपनाना शीघ्र और कम खर्चीले न्याय के लिए किए गए और उपाय हैं। लोक अदालतों को विवादों के समाधान के लिए अनुपूरक मंच के रूप में कानूनी आधार दिया गया है। मार्च, 2001 तक लोक अदालतों ने देश में 1.67 करोड़ (लगभग) मामलों का निपटारा किया है।

[अनुवाद]

फलक्स कॉर्डवायरों की खरीद पर व्यय

908. **श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग की तकनीकी समिति, आयुध कारखाना मेढ़क और भारी वाहन फैक्टरी, आवाढ़ी द्वारा फलक्स कॉर्ड वायर और अन्य वैल्डिंग इलैक्ट्राड्स की खरीद पर 4.96 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय के संबंध में सी०ए०जी० की 2000 की रिपोर्ट संख्या 7 में की गई टिप्पणी का उत्तर नहीं दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वैल्डिंग वायरों/इलैक्ट्राड्स आपूर्तिकर्ताओं/उत्पादकों को पंजीकृत करके संयुक्त सेवाओं के निदेशों के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) रक्षा संबंधी उत्पादों की खरीद में निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं। आयुध निर्माणी बोर्ड ने प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (आयुध निर्माणियां, कलकत्ता) को, जिन्होंने संबंधित लेखा परीक्षा पैरा पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट की विधीक्षा की थी, जवाब दे दिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

रक्षा अधिकारियों के खिलाफ सी०बी०आई० जांच

909. **श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 अक्तूबर, 2001 के ''द इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित खबर के मुताबिक रक्षा अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के लगे आरोपों के खिलाफ सी०बी०आई० द्वारा दर्ज की गई प्राथमिक जांच (पी०ई०) का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन प्राथमिक जांचों की वर्तमान स्थिति क्या है और प्रत्येक मामले में सी०बी०आई० के निष्कर्ष क्या रहे;

(ग) क्या उनका मंत्रालय गृह मंत्रालय से क्लासिफाइड दस्तावेजों को प्राप्त करने/अनुमति प्राप्त करने में सी०बी०आई० का सहयोग नहीं कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो रक्षा सौदों/उनकी खरीद में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस दिशा में प्राप्त लाभों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने एक रक्षा लेखा नियंत्रक के विरुद्ध, भारतीय वायुसेना को अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों के आपूर्तिकर्त्ता से स्वयं एवं परिवार के सदस्यों को दिल्ली से पटना और वापसी की यात्रा के हवाई टिकटों के लिए भुगतान के रूप में उत्कोच स्वीकार करने के कारण, दिनांक 13.9.2001 को एक प्रारंभिक जांच दर्ज की है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो इस समय इस मामले की जांच कर रहा है।

(ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को रक्षा मंत्रालय से पूरा सहयोग मिल रहा है।

(घ) और (ङ) रक्षा खरीदों में पारदर्शिता लाने के लिए अन्य उपायों के साथ-साथ निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं :–

(i) रक्षा खरीदों में उच्च स्तर की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग/नियंत्रक

एवं महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श कर 75 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली सभी बड़ी अधिप्राप्ति/खरीद संबंधी निर्णयों की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा और जहां कहीं आवश्यक हो केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अनिवार्य एवं समयबद्ध संवीक्षा के लिए आदेश जारी किए हैं।

(ii) प्रमुख रक्षा खरीदों को व्यावसायिक, पारदर्शी और किफायती तरीके से संचालित करने के लिए मंत्रालय, तीनों सेनाओं और रक्षा वित्त स्कंध के वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर एक रक्षा अधिप्राप्ति बोर्ड का गठन किया गया है।

(iii) रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं को पूर्णतया पारदर्शी बनाने और उच्चतम स्तर की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् रक्षा खरीदों में प्राधिकृत प्रतिनिधियों/बिचौलियों को शामिल करने संबंधी अनुदेश जारी किए हैं। इससे पारदर्शिता स्तर में वृद्धि होगी और सेना मुख्यालय को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में नवीनतम प्रगति के बारे में अतिरिक्त सूचना प्राप्त हो पाएगी।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों की मांग

910. **श्री रामदास आठवले : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में पैट्रोलियम उत्पादों की विशेषकर एल०पी०जी० की, अनुमानित मांग का राज्यवार ब्यौरा क्या है और देश के इन क्षेत्रों में वास्तविक रूप से इनकी कितनी आपूर्ति की जाती है;

(ख) किरासन तेल, एल०पी०जी०, पेट्रोल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित मांग का ब्यौरा क्या है और उक्त मांग को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी कंपनियों द्वारा तैयार की गई विपणन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में चालू वर्ष में एल०पी०जी०, पेट्रोल, किरासन और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की विपणन योजनाएं क्या हैं;

(घ) चालू वर्ष में डीलरशिप के चयन को अंतिम रूप देने के लिए गुजरात तेल चयन बोर्ड के पूर्वगठन के मामले में क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) इस समय, जनजातीय क्षेत्रों सहित सम्पूर्ण देश मे कमोबेश रूप से एल०पी०जी० सहित पेट्रोलियम उत्पादों की मांग पूर्णतया पूरी की जा रही है।

पेट्रोलियम उत्पादों (एम०एस०, एच०एस०डी०, एल०पी०जी० और एस०के०ओ०) की मांग को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां नियमित रूप से संभावित स्थलों के लिए व्यवहार्यता सर्वेक्षण करती हैं। इन सर्वेक्षणों के आधार पर विपणन योजनाओं में स्थल शामिल किए जाते हैं। समानांतर विपणन योजना के अंतर्गत एस०के०ओ० तथा एल०पी०जी० हेतु निजी कंपनियों की विपणन योजनाएं सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं की जाती है। चालू वर्ष के लिए एल०पी०जी०, खुदरा बिक्री केन्द (आर०ओ०) तथा एस०के०ओ० डीलरशिप हेतु विपणन योजनाएं अभी तक तैयार नहीं हुई हैं। लेकिन, डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का चयन पूर्व विपणन योजनाओं के आधार पर किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) इस समय, गुजरात राज्य में दो डीलर चयन बोर्ड (डी०एस०बी०) डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चयन हेतु कार्य कर रहे हैं।

[अनुवाद]

टी० एण्ड डी० नेटवर्क में चीन का सहयोग

911. **श्री के० येरननायडू : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने क्लियरनर टैक्नोलॉजी, उपकरण निर्माण और पारेषण तथा वितरण नेटवर्क संबंधी सूचना हेतु विद्युत के क्षेत्र में चीन के सहयोग की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में चीन की क्या प्रतिक्रिया है।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) माननीय विद्युत मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सितम्बर, 2001 में चीन का दौरा किया था। प्रतिनिधिमंडल ने व्यापक रूप में उन मुद्दों का चर्चा की जिनका उद्देश्य यह समझना था कि चीन द्वारा ऊर्जा विद्युत क्षेत्र हेतु वित्त पोषण की व्यवस्था कैसे की गई, तथा साथ ही प्रतिनिधिमण्डल ने देश में व्याप्त टैरिफ ढ़ाचों, राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड समेत अपने पारेषण नेटवर्क का निर्माण करने के लिए किये जा रहे उपायों तथा ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु और टी० एण्ड डी० हानियों को कम करने हेतु अपनाये गये उपायों पर व्यापक चर्चा की है।

डी०पी०सी० और सेस्को (सी०ई०एस०सी०ओ०) जैसे विवाद

912. **श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाभोल विद्युत निगम और सेस्कों (सी०ई०एस०सी० ओ०) जैसे विवाद को कम करने के प्रयास में सरकार ने इस वित्तीय

वर्ष विद्युत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए सभी 450 विद्युत सर्कलों का पुनर्गठन करने और 4,500 करोड़ रुपए का निवेश करने की संभावना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो किन मुख्य प्रस्तावों की घोषणा की गई है;

(ग) विद्युत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने में इन परियोजनाओं से किस सीमा तक मदद मिलने की संभावना है;

(घ) क्या विश्व बैंक ने केन्द्र सरकार से विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए उपयुक्त माहौल बनाने हेतु मुख्य भूमिका निभाने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ङ) भारत सरकार ने राज्य विद्युत बोर्ड (रा०वि० बोर्डों) के कार्यनिष्पादन में वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए देश में पुराने विद्युत उत्पाद स्टेशनों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार करने तथा उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क का उच्चीकरण करने के लिए सुव्यवस्थित वित्तपोषण प्रदान करने के उद्देश्य से त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (ए०पी०डी०पी०) आरंभ किया है। ए०पी०डी०पी० के अंतर्गत विशेष श्रेणी के राज्य 100% परियोजना लागत के 90% अनुदान राशि और 10% केन्द्रीय ऋण के अनुपात में प्राप्त करते है जबकि गैर विशेष राज्य परियोजना लागत का 50% भाग ए०पी०डी०पी० के अंतर्गत आधी अनुदान राशि और आधी ऋण राशि के रूप में प्राप्त करते हैं परियोजना लागत का शेष 50% वित्तीय संस्थानों से ऋण के रूप में प्रदान किया जाता है। ए०पी०डी०पी० कार्यक्रम के अंतर्गत 63 वितरण सर्किलों में उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली का उच्चीकरण आरंभ किया जा रहा है। शेष वितरण सर्किलों पर यह कार्य 10वीं योजना अवधि (2002-2007) के दौरान आरंभ किया जायेगा। ए०पी०डी०पी० स्कीम के अंतर्गत आंशिक वित्तपोषण प्रदान किया जाएगा और शेष ऋण राशि विशिष्ट परियोजनाओं के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान की जायेगी।

ए०पी०डी०पी० के क्रियान्वयन से विद्युत क्षेत्र की वाणिज्यिक व्यवहार्यता में सुधार होगा और विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण में निवेश आकर्षित करने में सहायता प्राप्त होगी।

टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स पर विवाद

913. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी चैनलों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों के टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स संबंधी विवाद पर प्रसार भारती से रिपोर्ट मांगी है;

(ख) यदि हां, तो वाद-विवाद, प्रत्यक्षत: 2500 करोड़ रुपये के विज्ञापन पाई के बड़े भाग के लिए संघर्ष के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस मुद्दे पर हस्तक्षेप किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है;

(ङ) क्या सरकार ने मुम्बई और चैन्नई में गुप्त लोगों द्वारा इस लीक के पिछे कोई छल-कपट पाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) इलेक्ट्रोनिक मीडिया में टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट बाजार अनुसंधान कम्पनियों और विज्ञापनदाताओं के बीच विवाद का एक मुद्दा है। टी०ए०एम० मीडिया रिसर्च और ओ०आर०जी०-एम०ए०आर०जी० दो एजेंसियां हैं जो टेलीविजन देखने वाले लोगों/घरों के प्रतिनिधि नमूनों के जरिए दर्शक संख्या का आकलन करती हैं। यह आकलन पीपुल मीटर नामक इलेक्ट्रोनिक यंत्र के जरिए किया जाता है। ये समाचार दर्शक संख्या के बारे में सूचना सार्वजनिक होने से संबंधित है, इससे इनकी विश्वसनीयता में कमी आयी है। सरकार की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है।

[हिन्दी]

रसोई गैस सिलेंडरों में जल

914. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :**
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 04 अक्तूबर, 2001 के 'दैनिक जागरण' में प्रकाशित 'पानी मिलाकर बेचे जा रही है रसोई गैस शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा रसोई गैस डीलरों और जल भरे रसोई गैस सिलेंडरों की आपूर्ति करने वाली एजेंसियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) ऐसे प्रभावित उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के एल०पी०जी० वितरकों को उपभोक्ताओं को सिलैंडर का वितरण करने से पूर्व प्रत्येक सिलेंडर की श्रेष्ठता/सही वजन का निरीक्षण करने के सख्त निर्देश दिए जाते हैं। उपभोक्ता से आपूर्ति, कम वजन/सिलेंडर में पानी भरा होने की किसी भी सुनिश्चित शिकायत के मामले में, विद्यमान विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों/डिस्ट्रीब्यूटरशिप समझौते के अनुसार चूककर्ता वितरक के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

करगिल समीक्षा समिति

915. **श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) करगिल समीक्षा समिति की रिपोर्ट के संदर्भ में राष्ट्रीय सुरक्षा का जायजा लेने वाले मंत्रियों के समूह की विभिन्न सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली की समग्र रूप से समीक्षा करने तथा विशेष रूप से कारगिल पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों पर विचार करने और इसके कार्यान्वयन हेतु विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करने के लिए सरकार द्वारा 17 अप्रैल, 2000 को गठित मंत्री-समूह ने 26 फरवरी, 2001 को प्रधानमंत्री को 'राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार' शीर्षक से अपनी एक वृहत रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें अन्य सिफारिशों के साथ-साथ आसूचना प्रणाली, आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन तथा रक्षा प्रबंधन के क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे में सुधार किए जाने की सिफारिश की गई है। मंत्री-समूह की प्रमुख सिफारिशें हैं : (i) सैन्य मुख्यालयों को 'एकीकृत मुख्यालय' के रूप में पुनः नामित करना, (ii) रक्षा स्टाफ प्रमुख का सृजन करना, (iii) रक्षा अधिप्राप्ति बोर्ड का सृजन करना, (iv) रक्षा आसूचना एजेंसी का सृजन करना, (v) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना करना, (vi) 15 से 20 वर्ष के लिए समग्र एकीकृत रक्षा संदर्शी योजना तैयार करना, (vii) आसूचना इकट्ठा करने तथा प्रसारित करने के लिए तंत्र को सुदृढ़ बनाना, (viii) राज्य पुलिस बलों/केन्द्रीय अर्द्ध सैन्य बलों को सुदृढ़ करना, (ix) युवकों के लिए राष्ट्रीय सेवा, (x) एन०सी०सी० का विस्तार तथा प्रादेशिक सेना में सेवा, (xi) नागरिक सुरक्षा संगठन की प्रभावोत्पादकता को बढ़ाना, (xii) ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम रक्षा समितियों का गठन करना, (xiii) आपराधिक न्यायिक व्यवस्था में सुधार करना तथा सीमा रक्षक बलः आदि को सुदृढ़ बनाना, (xiv) प्रशिक्षित करना तथा सुसज्जित करना।

(ख) सरकार ने मंत्री-समूह द्वारा की गई सिफारिशों को इस संशोधन के साथ 11 मई, 2001 को अनुमोदित कर दिया था कि रक्षा स्टाफ प्रमुख के पद का सृजन किए जाने से संबंधित सिफारिश पर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ परामर्श करने के बाद निर्णय लिया जाएगा।

पेट्रोलियम की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर

916. **श्री जी०जे० जावीया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग और आपूर्ति के बीच कितना अंतर है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन, उपभोग और आयात की मात्रा क्या है और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई है; और

(ग) मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पाटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) पिछले 2 वर्षों के दौरान पेट्रोल एवं पेट्रोलियम उत्पादों की मांग एवं आपूर्ति के मध्य अंतर नीचे दिया गया है :

	पेट्रोल	पेट्रोलियम उत्पाद आंकड़े टी०एम०टी० में
1999-2000	322	-14,150
2000-2001	1,455	-711

पिछले 2 वर्ष के दौरान एवं पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोग एवं उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	पेट्रोल	पेट्रोलियम उत्पाद आंकड़े टी०एम०टी० में
1999-2000		
उपभोग	5,909	97,086
उत्पादन	6,231	82,936
2000-2001		
उपभोग	6,613	100,075
उत्पादन	8,068	99,364

पिछले 2 वर्ष के दौरान पेट्रोल एवं पेट्रोलियम उत्पादों के आयात तथा उस पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा नीचे दी गई है :

	1999-2000			2000-2001		
	मात्रा	कीमत		मात्रा	कीमत	
	'000' टन	रु० करोड़	डालर मिलियन	'000' टन	रु० करोड़	डालर मिलियन
सार्वजनिक क्षेत्र	12,313	10,402	2,394	3,007	3,793	829
निजी क्षेत्र	4,295	3,783	870	6,260	8,300	1,813
कुल उत्पाद आयात	16,608	14,185	3,264	9,267	12,093	2,642

(ग) मांग एवं आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) नई ग्रासरूट रिफाइनरी चालू करके तथा विद्यमान रिफाइनरी का विस्तार करते हुए पिछले 2 वर्ष के दौरान देश में रिफाइनरी की क्षमता में वृद्धि की गई है। इसके साथ देश में इस समय शोधन क्षमता मांग से कुछ अधिक है।

(2) 1.10.2001 को 114.7 एम०एम०टी०पी०ए० की वर्तमान स्थापित शोधन क्षमता के साथ पेट्रोलियम उत्पाद की घरेलू आवश्यकता अधिकतर घरेलू उत्पादन से पूरी की जाती है।

(3) पेट्रोलियम उत्पादों का आयात/निर्यात विशेष उत्पादों की मांग एवं उत्पादन में असंतुलन तक सीमित है।

जिप्सी वाहनों की खरीद में निधियों का दुरूपयोग

917. **श्री पी०डी० एलानगोवन :** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए जिप्सी वाहन खरीदे गए थे तो उस समय निधियों का दुरूपयोग किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) कितने वाहन खरीदे गए और उनकी बिल राशियां कितनी हैं;

(घ) इसके लिए आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है और ये जिप्सी वाहन कहां से खरीदे गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए जिप्सी वाहन खरीदते समय प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल डीलरों से कोई मुहरबंद निविदाएं आमंत्रि की थी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (च) वर्ष 1999-2000 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से डी०जी०एस०डी० दर पर मारूति उद्योग लिमिटेड से 68,24,384/-रुपए के मूल्य के 16 (सोलह) मारूति जिप्सी वाहनों की खरीद की थी।

आकाशवाणी टावरों को पट्टे पर देना

918. **श्री सुन्दर लाल तिवारी :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी को अपने टावरों को निजी एम०एफ० संचालकों को पट्टे पर देने की अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ग) क्या योजना की तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता का आकाशवाणी द्वारा अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(च) इससे देश को किस प्रकार लाभ होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) प्रसार भारती ने तकनीकी व्यवहार्यता और लाइसेंस शुल्क के भुगतान के अधीन टावरों सहित अपनी सामान्य आधारभूत सुविधाओं का साझा उपयोग करने के लिए निजी एफ०एम० आपरेटरों को अनुमति देने का निर्णय लिया है। प्रसार भारती की स्वयं की आवश्यकता को ध्यान में रखने के बाद ही प्रत्येक अनुरोध पर इसकी तकनीकी व्यवहार्यता के दृष्टिकोण से विचार किया जाता है और लाइसेंस शुल्क निवेशों तथा इन सुविधाओं की प्रचालन लागत के आधार पर निर्धारित किया जाता है। विस्तृत निबंधन और शर्तें निजी आपरेटर की अपेक्षा, आधारभूत सुविधाओं की प्रकृति और आपरेटरों की संख्या पर निर्भर करते हुए स्थान-स्थान पर अलग-अलग होती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) निजी एफ०एम० केन्द्रों के तेजी से प्रचालन से उच्च गुणवत्ता वलो बहु-चैनल मनोरंजन को उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। अन्य लाभों में लाइसेंस शुल्क के राजस्व, रोजगार में बढ़ोत्तरी तथा एफ०एम० रेडियो और सम्बद्ध सहायक उपकरणों की मांग बढ़ने संबंधी विनिर्माण उद्योगों को बढ़ावा मिलना शामिल हैं। प्रसार भारती के टाबरों के सांझे उपयोग से इन सम्पत्तियों के इष्टतम उपयोग सुनिश्चित होगा।

[हिन्दी]

पनडुब्बियों का विनिर्माण

919. **श्री थावरचन्द गेहलोत :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विनाशक पनडुब्बियों के विनिर्माण के संबंध में प्रोटेक्ट 75 के नाम से शुरू की गई परियोजना देश में प्रारम्भ की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) सरकार ने पनडुब्बियों के विनिर्माण और पनडुब्बी निर्माण में राष्ट्रीय क्षमता के अर्जन के लिए एक दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य योजना को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम के लिए अपेक्षित तकनीकी सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

तहलका प्रकरण पर न्यायिक जांच रिपोर्ट

920. **श्री रमेश चेन्नितला :**
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तहलका वीडियो टेप रहस्योद्घाटन पर न्यायिक जांच रिपोर्ट पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो यह इस समय किस चरण में है;

(घ) क्या आयोग ने कोई अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) जांच आयोग पर अभी तक कितनी राशि खर्च की गई है;

(छ) क्या सरकार इस आयोग को समाप्त करने पर विचार कर रही है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) न्यायमूर्ति के० वेंकटस्वामी जांच आयोग ने तहलका वीडियो टेप रहस्योद्घाटन के संबंध में जांच कार्य पूरा नहीं किया है।

(ग) आयोग का कार्य चल रहा है और उसकी सुनवाई जारी है।

(घ) और (ङ) आयोग ने कोई अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(च) सरकार ने आयोग की वित्तीय आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उसे 2 करोड़ रुपए दिए हैं।

(छ) और (ज) सरकार, आयोग का कार्यकाल 24 नवम्बर, 2001 से चार माह के लिए और आगे बढ़ाए जाने के उसके अनुरोध पर विचार कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.17 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभापटल पर रखे जाएंगे। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : महोदय, मैं औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अन्तर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (सातवां संशोधन) नियम, 2001, जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 700(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल०टी० 4199/2001]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : महोदय, मैं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 870(अ), जो 11 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा आगरा-बीकानेर सेक्शन में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर रींगस बाईपास पर पथकर संग्रहण की उगाही को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, *देखिये* संख्या एल०टी० 4200/2001]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, मैं श्रीमती वसुन्धरा राजे की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :–

(1) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2001, जो 19 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 678(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4201/2001]

(2) (एक) सेन्ट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर, भुवनेश्वर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर, भुवनेश्वर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4202/2001]

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आठवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, और तेरहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

आठवीं लोक सभा

(1) विवरण संख्या 29 चौदहवां सत्र, 1989

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल०टी० 4203/2001]

दसवीं लोक सभा

(2) विवरण संख्या 48 प्रथम सत्र, 1991

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल०टी० 4204/2001]

(3) विवरण संख्या 42 तीसरा सत्र, 1992

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल०टी० 4205/2001]

(4) विवरण संख्या 41 चौथा सत्र, 1992

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल०टी० 4206/2001]

(5) विवरण संख्या 34 सातवां सत्र, 1993

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल०टी० 4207/2001]

(6) विवरण संख्या 27 आठवां सत्र, 1993

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल०टी० 4208/2001]

(7) विवरण संख्या 32 नौवां सत्र, 1994

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल०टी० 4209/2001]

(8) विवरण संख्या 31 ग्याहवां सत्र, 1994

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल०टी० 4210/2001]

(9) विवरण संख्या 28 बारहवां सत्र, 1994

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल०टी० 4211/2001]

(10) विवरण संख्या 29 तेरहवां सत्र, 1995

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल०टी० 4212/2001]

(11) विवरण संख्या 30 चौदहवां सत्र, 1995

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल०टी० 4213/2001]

(12) विवरण संख्या 22 पंद्रहवां सत्र, 1995

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल०टी० 4214/2001]

(13) विवरण संख्या 19 सोलहवां सत्र, 1996

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल०टी० 4215/2001]

ग्यारहवीं लोक सभा

(14) विवरण संख्या 24 दूसरा सत्र, 1996

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल०टी० 4216/2001]

(15) विवरण संख्या 13 चौथा सत्र, 1997

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल०टी० 4217/2001]

(16) विवरण संख्या 20 पांचवां सत्र, 1997

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल०टी० 4218/2001]

(17) विवरण संख्या 16 छठा सत्र, 1997

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल०टी० 4219/2001]

बारहवीं लोक सभा

(18) विवरण संख्या 19 दूसरा सत्र, 1998

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल०टी० 4220/2001]

(19) विवरण संख्या 16 तीसरा सत्र, 1998

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल०टी० 4221/2001]

(20) विवरण संख्या 14 चौथा सत्र, 1999

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल०टी० 4222/2001]

तेरहवीं लोक सभा

(21) विवरण संख्या 12 दूसरा सत्र, 1999

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल०टी० 4223/2001]

(22) विवरण संख्या 11 तीसरा सत्र, 2000

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल०टी० 4224/2001]

(23) विवरण संख्या 7 चौथा सत्र, 2000

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल०टी० 4225/2001]

(24) विवरण संख्या 5 पांचवां सत्र, 2000

[श्री संतोष कुमार गंगवार]

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये संख्या एल०टी० 4226/2001]

(25) विवरण संख्या 4 छठा सत्र, 2001

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये संख्या एल०टी० 4227/2001]

(26) विवरण संख्या 1 सातवां सत्र, 2001

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये संख्या एल०टी० 4228/2001]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत मोटर स्पिरिट एण्ड हाई स्पीड डीजल (पूर्ति तथा वितरण का विनियमन तथा अनाचार का निवारण) संशोधन आदेश 2001, जो 1 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 814(अ) में प्रकाशित हुआ था की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये संख्या एल०टी० 4229/2001]

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : महोदय, मैं श्री ए० राजा की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (सातवां संशोधन) नियम, 2001, जो 17 सितंबर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 670 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल०टी० 4230/2001]

(2) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26क के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 603(अ), जो 24 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 23 जुलाई, 1983 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 578(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल०टी० 4231/2001]

(3) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) औषधि और प्रसाधन सामग्री (छठा संशोधन) नियम, 2001, जो 24 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 601(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) औषधि और प्रसाधन सामग्री (पांचवां संशोधन) नियम, 2001, जो 24 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 604(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल०टी० 4232/2001]

(4) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेंटल हैल्थ एण्ड न्यूरो साईन्सिस, बंगलौर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेंटल हैल्थ एण्ड न्यूरो साईन्सिस, बंगलौर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपयुक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल०टी० 4233/2000]

अपराह्न 2.02 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 20 नवम्बर, 2001 को हुई अपनी बैठक में पारित विस्फोटक पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2001 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

2. महोदय, मैं 20 नवम्बर 2001 को राज्य सभा द्वारा यथापारित विस्फोटक पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2001 सभापटल पर रखता हूं।

अपराह्न 2.02½ बजे

संसदीय समितियां — कार्य का सारांश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं 1 जून, 2000 से 31 मई, 2001 तक की अवधि से संबंधित "संसदीय समितियां (वित्तीय और विभागों से

सम्बद्ध स्थायी समितियों के अतिरिक्त)—कार्य का सारांश'' की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 2.02¾ बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

उन्नसीवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : महोदय, मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 19वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 2.03 बजे

आचार समिति

पहला प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मैं ''आचार संबंधी मामलों'' के बारे में आचार समिति का पहला प्रतिवदेन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 2.03¼ बजे

कार्य मंत्रणा समिति

सत्ताईसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का सत्ताइसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 2.03½ बजे

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

की गई कार्यवाही संबंधी चौवनवां, पचपनवां, छप्पनवां और सत्तावनवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अनन्त नायक (क्योंझर) : महोदय, मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) लघु उद्योगों को ऋण का प्रवाह (क्रेडिट फ्लो) संबंधी 43वें प्रतिवेदन के बारे में लघु उद्योग मंत्रालय की की-गई कार्यवाही टिप्पणी के बारे में 54वां प्रतिवेदन।

(2) खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2001-2002) से संबंधित 50वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 55वां प्रतिवेदन।

(3) इस्पात उद्योग (सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों), इस्पात मंत्रालय के सामने आ रही समस्याओं संबंधी 34वें प्रतिवदेन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 56वां प्रतिवेदन।

(4) इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2001-2002) संबंधी 51वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्यवाही के बारे में 57वां प्रतित्रेदन।

अपराह्न 2.04 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

असम में विटामिन ''ए'' देने के बाद बच्चों की सूचित मौतें*

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय असम में यूनीसेफ द्वारा प्रायोजित तथा राज्य सरकार द्वारा 11 नवम्बर, 2001 को आयोजित राज्यव्यापी अभियान में विटामिन ए की खुराकें दिए जाने के बाद बच्चों की कथित मौतों और उनके बीमार हो जाने से चिन्तित है। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार बहुत से बच्चों में विटामिन ए घोल की खुराक लेने के कुछ ही घंटों में प्रतिकूल प्रभाव के लक्षण देखे गए। दुर्भाग्यवश कुछ बच्चों की मृत्यु भी हो गई। अब तक राज्य सरकार की 19.11.2001 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 953 बच्चों में उन्हें विटामिन ए देने के बाद उल्टी होने जैसे प्रतिकूल प्रभाव देखे गए।

हमें सूचित किया गया है कि इस घटना के बाद 14 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। तथापि, आरम्भिक आकलन से पता चलता है कि इनमें से अधिकांश मामलों में मौतों का कारण विटामिन ए से संबद्ध नहीं था। मौतें हृदयगति रूक जाने (कार्डिएक फेल्योर), फारेन बाडी एस्पीरेशन, गंभीर रक्ताल्पता, अनिश्चित कारणों वाले ज्वर आदि से हुई हैं। बहुत से मामलों में माता-पिता ने सूचित किया है कि मृत बच्चे को विटामिन ए की कोई खुराक नहीं दी गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिकूल प्रभावों के कारण फैले आतंक से सभी मौतें हुईं जिनके लिए विटामिन ए को जिम्मेदार माना जा रहा है। विश्लेषण

*ग्रंथालय में भी रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 4235/2001

[डा० सी०पी० ठाकुर]

के लिए भारत के औषध महानियंत्रक द्वारा औषध के नमूने ले लिए गए हैं और परिणामों की प्रतीक्षा है।

प्रथम दृष्टि में प्रमाणों से पता चलता है कि यूनीसेफ ने असम में अभियान के इस दौर में सामान्यतया दी जाने वाली 2 मि०ली० विटामिन ए घोल के चम्मच के स्थान पर 5 मि०ली० के कप दिए थे। एक सम्भावना यह है कि अभियान के दौरान कुछ बच्चों ने विटामिन ए की संस्तुत स्तर से अधिक मात्रा में खुराक ले ली होगी जिससे विषाक्तता के लक्षण प्रकट हुए। तथापि, विशेषज्ञों को इस मुद्दे की जांच करनी होगी और अपनी राय देना होगा।

मैं माननीय सदस्यों को फिर से आश्वस्त करना चाहूंगा कि सही मात्रा में दिया गया विटामिन ए पूरी तरह सुरक्षित है। विटामिन ए एक अनिवार्य विटामिन है जिसकी कमी से दृष्टिहीनता हो सकती है। इसके अतिरिक्त, विटामिन ए की कमी वाले बच्चों को अतिसार और न्यूमोनिया जैसी बीमारियों के होने की अधिक संभावना होती है और उनकी मृत्यु होने का अधिक खतरा रहता है। इसी वजह से भारत सरकार 1970 के दशक से छोटे बच्चों को विटामिन ए की रोग-निरोधक खुराकें देने के लिए एक कार्यक्रम बिना किसी प्रतिकूल परिणाम के चला रही है। मैं यह आश्वासन देना चाहूंगा कि राष्ट्रीय कार्यक्रम में इस्तेमाल किया गया विटामिन ए घोल एक सुरक्षित औषधि है। फिर भी, किसी भी औषधि की अधिक खुराक लेने से समस्याएं आ सकती हैं। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा जांच आरम्भ कर दी गई है और असम में हुई इस दुर्घटना के ठीक-ठीक कारण का पता कुछ दिनों में चल जाएगा, फिर भी इस समय की प्रारम्भिक सूचना से ऐसा प्रतीत होता है कि असम में कुछ बच्चे उन्हें तथाकथित अधिक खुराक देने से औषधि के प्रतिकूल प्रभावों से ग्रस्त हुए हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सितम्बर, 2000 में एक बहुत राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें पोषण विशेषज्ञों, बाल चिकित्सकों, जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों, अनुसंधानकर्ताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। इस राष्ट्रीय परामर्श, जिसमें विटामिन ए से संबद्ध अनेक मुद्दों की जांच की गई, में यह निष्कर्ष निकाला गया कि देश में क्लिनिकल विटामिन ए की कमी की व्यापकता में महत्वपूर्ण कमी आई है लेकिन यह कुछ आंतरनिवासों (पाकेटों) में अभी भी एक जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में मौजूद है। इस परामर्श ने विटामिन ए देने की राष्ट्रीय नीति का अनुसमर्थन किया और यह सिफारिश की कि विटामिन ए से बचाव को प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के एक घटक के रूप में सुदृढ़ किया जाना चाहिए। चूंकि परामर्श के समय अनेक राज्य विटामिन ए अभियानों को पल्स पोलियो प्रतिरक्षण से जोड़ रहे थे इसलिए इस मुद्दे पर भी विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया था। राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने यह सिफारिश की थी कि पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम के साथ विटामिन ए अनुपूरण कार्यक्रम को जोड़ना अनुपयुक्त है। इसके अनेक कारण हैं। विटामिन ए की खुराक आयु पर निर्भर करती है और बार-बार खुराक देने से विषाक्तता हो सकती है। अभियानों में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और क्षेत्रीय पर्यवेक्षण अपेक्षित होता है। ऐसा करना संभव नहीं हो सकता क्योंकि देश के बहुत से भागों में जन स्वास्थ्य पद्धतियां इन जटिलताओं का उपचार करने में अभी भी समर्थ नहीं हैं। इसके बजाय विशेषज्ञों ने राय व्यक्त की कि विटामिन ए रोगनिगरोधन के लिए नेमी कार्यक्रम में पुन: शक्ति का संचार किया जाना चाहिए। कार्यशाला की कार्यवाहियां सभी राज्य सरकारों को सूचित कर दी गई थीं।

हमने सभी राज्यों के लिए संस्तुति की है कि वे न केवल विटामिन ए बल्कि अन्य विशिष्ट कार्यकलापों के लिए भी अभियान न चलाएं क्योंकि अभियानों से सम्पूर्ण प्रणाली का ध्यान नेमी अनिवार्य कार्यकलापों से हट जाता है।

राज्य सरकार ने श्री एम०एस० पंगते, अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा असम में हुई घटना की जांच कराने के आदेश दिए हैं।

मैंने विटामिन ए देने के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए डा० एन०के० गांगुली, महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति से अनुरोध किया गया है कि वह इस कार्यक्रम और औषध से सम्बद्ध तकनीकी पहलुओं सहित विटामिन ए से संबंधित अनेक पहलुओं की जांच करे। मैंने समिति से अपनी रिपोर्ट और संस्तुतियां शीघ्र देने का अनुरोध किया है। मैं समिति के निष्कर्षों से सदन को अवगत रखूंगा।

अपराह्न 2.09 बजे

[अनुवाद]

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

डा० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य श्री राजीव प्रताप रूडी, जो मंत्री नियुक्त हो जाने के कारण सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य नहीं रहे हैं, के स्थान पर, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 312ख के उप-नियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से नियम 254 के उपनियम (3) के अन्तर्गत समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य श्री राजीव प्रताप रूडी, जो मंत्री नियुक्त हो जाने के कारण सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य

नहीं रहे हैं, के स्थान पर, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 312ख के उप-नियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से नियम 254 के उपनियम (3) के अन्तर्गत समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) लोक लेखा समिति

[हिन्दी]

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल) : अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं :

''कि इस सभा के सदस्य सर्वश्री विजय गोयल और अन्नासाहेब, एम०के० पाटील की मंत्री के रूप में नियुक्ति होने के कारण उनके लोक लेखा समिति का सदस्य न रहने पर उनके स्थान पर लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से नियम 254 के उपनियम (3) के अन्तर्गत समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।''

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि इस सभा के सदस्य सर्वश्री विजय गोयल और अन्नासहिब, एम०के० पाटील की मंत्री के रूप में नियुक्ति होने के कारण उनके लोक लेखा समिति का सदस्य न रहने पर उनके स्थान पर लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से नियम 254 के उपनियम (3) के अन्तर्गत समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

''कि इस सभा के सदस्य सर्वश्री कड़िया मुण्डा तथा अशोक प्रधान की मंत्री के रूप में नियुक्ति होने के कारण उनके अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का सदस्य न रहने पर उनके स्थान पर लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से नियम 254 के उपनियम (3) के अन्तर्गत समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों का निर्वाचन करें।''

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि इस सभा के सदस्य सर्वश्री कड़िया मुण्डा तथा अशोक प्रधान की मंत्रियों के रूप में नियुक्ति होने के कारण उनके अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का सदस्य न रहने पर उनके स्थान पर लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से नियम 254 के उपनियम (3) के अन्तर्गत समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों का निर्वाचन करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.13 बजे

[अनुवाद]

कंपनी (तीसरा संशोधन) विधेयक*

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कंपनी अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

''कि कंपनी अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।''

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैंने इस विधेयक के पुर:स्थापन पर आपत्ति करने हेतु सूचना दी है। यद्यपि यह किसी अध्यादेश का स्थान ले सकता है, तथापि यह अध्यादेश ही संविधान के अधिकारातीत है। ऐसा मेरा विचार है क्योंकि कंपनी अधिनियम 1956 में पारित किया गया था। कानून की मूल अवधारणा शेयरधारकों को शक्तियां प्रदान कर रही थी; अत: कंपनी के नीतिगत निर्णय लेते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए था। वह अधिकार भी अचानक वापस लिया जा रहा है और वह भी अध्यादेश के द्वारा। निदेशक मंडल के पास दस प्रतिशत पुन: खरीद करने की शक्ति है। अब निदेशक मंडल को अनियंत्रित शक्तियां दी गई हैं जिससे शेयरधारक निदेशक मंडल की अनुकंपा पर निर्भर हो गए हैं। वे शेयरधारकों की आम सभा (जनरल बाडी) की बैठक के निर्णय के बिना, शेयरधारकों की बैठक बुलाये बिना पुन: खरीद कर सकते हैं। उन्होंने अब यह निर्णय लिया है कि आम शेयरधारकों

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 22.11.2001 में प्रकाशित।

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

को यह शक्ति प्राप्त नहीं रहेगी निदेशक मंडल, जिसमें बड़े-बड़े व्यावसायी हैं, को अपनी अनुकंपा के आधार पर और आम शेयरधारकों के जोखिम पर निर्णय लेने के लिए अनियंत्रित शक्तियां दी गई हैं।

यह विशेषाधिकार का मामला है कि वे लोकतंत्र की बात करते हैं लेकिन वे ही कंपनी विधि में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं कि नीतिगत मामले के रूप में, सभा में ही यह निर्णय लिये जाने के बाद कार्यपालिका को इस नाजुक घड़ी में अध्यादेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि यह कंपनी विधि की मूल अवधारणा, कंपनी में लोकतंत्र की अवधारणा के विरुद्ध है। यह अवधारणा अत्यावश्यकता के नाम पर वापस ले ली गयी है और वह भी अध्यादेश के द्वारा यह सहज न्याय के सिद्धांतों के और हमारे संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है मेरा ऐसा मानना है। वह सब भी वे उदारीकरण के नाम पर कर रहे हैं।

श्री अरुण जेटली : महोदय, प्रस्तावित संशोधन कंपनी के निवेशकों और शेयरधारकों को निःसंदेह लाभ पहुंचाने के लिए है। कंपनी अधिनियम में ही ऐसे उपबंध और ऐसी कुछ शक्तियां हैं जिनका बोर्ड द्वारा उपयोग किया जाता है और कुछ शक्तियों का उपभोग वार्षिक आम बैठक (ए०जी०एम०) के माध्यम से शेयरधारक करते हैं। सिर्फ यही बात कि बोर्ड द्वारा किसी एक शक्ति का उपयोग किया जायेगा, कंपनी अधिनियम की योजना को किसी भी तरह बदल नहीं सकती और विधेयक के पुरःस्थापन की अवस्था में यह भी अपने आप में कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कंपनी अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अरुण जेटली : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 2.15 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामलों को सभापटल पर रखे माने जायें।

(एक) देश में विशेष रूप से हरियाणा के कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला) : महोदय, हरियाणा प्रदेश के हिसार, जीन्द, फतियाबाद, रोहतक, भिवानी व सिरसा जिलों के अन्दर सुन्डी की बीमारी के परिणाम स्वरूप किसानों की कपास की फसलें बर्बाद हो गई हैं।

मैं कृषि मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे इस विषय में समुचित कार्रवाई व पीड़ित किसानों को सहायता कर उनकी परेशानियों को दूर करें।

(दो) झारखंड राज्य में आतंकवादियों और नक्सलवादियों की गतिविधियों पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता

प्रो० दुखा भगत (लोहरदगा) : महोदय, मैं सदन के माध्यम से झारखंड राज्य में नक्सलवादियों की बढ़ती गतिविधियों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसके कारण यहां की जनता सहमी और डरी हुई है और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। झारखंड पहले से एक पिछड़ा राज्य है और इस उग्रवाद के चलते यहां के विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विश्व बैंक ने यहां के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। उग्रवाद और नक्सलवाद के चलते यह सारी योजनाएं अधर में हैं। इन सबके कारण एक ओर जनता सुख और शांति के साथ जी नहीं पा रही है और दूसरी ओर सरकार भी अपनी योजनाएं ठीक प्रकार से नहीं चला पा रही है।

अतः सदन में माध्यम से अनुरोध है कि झारखंड सरकार को अतिरिक्त सुरक्षा बल दिए जाएं, झारखंड पुलिस को आधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया जाए और उग्रवाद और नक्सलवाद के खिलाफ एक अभियान चलाया जाए जिसमें केन्द्र सरकार और झारखंड के बीच एक समन्वय भी हो।

(तीन) मध्य प्रदेश में जबलपुर-बरास्ता दमोह-पन्ना रेल लाइन का आमान परिवर्तन कार्य आरम्भ किए जाने की आवश्यकता

डॉ० रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : महोदय, 1999 में तत्कालीन रेल मंत्री जी ने जबलपुर से पन्ना वाया दमोह हटा आमान गेज रेलवे लाइन के सर्वेक्षण एवं निर्माण की घोषणा की थी, जिसके मुताबिक उसका सर्वेक्षण कार्य शुरू हुआ था। उसका कार्य आज भी प्रगति पर है, लेकिन सभी तक यह स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है कि यह कार्य किस स्थिति में है। उसका पूर्ण सर्वेक्षण किया जाये एवं उसका निर्माण कराने की तत्काल कार्रवाई की जाये।

(चार) सोयाबीन और पॉम ऑयल पर सीमा शुल्क बढ़ाये जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा) : भारत सरकार ने इस साल के बजट में प्रस्ताव पर कई खाद्यान्न पदार्थों पर आयात शुल्क में वृद्धि करके किसानों को बचाने का प्रयास किया, किन्तु सोयाबिन, रेपसीड ऑयल एवम् केस्टर्ड ऑयल के आयात शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की है जिसके कारण खाद्यान्न तेल का उत्पादन करने वाले किसान बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा में

---

*सभापटल पर रखे माने गए।

किसान बड़ी मात्रा में राई और अन्य तिलहनों का उत्पादन करते हैं एवम् उनके परिवारों की जीविका इन्हीं खाद्यान्न तेलों पर निर्भर करती है। मेरी जानकारी में आया है कि जैवीकरण के माध्यम से सोयाबीन एवम् पाल्म ऑयल का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। इन्हें जापान, अमेरिका एवम् यूरोप के देशों में स्वास्थ्य की दृष्टि से खाना पसन्द नहीं करते हैं। अतः वे इन्हें विकासशील देशों को भेज देते हैं।

मैं सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि सोयाबीन एवम् पाल्म ऑयल पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा कर भारतीय किसानों को संरक्षण प्रदान किया जाए।

(पांच) देश में शहरी सहकारी बैंकों द्वारा धर्मार्थ निधि के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री वाई०जी० महाजन (जलगांव) : महोदय, रिजर्व बैंक द्वारा 3 अगस्त, 1992 और 19 जनवरी, 1996 को जारी सर्कूलर ने शहरी सहकारी बैंकों के चेरिटेबल फंड्स के विनियोग के अधिकार को सीमित कर दिया है। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए घटकों को स्वयंपूर्ण बनाने में कार्य कर रही विभिन्न गैर सरकारी सघटनों को शहरी सहकारी बैंकों द्वारा भारी सहयोग मिलता आ रहा है। इस राशि का उपयोग शहरी सहकारी बैंकों द्वारा विभिन्न समाजोपयोगी योजनाओं के उन्नयन में लगाया जाता था, जिससे गैर सरकारी संघटनों द्वारा किए जा रहे सामाजिक उपक्रमों में काफी मदद होती थी, किन्तु रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के चेरिटेबल फंड्स के उपयोग से अधिकार पर प्रतिबंध लगाने से इस काम में बाधाएं उत्पन्न हुई हैं।

अतः मेरा आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रख कर रिजर्व बैंक के इस नियंत्रण को तुरंत समाप्त कर देना चाहिए तथा शहरी सहकारी बैंकों के चेरिटेबल फंड्स के विनियोग के अधिकार को फिर से बहाल किया जाए।

[अनुवाद]

(छह) देश में विशेष रूप से पंजाब के कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री जे०एस० बराड़ (फरीदकोट) : संपूर्ण राष्ट्र को इस वर्ष में विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में कपास उत्पादकों को हुई परेशानी के बारे में जानकारी है। उत्पादन में हुए भारी नुकसान के साथ भारी निराशा और मुश्किलों ने उन्हें भुखमरी की स्थिति में पहुंचा दिया है। उनकी फसल को अमरीकी बॉल कीड़े और अन्य कीटों ने पूरी तरह नष्ट कर दिया है जिसके लिए किसानों ने विभिन्न बैंकों और कमीशन एजेंटों से ऋण लेकर अपनी संपूर्ण धनराशि लगा दी थी। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसे राष्ट्रीय आपदा कोष के अंतर्गत लाकर कपास उत्पादकों को मुआवज़ा दिया जाये और उन्हें हुए नुकसान के लिए उन्हें कम से कम 10,000 रुपये प्रति एकड़ दिए जायें। ये किसान संबद्ध राज्यों में धरना प्रदर्शन करके अपनी शिकायत पहले ही दर्ज़ कर चुके हैं कि अधिकारियों ने उन्हें गुमराह किया और उन्हें अच्छी किस्म के बीज नहीं दिये। मैं कृषि मंत्री जी से किसानों को निराशा और मुसीबतों से बचाने का अनुरोध करता हूं।

(सात) इरियोफाइड कीटों से नारियल की फसल की रक्षा के लिए कर्नाटक सरकार को केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री जी० पुट्टा स्वामी गौड़ा (हसन) : इरियोफाइड कीट की वजह से बड़ी संख्या में नारियल की फसल प्रभावित हुई है और कर्नाटक में किसानों का भविष्य अंधेरे में है। स्थिति इतनी गंभीर है कि 78.69 लाख नरियल के वृक्ष प्रभावित हुए हैं और किसानों को हताशा की स्थिति से बचाने के लिए नारियल कीट को खत्म करने हेतु तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध करते हुए चालू वर्ष 2000-2001 के लिए 37.47 करोड़ रुपये और 5 वर्षों की अवधि में 336.47 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इरियोफाइड कीट पर नियंत्रण करने हेतु अविलंब कर्नाटक सरकार को चालू वर्ष के लिए 37.47 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करे।

(आठ) नीदरलैंड सरकार की सहायता से दक्षिण कन्नड़ तटीय क्षेत्रों में समुद्री कटाव की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता

श्री विनय कुमार सोराके (उदुथी) : मेरा निर्वाचन क्षेत्र उदुथी दक्षिण कन्नड का माका है जिसकी तट रेखा बहुत लंबी है। मछुआरा समाज के लोग तट के किनारे बस गए हैं जो अपनी जीविका के लिए सारे वर्ष मछली पकड़ने के लिए अनुकूल मौसम पर निर्भर करते हैं।

निरंतर हो रहे तटीय कटाव से पारिस्थिकीय विनाश के अलावा तटीय प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए लगातार भारी खतरा बना हुआ है। जब-तब आने वाली तेज लहरों के कारण बस्तियां तथा मत्स्यन कार्य हेतु नौकाओं द्वारा मछाली पकड़ने और नौकायें निकालने के लिए बनाए गए स्थान कटाव के कारण नष्ट हो जाते हैं। ऐसे तटीय छोर और ज्वारमुहाने वाले क्षेत्रों के कारण बंगलादेश को भी इसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता था परंतु वे भूमि-कटाव से प्रभावित जमीन को उपयुक्त बनाने के लिए समुद्री लहरों का उपयोग करने में सफल रहे थे। बंगलादेश को नीदरलैण्ड की सरकार (डच सरकार) ऐसी परियोजनाओं में दक्षता हासिल है; उदार रूप से वित्तीय और तकनीकी दोनों ही प्रकार की मदद दी है।

अतः, मैं सरकार से दक्षिण कन्नड़ तट पर तटीय-कटाव की समस्या को सुलझाने के लिए नीदरलैण्ड सरकार से सहायता प्राप्त करने का अनुरोध करता हूं।

(नौ) केरल के "मालापुरम सेकेन्डरी स्विचिंग एरिया" में पर्याप्त संख्या में दूरसंचार कर्मचारी तैनात किए जाने की आवश्यकता

प्रो० ए०के० प्रेमाजम (बडागरा) : कालीकट सेकेण्डरी स्विचिंग एरिया को दो भागों में विभाजित करते हुए 18.3.2001 को मालापुरम सेकेन्डरी स्विचिंग एरिया के नाम से एक नया टेलीकॉम सेकेण्डरी-स्विचिंग एरिया बनाया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य योजना लक्ष्यों का शीघ्र क्रियान्वयन और तीन राजस्व जिलों, कोझीकोड, वाइनाड, मालापुरम को मिलाकर बने कालीकट दूरसंचार जिले में बेहतर उपभोक्ता सेवाएं प्रदान करना था। परन्तु कर्मचारियों की कमी के कारण यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। अब विभाग टेलीफोन कनेक्शनों के अनुपात के आधार पर मौजूदा स्टाफ को कालीकट/सेकेण्डरी स्विचिंग एरिया और मालापुरम सेकेण्डरी स्विचिंग एरिया में विभाजित कर रहा है। नये सेकेण्डरी स्विचिंग क्षेत्र के गठन और मालापुरम राजस्व जिले के इसके कार्यक्षेत्र में आने के कारण अधिकारी सवर्ग में पर्याप्त पदों को मंजूरी दी गई हैं परंतु समूह 'ग' और 'घ' संवर्गों में एक भी पद मंजूर नहीं किया गया है। चूंकि भर्ती पर प्रतिबंध जारी है, अत: पदों के सृजन के उपरांत भी विशेष एक मंजूरी लेने की आवश्यकता होगी। इन परिस्थितियों में, मैं सरकार से इस मामले की शीघ्र जांच और इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

(दस) आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 214 को पामारू से ओंगोल तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में लंबे समय से टाडा से इच्छापुरम तक एक तटीय राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। इसी कार्य के एक भाग के रूप में काठीपुडी में राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-5 से एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 214 निकलता है जो पामारू तक बनाया गया है और राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 9 से जुड़ा हुआ है। काठीपुडी से पामारू तक बने हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 214 का पूर्ण उपयोग करने के लिए इसे कृष्णा जिले में चालपल्ली पुलीगाड्डा और पेनुमुडी रेयाल्ली, बापतला, चिराला से होते हुए ओंगाले तक बढ़ाने की आवश्यकता है और जहां से उसे राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 से जोड़ा जा सकेगा। कृष्णा नदी पर बना हुआ पेनुमुडी-पुलीगाड्डा पुल पामारू से ओंगाले तक बढ़े हुए राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 214 का भाग है।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 214 के विस्तार से कोलकाता और चेन्नई के बीच लगभग 80 किलोमीटर की दूरी कम हो जायेगी जिससे ईंधन की भारी बचत होगी और राष्ट्रीय राजामर्ग सं० 5 पर यातायात का दबाव भी कम होगा। इसके अलावा, इससे तटीय अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा क्योंकि तटीय जिलों में व्यापक स्तर पर झींगा पालन किया जाता है और इससे चेन्नई और विशाखापत्तनम, दोनों बंदरगाहों, को झींगे और अन्य उत्पादों की ढुलाई आसान हो जायेगी और इस प्रकार विदेशी मुद्रा अर्जित होगी। मैं अनुरोध करता हूं कि कृष्णा नदी पर बने पेनुमुडी-पुलीगड्डा पुल सहित पामारू से ओंगाले तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 214 के विस्तार का कार्य शीघ्र शुरू किया जाये।

(ग्यारह) देश में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : महोदय, आज देश में आर्थिक मंदी एक गंभीर समस्या है। देश में आवश्यकता से अधिक अनाज का भंडार उत्पादक, उपभोक्ता और सरकार सभी के लिए संकट बन गया है। औद्योगिक उत्पादन के विकास की दर गत माहों में दो प्रतिशत से कम पर आकर अटक गई है। लोगों की क्रय शक्ति कम होने का परिणाम देश को भुगतना पड़ रहा है। पिछले सालों में जो बढ़ोत्तरी की दर वार्षिक 6.3 प्रतिशत रही है, यह बीते वर्ष मात्र 3.5 प्रतिशत रह गई। सभी लोग मानते हैं कि देश के पारम्परिक लघु एंव कुटीर उद्योगों में अधिकतम लोगों को रोजगार देने की क्षमता है और आज हमारे लघु उद्योग ही हालत यह है उनमें 29 प्रतिशत रुग्णता आ गई है। विश्व व्यापार संगठन के करारों के तहत हमने आयात से सभी प्रतिबंध हटाए हैं। उसका परिणाम यह हुआ है कि सस्ते आयात ने हमारे देश के उद्योगों को रुग्णता का शिकार बनाना शुरू कर दिया है और देश में बेरोजगारी बढ़ रही है।

मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति को बढ़ाने के उपाय किए जायें, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने हेतु पारम्परिक लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, जिससे अधिकतम लोगों को रोजगार मिल सके।

[अनुवाद]

(बारह) तमिलनाडु में चेन्नई में राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान की शीघ्र स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री के०के० कलिअप्पन (गोबियेटिट्पालयम) : आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा जैसी चिकित्सा पद्धतियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान हैं लेनिक सबसे अधिक प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति अर्थात् सिद्ध पद्धति के लिए कोई राष्ट्रीय संस्थान नहीं है।

पुराने समय से ही तमिलनाडु में सिद्ध प्रणाली का प्रचलन रहा है। पुरातन समय के तमिलनाडु में ऋषियों ने सिद्ध के नाम से जानी जाने वाली इस अद्भुत चिकित्सा पद्धति में परीक्षण किए और उसमें पारंगत हुए। उन ऋषियों को सिद्ध के नाम से जाना जाता था। इस चिकित्सा प्रणाली में केवल जड़ी-बूटियों और प्राकृतिक आसवों का प्रयोग किया जाता है और ऐलोपैथी सहित अन्य प्रणालियों में जो बीमारियां लाइलाज है उन का इलाज किया जाता है।

तमिलनाडु सरकार के अनुरोध पर, केन्द्र सरकार चेन्नई में एक राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान खोलने पर सहमत हो गई थी। हालांकि आधारशिला रखी गई थी और परिसर की चारदीवारी के निर्माण के लिए 22 लाख रुपये मंजूर किए गए थे परंतु आगे कोई काम नहीं किया गया।

मैं सरकार से परियोजना मंजूर करने और तत्काल धनराशि भी जारी करने का अनुरोध करता हूं ताकि लोगों के व्यापक हित में चेन्नई में शीघ्र ही राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान स्थापित किया जा सके।

(तेरह) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर स्थित फुलनाखारा से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 203 पर नियाली-माधव, चरिछ्क-गोप-कोणार्क और पुरी के बीच की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंह पुर) : उड़ीसा का सूर्य मंदिर अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत के विश्व के नकशे पर है, जहां वर्ष भर देश-विदेश से लाखों सैलानी आते हैं। विडम्बना यह है कि हालांकि इसे भारत के मुख्य पर्यटक स्थलों में से एक माना जाता है। फिर भी इसे अच्छी सड़क से नहीं जोड़ा गया है। इस सड़क की लंबाई 100 किलोमीटर है। उड़ीसा सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 पर फुलनाखारा से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 203 पर नियाली-माधव, चरिछ्क-गोप-कोणार्क और पुरी के बीच की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव भेजा है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह दसवीं योजना अवधि के दौरान ही इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में बनाये। यह राष्ट्रीय हित में भी है।

(चौदह) दिल्ली से बाहर तैनात संघ राज्य क्षेत्र काडर के अधिकारियों को रिहायशी आवास के आवंटन की प्रणाली की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

डा० नीतिश सेनगुप्ता (कोंटाई) : एक विशेष व्यवस्था के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अन्य कुछ क्षेत्रों में सेवारत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को दिल्ली में आवास अपने पास रखने की अनुमति दी गई थी। संभवतः ऐसा इसलिए किया गया होगा कि वे इन बाहरी क्षेत्रों में जा सके परन्तु वास्तव में इससे उन राज्यों का हित साधन नहीं होता। आमतौर पर इन लोगों के परिवार दिल्ली में रहते हैं जबकि वे राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में कोहिमा अथवा गोहाटी अथवा शिलांग अथवा अगरतला भलक एंजोल या शिमला या पोर्तबलेयर जैसे स्थानों पर तैनाती होने पर कैंप जीवन व्यतीत करते हैं। उनमें से बहुत से लोग न केवल दिल्ली में सोमवार, मंगलवार अथवा शुक्रवार को बैठक आयोजित करते हैं बल्कि दिल्ली में लंबे समय तक टिके रहने के लिए बहाने बनाते है। अन्य शब्दों में, लघु आवधिक दौरो पर बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली जाने के स्थान पर व्यावहारिक रूप से ऐसी स्थिति उत्पन्न कर लेते हैं जब वे उस स्थान पर जहां उनकी तैनाती है दौरे की तरह जाएं और यथा-संभव शीघ्र दिल्ली वापस आ सके। अब समय आ गया है जब इस परंपरा को खत्म किया जाना चाहिए। होना यह चाहिए कि किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में किसी अधिकारी की तैनाती होने पर वह वहां अपने परिवार के साथ 3-5 वर्ष तक की उपयुक्त अवधि तक रहे और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में काम पर अपना ध्यान केन्द्रित करे। जब उन्हें वापिस दिल्ली में तैनात किया जाये तो उन्हें वर्तमान संपूर्ण सेवाकाल के दौरान दिल्ली में रिहायशी आवास रखने के स्थान पर आवंटन में उसे प्राथमिकता दी जा सकती है।

(पन्द्रह) भटिंडा आयुध डिपो के आस पास के 1200 मीटर क्षेत्र को अधिसूचित करने के सरकार के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री भानसिंह भौरा (भटिंडा) : स्थानीय अधिकारियों द्वारा भटिंडा में गोला-बारूद भंडार के गलत मूल्यांकन और गलत आयोजना के कारण भाई मतिदास नगर, नछेत्तर नगर, जोगा नगर, हरबंस नगर और भटिंडा मंसा रोड पर स्थित आई०टी०आई० औद्योगिक क्षेत्र इत्यादि, विभिन्न कॉलोनियों में रहने वाले बहुत से लोगों को बेघर करने का खतरा हो गया हैं।

इन अधिकारियों ने मौजूदा डिपो के विस्तार का निर्णय किया है और उसके लिए डिपो की वर्तमान चारदीवारी के 1200 मीटर क्षेत्र को अधिसूचित घोषित किया है। जिसमें उपरोक्त कालोनियों का समस्त क्षेत्र आता है। ये निर्णय लेने से पहले उन्होंने न तो स्थानीय निवासियों से परामर्श किया और न ही वास्तविक स्थिति का जायजा लिया।

ये कॉलोनियां शहर की ओर स्थित हैं। यदि अधिकारियों ने मौजूदा स्थान के पीछे की ओर भाग से इस भंडार का विस्तार करने का निर्णय लिया होता तो कोई समस्या ही नहीं होती।

अतः मेरा माननीय रक्षा मंत्री से अनुरोध है कि वह इस स्थिति पर तत्काल विचार करके ऐसे उपाय करें ताकि ये हजारों निवासी बेघर न हो जाएं।

अपराह्न 2.16 बजे

दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गए भारतीय क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ियों के विरुद्ध मैच रैफरी द्वारा दिए गए दंड से संबंधित मुद्दों के बारे में

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कीर्ति झा आजाद (दरभंगा) : महोदय, मैंने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने हेतु सूचना दी है। *(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। संसद का सत्र चल रहा है। कृपया अनुमति दीजिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : एक अपवादिक मामले के रूप में विषय के महत्व पर विचार करते हुएं मैं श्री कीर्ति झा आजाद को मुद्दा उठाने के लिए कह रहा हूं।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : कृपया प्रत्येक सदस्य की ओर से बोलिए। ... *(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : महोदय, कृपया मुझे केवल दो वाक्य बोलने की अनुमति प्रदान करें। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप क्रिकेट खिलाड़ी नहीं हैं।

श्री मोहन रावले : महोदय, मैंने भी क्रिकेट खेला है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कीर्ति झा आज़ाद : अध्यक्ष महोदय, इस समय पूरा हाउस, पूरा देश इस बात से अवगत है और जितने क्रिकेट प्रेमी लोग हैं, वे जानते हैं कि इस समय साउथ अफ्रीका में जो स्थिति है, वह बड़ी गम्भीर है। जिस प्रकार से हमारे खिलाड़ी, विशेष कर सचिन तेंदुलकर जिन को पदम विभूषण मिला है और सौरव गांगुली जो टीम के कप्तान हैं, अर्जुन अवार्ड से नवाजे गए हैं, उन्हें गलत, अन्यायपूर्वक और अनुचित सजाएं दी गई हैं। इसमें पूरा पक्षपात किया गया है। अगर मैं यह कहूं तो इस बात से सभी सहमत होंगे कि इसमें रंग-भेद नीति की बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

इससे संबंधित उदाहरण लिया जाए तो देखेंगे कि हमारे दो खिलाड़ी चाहे श्री वी०वी०एस० लक्ष्मण थे या श्री एस०एस० दास थे, उनके ऊपर जबर्दस्ती लम्बी अपील करके, शॉन पौलेक जो साउथ अफ्रीका के कप्तान हैं, जिन्होंने एल०बी०डब्ल्यू० लिया, वी०वी०एस० लक्ष्मण, उसके बाद एस०एस० दास एल०बी०डब्ल्यू० हुए और वह भी प्लेड बॉल के ऊपर। मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि जिस प्रकार से उन्होंने डिसक्रिमिनेटरी पॉलिसी इस जगह एप्लाई की है जिसे देखने पर साफ पता लगता है और पीछे अगर आप जाएं तो आपको पता लगेगा कि किस प्रकार हमारे खिलाड़ियों के साथ अन्याय हुआ है। मैं शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता जो पहले मैच के अन्दर एक साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर ने हमारे कप्तान को लेकर किया था, जो अखबारों में फ्रंट पेज पर आया, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। हमने टेलीविजन के ऊपर ऐसी कई दृश्य देखे हैं जब हमारे खिलाड़ी उस समय सौरी मांगने गए हैं जब किसी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के सिर पर बॉल लगी और फिर न जाने कौन-कौन से शब्द उसे कहे गए, लेकिन पिछले मैच देखेंगे तो 18 में से 10 ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत और पाकिस्तान के हैं जिन को इस प्रकार गलत रूप से सजाएं दी गईं। बोर्ड ने इस मामले को काफी सीरियसली लिया है।

पीछे ममता जी ने बात की थी और उनके कहने पर आज बोर्ड की स्पैशल कमेटी की बैठक हो रही है। जहां तक आई०सी०सी० की बात है, मैं यही कहना चाहता हूं कि आई०सी०सी० से बड़ा टूथलैस टाइगर कोई नहीं है। पहले उन्होंने एक मिलियन डॉलर केवल मैच फिक्सिंग की जांच पर खर्च किया और उसमें से कुछ नहीं निकला। उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों को लेकर जो आपत्ति की, उसमें भी कुछ नहीं था। स्टीव वॉ आज कह रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर ने जो किया, वह गलत है। उन्हें खुद अपने घर में, बगल में झांक कर देखना चाहिए। उनके अपने भाई और टीम के उप कप्तान ने चार-चार हजार डॉलर लेकर अपनी टीम के कम्पोजिशन के बारे में बताया था, उन्होंने मैच के बारे में बताया था कि क्या स्थिति होने वाली है, पिच के बारे में कहा, लेकिन उसके ऊपर आज तक आई०सी०सी० ने कुछ नहीं किया। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आई०सी०सी० का जितना पैसा आता है, वह व्हाइट में आता है। मैं चाहूंगा कि सरकार एक निश्चित निर्णय ले। भारत में चल रहे सभी भारतीय मैचों के अतिरिक्त किसी पर दया दिखाना भारत सरकार का दायित्व नहीं है। उनका पैसा यदि आप एक बार रोकेंगे तब पता लगेगा कि आई०सी०सी० के अन्दर कितनी ताकत है ? उन्होंने जिस प्रकार की नीति अपनाई है, मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा कि इसके ऊपर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। सरकार को इसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए, रंग-भेद की नीति खत्म होनी चाहिए। जिस प्रकार हमारे खिलाड़ियों के साथ किया गया है। *(व्यवधान)*

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, साउथ अफ्रीका में भारतीय टीम के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ, उसे लेकर हम विरोध प्रकट करना चाहते हैं। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पूरी सभा भी आपका समर्थन कर रही है।

श्री कीर्ति झा आजाद : यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा मैच शुरू होने में केवल 24 घंटे बचे हैं।

[हिन्दी]

कल दो बजे बातचीत हो चुकी है और सचिन जैसे खिलाड़ी को लैटर में कह दिया गया है। इस बोर्ड की पालिसी वही है जो श्री लेले की थी, "व्यक्ति के अनुसार नियम बनाइये।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री कीर्ति आजाद, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री कीर्ति झा आज़ाद : अध्यक्ष महोदय, किसी ने देखा नहीं कि क्या स्थिति थी। वहां बरसात हुई थी, कीचड़ थी, घास थी जिस पर बाल लग रही थी। इसके बारे में पाकिस्तान के प्लेयर्स वसीम अकरम और यूनुस दोनों ने हमारी बात का समर्थन किया है और कहा है कि सचिन के साथ जो कुछ हुआ है, वह गलत हुआ है। इन सब बातों को देखते हुये मैं चाहूंगा कि सब से पहले आई०सी०सी० की टांगे काटनी चाहिये और इन लोगों के मैच भारत से बाहर नहीं हो और इसे दिखाने का आदेश भारत सरकार के आई० एंड बी० मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं होना चाहिये। अगर बी०सी०सी०आई० अपनी टीम को वापस बुलाना चाहे तो बुला ले, उसका मैं समर्थन करता हूं लेकिन साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बी०सी०सी०

आई० जो भी निर्णय ले, उससे हमारे खिलाड़ियों पर कोई आंच नहीं आनी चाहिये। उन लोगों को पूरा प्रोटैक्शन मिलना चाहिये, यही मेरा आपसे निवेदन है।

कुमारी ममता बनर्जी : अध्यक्ष जी, श्री कीर्ति आजाद, पूर्व क्रिकेटर ने बात कही, वह बहुत गंभीर है। मैं इस हाउस में साउथ अफ्रीकन बोर्ड को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि बी०सी०सी०आई० ने जो डिमांड की, उसका उन्होंने समर्थन किया है। हमारा रिश्ता साउथ अफ्रीका के साथ बराबर ठीक है। हमारे साथ अच्छे रिश्ते के लिये हम उनका सपोर्ट करते हैं। जो बात कही गई है, वह बहुत गंभीर है। हमारे देश का गौरव इससे जुड़ा हुआ है। हमारे खिलाड़ी सचिन और सौरव को विश्व में इज्जत होती है।

भारतीय क्रिकेट टीम केवल भारत के लिए नहीं है; यह पूरे विश्व के लिए है। विश्वभर में, लोग भारतीय किक्रेट टीम से प्रेम करती है और हम विश्व क्रिकेट को चाहते हैं। भारत और विश्व के बीच यह संबंध है इस स्थिति में हमारे प्लेयर्स के साथ मैच रैफ्री ने जो मिसबिहेव किया है, यह बहुत गंभीर बात है। इसलिये मैं कहना चाहती हूं कि भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड एक स्वायत्तशासी निकाय है। सरकार इस निकाय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। लेकिन बात यह है कि जब देश की प्रैस्टीज की बात होती है तो सरकार को बी०सी०सी० आई० को बुलाकर बात करनी चाहिये। आज उन्होंने पहले डिसीजन ले लिया कि थर्ड टैस्ट में रैफरी मि० डैनिस नहीं रहें। मैं सरकार से मांग करूंगी कि देश की प्रेस्टीज का सवाल है, बी०सी०सी० आई० से बात करे। उनकी आज मीटिंग में फाइनल डिसीजन होने वाला है, इसके पहले सरकार उनको बुला ले। यदि हमारी टीम की इज्जत नहीं रही तो वापस आ जाये। हमारे खिलाड़ी कल खेलेंगे और सचिन का सब अच्छा काम काला-काला हो जायेगा, एक स्कैंडल हो जायेगा। सचिन जिन्दगीभर शानदार तरीके से खेला है लेकिन अब उसकी जिन्दगी पनिशमेंट वाली हो जायेगी। इसलिये मैं चाहती हूं कि सरकार बी०सी०सी०आई० की मीटिंग होने से पहले उन्हें बुलाकर बात करनी चाहिये ताकि हमारे देश की प्रेस्टीज की रक्षा हो सके।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत साफ-सुथरा खिलाड़ी हूं। इसलिए हम सब श्री कीर्ति झा तथा कुमारी ममता बनर्जी की कही बात से सहमत हैं। पूरी सभा इस मुद्दे पर सहमत है। यह संदेश सभी के पास जाने दीजिए और बी०सी०सी०आई० तथा भारत सरकार को निर्णय लेने दीजिए। हमारे देश तथा हमारे खिलाड़ियों की प्रतिष्ठा बनाई रखो जारी चाहिए। मेरा आपसे और सरकार से यह विनम्र निवेदन है। यह पूरी सभा की अपील है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मुझे विश्वास है कि यहां पूरे देश की भावनाओं को व्यक्त किया जा रहा है।

जैसाकि सही सुझाव दिया गया था कि हमारे दक्षिण अफ्रीका के साथ दोस्ताना संबंध है। दक्षिण अफ्रीका बोर्ड हमारा समर्थन कर रहा है। हमारी दक्षिण अफ्रीका के साथ कोई लड़ाई नहीं हैं। यदि हम टीम को वापस बुलाते हैं तो इससे दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों तथा दक्षिण अफ्रीका की छवि प्रभावित होगी। अत:, मैं महसूस करता हूं कि हमें मैच रैफरी द्वारा स्पष्ट रूप से किए गए पक्षपात की कड़ी निंदा करनी चाहिए। क्रिकेट किसी एक देश का खेल नहीं है; यह विश्व का खेल बन गया है। सभा में ही नहीं जनता ने भी इस मामले में रूचि दिखाई है। पूरा देश उत्तेजित है।

जले पर नमक मत छिड़किए। हम इस पक्षपातपूर्ण रवैये की कड़ी निंदा करते हैं। जिस तरह से खेलकूद तथा भारतीय खिलाड़ियों का नाम बदनाम किया गया है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। हमें आशा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् में सद्बुद्धि आएगी। वे भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की मांगों पर ध्यान देंगे। आई०सी०सी० को पता होना चाहिए कि मैच रैफरी के संबंध में बी०सी०सी०आई० द्वारा की गई उचित मांगों में भारत की जनता उनके साथ है और हम स्पष्ट रूप से किए गए पक्षपातपूर्ण रवैये की निंदा करते हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, आप क्रिकेट खिलाड़ी नहीं हैं। आप फुटबाल के खिलाड़ी हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, शायद आपको पता नहीं है कि पहला संसदीय क्रिकेट क्लब कब बनाया गया था, श्री कीर्ति आजाद गेंदबाजी किया करते थे तथा उनके पिता, मैं और श्री फतेह सिंह गायकवाड़ खेला करते थे।

महोदय, मैं श्री कीर्ति आजाद तथा सभी माननीय सदस्यों से स्वयं को संबद्ध करता हूं। तथापि, मैं केवल आपको सावधान करूंगा। विश्व के सभी देश जातिभेद के लिए लड़ रहे हैं और भारत जातिभेद के किसी तरह के बढ़ावे की निंदा करने में किसी से पीछे नहीं है।

महोदय, एक राष्ट्र के रूप में दक्षिण अफ्रीका हमारा मित्र ही नहीं है। वरन् आने वाले वर्षों में भी हम मिलकर काम करेंगे। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड ने सही तरह से अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया है जिसके लिए हम इस सभा से उनका धन्यवाद करते हैं।

श्री सचिन तेंदुलकर केवल एक क्रिकेटर नहीं है। वे विश्व में खेल के क्षेत्र में स्वस्थ्य चिंतन रखने वाले हमारे देश की युवा पीढी के दूत हैं।

महोदय, मैंने समाचार पत्रों में प्रकाशित अनेक आलोचकों की टिप्पणी पढी है। जिस तरह से डेनिस ने श्री सचिन तेंदुलकर को व्यक्तिगत रूप से इस विवाद में घसीटा है वह सही नहीं है। मुझे तक्नीकियों पर प्रश्न करने का अधिकार नहीं है।

महोदय, मैं सरकार से केवल यह अपील करता हूं कि वह तत्काल राजदूत अथवा उच्चायुक्त, जो हमारी ओर से वहां उपस्थित है, से रिपोर्ट प्राप्त करें और यदि संभव हो तो हमारी भावनाओं को जोरदार तरीके से उन तक पहुंचा दे कि भविष्य में जाति, धर्म अथवा प्रजाति के आधार पर ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए क्योंकि लोगों को ऐसी आशंका

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

है कि चूंकि दिल्ली पुलिस के टेप ने मैच फिक्सिंग के मामले में हैंसी क्रोंज का वार्तालाप रिकार्ड किया था इसलिए इस मामले में प्रति-शोधपूर्ण रवैया अपनाया गया है। सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए और कहना चाहिए कि देश एक है।

महोदय, हम खेलकूद, बोर्ड के प्राधिकार अथवा अम्पॉयर अथवा क्रिकेट अथवा रेफरी पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगा रहे हैं लेनिक जिस तरीके से यह किया गया है हम पूर्णतः, स्पष्टतः तथा सर्वसम्मति से इसकी निंदा करते हैं। लेकिन मेरी अपील भी श्री सोमनाथ चटर्जी की अपील की तरह हैं। यदि आप टीम को वापस बुलाते हैं तो आपको दोबारा सोचना पड़ेगा क्या इससे दक्षिण अफ्रीका के साथ हमारे संबंधों में समस्याएं उत्पन्न होंगी ? इन सब बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। हम अपनी टीम और उन खिलाड़ियों के साथ हैं जो सम्मानित है तथा जिन्होंने देश को गौरान्वित किया है। मैं उनके साथ हूं। हम भेदभाव के खिलाफ हैं और हम समाचार रिपोर्टों में डेमिस द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की निंदा करते हैं। पूरी सभा इस बात की निंदा करती है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : सर, उन्होंने हिन्दुस्तान के क्रिकेटर्स का ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान की जनता, देशवासियों का अपमान करने की कोशिश की है। सचिन तेंदूलकर ने आज जो वर्ल्ड रिकाड्स बनायें हैं, उन्होंने उन वर्ल्ड रिकार्ड्स पर दाग लगाने की कोशिश की है। यह रंगभेद है, रंगभेद को ही उन्होंने आधार बनाया है। दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी डोनाल्ड ने द्रविड़ को गाली दी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कालिस ने मिसबिहेवियर किया, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह से साउथ अफ्रीका प्लेयर्स पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जैसा श्री दासमुंशी जी ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान क्रोनिये पर हमने कार्रवाई की थी। साउथ अफ्रीकी मीडिया हमें बदनाम करना चाहता है, इसलिए उन्होंने ये सब किया है। उनके प्लेयर्स जब चिल्ला-चिल्लाकर अपील कर रहे थे, पोलॉक चिल्ला-चिल्ला कर अपील कर रहा था तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन लोगों ने श्रीलंका के खिलाड़ी मुरलीधरन को थ्रो बॉलर घोषित किया था तो सारी टीम उसके साथ, उसके समर्थन में खड़ी हो गई थी। इसलिए मैं मांग करता हूं कि यह केवल साउथ अफ्रीका के साथ हमारे देश के संबंधों का सवाल नहीं है, हमारी लड़ाई आई०सी०सी० के साथ है। यदि आज वे रेफरी निकालने को राजी नहीं हैं, बी०सी०सी०आई० ने दूसरे रेफरी के लिए कहा है, लेकिन वे राजी नहीं हैं।

सर, सचिन तेंदुलकर ने कहा कि बॉल पर कीचड़ था, जिसे उसने पोंछकर दूर करने की कोशिश की थी, बॉल के साथ टैम्परिंग नहीं की थी। सचिन तेंदुलकर के बारे में मैं नहीं कहता कि वह मुम्बई, महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं, वह हिन्दुस्तान की शान है, हिन्दुस्तान की जान है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि हिन्दुस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ जिस प्रकार से वे कार्रवाई कर रहे हैं, इस मामले में हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तानी क्रिकेटर्स को वापस बुलाया जाए, पूरी टीम को वापस बुलाया जाए। श्री अरुण जेटली यहां बैठे हैं मैं उनसे भी इस बारे में अपील करता हूं।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : सरकार क्यों चुप बैठी है ? सरकार को तुरन्त इस पर जवाब देना चाहिए।

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : महोदय, हमने सभा के सभी पक्षों द्वारा सर्वसम्मति से व्यक्त की गई भावनाओं को नोट कर लिया है क्योंकि कतिपय घटनाओं के कारण राष्ट्रीय प्रतिष्ठा तथा खेल की छवि धूमिल हुई है। सभा के सदस्यों ने कतिपय आशंकाएं और विचार व्यक्त किए हैं। बी०सी०सी०आई० खेलकूद प्रशासन की स्वायत्तता का सम्मान करते हुए इस संबंध में कड़ा और स्पष्ट रूख ले चुकी है। मैं सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त भावनाओं को बी०सी०सी०आई० तथा खेलकूद मंत्री तक पहुंचाने का निश्चित रूप से प्रयास करूंगा ताकि वे अपना निर्णय लेते वक्त इन सब बातों का भी ध्यान रख सकें।

अध्यक्ष महोदय : नियम 193 के अंतर्गत चर्चा शुरू करने से पूर्व रेल मंत्री, श्री नीतीश कुमार का एक छोटा सा वक्तव्य है।

अपराह्न 2.31 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य*

पूर्व रेलवे के मोकामा-क्यूल खंड पर 214 डाउन मोकामा-हावड़ा पैसेंजर ट्रेन की रिलीफ लाइट इंजन से टक्कर

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को यह सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि 214 डाउन मोकामा- हवड़ा पैसेंजर और एक रिलीफ लाइट इंजन, जिसे पैसेंजर गाड़ी के इंजन के खराब हो जाने के कारण ब्लॉक खंड में खड़ी गाड़ी को हटाने के लिए भेजा गया था, के बीच एक दुर्घटना हो गई है। यह दुर्घटना 20.11.2001 को 17.40 बजे पूर्व रेलवे के दानापुर मंडल के मोकामा क्यूल खंड पर बरहिया और मनकाथा स्टेशनों के बीच हुई।

214 डाउन मोकामा-हवड़ा पैसेंजर गाड़ी, इंजन की खराबी के कारण लगभग 16.20 बजे डुमरी हाल्ट के निकट खड़ी हो गई। ब्लॉक क्लीयर करने के लिए लगभग 17.30 बजे स्टेशन से गाड़ी के पिछले छोर की तरफ एक रिलीफ लाइज इंजन भेजा गया था। रिलीफ लाइट इंजन जब खराब गाड़ी के पीछे की ओर से जा रहा था तो वह वहां पर खड़ी 214 डाउन पैसेंजर गाड़ी से टकरा गया जिसके परिणामस्वरूप 2 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गये। 2 सवारी डिब्बे

*ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 4236/2001

जो पटरी से उतरे उनकी स्थिति गाड़ी के इंजन से 9वीं और 10वीं थी।

इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के परिणामस्वरूप 7 रेल कर्मचारियों सहित कुल 10 व्यक्तियों की जानें गईं, 3 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हुए, 4 लोगों को मामूली चोटें आईं। जिन व्यक्तियों की जानें गईं और जिन्हें चोटें लगी वे रिलीफ लाइट इंजन पर सवार थे। घायलों को रेलवे अस्पताल, दानापुर में भर्ती कराया गया है और उन्हें यथासंभव सर्वोत्तम उपचार देने के लिए अत्यधिक सावधानी बरती जा रही है। मृतक यात्रियों के आश्रितों को 1,00,000 रुपए, गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 15,000 रुपए और मामूली रूप से जख्मी को 5,000 रुपए की अनुग्रह राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

रेल दावा अधिकरण द्वारा निर्णय दिए जाने पर उन्हें मुआवजे की राशि का भुगतान किया जाएगा। मुआवजे की राशि घायलों के लिए 32,000 रुपए से लेकर मृत्यु के मामले में 4,00,000 रुपए तक होती है। घायल व्यक्तियों की सहायता करने और मृतकों के आश्रितों को दावे के फार्म भरने में सहायता करने के लिए रेल प्राधिकारियों को निदेश दे दिए गए हैं ताकि वे रेल दावा अधिकरण से शीघ्र मुआवजा प्राप्त कर सकें। दुर्घटना में फंसे यात्रियों को दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के अगले भाग को क्लीयर करके दुर्घटना स्थल से निकाल लिया गया है। खंड पर गाड़ी चालन बहाल कर दिया गया है।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही घायल यात्रियों को तत्काल चिकित्सा राहत पहुंचाने के लिए झाझा और दानापुर से दुर्घटना राहत चिकित्सायान दुर्घटना स्थल के लिए रवाना कर दिए गए थे। राहत कार्यों की देखभाल के लिए ब्रांच अधिकारियों के साथ मंडल रेल प्रबंधक दानापुर तत्काल दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गये। महाप्रबंधक पूर्व रेलवे भी मुख्यालय के अधिकारियों की टीम के साथ दुर्घटना स्थल पर पहुंच गये थे। इस दुर्घटना की सूचना मिलते ही मैं स्वयं रेलवे बोर्ड के सदस्य इंजीनियरिंग, सदस्य यातायात और सदस्य यांत्रिक के साथ स्थिति का मौके पर जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर गया था। प्रथम दृष्टया दुर्घटना का कारण रिलीफ लाइट इंजन के 214 डाउन पैसेंजर गाड़ी के पिछले भाग से टकरा जाना प्रतीत होता है। रिलीफ लाइट इंजन के ड्राइवर और सहायक ड्राइवर और 214 डाउन के पैसेंजर गाड़ी के गार्ड को निलम्बित कर दिया गया है। रेल संरक्षा आयुक्त पूर्व सर्किल इस दुर्घटना की जांच करेंगे।

रेलवे तथा स्वयं अपनी ओर से मैं शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायल व्यक्तियों के प्रति भी हार्दिक सहानुभूति व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि शोकाकुल परिवारों को दिली संवदेना व्यक्त करने में सदन मेरा साथ देगा। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री द्वारा रेल दुर्घटना पर दिए गए वक्तव्य पर चर्चा होनी चाहिए।

अपराह्न 2.35 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

किसानों के समक्ष आ रही समस्याएं

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य नियम 193 के अधीन चर्चा के विषय पर बोलेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, श्री बासुदेव आचार्य जी बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर बोलने के लिए खड़े हुए हैं और सदन में सिर्फ कृषि मंत्री को छोड़कर अन्य मंत्री उपस्थित नहीं हैं। किसानों की समस्या केवल कृषि मंत्री से संबंधित नहीं है। इसमें सिंचाई की समस्या है। इसलिए जलसंसाधन मंत्री का उपस्थित होना अनिवार्य है। खाद्य मंत्रालय से संबंधित समस्याएं हैं। इसलिए खाद्य मंत्री का उपस्थित होना आवश्यक है। विद्युत की समस्याएं हैं। उसके लिए विद्युत मंत्री का उपस्थित होना आवश्यक है। बाढ़ से संबंधित समस्याएं हैं, लेकिन वे मंत्री भी नहीं हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि खाली दिखावे के लिए किसानों की समस्याओं की चर्चा सदन में न कराएं। यह बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। इसलिए अन्य मंत्रियों का यहां उपस्थित रहना अनिवार्य है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे सभा में हैं। श्री बसुदेव आचार्य बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्रीगण यहां उपस्थित हैं।

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, माननीय वित्त मंत्री को यहां उपस्थित होना चाहिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य के भाषण को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वे कृषि मंत्री भी हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री एन०एन० कृष्णदास (पालघाट) : महोदय, कुछ मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं और वित्त मंत्रालय से संबंधित हैं। *(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, रघुनाथ झा, जी ठीक कह रहे हैं। सदन में जब किसानों से संबंधित समस्याओं पर चर्चा हो रही है, तो उन्हें सुनने के लिए संबंधित मंत्रियों को उपस्थित रहना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, आज किसान मर रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह जी, बार-बार खड़े होना अच्छी बात नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे देश के लाखों-करोड़ों किसानों से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चा करने की अनुमति प्रदान की। ...*(व्यवधान)*

श्री एन०एन० कृष्णदास : महोदय, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनेक मुद्दे आएंगे। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) अध्यक्ष महोदय, जब आप संसदीय गरिमा की बात करते हैं, दो सरकार को भी उसका परिचय देना चाहिए और संसदीय गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और यहां संबंधित मंत्री उपस्थित नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री थॉमस, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री पी०सी० थामस : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है? आप पहले उस नियम को उद्धृत करें जिसके अंतर्गत आप यह मुद्दा उठा रहे हैं।

श्री पी०सी० थामस : महोदय, मैं नियम 376 के अंतर्गत मामला उठा रहा हूं। काली मिर्च और रबड़ उत्पादकों की भांति अनेक उत्पादक वाणिज्यिक मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। माननीय कृषि मंत्री इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। माननीय वाणिज्यिक मंत्री को यहां उपस्थित रहना चाहिए। ...*(व्यवधान)* महोदय, अनेक मुद्दे विश्व व्यापार संगठन से संबंधित हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस, आप भूल रहे हैं कि हम किसानों के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री पी०सी० थामस : महोदय, किसानों के अनेक मुद्दे वाणिज्यि मंत्रालय से संबंधित है। जब हम किसानों के मुद्दे की बात करते हैं तो विश्व व्यापार संगठन मुख्य मुद्दा होता है।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार किसानों की समस्याओं को सुलझाने के प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : रामजी लाल सुमन जी, यह ठीक नहीं है। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया। यह आप क्या कर रहे हैं। क्या इस प्रकार से सदन में मामला उठाया जाता है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

बसुदेव आचार्य : महोदय, पहले मैं आपको इस देश के किसानों के सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा की अनुमति देने के लिए, धन्यवाद देता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मामलों पर चर्चा की अनुमति मांग रहे हैं और फिर आप ही सदस्यों को बोलने नहीं दे रहे।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इस समय भारतीय किसानों को जिस संकट का सामना करना पड़ रहा है वह सबसे भीषणतम् है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह सभा में मामले उठाने का तरीका है?

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हम पिछले एक साल से देख रहे हैं कि कैसे इस देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हमें लगभग प्रतिदिन ही किसानों द्वारा आत्महत्या के समाचार मिल रहे हैं।

महोदय, पलाक्कड़ जिसे 'राइस बाउल ऑफ केरला' कहा जाता था अब इसे 'डेथ बाउल ऑफ केरला' कहा जा रहा है। कम से

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कम वहां 30 किसानों ने आत्महत्या की है। कर्नाटक राज्य के किसानों ने भी आत्महत्या की है। किसानों की आत्महत्याएं देश के विभिन्न भागों की भंयकर स्थिति को दर्शाती है। पिछले वर्ष भी इस सभा में आंध्र प्रदेशों के किसानों द्वारा अपने कपास के लिए लाभप्रद मूल्य न मिलने के कारण की गई आत्महत्याओं पर चर्चा हुई थी। इस सभा में हुई लंबी चर्चा के बावजूद सरकार ने हमारे देश के किसानों की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। इसका क्या कारण है ? कृषि उत्पादों के मूल्य क्यों गिर रहे हैं ?

महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि शीतकालिन सत्र के पहले ही दिन, देश के लगभग सभी राजनैतिक दलों के संसद सदस्य संसद के मुख्य गेट पर कच्चे नारियल, सुपारी, कालीमिर्च, रबड़ और कॉफी लेकर धरने पर बैठे थे। सभी राजनैतिक दलों के सदस्य शीतकालिन सत्र के पहले ही दिन एक साथ मिल कर धरने पर क्यों बैठ गये ? यह धरना विशेष रूप से केरल के किसानों को कृषि उत्पादों के भाव गिरने से जिस कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है उसके लिए था।

महोदय, आप को जानकर आश्चर्य होगा कि एक वर्ष की अवधि के अंदर, रबड़ की कीमत 68 रु० से गिरकर 22 रुपये हो गई; नारियल की कीमत 45 रु० से गिरकर 20 रु० हो गई सुपारी की कीमत 3350 से गिरकर 3150 तक पहुंच गई; और कॉफी की कीमत 65 रु० से गिरकर 28 रु० हो गई। एक वर्ष की अवधि में इन उत्पादों की कीमत 50 प्रतिशत गिर गई।

महोदय, कर्नाटक के मामले में भी ऐसा ही हुआ। टमाटर की कीमत पिछले वर्ष नवम्बर-दिसम्बर और इस वर्ष जनवरी में 375 रु० से कम होकर 110 रु० हो गई। आलू की कीमतें भी कम हो गई। पचास किलो आलू जो पिछले वर्ष सितम्बर-अक्टूबर में 350 रु० में बिक रहा था अब 150 रु० आ गया है।

आंध्र प्रदेश में, धान, मूंगफली, तंबाकू, कपास और मिर्च की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में कम हो गई है। भारत सरकार ने 'ए' श्रेणी के धान का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में 540 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित किया था जबकि, किसानों को केवल 510 रु० प्रति क्विंटल मिल रहा है। मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,220 रु० प्रति क्विंटल से गिरकर 1,100 रु० प्रति क्विंटल रह गया है। मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य 445 रु० से गिरकर 320 रु० हो गया है।

हरियाणा राज्य में भी यही स्थिति है। राजस्थान में बाजरे के मूल्य में ह्रास के कारण लाखों किसान गंभीर संकट में है। सरकार ने बाजरा अभी खरीदना शुरू नहीं किया है और किसान दु:खी होकर अपने उत्पाद बेच रहे हैं।

जूट पश्चिम बंगाल की एक महत्वपूर्ण कृषि उपज हैं। पश्चिम बंगाल में लगभग 40 लाख परिवार जूट पर आश्रित हैं। पश्चिम बंगाल और बिहार की किसानों को केन्द्र सरकार से बहुत कम कीमत मिली है। यहां जे०सी०ए० भी है और भारतीय कपास निगम भी है परंतु ये संगठन भी उन किसानों की मदद के लिए आगे नहीं आए जिन्हें दु:खी होकर अपने उत्पाद बेचने पड़े। केरल राज्य में, किसानों को एक वर्ष में होने वाला नुकसान 10,000 करोड़ रु० से अधिक है। यही कारण है कि इस सभा के सदस्यों ने चर्चा के दौरान वाणिज्य मंत्री की उपस्थिति की मांग की थी।

गुजरात में भी स्थिति अत्यंत खराब है। हालांकि मैं कुछ ही राज्यों का उल्लेख कर रहा हूं, देश में सभी जगह स्थिति खराब है। इन सब का कारण है। भारत सरकार द्वारा मात्रा संबंधी प्रतिबंधों का हटाया जाना। जब यह हटाए जा रहे थे हमें आश्वस्त किया गया था कि स्थानीय कृषि उत्पादन पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

महोदय अब स्थिति कैसी है ? पाम ऑयल के मामले को ही लें। इसका आयात किया जा रहा है। इसका पर शुल्क कम किया गया है। इसलिए इसका नारियल और मूंगफली के किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अब पाम आयल की कीमत 24 रु० प्रति कि०ग्रा० है जबकि मूंगफली तेल की कीमत 38 रु० प्रति कि०ग्रा० है।

अब मलेशिया ने घोषणा की है कि वह 18 रु० प्रति कि०ग्रा० की दर से कितनी भी मात्रा में पाम तेल की आपूर्ति कर सकता। नारियल का मुख्य उपयोग उद्योगों में ही होगा। अत:, सरकार किसानों की कीमत पर उद्योगपतियों की मदद करने के लिए पाम तेल के आयात की अनुमति दे रही है। 20% नारियल तेल मुख्यत: केरल और दक्षिण भारत के कुछ भागों में जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पर्याप्त रूप से इस्तेमाल होता है! परंतु अब इन राज्यों के लोगों ने भी पॉम तेल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है क्योंकि उन्हें यह बहुत सस्ता मिल रहा है। इस सबके साथ नारियल उत्पादक गंभीर संकट का सामना कर रहे है।

महोदय, हमें यह बताया गया है कि मात्रा संबंधी प्रतिबंध हटाने के बाद कृषि वस्तुओं का आयात बहुत ज्यादा नहीं होगा। आश्वासन दिए जाने के बावजूद कृषि उत्पादों का आयात लगातार हमारे देश में किया जा रहा है। जहां तक नारियल और मूंगफली कि उत्पादकों का संबंध है हमारे देश में इनकी स्थिति बहुत ही संकटपूर्ण है। इसका कारण है कि अमरीका और यूरोपीय देशों ने अपनी राजसहायता कम नहीं की है। उन्होंने शुल्क भी कम नहीं किया है।

महोदय, कृषि मंत्री ने हाल ही में इसे स्वीकार किया है। वे नई दिल्ली में फिक्की द्वारा आयोजित संगोष्ठी में बोल रहे थे। विश्व व्यापार संगठन के पांच से छ: वर्षों से अस्तित्व में आने के बाद, यह पाया गया कि विकसित देशों ने कृषि उत्पादों पर अपनी राजसहायता विकसित देशों को हानि पहुंचाने की कीमत पर बढ़ाई है। उन्होंने इसका खंडन किया है। श्री मुरासोली मारन ने दोहा सम्मेलन में भाग लेने के बाद एक वक्तव्य दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया। उन्होंने वहां क्या कहा ?

उन्होंने कहा :

"कृषि में प्रगतिपरक सुधार करने के लिए बड़े पैमाने पर मिलने वाली घरेलू सहायता और अन्य व्यापार संबंधी राजसहायता को

[श्री बसुदेव आचार्य]

हटाने की जरूरत है तथा साथ ही विकासशील देशों द्वारा कृषि निर्यातों में सामना किये जा रहे रोधों को हटाए जाने की आवश्यकता है। साथ ही, विकासशील देशों की विशाल ग्रामीण जनसंख्या का कृषि पर पूर्णत: आश्रित रहने के तथ्य पर भी विचार करना पड़ेगा, "

इसका परिणाम क्या निकला ? दोहा में हुई घोषणा में यह उल्लेख किया गया था कि राजसहायता को कम करने की आवश्यकता है। परंतु कोई समय सीमा तय नहीं की गई। राजसहायता और शुल्क को कम करने के संबंध में कुछ कहा गया था। परंतु दोहा सम्मेलन में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।

महोदय, आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि अमेरीका में अभी भी कृषि क्षेत्र में कितनी अधिक राजसहायता दी जा रही है। *(व्यवधान)* उन्हें पता है परंतु मैं फिर भी दोहरा रहा हूं। राजसहायता के कारण अंतर्राष्ट्रीय कीमतें और गिर गई हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को कम कर रहे हैं। परंतु हमारे प्रधान मंत्री हमारे किसानों से प्रति-स्पर्धात्मक होने के लिए कह रहे हैं यदि राजसहायता कम कर दी जाती है तो हमारे किसान किस प्रकार प्रतिस्पर्धात्मक बन सकते हैं ? आपने उर्वरकों पर राजसहायता कम कर दी है और उर्वरकों की कीमतें बढ़ा दी है। मंत्री महोदय, अब आप इसे अपना समर्थन क्यों दे रहे हैं ? आपने राजसहायता कम कर दी है।

अपराह्न 2.57 बजे

[**श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा** *पीठासीन हुईं*]

राज्य विद्युत बोर्ड कृषि पर विद्युत शुल्क बढ़ा रहे हैं। यह शुल्क में छूट नहीं है, कृषि क्षेत्र में इन बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता का मामला लें। हमने इन मिलने वाली छूटों के कारण ही आत्मनिर्भरता प्राप्त की है। परंतु अब इन्हें वापस लिया जा रहा है – मंत्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे कि इसके परिणामस्वरूप आदानों की कीमतों में वृद्धि हुई है। आदानों की कीमतों में हुई वृद्धि का प्रतिशत क्या है ? यह 229 प्रतिशत है जबकि आप में हुई वृद्धि 199 प्रतिशत है। इस प्रकार किसानों की आय में 30 प्रतिशत की कमी आई है। जब किसानों की आय घटती है तो उत्पादन में भी कमी आती है।

स्थिति संकटपूर्ण है और पिछले वर्ष पहली बार वृद्धि नकारात्मक रही। नौवे और दसवें दशकों के दौरान 1997-98 तक कृषि क्षेत्र में विकास 1.7 प्रतिशत था। पिछले वर्ष और उसके एक वर्ष पूर्व अर्थात्, 1999-2000 और 2000-2001 में विकास 0.69 प्रतिशत था। इसमें ओर कमी आ गई और अब यह विकास नकारात्मक हो गया है यह यह जनसंख्या में हो रही वृद्धि की तुलना में कम है और इस प्रकार खाद्यान्न की कमी होगी। चाहे प्रधान मंत्री यह कहें कि हमारे गोदाम भरे है और हमारे पास 65 मिलियन टन खाद्यान्नों का भंडार है।

अपराह्न 3.00 बजे

करीब 65 मिलियन खाद्यान्न हमारे गोदामों में पड़ा हुआ है परंतु कोरापुट, कालाहांडी और बोलनगीर जिलों की हमारी गरीब जनता भूखों मर रही हैं।

[हिन्दी]

डॉ० जसवन्त सिंह यादव (अलवर) : सभापति जी, इनको कितने मिनट का समय दिया है। अब तक 26 मिनट हो चुके हैं।

सभापति महोदय : फार्मर्स की बात है, इनको बोलने दीजिये।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : अमरीका में कृषि पर कुल कितनी राजसहायता दी जाती है ? यह करीब 343 बिलीयन डालर है। यह आंकड़े 1996 के है। मेरे पास नवीनतम आंकड़े नहीं है परंतु 1996 के आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक अमरीकी किसान को 28,000 अमरीकी डालर तक राजसहायता मिल रही थी। इस प्रकार, एक अमरीकी किसान को लगभग 14 लाख रु० राजसहायता के रूप में मिलते हैं। हैक्टेयर-वार राजसहायता लगभग 550 अमरीकी डालर बनती है अर्थात् लगभग 24,000 रु० प्रति हैक्टेयर राजसहायता अमरीका में दी जाती है। यह आंकड़े वर्ष 1998 के हैं। इसके अतिरिक्त, उनको कतिपय अन्य आदान भारतीय किसानों से बहुत कम दरों पर मिलते हैं।

यदि आप अन्य देशों से इसकी तुलना करें तो कुल राजकोषीय सहायता का 72.5 प्रतिशत जापान को, कोलम्बिया को 54 प्रतिशत, दक्षिण कोरिया को 61 प्रतिशत यूरोपीय संघ के देशों को 37 प्रतिशत, चीन को 34 प्रतिशत, पाकिस्तान को 26 प्रतिशत, संयुक्त राज्य अमरीका को 28 प्रतिशत और भारत को केवल तीन प्रतिशत प्राप्त होता है।

मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में पहले ही स्वीकार किया है कि यद्यपि दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए है। कृषि क्षेत्र के लिए आबंटन नौवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में काफी कम होगा। आयात प्रशुल्क भी बहुत महत्वपूर्ण शर्त है क्योंकि डब्ल्यू०टी०ओ० की एक शर्त यह है कि विकसित देशों को न केवल अपनी राजकोषीय सहायता बल्कि आयात प्रशुल्क भी कम करना चाहिए। अमेरिका में यह प्रशुल्क चीनी पर 244.4 प्रतिशत, मूंगफली पर – 173.8 प्रतिशत और दूध पर 82.6 प्रतिशत हैं। यूरोप में आयात प्रशुल्क दर मांस पर 213 प्रतिशत, गेहूं पर 167.7 प्रतिशत और भेड़ के मांस पर 144 प्रतिशत है। जापान में यह प्रशुल्क गेहूं पर 352 प्रतिशत और जौ के उत्पादों पर 361 प्रतिशत है। कनाडा में आयात प्रशुल्क मक्खन पर 360 प्रतिशत, पनीर पर 289 प्रतिशत और अंडे पर 236 प्रतिशत है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मि० बसुदेव आचार्य, आपको आधा घंटा हो गया है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदया, मैं चर्चा शुरू कर रहा हूं। कृपया मुझे कुछ और समय दीजिए। *(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे) : हम समस्याओं से परिचित है परंतु माननीय सदस्य महोदय सरकार को कौन से उपचारी उपायों की अनुशंसा कर रहे हैं ?

श्री बसुदेव आचार्य : धैर्य रखिए।

सभापति महोदय : आप समाधान बता सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदया, कृषि क्षेत्र में संकट और कृषि में अधो दुखी वृद्धि के कारण रोजगार पर भी, विशेषकर ग्रामीण रोजगार पर प्रभाव पड़ा है।

सभापति महोदय : आप जितनी उन्हें जितनी ज्यादा रूकावट डालेंगे वे उतना ही ज्यादा देर तक बोलेंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदया समय व्यवधानों के कारण नष्ट हुआ है अत: व्यवधान के समय को उनके समय से निकाल दिया जाए। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री आचार्य, कृपया अपना वक्तव्य पांच मिनट में समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

डॉ० जसवन्त सिंह यादव : मैडम, हिन्दुस्तान के किसानों की चर्चा हो रही है, हिन्दुस्तान का किसान अंग्रेजी नहीं बोलता, हर प्रदेश का किसान अपने प्रदेश की भाषा बोलता है और यह अंग्रेजी बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : रोजगार पर प्रभाव पड़ा है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

बेरोजगारी के कारण कृषि पर आज जो संकट आ गया है, इसका असर हमारे देश में बेरोजगारों के ऊपर भी पड़ा है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वे पूरे देश की बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। *(व्यवधान)* श्री परांजपे, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं।

महोदया, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी एक वर्ष के भीतर 29 प्रतिशत तक बढ़ गई है। आप समझ सकते हैं कि समस्या कितनी गंभीर है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हम भारतीय किसानों की बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : उन लोगों के खाद्यान्नों की खरीद रोकने का निर्णय लिया है।

सभापति महोदय : श्री आचार्य, दूसरों को भी कुछ बोलने का मौका दें।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदया, मेरे पास कई महत्वपूर्ण जानकारियां है। आप उन्हें जानने को इच्छुक होंगी। सरकार ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की खरीद रोकने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि एफ०सी०आई० खाद्यान्नों की खरीद नहीं करेगी। खाद्यान्नों की खरीद की जिम्मेदारी निजी व्यापारियों को दी जाएगी तथा लोगों के लिए खाद्यान्नों के वितरण का कार्य राज्य सरकारों को दिया जाएगा। इसका विकेन्द्रीकरण किया जाएगा। तथा आखिरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली बंद कर दिया जाएगा। पहले ही इन लोगों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आंशिक रूप से बंद कर दी है। अब इन्होंने गेहूं का निर्यात, किया है। मैं बंग्लादेश के बारे में जानता हूं। प्रति क्विंटल खरीद भंडारण और वितरण की आर्थिक लागत क्या है ? यह प्रतिटन 8300 रुपए है। बाजार मूल्य क्या है ? श्री यादव अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि उनकी समिति ने इस समस्या पर विस्तार से विचार किया है। बाजार मूल्य क्या है ? यह 7000 रुपए है। भारत सरकार ने इस वर्ष मई माह में निर्यात के लिए इसे किस मूल्य पर उपलब्ध कराया है ? यह प्रति 4300 रुपए था। इस प्रकार आर्थिक लागत 8,300 रुपए है और सरकार लोगों से कह रही है कि गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों के लिए एक कि०ग्रा० गेहूं की कीमत आर्थिक लागत के बराबर होगी तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए कीमत आर्थिक लागत की आधी होगी।

सरकार 4300 रुपए प्रति टन की दर से गेहूं का निर्यात कर रही है। इसका अभिप्राय यह है कि विदेशी उपभोक्ताओं को सरकार राजकोषीय सहायता दे रही है तथा उन्हें गेहूं हमारे देशवासियों की तुलना में काफी सस्ती दर पर प्राप्त हो रहा है। हमारे लोगों को उच्चतर मूल्य पर खरीदना पड़ता है। गेहूं के निर्यात से हमें क्या प्राप्त हुआ है ? मैं एक साल के आंकड़े दे सकता हूं। हमने गेहूं निर्यात किया है और तत्पश्चात् इसे आयात किया है। इस सदन में यह मामला उठाया गया था। भारत सरकार को गेहूं के निर्यात और तत्पश्चात् ऊंचे मूल्य पर इसके आयात पर 550 करोड़ रुपए की हानि हुई। कृषि क्षेत्र के संकट के कारण न केवल किसनों पर बल्कि पश्चिम बंगाल

[श्री बसुदेव आचार्य]

और बिहार के जूट जैसे कृषि आधारित उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। *(व्यवधान)*

चीनी उद्योग प्रभावित हो रहा है। श्री अजित सिंह जानते हैं कि गन्ने के गिरते हुए मूल्य के कारण चीनी उद्योग भी प्रभावित हुआ है। यदि किसानों के हितों की उपेक्षा की जाती है और उसपर ध्यान नहीं दिया जाता है तो सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। किसानों की उपेक्षा की जा रही है। किसान आत्महत्या कर रहे है। ऐसा कभी नहीं हुआ है। स्वतंत्रता के तिरेपन वर्षों के बाद हमारे देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उर्वरक और राजकोषीय सहायता के संबंध में सरकार की नीतियों के कारण पूंजीनिवेश कम हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं ऐसा एक वक्तव्य में स्वीकार किया है। सार्वजनिक पूंजीनिवेश भी क्रमशः कम हो रहा है। एक वर्ष के भीतर सिंचित क्षेत्र में भी दो प्रतिशत कम वृद्धि हुई है। देश और किसानों को बचाने के लिए सरकार को नीतियां बदलनी होगी। अन्यथा उन्हें सत्ता छोड़ देनी होगी।

श्री साहिब सिंह (बाहरी दिल्ली) : सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

अभी मेरे मित्र बहुत सारी चीजों पर चर्चा कर रहे थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह देश किसानों का देश है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब माननीय सदस्य हिन्दी में बोल रहे हैं और आपकी पार्टी के हैं, फिर भी आप बातें कर रहे हैं। आप इन्हें सुनिये। तब अंग्रेजी की बात कर रहे थे, अब तो हिन्दी में बोल रहे हैं।

श्री साहिब सिंह : 54 वर्षों में जितनी किसान के हित की बातें होनी चाहिए थीं, वह दुर्भाग्य से नहीं हो पाईं। मेरे मित्र बात कर रहे थे कि किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। जब किसान आत्महत्या करता है तो वह हर आत्महत्या देश के ऊपर बहुत बड़ा कलंक होती है। मैं बताना चाहूंगा कि 1997 से 1999 के बीच करीब 358 किसानों ने आत्महत्याएं की थीं। 1999 से 2000 के बीच पांच किसानों ने आत्महत्याएं की थीं और 2000-2001 में 22 किसानों ने आत्महत्याएं कीं। यह जानकारी रिकार्ड पर है लेकिन हो सकता है इससे और कई गुना किसानों ने आत्महत्याएं की हों।

सभापति महोदय, देश के लिए यह निश्चित रूप से शर्म की बात है कि जिन बातों का अभी जिक्र किया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसान दिन-रात खेत में काम करता है, अपना खून-पसीना एक कर के फसल उगाता है, लेकिन उस लाभप्रद मूल्य नहीं मिलता। आज ही नहीं बल्कि जब से देश आजाद हुआ है तब से आज तक, मैं कहता हूं कि किसान को अपनी उपज का लाभप्रद मूल्य नहीं मिला।

महोदया, सरकार ने क्या किया, उस सबकी आपको जानकारी है। रिक्मेंडेशन आने के बाद भी खेती में काम आने वाली वस्तुओं के दाम कम नहीं किए गए। सपोर्ट प्राइस बढ़ी है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि किसान के साथ न्याय नहीं हुआ है, उसे लाभप्रद मूल्य नहीं मिला है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि खेती में काम आने वाली जो चीजें हैं, जो इनपुट्स हैं, उनके दाम निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं।

महोदया, किसान को आत्महत्या क्यों करनी पड़ती है, उस संबंध में मैं बताना चाहता हूं। उसे कहां-कहां से कर्ज लेना है उसके लिए अनेक व्यवस्थाएं सरकार ने की हैं, लेकिन वह उसे समय पर नहीं मिलता है। उसे उसके गांव में ही कर्ज मिले, इसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, किसान की फसल की सुरक्षा के लिए फसल बीमा योजना चलाई गई है, लेकिन इन योजनाओं का प्रचार-प्रसार उतना नहीं किया गया है जितना किया जाना चाहिए। इसलिए किसान सरकार की लाभकारी योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाता है और खेती में अधिक लागत तथा उपज का कम मूल्य मिलने के कारण मजबूरी में उसे आत्महत्या करनी पड़ती है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि अभी किसानों के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। दुर्भाग्य से जो हमारे मित्र किसानों द्वारा चुनकर यहां आते हैं, वे किसानों के हितों में नीतियां बनाने में कितनी रुचि दिखाते हैं, यह आप सबको अच्छी तरह मालूम है। राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का अंशदान लगातार कम होता जा रहा है। उसमें गिरावट आती जा रही है। वह बढ़ा नहीं है।

आज किसान की जितनी भी होल्डिंग्स थीं, परिवारों में हिस्से-बांट के कारण आज होल्डिंग बहुत छोटी रह गई हैं। आज वे इकनौमिक होल्डिंग नहीं बची हैं। इसलिए खेती लाभप्रद न होते हुए भी, उसके पास कोई चारा नहीं है सिवाय खेती करने के। उसके परिवार के छोटे बच्चे से लेकर 80 वर्ष तक के बूढ़े व्यक्ति को मजबूरन खेती में काम करना पड़ता है, तब कहीं जाकर वह अपना गुजारा कर पाता है। आज किसान की ऐसी नौबत आ गई है और इतनी खराब स्थिति है कि जिसका वर्णन करना मुश्किल है।

यहां आज दो-चार घंटे बहस होने के बाद यह बहस समाप्त हो जाएगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस बहस का समय बढ़ाया जाए और दो-चार घंटों की जगह दो-चार दिन बहस चलाकर किसानों के हित में इस फ्रंट पर कुछ निर्णय लिए जाएं जिससे किसानों को फायदा हो सके।

भूमि सुधार कानून बहुत पुराने हैं। उन्हें बने हुए कहीं 50, कहीं 40 और कहीं 30 साल हो गए हैं, जो आज के समय में बेमानी हैं। भूमि सुधार कानूनों में सुधार करना नितान्त आवश्यक है। पुराने कानूनों में कोई परिवर्तन नहीं होने से भी किसानों की कठिनाई बढ़ी है। यह ठीक है कि भूमि सुधार कानून बनाना और उन्हें लागू करना राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार को भी अपनी ओर से कोई सम्यक नीति अपनानी

चाहिए। दिल्ली में 1954 में भूमि सुधार कानून बना था, जो आज रैलेवेंट नहीं है। इस देश में लैंड एक्वीजीशन एक्ट अंग्रेजों के समय का है। आज किसान की हालत यह है कि पहले कान पकड़ कर उसे उसकी भूमि से बेदखल कर दिया जाता है और बाद में कीमत देने की बात आती है। आल्टरनेटिव प्लाट भी किसान को 10 जगह रिश्वत देने के बाद मिलता है और वह भी नहीं मिलता क्योंकि प्रापर्टी डीलर उसकी पर्ची को उससे खरीद लेता है।

जब किसान अपनी फसल को मंडी में बेचने जाता है, तो उसे कमीशन देना पड़ता है। हमने अपने समय में एक कानून बनाया था कि मंडी में किसान को अपनी फसल बेचने के लिए जो कमीशन देना पड़ता है वह किसान नहीं देगा, बल्कि खरीददार देगा, लेकिन उस कानून को भी एक तरफ कर दिया गया है। किसान को जितनी कीमत मिलती है उससे ज्यादा मुनाफा दलाल खा जाता है। किसान मेहनत करता है और दलाल कमाई करते हैं। इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

गांव में किसान का चहुंमुखी विकास किया जाना आवश्यक है। यदि किसान के घर में खेती का काम सभी लोगों को नहीं मिलता है, तो उन्हें दूसरा काम दिया जाना आवश्यक है। यदि किसी किसान के घर में 10 लोग हैं और छोटी होल्डिंग है, तो घर के बाकी लोगों को दूसरे काम करने चाहिए। उसके लिए राज्य सरकारों को योजनाएं बनानी चाहिए। केन्द्र सरकार की ओर से अनेक योजनाएं बनी हैं, लेकिन उनके ऊपर कितना इन्पलीमेंटेशन हो रहा है, वह सब आपको मालूम है। मैं कहना चाहता हूं कि किसान के घर में जब तक बेकार लोग रहेंगे, जब तक उनके हाथों को काम नहीं मिलेगा, तब तक आत्महत्या करने की प्रवृत्ति को रोका नहीं जा सकता है। वे आत्महत्या भी करेंगे और क्राइम भी करेंगे।

[अनुवाद]

जब व्यक्ति को उपयुक्त कार्य नहीं मिलता है तो वह अन्यत्र अपराध में संलग्न हो सकता हैं।

[हिन्दी]

इसलिए उन्हें काम मिलना चाहिए।

सभापति महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसान एक ओर तो खेत में खून-पसीना एक कर के अन्न उत्पादन कर देश के लोगों का पेट भरता है वहीं दूसरी ओर सीमा पर प्रहरी के रूप में डटकर दुश्मनों से देश की रक्षा करता है। किसान हर तरह से देश की सेवा में लगा हुआ है।

हम लोगों को किसान की कितना चिन्ता है, यह देखने की आवश्यकता है। आज भी लाखों गांव ऐसे हैं जहां पीने का पानी नसीब नहीं होता, फसल के पानी की बात छोड़िए। जब से देश आजाद हुआ है, इस बात पर चर्चा होती रही है कि सारी नदियों को जोड़ दें। कहीं बहुत बाढ़ आती है, कहीं सूखा पड़ता है, हम उन्हें किसी तरह मिला दें, उस पानी का उपयोग करें, उस पानी के उपयोग की योजना बनाएं। 54 साल की आजादी के बाद भी हम देश में पानी का इंतजाम नहीं कर पाए हैं। जिन किसानों को बिजली चाहिए, वे रोते रहते हैं, सारी रात खेत में बैठे रहते हैं, कभी दो घंटे, कभी तीन घंटे बिजली आती है। किसानों को बिजली तक नहीं मिलती। रेट्स बढ़ाए गए हैं, वह अलग बात है। किसानों को इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर अगर हमें किसानों के स्वाभिमान की रक्षा करनी है तो निश्चित रूप से कुछ काम अवश्य करने पड़ेंगे। जब मिनिमम स्पोर्ट प्राइज़ और मार्किट प्राइज़ की बात चलती है, अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइज़ पर भी किसान की फसल खरीदी जाती है, कितने लोगों की खरीदी जाती है, कितनी खरीदी जाती है, यह देखना चाहिए। किसी राज्य में यदि कोई दबंग मुख्य मंत्री है तो शोर- शराबा करके कुछ ज्यादा पैसा लेकर चला जाता है और अपने प्रदेश के किसानों को ज्यादा लाभ पहुंचाता है। इसकी कोई नीति बननी चाहिए कि किस तरह से हमें सबसिडी देनी है। मिनिमम सपोर्ट प्राइज़ पर कहां, कितनी, क्या-क्या चीज़ खरीदनी हें। मैं व्यक्तिगत रूप से इस पक्ष में हूं कि हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइज़ और मार्किट प्राइज का अंतर हर किसान को, चाहे छोटा किसान है, चाहे बड़ा किसान है, उसके घर की कंजम्शन को छोड़ कर उसे देना चाहिए। हमारे पास केवल अचल भंडार सुविधाएं होनी चाहिए। अकाल और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए हमारे पास भंडारण सुविधा होनी चाहिए। बिना जरूरत के भंडारण क्षमता किसलिए ? हम उसका स्टोरेज क्यों करें ? अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइज़ 500 रुपये क्विंटल है और मार्किट प्राइज़ 600 रुपये क्विंटल है तो हमें उसका डिफरेंस दे देना चाहिए। इससे किसानों को अपने आप न्याय मिलेगा और हर किसान को उसकी पूरी फसल का दाम मिलेगा। अगर किसान के सामने यह निश्चित नहीं होगा कि उसे क्या भाव मिलने वाला है, तो किसान क्या पैदा करेगा। कहीं से कर्जा लेकर देता है, कहीं फर्टीलाइजर के लिए पैसा देते है। हम फर्टीलाइजर के बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि फर्टीलाइजर की बड़ी-बड़ी मिलों को किसने सबसिडी देनी शुरू की थी, मिल को डायरैक्ट सबसिडी देने का क्या औचित्य था ? जब देश में किसी का सौ प्रतिशत प्रोडक्शन नहीं होता तो एक मिल की दो सौ प्रतिशत प्रोडक्शन कैसे हो सकती है। इसका मतलब उसमें निश्चित रूप से भ्रष्टाचार है। जितनी जल्दी हो सके, किसान को डायरैक्ट सबसिडी मिलनी चाहिए और फर्टीलाइजर की जो सबसिडी मिलों को मिलती है, उस पर तुरंत पाबन्दी लगनी चाहिए। इस पर भ्रष्टाचार क्यों शुरू किया, किसने शुरू किया, लाखों-करोड़ों रुपये इस पर बर्बाद हो चुके हैं। मैं इस पक्ष में हूं कि जितनी भी कैमिकल फर्टीलाइजर्स कम्पनियां हैं, देश में उसका उत्पादन बढ़ सकता है। हम और तरीके अपना सकते हैं लेकिन फर्टीलाइजर का उपयोग कम करना चाहिए। हमारे खाद के जो पुराने तरीके थे, जैविक खाद या दूसरी तरह की खाद, किसानों को उनकी तरफ ले जाना चाहिए। जब तक किसान को यह पता नहीं चलेगा कि उसे क्या मिलने वाला है, तब तक उसे तसल्ली नहीं होगी।

फसल एक मामला है लेकिन इसके अलावा कई दूसरी चीजें भी हैं। आज किसान शहरों की तरफ पलायन क्यों करता है ? किसान

[श्री साहिब सिंह]

को इसलिए पलायन करना पड़ता है क्योंकि गांव में स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं हैं, अच्छी शिक्षा की सुविधाएं नहीं है, किसान वहीं पड़ा रहता है। जो लोग आई०ए०एस० और आई०पी०एस० में आते हैं, वे किसान के बेटे नहीं होते, दूसरे लोग आते हैं क्योंकि किसान गांव में पड़ा रहता है, उसके पास सुविधाएं नहीं हैं। जो बहुत सम्पन्न किसान हैं वे शहर में आ सकते हैं, उनके बेटे बड़ी-बड़ी कुर्सियों पर पहुंच सकते हैं। आप इस कुर्सी पर बैठ सकती हैं, प्रधान मंत्री कोई किसान हो सकता है, बड़े-बड़े मंत्री भी किसान हो सकते हैं लेकिन ब्यूरोक्रैट्स, जो आई०ए०एस० की कुर्सी पर बैठे हैं, जब तक वे किसान के दर्द को नहीं जानेंगे, जब तक वह किसानों के अंदर से नहीं आएंग, तब तक ठीक नीति नहीं बन सकती और मामला इसी प्रकार चलता रहेगा। 'जिसके पैर न फटी बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई। जो किसानों के दर्द और तकलीफ को जानता है, वही कुछ कर सकता है। इसलिए गांव में किसानों के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा के स्थान होने चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य सेवा और दूसरी सुविधाएं होनी चाहिए। जब तक ये सुविधाएं नहीं मिलेगी तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता और अगर किसान आगे नहीं बढ़ेगा, किसान तरक्की नहीं करेगा,. गांव तरक्की नहीं करेगा तो यह देश भी तरक्की नहीं कर सकता। शहरों में रोजाना सड़कें बना दें, अच्छी बसें चला दे या कुछ भी कर लें, शहर से देश आगे नहीं बढ़ेगा। हम दूसरों को दिखाने के लिए कह सकते हैं कि हमने विकास किया है। सड़कों पर लाखों गाड़ियां हैं, जगह नहीं मिलती। देश तब तरक्की करेगा जब किसान खुशहाल होगा, आत्महत्या नहीं करेगा और जब किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, तभी यह देश आगे बढ़ेगा, ऊंचा उठेगा। इसलिए अगर हम किसानों की दुआएं नहीं ले सकेंगे तो निश्चित रूप से हमारा यहां बैठना बेकार है।

मैं आज सदन के सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि किसान ने अपने खून-पसीने की कमाई से इस देश के भंडारों को भरा है। 65 लाख मिलियन टन अनाज हमारे देश के अंदर पड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी अगर किसान का हम सम्मान नहीं कर सकते, उसे न्याय नहीं दे सकते तो देश के लिए उचित नहीं होगा। जैसा एक बार पहले किया गया था, जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी और देश के लाखों लोगों ने उसमें अपनी शाहदत दी थी, अब एक आजादी की लड़ाई किसानों के लिए भी लड़नी पड़ेगी। अभी किसानों को सही मायने में देश की आजादी का लाभ नहीं हुआ है। 54 साल की आजादी के बाद भी किसान गुलाम हैं। भाव ज्यादा हों तो भी उसे कहा जाता है कि तुम्हें उसी कीमत पर अनाज देना पड़ेगा। उससे जबरदस्ती लिया जाता है। आज तो अनाज के भाव कुछ और हैं और मिनिमम सपोर्ट प्राइस कुछ और है। ऐसा भी समय था जब मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा थी और मिनिमम सपोर्ट प्राइस बहुत कम थी। किसान से जबरदस्ती अनाज लिया जाता था, अगर कोई जबरदस्ती नहीं देता था तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। इसलिए किसानों को सम्मान और न्याय देना होगा और इसके लिए हम सब को मिल कर काम करना पड़ेगा।

मैडम, इस देश ने आजादी के बाद तरक्की की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमें इस चीज की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि अगर कोई चीज हमारे यहां बहुत ज्यादा पैदा होती है, वह हमारे पास सरप्लस होती है। हमारे पास एडीबल आयल वगैरह बहुत कम होते हैं जो हमें बाहर से मंगाने पड़ते हैं। क्या सरकार इस तरह की व्यवस्था नहीं कर सकती कि कौन किसान क्या चीज बोए और उसे हम कितना पैसा दें, आप पहले इसे तय करें। अगर हम उसे इंसेंटिव देंगे तो हमें कोई भी चीज विदेश से नहीं मंगानी पड़ेगी। हम हर चीज अपने देश में पैदा कर सकते हैं। हमारे यहां ऐसा मौसम और जमीन है कि हम अपने देश में वे सारी चीजें पैदा कर सकते हैं। हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, दूसरों से कम से कम चीजें खरीदनी चाहिए। यह बात सही है कि जब सब्सिडी की बात आती है, विदेशों में बहुत ज्यादा सब्सिडी देकर वे अपने माल को हिन्दुस्तान में बेचना चाहते हैं, हमें उनसे भी सावधान होना पड़ेगा। हमें अपने किसानों को कितनी भी सब्सिडी देनी पड़े, हमें इस बात को देखना होगा। अगर हमारे देश में वे चीजें पैदा हो सकती हैं और हमारे देश में वे चीजें हैं तो विदेशों से मंगाने पर हर कीमत पर उनके ऊपर रूकावट लगानी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि यह जरूरी है, क्योंकि इसके लिए किसान को सेठ-साहूकारों के पास दर-दर ठोकरें खानी पड़ती हैं।

एन०डी०ए० की सरकार ने किसानों को क्रेडिट कार्ड देकर करीब एक करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाया है, यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बात है। किसान नीति बनाई गई है, एन०डी०ए० की सरकार ने इनके लिए और भी कई ऐसे काम किए हैं जिससे इन्हें लाभ पहुंचे हैं। कपास के लोगों के लिए टैक्नोलॉजी मिशन, बनाया गया है और कोल्ड स्टोरेज के लिए भी 25 प्रतिशत सब्सिडी वगैरह दी गई है। सरकार ने बहुत सी दिशाओं में काम किया है लेकिन और भी बहुत सी दिशाओं में इस सरकार को काम करने की आवश्यकता है। मुझे पता है कि एन०डी०ए० की सरकार किसानों की सरकार मानी जाती है। आज देश का कृषि मंत्री भी किसान का बेटा है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया शांत रहे। कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि आप इस तरह से बर्ताव करेंगे तो कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या आप कृपया बैठेंगे ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री साहिब सिंह : मैडम मैंने जब पिछली बार गलती से सदन में विपक्ष की नेता को किसानों की नेता कह दिया था तो ये लोग

बड़ा चिल्लाए थे, बड़ा शोर मचाया था, अब जब मैं कह रहा हूं कि एन०डी०ए० की सरकार किसानों की सरकार जानी जाती है तब भी ये शोर मचा रहे हैं। आपको बीमारी क्या है, परेशानी क्या है? आप लोग सोनिया गांधी जी को किसानों की नेता नहीं मानते, अजित सिंह जी को किसानों का नेता नहीं मानते तो किसे किसानों का नेता मानते हो?

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों को बहुत सी बातों की जानकारी नहीं मिलती। फसल के बारे में किसानों को जानकारी मिलनी चाहिए। उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। कृषि चैनल है, बहुत सारे चैनल हैं, बड़े विचित्र कार्यक्रम उन पर आते हैं।

कई लोग 12 बजे देखते हैं, कई लोग तीन-तीन बजे तक देखते हैं और कई लोग उन कार्यक्रमों को देखने के लिए सोते तक नहीं हैं। किसानों को अच्छी जानकारी मिले, उनको कानून के बारे में पता चले। सरकार ने किसानों के लिए, मजदूरों और उनके बच्चों के लिए इतनी योजनाएं बनाई हैं लेनिक उन योजनाओं की जानकारी के अभाव में उनका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। जितनी भी योजनाएं है, उनका लाभ किसानों को, गरीब आदमियों को, गांव के आदमियों को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए एक कृषि चैनल बनाने की आवश्यकता हैं जहां पर सारी जानकारी उनको मिल सके और वे उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : आदरणीय सभापति जी, मैं माननीय बसुदेव आचार्य जी को और उन सभी माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं जिन्होंने नियम 193 के तहत इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा प्रारम्भ की है। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंनें इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की अनुमति दी। मैं कृषि मंत्री जी से और उनके अधिकारियों से उम्मीद करता हूं कि वे जो सदन में सदस्य चर्चा कर रहे हैं अपने विचार रख रहे हैं, उन विचारों को किसानों के खेत तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे।

सभापति जी, जब भी हम भारतीय कृषि की बात करते हैं या कृषि की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिवर्ष हमारी लाखों हैक्टेयर जमीन या तो बाढ़ की या सूखे की चपेट में आ जाती है। अगर इन बातों को ध्यान में रखकर हम कृषि नीति नहीं बनाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। अगर कृषि नीति अधिकारियों या विश्व बैंक के दबाव में या विश्व बैंक के गलियारों में जो ज्यादा घूमते हैं उनके हिसाब से बनाएंगे तो इस देश की कृषि का कोई महत्व नहीं रहेगा। कृषि नीति ऐसी होनी चाहिए जो किसान के हित में हो।

सभापति महोदय, हमारे देश में एक कृषि वैज्ञानिक हैं — डा० एम०एस० स्वामीनाथन — जिन्होंने एक विशेष उपलब्धि देश को कृषि के क्षेत्र में दिलाई और जो देश एक समय भूखमरी के कगार पर पहुंच गया था आज उसी भारत में 60 मिलियन टन गेहूं और चावल हमारे भंडारों में भरा पड़ा है। उन्होंने चैनेई में एक रिसर्च फाऊंडेशन बनाया और उस फाऊंडेशन ने एक रिपोर्ट भेजी है। मुझे आशा है कि आपने वह रिपोर्ट पढ़ी होगी और अपने अधिकारियों को भी दी होगी। एफ०ए०ओ० के साथ मिलकर जो रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है। उसमें इस बात का उल्लेख है कि अगर हमें विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि के क्षेत्र में विश्व में कम्पीट करना है तो हमें पर्यावरण को बचाना पड़ेगा। जल के स्रोत जो कम हो रहे हैं उनको बचाना पड़ेगा और देश में एक उपयुक्त वायु-मंडल बनाना पड़ेगा, तभी हम इस लड़ाई को जीत सकेंगे।

आज विश्व व्यापार संगठन में दस्तखत करने के बाद एक प्रतिस्पर्धा में भारत खड़ा है और भारत के कृषक को प्रतिस्पर्धा करने पर मजबूर कर दिया गया है लेकिन आज प्रतिस्पर्धा में जीतने की क्षमता हममें है।

इस प्रतिस्पर्धा को जीतने के लिए आज क्वांटिटी के साथ क्वालिटी पर ध्यान देना पड़ेगा, कृषि उत्पादन की गुणवत्ता पर ध्यान देना पड़ेगा लेकिन देश में क्या हो रहा है? आज दो मापदंड अपनाए जा रहे हैं — एक मापदंड उन कृषि वस्तुओं के लिए है जो विदेशों से आ रही हैं और दूसरा मापदंड उन वस्तुओं के लिए है जो किसान बनाता है। यदि दो मापदंड बना कर चलेंगे तो डब्ल्यूटीओ में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। हमारे देश में अधिकांश छोटे किसान है, लघु कृषक हैं, सीमांत कृषक हैं और मध्यम कृषक हैं। आज देश की आबादी बढ़ रही है। उसके कारण लघु और सीमांत कृषक को उसका बोझ झेलना पड़ रहा है। बढ़ती आबादी के कारण जल स्रोत कम हो रहे हैं। मुझे इस बात की आशंका और भय है कि लघु और सीमांत कृषकों को बचाने के लिए सरकार कोआपरेटिव फार्मिंग की बात नहीं कर रही है। वह उन्हें खत्म करने के लिए कांट्रैक्ट फार्मिंग की बात करती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कारपोरेट फार्मिंग चली तो जो भू-स्वामी कांग्रेस ने इतने वर्षों में बनाए थे, वे फिर भूमिहीन न बन जाएं, मुझे इस बात का डर है। आज सहकारिता कृषि से जुड़ी है। सहकारिता और कृषि को अलग नहीं किया जा सकता है। देश में सहकारिता ने पिछले 40-50 वर्षों में एक इतिहास रचा है। अमूल डेयरी जैसे संस्थान आज हमारे देश में हैं जो 40 लाख परिवारों का पेट भरते हैं। यह सहकारिता के क्षेत्र में हामरी उपलब्धि है लेनिक उस सहकारिता के प्रेरणा स्रोत डाक्टर कुरियन आज दुखी हैं, उन्हें महत्व नहीं दिया जा रहा है। पता नहीं क्यों नहीं दिया जा रहा है? मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि वह स्वयं अच्छे और माने हुए कृषक परिवार से आते हैं। आज सहकारी समितियों का क्या हाल है? उन पर तरह-तरह के वित्तीय अनुशासन लगाए जा रहे हैं। जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हैं, उद्योगपति हैं, उनके ऊपर कोई वित्तीय रोक नहीं लगाई जा रही है। सहकारी बैंकों के कर्जों को जबर्दस्ती किसानों के घर जाकर उनके सामान बेच कर वूसल किया जा रहा है। बड़े-बड़े उद्योगपतियों को जो कर्जे दिए, उससे 650 करोड़ का एन०पी०ए० एक-दो साल में 95 हजार करोड़ रुपए का हो गया लेकिन वित्त मंत्री को केवल उनकी चिंता है। यदि वह थोड़ा ध्यान कोआपरेटिव संस्थाओं को दें तो किसानों को बहुत सहायता मिल सकती है।

छोटे और मझोले किसानों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने आपके पास एक प्रस्ताव कोआपरेटिव फार्मिंग का भेजा है। शायद दूसरी राज्य

[श्री लक्ष्मण सिंह]

सरकारों ने भी भेजा होगा। उन सभी प्रस्तावों को गम्भीरता से लेकर जो मदद राज्य सरकारों की हो सके, करें ताकि कोआपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा सके।

देश में आज बेरोजगारी मुंह फाड़े खड़ी है। किसान के बेटे को गांव छोड़कर शहर की तरफ भागना पड़ रहा है और उसे शहर में अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़ रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि उस किसान के बेटे को गांव में नौकरी दी जाए। जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उन्हें प्रशिक्षण दें। हम एग्रो क्लीनिक खोलें। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हमने क्रांति की। कियॉस्क पंचायत स्तर पर खोलें। उसे 15-20 हजार की आबादी वाली जगहों में खोलें ताकि वे हमारे किसानों का मार्गदर्शन कर सकें। हम किसानों को तकनीकी खेती करने का तरीका बता सकते हैं।

हमारे किसानों को भू-संरक्षण का तरीका बता सकें, जल का उपयोग कैसे हो, यह बता सकें, फसलों के उचित दाम दिला सकें और इन बेरोजगारों को वहां लगाइये जिससे गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोका जा सके।

सभापति महोदय, आज देश की कृषि मंडियों की क्या हालत हो रही हैं। आज कृषि मंडियां सरकारी खजाने में करोड़ों रुपया जमा करती है लेकिन आज ऐसी राज्य सरकारें भी हैं जो कृषि मंडी द्वारा जमा कराये हुये पैसे को फाइनेंशियल कारपॅरेशन को दे देती हैं जिनसे बड़े-बड़े उद्योगपति सांठ-गांठ करके पैसा अपनी जेब में ले जाते हैं और वह पैसा लौटकर वापस नहीं आता। अभी श्री वर्मा जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। उन्होंने किसानों के हितों की बात ही है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपनी सरकार से कहें कि कृषि मंडियों के जिस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, उसे रोकने के लिये यहां कानून बनाये और किसानों की लूट को रोकने के साथ लुटेरों को जेल के सींखचों में बंद करें। जो पैसा कृषि मंडियों का जमा होता है, उससे कृषि मंडी के विकास के नाम पर नगण्य प्रतिशत खर्च किया जा रहा है। आज कृषि उत्पादन के विस्तार की आवश्यकता है। फूड बास्केट बढ़ाने की बात है। विश्व खाद्य संगठन की रिपोर्ट आई है कि विश्व में केवल 5-6 फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें 15 फसलें किये जाने की आवश्यकता है। इससे किसानों और देश की आमदनी बढ़ेगी। सरकार को एफ०ए०ओ० पर दबाव डालना चाहिये। हमारे पौष्टिक पदार्थ, जिनका हम उत्पादन करते हैं, को एफ०ए०ओ० की लिस्ट में जोड़ें जिससे उसका एक्सपोर्ट बढ़े। इससे हमारे देश को लाभ होगा।

सभापति महोदय, हमारे देश में दालों के उत्पादन का विशेष महत्व है। 1951 से लेकर 1961 तक हमारे देश में दालों का उत्पादन 4 मिलियन टन रहा। अब तक केवल 5 प्रतिशत की प्रतिवर्ष वृद्धि हुई है लेकिन पिछले दो दशकों में यह उत्पादन 10.63 मिलियन टन ही रहा है। 1981-91 में यह उत्पादन 14.26 मिलियन टन रहा जोकि 2000 में घटकर 11.7 मिलियन टन रह गया। हमारे देश में कहावत है "दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ" लेकिन आज दालों का भाव देखिये। जब दालें इतनी महंगी हैं, तो कोई क्या खायेगा और कैसे प्रभु के गुण गायेगा ?

सभापति महोदय, 1951 में प्रतिवर्ष दालों की उपलब्धता 70.60 किलोग्राम थी जो अब घटकर 36 किलोग्राम प्रतिवर्ष रह गई है जबकि दालों के भाव 20 रुपये किलो से ज्यादा हो गये हैं। यह संभव नहीं कि ऐसा व्यक्ति जो गरीबी रेखा के नीचे रहता है, अगर चाहे तो भी चैन से बैठकर दाल-रोटी नहीं रखा सकता। हमारे मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है लेकिन आज उसकी इंडस्ट्रीज की क्या हालत है। वहां की ऐसोसिएशन ने जो आंकड़े भेजे हैं, उनसे मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं।

[अनुवाद]

तिलहन उत्पादन 256 टन के उंचे स्तर से घटकर वर्ष 2000 में 188 लाख टन से भी कम हो गया। खाद्य तेलों का हमारा आयात भी आसमान छूने लगा है। यह 1995 में 2 लाख टन से भी कम था तो चालू वर्ष में बढ़कर लगभग 50 लाख टन हो गया है।

इस प्रकार खाद्यान्नों से भरे हुए हमारे गोदाम और अन्नागार आदर्श नमूने हैं जिनसे इस गलत नीति के कारण राष्ट्र को प्रतिवर्ष 15,000 करोड़ रुपये की हानि हो रही है।

भारत को तिलहन उत्पादन में लगभग 97 प्रतिशत की आत्मनिर्भरता हासिल हो गयी थी। जो आज 50 प्रतिशत अथवा इससे भी कम हो गयी है, इस कारण हमें विदेशों से बड़ी मात्रा में खाद्य तेल खरीदना पड़ता है।

श्रीमती रेणुका चौधरी (खम्माम) : शर्म की बात है।

श्री लक्ष्मण सिंह : भारत सरकार द्वारा कम शुल्क पर खाद्य तेल के आयात की अनुमति देकर भारतीय तिलहन क्षेत्र की अत्यधिक उपेक्षा के कारण भारत के खाद्य तेल का आयात मुख्यत: बढ़ गया है जो तिलहन उत्पादन किसानों के हितों के विपरीत है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, यह फूड, सिविल सप्लाईज एंड पी०डी०एस० मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी की 11वीं रिपोर्ट है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है। लेकिन वह रिपोर्ट फूड एंड सिविल सप्लाइज मंत्रालय में पता नहीं किस कोने में धूल खा रही है। आप उस रिपोर्ट को निकलवाइये, ऑयल इम्पोर्ट बंद करिये और मध्य प्रदेश तथा देश के तिलहन के किसानों की तरफ झांककर देखिये।

सभापति महोदय : आप क्रास कन्वर्सेशन मत करिये। लक्ष्मण सिंह जी आप चेयर को एड्रैस कीजिए।

श्री लक्ष्मण सिंह : मैडम, हमारे देश ने मछली पालन में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष हमने 1300 मिलियन यू०एस० डॉलर्स का निर्यात किया है। मछली पालन को सहकारिता से जोड़ना आवश्यक है। फिशरीज कम राइस की खेती चाइना में होती है, हमारे

देश में बंगाल में होती है तथा अन्य प्रदेशों में भी होती है, जिसे बढ़ावा देना चाहिए। आज कार्प फार्मिंग पर जोर दिया जाए। आई० सी०ए०आर० के प्रयास से इसके अच्छे नतीजे सामने आये हैं। आज जो कार्प फार्मर है, एक लाख रुपये एक साल में एक हैक्टेअर से दो फसल लेकर कमा सकता है। जो श्रिम्स फॉर्मर है, वह एक हैक्टेअर से तीन लाख रुपये प्रति वर्ष फसल लेकर कमा सकता है। आज आई०सी०ए०आर० को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। मंत्री जी ने जो बजटरी सपोर्ट आई०सी०ए०आर० को दिया है, वह पर्याप्त नहीं है। एग्रीकल्चरल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आपने एक प्रतिशत बजटरी सपोर्ट दिया है, आप इसे बढ़ाकर दो या तीन प्रतिशत करिये, जिससे कि आई०सी०ए०आर० अनुसंधान कर सके और वे अनुसंधान देश के किसानों तक पहुंच सकें।

सभापति महोदय : आप समाप्त कीजिए, मुझे सबको बोलने का समय देना है। अभी बहुत से स्पीकर्स हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे दूसरे लोगों का समय काटना पड़ेगा।

श्री लक्ष्मण सिंह : मैडम, मैं अपनी पार्टी की तरफ से दूसरा स्पीकर हूं, आप मुझे पांच मिनट का समय और दीजिए। मैं सदन का ध्यान हाल ही में दोहा में डब्ल्यू०टी०ओ० समिट के बारे में श्री मारन द्वारा दिये गये बयान की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ और शायद सदन और देश के हर नागरिक को दुख होगा कि श्री मारन ने यह स्वीकार किया कि दोहा समिट में पर्यावरण के मामले पर जो दबाव भारत को बनाना चाहिए था, वह दबाव भारत नहीं बना पाया। यह शर्म की बात है, पर्यावरण जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा जो कृषि से जुड़ा है, आज विश्व के 80 प्रतिशत विकसित देश सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। आज ग्रीन हाउस गैस एमीशन से भारी प्रदूषण फैलता है, जो कि 80 प्रतिशत विकसित देश फैलाते हैं न कि यह विकासशील देश फैलाते हैं। आज ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। आज अगर उत्तर भारत में एक डिग्री तापमान बढ़ता है तो हमारे गेहूं की फसल की अवधि एक हफ्ते कम हो जाती है और उसकी वजह से पांच सौ से छ: सौ किलोग्राम पर हैक्टेअर गेहूं का उत्पादन गिर जाता है। क्या कृषि का मामला पर्यावरण से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया।

जो मल्टीनेशनल्स को कृषि के क्षेत्र में आने की अनुमति दी गई है, उसके बहुत अच्छे नतीजे सामने नहीं आए हैं। मैं एक किताब से थोड़ा उद्धृत करना चाहूंगा।

इस पुस्तक के लेखक श्री देवेन्द्र शर्मा खाद्य और कृषि संगठन (एफ०ए०ओ०) तथा कृषि रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए विज्ञान की प्रगति के लिए भारतीय संघ द्वारा संयुक्त रूप से दिए जाने वाले विश्व खाद्य दिवस पुरस्कार के प्राप्तकर्त्ता है। वह कहते हैं :

"पांच बहुराष्ट्रीय कंपनियां — मोंसान्टो, एलीलिली, अमेरिकन सायनामिड, उप जॉन और बॉयोटेक्नोलॉजी जनरल ऑफ इजरायल — विकासशील देशों में बोवाइन सोमाटोट्रापिन (बी०एस०टी०) नामक विवादास्पद हार्मोन को डम्प करने की योजना बना रहे हैं। पशुओं और मनुष्यों के स्वास्थ्य के प्रति इस हार्मोन के खतरनाक होने के कारण लोगों के सख्त विरोध के फलस्वरूप यूरोपीय आयोग ने यूरोप में इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। संयुक्त राज्य अमरीका में विस्कॉन्सिन बी०एस०टी० उत्पादित दूध पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य था।"

इस दवाई के खतरे पर वह कहते हैं :

"यह दवाई आशाजनक प्रतीत तो हो सकती है परंतु उत्तरवर्ती अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि इसके हानिकारक प्रभाव है। जिनसे गर्भपात और मृत बछड़ों के जन्म लेने जैसे प्रभाव हो सकते हैं।"

[हिन्दी]

देवेन्द्र शर्मा क्या कहते हैं :

[अनुवाद]

"लोगों के शोर शराबे के बावजूद, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने अपनी परियोजना नहीं छोड़ी हे। बी०एस०टी० के 1 बिलियन डॉलर के बाजार को देखते हुए वे विकासशील देशों पर इस हार्मोन के आयात के लिए दवाब डाल रही है।"

[हिन्दी]

इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जब भी हम डब्ल्यू० टी०ओ० में जाएं। पेप्सी की कहानी क्या है ?

[अनुवाद]

"भारत में पेप्सी के प्रवेश का मुख्य उद्देश्य सॉफ्ट पेय के विशाल बाजार पर कब्जा करना था। कृषि संबंधी अनुसंधान और विकास का उपयोग प्रवेश पाने के लिए स्पष्टत: बहाना था।"

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह बिल्कुल ही ऐसा है।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह : जी, हां। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष टिकैत जी और भारतीय किसान यूनियन, पंजाब के अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह मान क्या कहते हैं।

"दूसरी हरितक्रांति कहां है जिसका कम्पनी ने वायदा किया था ? भाकियू के अध्यक्ष, श्री भूपेन्द्र सिंह मान पूछते हैं! वह कहते हैं यद्यपि कम्पनी ने भारत में प्रवेश पंजाब को कृषि में क्रांति लाने का वायदा कर किया था, आज सरकार सहित हर कोई केवल खाद्य संसाधन, सॉफ्ट पेय और निर्यात प्रतिबद्धता के बारे में चिन्तित है। अभी तक न तो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से स्थापित किए जाने वाले अनुसंधान केन्द्र का कोई निशान है और न ही कम्पनी वायदा किए गए संकर प्रजातियों के आयात में रूचि लेती प्रतीत होती हैं।"

श्रीमती रेणूका चौधरी : आप माननीय मंत्री जी से कहें कि उसे बुलाए तथा उनकी खिंचाई करें और उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए कहें। *(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह : जी, हां। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे।

श्रीमती रेणूका चौधरी : आप उनसे कहें कि वह सख्त कार्रवाई करें। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह : हमारे देश के गोदामों में लगभग 60 बिलियन टन गेहूं और चावल भरा हुआ है। आज आवश्यकता है कम्युनिटी ग्रेन बैंक बनाने की जिससे सही वितरण हो सके। आज एफ०सी०आई० की जो नीति है, वह पर्याप्त नहीं है। प्रधान मंत्री जी ने जो संपूर्ण ग्रामीण योजना लागू की उसका बड़ा प्रचार हुआ। टीवी पर बड़ी पब्लिसिटी उसकी हुई। संपूर्ण ग्रामीण योजना में आपने क्या किया है। 5000 करोड़ रुपये एफ०सी०आई० को दिये गए कि तुम मुफ्त में अनाज बांटो। मैं दावे से कहता हूं कि इतने सांसद यहां बैठे हैं, अगर किसी एक के प्रदेश में एक दाना भी मुफ्त में बंटा हो तो बता दें, मैं अपना भाषण बंद करके बैठ जाऊंगा। 5000 करोड़ रुपये एफ०सी०आई० को दिया गया मुफ्त अनाज बांटने के लिए जिसका कोई अता-पता नहीं है। जो आपने दिया है वह किसके लिए खर्च करने को कहा है — एफ०सी०आई० की तनख्वाह में और मैटीरियल गुड्ज पर खर्च करने के लिए कहा है। क्या यह किसानों का संरक्षण है ? आज सरकार की गलत नीतियों के कारण उड़ीसा में आम की गुठली खाकर किसान मर रहा है तो दिल्ली में अभी अखबार में आया था कि एक मरे हुए कबूतर को खाकर दो बच्चों की मौत हो गई। अगर नीति में परिवर्तन नहीं होगा, अनाज भंडारों में भरा हुआ है और उसका वितरण नहीं होगा तो इसी तरह से किसान आत्महत्याएं करेंगे और आम की गुठली खाकर मरते रहेंगे और मरे हुए कबूतर खाकर मरते रहेंगे। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री लक्ष्मण सिंह, अब आपको भाषण समाप्त करना होगा। आप अपने दल का पर्याप्त समय ले चुके। आप पहले ही 20 मिनट ले चुके हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं पहले ही उन्हें पांच मिनट अधिक दे चुका हूं।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह : सभापति महोदया, कृषि आधारित उद्योग लगाने की आवश्यकता है। *(व्यवधान)*

श्री जसवन्त सिंह : कबूतर खा कर दिल्ली में लोग मरे हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं और दिल्ली में भाजपा की नहीं कांग्रेस की सरकार है। *(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह : जसवन्त सिंह जी, मैं अलवर की बात कह रहा हूं। कृपया मुझे सुनें। *(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी : इसमें दिल्ली और मध्यप्रदेश की बात कहां से आ गई। यह सवाल पूरे देश के किसानों का सवाल है। *(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह : सभापति महोदय, हमें कृषि आधारित उद्योगों को लगाने हेतु बढ़ावा देना चाहिए।

हमारे देश में गन्ना उत्पादन का विशेष स्कोप है। आज तो गैसोहोल से गाड़ियां चलने लगी हैं। आपने अनुमति भी दे दी है कि 80 प्रतिशत तेल और 20 प्रतिशत गैसोहोल मिलाकर गाड़ियां चला सकते हैं। इस प्रकार से गन्ना या मक्के से बने गैसोहोल की देश में बहुत उपयोगिता हो जाएगी। अत: देश में गन्ना उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं।

[अनुवाद]

यह गैसोहोल अधिनियम 1939 में पारित हुआ था। यदि इसे माना जाये तो इससे किसानों को लाभ होगा।

[हिन्दी]

मध्यप्रदेश के तवा कमांड एरिया में शक्कर के 30 कारखाने लग सकते हैं। अगर आप हमें लाइसेंस प्रदान करें तो हम कोआपरेटिव सैक्टर में शक्कर के 30 कारखाने लगवा सकते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री लक्ष्मण सिंह आप अपने दल का समय ले रहे हैं। आप आधे घंटे से बोल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : मैं अपना भाषण केवल चार लाइनों से समाप्त करता हूं। युनाइटेड स्टेट्स के श्री गुडीगुथी कर के एक मशहूर सौंग रायटर हैं। उन्होंने लिखा है कि—

[अनुवाद]

अमरीका के वूडी गुथरी ने जो कहा है, मैं उससे उद्धृत करना चाहता हूं :

"नाव एस थ्रू दिस वर्ड आई रेम्बल
आई हेव सीन लॉटस ऑफ फनीमेन,
सम विल रॉब यू वीद ए सिक्सगन,
एंड सम वीद ए फाउंटेन पेन।"

[हिन्दी]

मंत्री जी, आज हमको इस बात की आशंका है कि आपको कलम अगर डब्ल्यू०टी०ओ० में चल गई, तो मारन जी, आप इस देश के किसानों को मत मार देना। धन्यवाद।

अपराह्न 3.57 बजे

[डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : महोदय, मैं देश के किसानों के समक्ष आ रही समस्याओं संबंधी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नियम 193 के अंतर्गत चर्चा हेतु प्रस्ताव करने के लिए श्री बसुदेव आचार्य को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। हम संसद के लगभग प्रत्येक सत्र में किसानों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं संबंधी मुद्दे पर चर्चा करते रहे हैं। परंतु इसके जिन निदानों की कृषि समाज को पेशकश की गई है, वास्तव में वे बहुत ही कम हैं। चाहे कोई भी सरकार रही हो किसानों की व्यथा-कथा वही रही है। आजकल धीरे-धीरे कृषि का आकर्षण खत्म हो रहा है। कई कारणों से यह धीरे-धीरे न केवल अलाभकारी अपितु अक्षम भी होता जा रहा है।

महोदय, यह बड़ी विरोधात्मक स्थिति है। इस देश का किसान ही है, जो खाद्यान्न भंडार भरने के लिए पसीना बहाता है और पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उत्पन्न करके उसकी समस्याओं का निपटान करता है और अतिरिक्त खाद्यान्न से बफर-स्टॉक तैयार करता है और आज यही किसान परेशानी उठा रहा है। जिन किसानों ने इस देश के खाद्यान्न भंडारों को सुदृढ़ करने के लिए इतना पसीना बहाया उत्तरोत्तर सरकारों ने उन्हें केवल निर्धन ही बनाया हैं आज स्थिति यह है। खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ गया है परन्तु तद्नुरूप किसानों के दु:ख-दर्द पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है।

अपराह्न 4.00 बजे

खाद्यान्न उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ उनकी व्यथा भी बढ़ती गई है। समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है ये समस्यायें दिन प्रतिदिन दिन बढ़ रही हैं। ये समस्यायें अनेक हैं।

अनिश्चित मानसून, अव्यवहार्य धारितायें, अनुत्पादक मिट्टी, असंतुलित पोषण, निम्न गुणवत्ता वाले बीज मिलावटी उर्वरक, नकली कीटनाशक, कृषि में सरकारी निवेश की खराब स्थिति, प्रकृति का रोष, कृषि समुदाय तक न पहुंचने वाली प्रौद्योगिकियां, अपर्याप्त संस्थागत ऋण, ब्याज की उच्च दर बढ़ते हुए कर्ज़े, पीढ़ी, दर पीढ़ी चलने वाला कर्ज़ का बोझ, अलाभकारी बाजार व्यवस्था, मध्यस्थों की मार, अविकसित कृषि प्रसंस्करण इकाइयां अपर्याप्त सरकारी नीतियां, अप्रभावी विस्तार सेवाएं जैसे अनेक नकारात्मक कारक, जो किसानों की आर्थिक स्थिति को खराब कर रही हैं और सबसे अधिक जटिल विश्व-व्यापार संगठन के विनियमन हैं, जिनकी कृषि समाज को जानकारी नहीं है। मुझे विश्वास है कि देश के 99 प्रतिशत किसानों को आज भी यह जानकारी नहीं है कि वास्तव में विश्व व्यापार संगठन क्या है और इसकी क्या जटिलताएं है। सरकार कृषक को शिक्षित करने का कोई प्रयास नहीं कर रही है जो विश्व व्यापार संगठन की जटिलताओं के संबंध में उसका प्रमुख निशाना है।

इन सभी कारकों से किसान सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं जबकि वह खाद्यान्न बढ़ाकर इस देश का भाग्य संवारने में जुटा है। इसके प्रत्युतर में उसके लिए कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें अपने हृदय में झांकना होगा तथा यह सोचना होगा कि क्या हम वास्तव में उस किसान के प्रति न्याय कर रहे हैं जो देश के लिए खेतों में पसीना बहा रहा है। खाद्य-सुरक्षा के मामले में किसान ने देश का ध्यान रखा परंतु परवर्ती सरकारों ने कृषक की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा।

अन्य मामलों पर बोलने से पहले, मैं आपका ध्यान अपने राज्य के कुछ मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। गत वर्ष शीतकालीन सत्र के दौरान तेलुगु देशम पार्टी के सांसदों को संसद भवन के परिसर में महात्मा-गांधी की प्रतिमा के सामने धरना देने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि हम इस सरकार को समर्थन दे रहे हैं बल्कि ऐसा करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम किसानों की व्यथा पर समझौता नहीं कर सकते। हम राजनीतिक गठबन्धन के लिए किसानों के हितों की बलि नहीं देना चाहते। इसीलिए हम धरने पर बैठे थे। पिछले वर्ष के दौरा हमारे राज्य ने लगातार अनेक बार अभ्यावेदन दिए। अनेक अधिकारियों के दलों ने केन्द्र सरकार से मिले। हमारे मुख्यमंत्री ने 12 पत्र लिखे और तीन बार राजधानी आये। कुछ समस्याओं को निपटाने के लिए मंत्रीमंडलीय उप-समिति यहां आई और प्रधान मंत्री तथा संबद्ध मंत्रियों से मुलाकात की। आंध्र-प्रदेश के सांसदों ने यह मामला संसद में उठाया। ...*(व्यवधान)* हमने प्रधानमंत्री तथा मंत्रीगण से मुलाकात की परंतु उसका तत्काल कोई हल नहीं निकला।

यहां इस विशेष मुद्दे पर बोलने और क्या कुछ, हुआ, यह सरकार को याद दिलाने का कारण यह है कि कम से कम भविष्य में जिन मुद्दों पर ध्यान दिया जाना अपेक्षित है, उनके लिए हमारे अनुभव दिशानिर्देश का काम करें।

महोदय, इस वर्ष एक बार फिर खरीद का मौसम आ गया है। गत वर्ष, एक माह तक निर्णय से विलंब होने के कारण किसानों को उनका लाभ नहीं मिल पाया था। बल्कि व्यापारी को उसका लाभ मिला था।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य से केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर उनके 12 पत्रों ने सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं किया, तो तेरहवां पत्र अंतिम होना चाहिए और यदि फिर भी कुछ नहीं होता, तो उन्हें समर्थन वापिस लेना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसे समय में जब सत्ता पक्ष द्वारा सरकार की नीतियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को यहां उपस्थित रहना चाहिए। *(व्यवधान)* यह सरकार किसान विरोधी है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कुवर अखिलेश सिंह, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

सभापति महोदय : श्री रामदास आठवले, कृपया अपने स्थान पर बैठें।

(व्यवधान)

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : हम किसानों का समर्थन कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हम आपके किसी उद्देश्य का समर्थन नहीं कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह, कृपया अपने स्थान पर बैठें।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : आंध्र-प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं और आप उन्हें समर्थन दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : सभापति महोदय, विलंब से किया गया निर्णय कोई निर्णय नहीं होता तथा ऐसा निर्णय लगभग नकारात्मक होता है। ऐसा ही किसानों के साथ किया गया है। उन्होंने एक तरह से निर्णय देने से ही इनकार किया गया है।

इसीलिए, मैं इस विशेष मुद्दे पर बल देना चाहता हूं कि ये निर्णय समय पर, सही और किसान समर्थक होने चाहिए। वे व्यापारियों के नहीं बल्कि किसानों के हित में होने चाहिए।

इस वर्ष भी खरीद का मौसम आ गया है। भारतीय खाद्य निगम ने इस वर्ष आंध्र-प्रदेश से लगभग 80 लाख टन चावल खरीदना स्वीकार किया है और इस राज्य ने अनेक दशकों से इस देश के खाद्यान्न भंडार में योगदान दिया है और इस विशेष मौसम के दौरान लगभग सात लाख टन धान दिया है। गत वर्ष भी इस सरकार ने तीन लाख टन धान खरीदना स्वीकार किया था जबकि मुश्किल से 55,000 टन प्राप्त किया था। गत वर्ष इसने 180 खरीद केन्द्र खोले थे परंतु खरीद की थी केवल 55,000 टन धान की। अब, 80 लाख टन चावल और 7 लाख टन धान के लिए उन्होंने केवल 110 खरीद – केन्द्र खोले हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये 110 खरीद-केन्द्र किस प्रकार समय से संपूर्ण मात्रा खरीद पाने के लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे जब वे गत वर्ष ही संपूर्ण मात्रा को नहीं खरीद सके थे ?

इसलिए, मैं इस सरकार को यह स्मरण कराना – चाहता हूं कि कुल – खरीद संबंधी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए उन्हें सही ढंग से योजना बनानी होगी।

आंध्र-प्रदेश के पास 32 लाख टन तक खाद्यान्न भंडार करने का स्थान है। गोदाम क्षमता में 17 लाख टन या उससे कुछ अधिक मात्रा अर्ध-उब्ले चावल की है, जिसमें कोई कमी नहीं हो रही है, 1 पहले हमारे केरल के मित्र आंध्र-प्रदेश से इसे खरीदा करते थे। अब वे नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि वे आत्मनिर्भर हो गए हैं। हमारे पड़ोसी राज्य जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु यह चावल हमसे खरीद करते थे, परन्तु हमें इस बात की खुशी है कि वे आत्म निर्भर हो गए हैं और अब हमसे नहीं खरीदते।

[अनुवाद]

श्री पी०एस० थामस : इसका कारण यह नहीं है कि हम आत्म-निर्भर हो गए है; परंतु हमारी क्रय शक्ति पूरी तरह समाप्त को गई है।

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : इसलिए, 17 लाख टन से ज्यादा सेला चावल हमारे गोदामों में भरा हुआ है। हमने सरकार से कहा कि इन चावलो को वहां से उठा लिया जाए और उन क्षेत्रों में भेजा जाए जहां इनकी मांग है। परंतु ऐसा अभी नहीं किया जा रहा है। हाल ही में हमें इस निर्णय से अवगत कराया गया कि 7.5 लाख टन चावल गोदाम से उठाया जा रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे यह कार्य शीघ्र करें और इस चावल की बची मात्रा को बाहर भेजने या भारत के बाहर निर्यात करने की संभावना का, जितनी जल्दी हो सके, पता लगाएं ताकि गोदामों में जगह खाली हो सके और नया माल भरा जा सके।

इसी प्रकार, 15 लाख टन का खाद्यान्न के भंडारण के लिए आंध्र प्रदेश में नये गोदाम का निर्माण कार्य चल रहा है। यह क्षमता भी पर्याप्त नहीं है। हमने उनसे और 15 लाख टन के खाद्यान्न के भंडारण के लिए नये गोदाम के निर्माण की अनुमति देने का निवेदन किया है। यहां, जैसा कि मैंने उल्लेख किया था खाद्यान्न को समय पर खरीदने के लिए कार्यवाई करना अत्यंत आवश्यक है। इसे जितनी जल्दी हो सके किया जाना चाहिए। यह आंध्र प्रदेश में धान से संबंधित समस्या है।

अन्य कई महत्वपूर्ण फसलें हमारे यहां हैं जिसके लिए किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए ऐसी एक फसल कपास है, जिससे संबंधित प्रश्न को मेरे मित्र ने उठाया है। अब कपास का बड़े पैमाने पर आयात्त किया जा रहा है। यह बेरोकटोक हो रहा है। इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। यदि आप पिछले पांच वर्षों के दौरान कपास के आयात पर सिर्फ नजर डालें तो, 1995-1996 के दौरान यह 4 लाख टन था, अब इन पांच वर्षों में यह छः गुणा बढ़ गया है। अब करीब 25 लाख टन कपास का आयात किया जा रहा है। इसका परिणाम क्या हुआ ? इस अंधाधुंध आयात के कारण घरेलू उत्पादकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कपास के 1350 रु० न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में आंध्र प्रदेश के किसानों को केवल 1100 रु० ही मिल रहे हैं। अत्याधिक आयात का कारण यह है कि इन में से कुछ किस्मों की कपास पर आयात शुल्क केवल 5 प्रतिशत है। हमारे राज्य में, बन्नी और प्रभा किस्म की कपास उगती है जिस पर आयात शुल्क केवल 5 प्रतिशत है। हालांकि 100 प्रतिशत आयात शुल्क होने से हमें ही लाभ होगा, परंतु हम अभी भी 5 प्रतिशत आयात शुल्क पर ही है। यह कुछ नहीं बल्कि देश की व्यापारिक समुदाय को जहां तक कपड़ा उद्योग का संबंध है जानबूझ कर फायदा पहुंचाया जाना है। मैं यहां इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि इन सब पर व्यावहारिक दृष्टिकोण डालने की आवश्यकता है ताकि आयात शुल्क कम से कम 25-30 प्रतिशत बढ़ाया जा सके जिससे बाजार भी स्थिर हो जाऐंगे और आयातित

कपास और घरेलू कपास के मध्य एक समान प्रतिस्पर्धा क्षेत्र स्थापित किया जा सकेगा।

मूंगफली की भी कहानी बड़ी दयनीय है। मूंगफली गुजरात के आस-पास के क्षेत्रों में उगाई जाती है। आंध्र प्रदेश में विशेषकर रायलसीमा जिले में मूगफली बहुतायत से उगाई जाती है। इसका उत्पादन मुख्यत: अनंतपुर, कुडप्पा, चित्तूर, कूरनूल जिलों में होता है। लंबे समय से पड़ रहे सूखे के कारण प्रति हैक्टर पैदावार सामान्य से 50 प्रतिशत रह गई है। 50 प्रतिशत पैदावार आधे खेतों मे उगाई फसलों से हो रही है और वहां मूंगफली वास्तविक उत्पादन बहुत कम है। मैं भारतीय खाद्य निगम से निवेदन करूंगा कि मूंगफली की खरीद की शर्तों में ढील दें और नेफेड को मूंगफली की खरीद के लिए नियुक्त किया जा सकता है।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदय, तिलहन की खेती से संबंधित मामलों को मेरे कई मित्रों ने उठाया है। तिलहन उत्पादक, विशेषकर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और अन्य तटीय क्षेत्रों में, अपनी तिलहन की खेती को समाप्त कर रहे हैं। वे मलेशिया और अन्य देशों से आने वाले आयातित तेल से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं है। इससे पूर्व बहुत शोर मचाने पर आयात शुल्क को बढ़ाकर 85 प्रतिशत किया गया। दुर्भाग्य से, इस वर्ष आयात शुल्क को 10 प्रतिशत घटाने से स्थिति, और खराब हो गई है। ... *(व्यवधान)* आश्चर्यजनक रूप से इसे और घटाया गया है। अन्य प्रतिस्पर्धी खाद्य तेल जैसे, सूरजमुंखी, करंडी का तेल यहां है। इन सभी क्रूड तेलों पर यह शुल्क 75 से घटाकर 45 प्रतिशत कर दिया गया है। मैं नहीं जानता कि सरकार का यह निर्णय किसानों के हित में है या व्यापारियों के हित में। बाजार द्वारा संचालित स्थितियां पैदा की जा रही है और किसानों को व्यापारियों के रहमोकरम पर छोड़ दिया गया है। इस स्थिति का पूरा विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय : मैं अब दूसरे सदस्य का नाम पुकार रहा हूं। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : मैं अभी दो मिनट में बात समाप्त करता हूं।

इसी प्रकार, मिर्च और हल्दी की कीमतें गिरी है। मक्का भी हमारे देश में बहुतायत में उगाया जाता है। जबकि मूर्गीपालन उद्योग संकट में है, मक्के की खपत भी कम हुई है। यह इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य 450 रु० की तुलना में 300 रु० या 320 रु० में उपलब्ध है। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मक्के से इथनॉल निकाला जाता है अत: इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

योजना-दर-योजना लोगों का कृषि में निवेश घटता जा रहा है। नवीनतम दसवीं योजना में भी, कृषि में आवंटन 16 प्रतिशत कम हुआ है। ऐसी हालत में लोक निवेश बहुत कम हो रहा है।

अंत में, मैं साख सुविधा पर बोलना चाहता हूं। भारतीय कृषि में संस्थागत पूंजी का निवेश भी बहुत कम हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट 18 प्रतिशत की तुलना में यह करीब 13 प्रतिशत है। यह दयनीय स्थिति है। यहां तक की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों जिन्हें इसीलिए बनाया गया है, कुछ रियायत दी गई है। मेरे विचार से श्री शिवरामन की दार्शनिकता, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निर्माता थे पूर्णत: भिन्न थी। मुझे नहीं पता कि क्यों इसके साथ अन्य राष्ट्रीय बैंकों के समतुल्य व्यवहार किया जा रहा है।

इस स्थिति पर बहुत क्रियाशील और व्यावहारिक तरीके से निपटा जाना चाहिए। सरकार को किसानों के दुर्भाग्य को मिटाने के लिए ठोस प्रयत्न करने पडेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती कैलाशो देवी (कुरूक्षेत्र) : सभापति महोदय, आप लिमिटेड टाइम दीजिये क्योंकि बाद में हम लोगों को एक-एक मिनट ही मिल पायेगा।

सभापति महोदय : मैं आपकी बात से सहमत हूं और इसलिये सदस्यों से बार-बार कह रहा हूं कि वे कम से कम समय में अपनी बात रखें।

[अनुवाद]

श्री एन०एन० कृष्णदास (पालघाट) : महोदय, सबसे पहले मैं एक दु:खद पहलू की ओर इशारा करना चाहता हूं। मैंने अपनी संसद की अल्पावधि में यहां देखा है कि हम प्रत्येक सत्र में, देश के किसानों से संबंधित ज्वलंत मामलों पर चर्चा करते हैं। परंतु आज क्या हो रहा है ? जबकि हम इस मामले पर बहस कर रहे है, स्थिति बद्तर हो रही है। इसका क्या कारण है ? सरकार देश के किसान समुदाय की ज्वलंत समस्या को सुलझाने में बिल्कुल ईमानदार और कर्त्तव्यनिष्ठ नहीं है। इसलिए, जबकि हम इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं, स्थिति बदतर होती जा रही है।

महोदय, मैं केरल के पालघाट इलाके से आता हूं। पालघाट राज्य का धान का कटोरा' कहा जाता है। मैं स्वयं किसान परिवार से हूं, इसलिए अपने देश की किसानों की आज की समस्याओं और दु:खों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं। अब मैं प्रथमत: कतिपय नकदी फसलों और अन्य उत्पादों की आज की कीमतों की तुलना पूर्व कीमतों से करना चाहता हूं।

सर्वप्रथम रबड़ को लेते है। आज प्राकृतिक रबड़ की कीमत 28 रु० प्रति कि०ग्रा० है जबकि पहले इसकी कीमत 69 रु० प्रति कि०ग्रा० थी। आज नारियल गरी की कीमत 18 रु० प्रति कि०ग्रा० है जबकि पहले यह 45 रु० थी। कालीमिर्च का बाजार भाव 67 रु० है जबकि पहले यह 240 रु० था। सुपारी का बाजार भाव प्रतिकिलो ग्राम 28 रु० है जबकि यह 165 रु० था। अदरख का बाजार भाव 3.50 रु० प्रति कि०ग्रा० है जबकि पहले यह 15 रुपए था। कॉफी की आज की कीमत 15 रु० प्रति कि०ग्रा० है परंतु पहले यह 90

[श्री एन०एन० कृष्णदास]

रु० प्रति कि०ग्रा० थी। चाय का बाजार भाव 2 रु० प्रति कि०ग्रा० है जबकि पहले यह 12 रु० प्रति कि०ग्रा० था। इलायची की कीमत 400 रु० है जबकि पहले यह 800 रु० थी। आज धान की कीमत प्रति क्विंटल 400 रु० है जबकि पहले यह 735 रु० थी। कोका का मूल्य 15 रु० है जबकि पहले यह 35 रु० था। दूध की कीमत 7 रु० लीटर है जबकि मेरे राज्य में यह 12 रु० प्रति लीटर थी। महोदय, इन कीमतों पर हमारे देश के किसान कैसे जीवित रहेंगे।

हमारे देश में अधिक से अधिक अप्राकृतिक और अज्ञात घटनाएं घट रही हैं। जबकि नकदी और अन्य फसलों की कीमतें गिर रहीं है, कृषि उत्पादों की कीमतें बढ़ रही हैं।

मैं यहां रबड़ का उदाहरण देना चाहूंगा। जैसा कि मैंने पहले कहा है इसकी कीमत 28 रु० तक घट गयीं है। रबड़ की कीमतें गिर रही है। परंतु रबड़ आधारित औद्योगिक उत्पादों की कीमतें बढ़ रही है। टायर को ही लीजिए। टायरों की कीमतें बढ़ रही हैं। यह कीमत बढ़ रही है। अभी माननीय सदस्य ने कपास का उल्लेख किया था। कपास की कीमतें कम हो रही है। लेकिन सूती कपड़ों की कीमतों की क्या स्थिति है ? इसकी कीमतें बढ़ रही हैं। इसका मतलब क्या है ? ऐसा कैसे हुआ ? इस प्रकार की अप्राकृतिक और अप्रत्याशित घटनाएं हमारे देश में घट रही है। इन घटनाओं से देश में किसी को लाभ हो रहा है। और उस अमुक व्यक्ति को सरकार का संरक्षण मिल रहा है। यह मेरा आरोप है। हमें देश में इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमें यह पता लगाना है कि यह कैसे हो रहा है। यहीं मूल समस्या है।

दोहा में क्या हुआ ? मेरे विचार से सरकार की ओर से माननीय वाणिज्य मंत्री इस सभा में शायद कल वक्तव्य देने वाले हैं। सरकार यह कहती है कि उन्होंने दोहा में अपरी ओर से भरपूर कोशिश की है। परंतु मैं सरकार पर देश के कृषकों की हितों की रक्षा में पूर्णत: असफलता का आरोप लगाता हूं। हम दोहा के डब्ल्यू०टी०ओ० सम्मेलन में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए तृतीय विश्व के देशों का समर्थन पाने में असफल रहे। डब्ल्यू०टी०ओ० समझौते के अंतर्गत, यह प्रावधान है कि कतिपय कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क 300 प्रतिशत बढ़ाया जाए। परंतु क्या हुआ ? मैं अब पामोलिन तेल का उदाहरण देता हूं। अभी-अभी मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने पामोलिन तेल पर आयात शुल्क का उल्लेख किया। पामोलिन तेल पर आयात शुल्क 75 प्रतिशत से घटा कर 65 प्रतिशत कर दिया गया है। इसे 10 प्रतिशत घटा दिया गया है। पामोलिन तेल पर कम से कम 200 प्रतिशत आयात शुल्क बढ़ाने में कठिनाई क्या है ?

तकरीबन एक वर्ष पहले प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी बाजपेयी हमारे राज्य में आकर कुमाराकोम में ठहरे थे। उस समय उन्होंने केरल के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की थी। परंतु आज तक विशेष पैकेज के एक भी प्रस्ताव को लागू करने के लिए एक भी कदम नहीं उठाया गया। करीब एक साल गुजर चुका है। प्रधान मंत्री जी का केरल में निवास आरामदायक था। हम उनसे बहुत खुश है और गौरवांवित है।

देश के सभी स्थानों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरामदायक विश्राम के लिए केवल केरल में एक सुरक्षित स्थान पाया। हमें इसका गर्व है और हम इस बात पर प्रसन्न है। उस समय उन्होंने केरल के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की। परंतु उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आज की तारीख तक उसे कार्यान्वित करने के लिए एक भी कदम नहीं उठाया गया है। हाल ही में, पिछले मानसून मे केरल में एक बहुत गंभीर प्राकृतिक विपत्ति आयी। इस प्राकृतिक विपत्ति में 200 से अधिक लोग मारे गए। दस दिन पहले केरल की राजधानी त्रिवेन्द्रम में भूस्खलन हुआ। इस भूस्खलन में लगभग 50 लोग मारे गए। हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई तथा पूर्णत: बह गई। इस प्राकृतिक स्थिति में हजारों मवेशी मारे गए। केरल सरकार ने लगभग 500 करोड़ रुपए की हानि का अनुमान लगाया है।

हमने केन्द्र सरकार से एक अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री श्री ए०के० एन्टनी, राज्य के कृषि मंत्री तथा राज्य के सभी संसद सदस्य आकर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय वित मंत्री जी और दूसरे सभी संबंद्ध मंत्रियों से मिले। दुर्भाग्यवश हमारे मुख्यमंत्री श्री ए०के० एन्टनी में अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया कि वह इन सभी बैठकों से संतुष्ट है। परंतु अभी तक इस प्राकृतिक विपत्ति का सामना करने के लिए एक भी पैसा जारी नहीं किया गया है। यह और कुछ नहीं बल्कि केरल राज्य की पूर्ण उपेक्षा है।

सर्वप्रथम, आज बहस शुरू करने से पहले सभी मित्र यह उल्लेख करने में हमारा समर्थन करते थे कि कई मुद्दें कृषिमंत्रालय के अंतर्गत नहीं आते हैं। कुछ मुद्दे वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं तथा कुछ अन्य मुद्दें वित मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं और इसलिए किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

मैं यह बताना चाहता हूं इस वर्ष सरकार ने बहुत देर से कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है। केन्द्र सरकार ने नेफेड से कहा कि वह कोपरा सहित छ: तिलहनों का क्रय करें। परंतु इस खरीद के लिए आबंटन महज 161 करोड़ रुपए किया गया। पिछले वर्ष के कोपरा और दूसरे तिलहनों की खरीद की कुल बकाया देय राशि 400 करोड़ रुपए है। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि सरकार कोपरा और अन्य तिलहनों की खरीद की घोषणा क्यों करती है तथा इसके लिए पर्याप्त धनराशि जारी नहीं करती है। इसके क्या कारण है ? सरकार कृपक समुदाय की ज्वलंत समस्याओं से संबंधित अपने वक्तव्यों और घोषणाओं के प्रति बिल्कुल ही सच्ची और ईमानदार नहीं है।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वह पाम ऑयल पर आयात शुल्क कम-से-कम 200 प्रतिशत बढ़ाए और एस०टी०सी० से कहें कि वह रबड़ की खरीद करें तथा इसके निर्यात

के लिए अभिगम प्रदान करें तथा कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य की उचित समय घोषणा करें और समय पर कोपरा खरीदना शुरू करें। मैं जानता हूं कि माननीय कृषि मंत्री ने नेफेड से कोपरा की खरीद करने के लिए कहा है। परंतु इस संबंध में कुछ नहीं हुआ है। चार वर्ष पहले एक नारियल का मूल्य 6 रुपए था परंतु आज यह 1.5 रुपए है। आप यह कैसे आशा करते है कि कृषक समुदाय अपने को बचाए रखेगा ? हम प्रायः सभी क्षेत्रों में नियम 193, नियम 184, शून्य काल के दौरान विशेष उल्लेख के अंतर्गत, आम बजट तथा संबंधित मंत्रालयों के अनुदानों की मांग पर आम चर्चा में भाग लेकर इस मुद्दे पर बहस और चर्चा करते हैं। हम अपने देश के कृषक समुदायों की चिन्ता को निरंतर अभिव्यक्त कर रहे है परंतु स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि कुमारकोम में घोषित केरल के लिए विशेष पैकेज को कार्यान्वित करे, पाम ऑयल पर आयात शुल्क बढ़ाए समय पर कोपरा की खरीद करें तथा केरल के कृषक समुदाय को बचाएं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि आप मुझे समय के अभाव की याद दिला रहे हैं।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : सभापति महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने किसानों के सवाल पर हो रही चर्चा में मुझे भाग लेने की अनुमति प्रदान की है। देश की 54 साल की आजादी के दौरे में आज किसान को इस व्यवस्था ने सबसे बड़ा पुरस्कार यह दिया है कि वह आज भी प्रकृति पर आधारित खेती करता है। कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक और द्वारिका से लेकर आसाम तक संपूर्ण देश में चारों तरफ किसान आज भी प्रकृति के भरोसे खेती करने के लिए मजबूर है। देश की 54 साल की आजादी के दौर में इस देश के किसानों ने देश को अनाज के मामले में केवल आत्मनिर्भर ही नहीं बनाया बल्कि निर्यातक भी बना दिया। पूर्व प्रधान मंत्री, स्व० लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब 'जय जवान और जय किसान' का नारा लगाया, तो इस देश के किसानों ने हमारे देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने बेटों को जवान के रूप में भी दिया और किसानों ने देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाकर इतना अधिक अन्न उत्पादन किया कि आज हम कई देशों को अनाज की आपूर्ति करने की स्थिति में हैं। लेकिन इस दौरे में देश के किसानों की हालत क्या हो गई, इसका जीता-जागता उदाहरण केरल है जहां किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार है। इसका जीता-जागता उदाहरण कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है और देश के विभिन्न राज्य हैं, जहां किसान आज आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं।

महोदय, प्रश्न यह उठता है कि किसान आत्महत्या करने के लिए क्यों मजबूर है। आज सदन किसानों के सवाल पर कितना गंभीर है, यह सदन में उपस्थित सदस्यों की संख्या को देखकर हम जान सकते हैं और सरकार कितनी गंभीर है, वह सदन के अंदर सरकार के मंत्रियों की उपस्थित संख्या को देख कर अंदाजा लगा सकते हैं। सत्ता पक्ष के लोग जब इन बैंचों पर बैठते हैं, तो उनका नजरिया हमारी ही तरह होता है और जैसे ही ये बैंचे बदल जाती हैं, उनका नजरिया भी बदल जाता है और सोच में यह परिवर्तन ही आज किसानों की बदहाली और दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है।

महोदय, 13वीं लोक सभा की पूर्व संध्या पर, वर्तमान हुकूमत ने रातोंरात डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल और खाद के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर दी जिसके कारण किसान की उत्पादन लागत में बेतहाशा वृद्धि हुई नतीजा क्या निकला, जिस गति से किसान की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई, उससे उत्पादन प्रभावित हुआ और उत्पादन प्रभावित होने के बाद, जब वह अपनी उपज को बाजार में बेचने के लिए गया, तो उसको सही मूल्य नहीं मिले। हम सही मूल्य का मूल्यांकन अपनी सोच के आधार पर नहीं करना चाहते हैं। भारत सरकार ने कृषि उत्पादों को संरक्षण देने के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना लागू की है, उसमें सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इस संबंध में मेरा स्पष्ट तौर पर कहना है कि आज देश में जो कृषि जिन्स हैं, जितने भी कृषि उत्पाद हैं, उनके लागत मूल्य और बाजार मूल्य में भारी अन्तर है। आज स्थिति यह है कि किसान की लागत भी नहीं निकल पा रही है। इसका कारण यह है कि सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है, सरकार उस पर कितनी खरीद कर रही है, इसके आंकड़ें हम से ज्यादा सही आपके पास हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि धान और गेहूं, जो खेती के सबसे मजबूत सौदे हैं, उनका देश के कुल उत्पादन के सापेक्ष 15 प्रतिशत भंडारण भी आपने नहीं किया है, खरीद नहीं किया है। आप अपने आंकड़ों को निकालकर देख लें।

महोदय, भारत सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 530 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश आज भी जनसंख्या और भौगोलिक की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है और उसके बाद बिहार का नंबर आता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति को देख लीजिए। आज उत्तर प्रदेश और बिहार में कहीं भी सरकारी क्रय केन्द्रों पर धान की खरीद समर्थन मूल्य पर नहीं हो रही है। हमारे यहां 350 रुपए से लेकर 375 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसान से बिचौलिए और व्यापारी धान खरीद रहे हैं और किसान मजबूरी में बेच रहा है क्योंकि उसका धान समर्थन मूल्य पर सरकारी क्रय केन्द्रों में खरीदा नहीं जा रहा है।

महोदय, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री तो बहुत बढ़-चढ़ कर भाषण दिया करते हैं कि हमने इतने धान क्रय केन्द्र खोल दिए। अभी कल तक की सूचना के अनुसार मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि नौतनवां तहसील जहां मेरा खुद का निवास स्थान है, वहां क्रय-विक्रय समिति, जो कोआपरेटिव संस्था है, उसने मात्र 53 क्विंटल धान की खरीद की है और जिस जिले-महाराजगंज से मैं चुनकर आता हूं वह जनपद, पडरौना, सिद्धार्थनगर जनपद और देवरिया जनपद का इलाका पंजाब और हरियाणा के औसत के बराबर धान पैदा करने का काम करता है।

[कुंवर अखिलेश सिंह]

मैं कहना चाहता हूं कि आज यह सरकार धान के सवाल पर पूरी तरह फेल हो चुकी है। इन्होंने क्या नीति निर्धारित की है? ये प्रति एकड़ छः क्विंटल धान की खरीद करेंगे। इनके ही आंकड़े कहते हैं, आई०सी०ए०आर० के आंकड़े मंगवा लें, जब हम अच्छी उन्नतिशील खेती करते हैं तो औसत तौर पर 45 क्विंटल से 50 क्विंटल प्रति हैक्टेयर धान पैदा करते हैं। अगर प्रति हैक्टेयर निकालें तो इनके हिसाब से आज 15 क्विंटल प्रति हैक्टेयर ये हमारा धान खरीदेंगे। हम जानना चाहते हैं कि जो शेष 35 क्विंटल धान प्रति हैक्टेयर होगा, उसे किसके घर बेचने के लिए ले जाएं? क्या उन्हीं बिचौलियों, व्यापारियों के यहां देंगे? प्रश्न यह उठता है कि यदि कल हमारी सरकार हो जाएगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार हो जाएगी तो जितना भी हम उत्पादन कर रहे हैं, क्या उस सारे उत्पादन का भंडारण कर लेंगे, खरीदारी कर लेंगे? इस सवाल का सीधा जवाब है कि यह संभव ही नहीं है कि हमारा जितना भी कृषि उत्पाद है, कोई भी सरकार उसे सम्पूर्ण रूप से क्रय कर ले। देश के किसानों को इस समस्या से कैसे बचाया जाए? इसके लिए मात्र एक ही विकल्प है कि कृषि की उत्पादन लागत को घटाया जाए और पैदावार को बढ़ाया जाए। कृषि की उत्पादन लागत को घटा कर और पैदावार को बढ़ा कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य प्रतिस्पर्धा में जाने के लिए किसानों को ताकत प्रदान की जाए। यह ताकत कैसे प्रदान होगी?

सीधे तौर पर जो यूरोपियन राष्ट्र हैं, वे आज लगातार कृषि राज सहायता को बढ़ाते जा रहे हैं। अमरीका आज 2000 अमरीकन डालर प्रति हैक्टेयर अपने किसानों को छूट दे रहा है। यूरोपियन पार्लियामैंट अपने पूरे बजट का 40 प्रतिशत केवल कृषि राज्य सहायता को समायोजित करने में खर्च कर रही है। आज जापान इससे भी ज्यादा कृषि राज्य सहायता प्रदान कर रहा है। ऐसे समय में, जब विश्व व्यापार संगठन का शिकंजा निरंतर भारत पर कसता जा रहा है, हम इस बहस में नहीं जाना चाहते कि विश्व व्यापार संगठन की शर्तों को लागू करने के लिए कौन-कौन लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन विश्व व्यापार संगठन का जो शिकंजा आज हमारे देश और और विकासशील देशों के ऊपर कसता जा रहा है, उससे इस देश के किसान को उबारने के लिए निश्चित तौर पर हमें किसानों को सीधे छूट देने का प्रावधान करना होगा।

पिछले दिनों मैंने खाद्य मंत्री जी का वक्तव्य पढ़ा कि अब हम सीधे एजैंसियों के माध्यम से धान की खरीद नहीं करेंगे बल्कि बाजार मूल्य और समर्थन मूल्य के बीच के अंतर को किसान को देने का कार्य करेंगे। हम एक व्यवहारिक बात कहना चाहते हैं। कृषि मंत्री जी, आप स्वयं उत्तर प्रदेश से आते हैं और आपके पिता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी आज भी किसानों के मसीहा के रूप में पूजे जाते हैं। आप उनके बेटे हैं। आप जरा पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश की तरफ नजर उठा कर देखें। आज से डेढ़-दो महीने पहले हमारे धान की फसल बिहार, पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश में आ गई और किसानों ने अपनी जरूरत के सामान की खरीद के लिए बिचौलियों, व्यापारियों के हाथ तीन रुपये किलो, साढ़े तीन रुपये किलो की दर से धान बेचने का काम किया। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के किसानों को धान बेचने में 15,000 करोड़ रुपये से ऊपर का नुकसान हो चुका है और आगे आप जो खरीद करने जा रहे हैं, आपने खरीद करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, हम साफ शब्दों में कहना चाहते हैं, वह धान उन्हीं बिचौलियों के माध्यम से, उन्हीं व्यापारियों के घर से आपके एफ०सी०आई० के गोदामों और सरकारी क्रय केन्द्रों में आएगा। उसका लाभ किसान को नहीं मिलने वाला है। उसका सीधा लाभ उन बिचौलियों और व्यापारियों को मिलने जा रहा है। जो 15,000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है, उसकी पूर्ति कैसे की जाएगी, आपके सामने यह एक सवाल है।

दूसरी बात कहना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार बाढ़ की विभीषिका से तबाह हो गया। देश की 54 साल की आजादी के बाद आज तक आपने कृषि बीमा योजना को अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ की विभीषिका से अरबों रुपये का नुकसान हुआ है लेकिन आज तक भारत सरकार ने फसल की क्षति के मुआवजे के रूप में एक रुपये का प्रावधान नहीं किया है।

श्री मुरासोली मारन, वाणिज्य मंत्री हमारे बीच आ गए हैं। इन्होंने दोहा सम्मेलन से लौटने के बाद यह वक्तव्य दिया है कि भारतीय कृषि पर दबाव इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि यूरोपीय राष्ट्र अत्यधिक राज सहायता देते जा रहे हैं। इसे स्वयं सरकार की स्वीकार कर रही है। आज गन्ने की क्या हालत है? आप पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को देख लें। तमाम गन्ना चीनी मिलें बंद हैं। आपकी सरकार कहती है कि कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए हमारे पास पूंजी नहीं है। आप अनुत्पादक मदों में लगातार नियोजन करते जा रहे हैं, उनके लिए आपके पास धन है लेकिन कृषि क्षेत्र में नियोजन करने के लिए आपके पास पूंजी नहीं है।

आज पूरे उत्तर प्रदेश को देख लें, मैं अपनी निश्चित जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के एक माफिया मंत्री को आपकी सरकार ने चार चीनी मिलें बेचीं और वे एक भी चीनी मिल को चला नहीं पाए। पडरौना में जब गन्ने का बकाया दाम मांगने के लिए किसान इकट्ठे हुए तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन पर गोलियां चलाईं, जिसमें कई किसान मरे। रामनगीना मिश्र जी यहां बैठे हैं। वे पडरौना क्षेत्र से आते हैं। अगर मैं सही नहीं हूं तो वे इसका प्रतिकार करेंगे। गन्ने के दाम में आप जो वृद्धि कर रहे हैं, वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। कम दाम होने के कारण और समय से मूल्य की अदायगी नहीं होने के कारण किसान गन्ना कम बो रहे हैं।

पिछले दिनों इसी सदन में आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि परम्परागत खेती कम करके सब्जी और फलों की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं, प्रधान मंत्री जी के प्रति हमारे मन में बड़ा आदर था। जब हम पढ़ा करते थे तो लगता था कि वे योग्यतम नेता हैं। लेकिन जब उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया और हमने सुना तो हमें घोर निराशा हुई। धान और गेहूं किसान

की सबसे ज्यादा मजबूत फसल है। उसको तो आप संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं, समर्थन मूल्य की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर वह सब्जी पैदा करने लगेगा, आप नहीं खरीदेंगे तो सब्जी तो 24 घंटे के बाद सड़ जाएगी और कूड़े के ढेर में चली जाएगी। इसी तरह फल भी 48 से 72 घंटों में मुरझा जाएंगे। फिर किसान के सामने कटोरा लेकर भीख मांगने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए अगर आप कोई विकल्प दें, तो साधन भी दें, जिससे हम किसानों को संरक्षण प्रदान कर सकें।

वर्ष 1998 में जब पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई थी, तो वहां के केन्द्र बिन्दु गोरखपुर में प्रधान मंत्री जी गए थे। वहां उन्होंने कहा था कि बाढ़ की विभीषिका से निजात दिलाने के लिए हम यहां ठोस कार्य योजना बनाएंगे, जिससे किसानों को और यहां के लोगों को हमेशा के लिए बाढ़ से निजात मिल जाएगी। लेकिन उस बात को तीन साल हो गए हैं, अभी तक पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को बाढ़ की विभीषिका से हम निजात नहीं दिला सके। जो बाढ़ से जनधन की हानि होती है, फसल की हानि होती है, सूखे से जो फसल की बर्बादी होती है, आज तक देश में कोई ऐसा कानून नहीं बना, जिससे हमारी फसलों की क्षति का मुआवजा सरकार देने का काम कर पाई हो। अगर जनधन की हानि होती है तो कहीं एक हजार रुपए या दो हजार रुपए के मुआवजा का प्रावधान करके आप अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। आज किसान विभिन्न जगहों पर आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों को अगर इस बदहाली से नहीं उबारा तो नौजवानों का आक्रोश देश की दूसरी दिशा में ले जा सकता है।

आज किसानों के अंदर जो आक्रोश है, उसको सरकार को गम्भीरता से समझना चाहिए। किसानों के उत्पादन की लागत को घटाने के लिए हमें सीधे उनको ज्यादा राजकीय सहायता देनी चाहिए। सरकार कहेगी कि पैसा कहां से आएगा। आपने गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 12,000 करोड़ रुपए की खाद्यान्न नीति के अंतर्गत सब्सिडी दी है। भारतीय खाद्यान्न निगम के बड़े-बेड़े पर कितना रुपया खर्च हो रहा है, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। इसी के साथ-साथ उर्वरकों पर जो सहायता दे रहे हैं, मंत्री जो, उसमें कितना घोटाला हुआ है, इसका भी उदाहरण आपके सामने आया होगा। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश का मामला उठा था कि जिन लोगों ने फैक्ट्रीयों के अंदर उत्पादन नहीं किया था, उन्हें भी उर्वरक सहायता प्रदान कर दी गई है। अगर यह सारी सहायता किसानों को सीधे देने का काम हो तो किसान ज्यादा लाभान्वित होगा। वह इससे अधिक उत्पादन करेगा। उससे उसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य प्रतिस्पर्धा में टिके रहने की ताकत बढ़ेगी।

आज देश के विभिन्न हिस्सों में जो किसानों की हालत है, अगर यह सदन उस पर मात्र चर्चा करे, मंत्री जी केवल रस्म अदायगी के तौर पर उस चर्चा का उत्तर देकर अपने कर्त्तव्य की इतिश्री समझ लें तो इससे किसानों की समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। इस संसद में यह मेरा तीसरा वर्ष है। मेरा अनुभव है कि किसान के सवाल पर, बाढ़ के सवाल पर हमेशा सदन में चर्चा होती है। लेकिन परिणाम शून्य निकलता है। इसलिए हम सरकार से और सदन से आग्रह करना चाहते हैं कि हम यह बल दें कि किसानों के सवाल पर चर्चा करें तो वह परिणामोन्मुख हो। अगर वह परिणामोन्मुख नहीं होगी तो इस संसद से भी जनता का विश्वास उठ जाएगा। फिर हम और आप जैसे लोगों का सड़कों पर चलना दूभर हो जाएगा।

उत्तर प्रदेश के जिन किसानों को 15,000 करोड़ रुपए से ऊपर का घाटा हो चुका है। उस घाटे की पूर्ति भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को 15 हजार करोड़ रुपए देकर कराए। बिहार को 7500 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है, उस घाटे को पूरा करने के लिए भारत सरकार कदम उठाए। केरल में भी किसानों को घाटा हो चुका है। कर्नाटक में भी किसानों को घाटा हो चुका है और आंध्र प्रदेश में भी किसानों को घाटा हुआ है। उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए निश्चित तौर पर भारत सरकार धन देने का काम करे। देश के विभिन्न क्षेत्रों में दैवी आपदायें हो रही हैं, उससे किसानों की फसलों की बर्बादी हो रही है। क्षतिपूर्ति के लिए यह सदन इस संबंध में एक निश्चित स्पष्ट नीति पारित करे और किसानों को उनकी फसल का सम्पूर्ण संरक्षण प्रदान करे।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डॉ० जसवन्तसिंह यादव (अलवर) : सम्माननीय सभापति महोदय, काफी देर से मैं किसानों की चर्चा को बहुत ध्यान से सुन रहा हूं। कांग्रेस के लोगों को भी किसानों की चिन्ता है और समाजवादी पार्टी के लोगों को भी किसानों की चिन्ता है। कम्युनिष्ट दल के लोगों को भी किसानों की चिन्ता है और उन्होंने तो इस चर्चा की शुरूआत की है। हकीकत यह है कि मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं। चुनाव में मेरा यही नारा था – "किसान भाइयों मुझे वोट दो, मैं आपकी आवाज लोक सभा में उठाऊंगा।" *(व्यवधान)*

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : आप वाजिब बात कहिए। *(व्यवधान)*

डॉ० जसवन्तसिंह यादव : मैं वाजिब बात ही कह रहा हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। उन्होंने किसानों को क्रैडिट कार्ड दिया है। क्रैडिट कार्ड कौन सी पार्टी या कौन से प्रधान मंत्री ने पहले दिया है और फसल बीमा योजना लागू की है। *(व्यवधान)* सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि देश में बफर स्टाक भरा हुआ था, क्योंकि कृषि समर्थन मूल्य पर भारत सरकार ने खरीद की थी। *(व्यवधान)* महोदय, तकलीफ की बात यह है कि हम लोग जब भाषण देते हैं, तो पता नहीं भाषण दिल से देते हैं या मन से देते हैं। कर्नल सोनाराम जी ने भी इस बात को नहीं कहा। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर सबसे ज्यादा दुर्दशा बाजरे की हुई है। भारत सरकार ने पैसा दे दिया, लेकिन राजस्थान सरकार ने अभी तक बाजरे की खरीद नहीं की। बल्कि किसानों को यह कहकर वापिस लौटा दिया कि उनके बाजरे की क्वालिटी अच्छी नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य एक बार भी नहीं बोल पाए कि राजस्थान सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। हम किसानों के हितों की बात कहते हैं, लेकिन राजस्थान में किसानों की सबसे ज्यादा दुर्दशा

[डॉ० जसवन्तसिंह यादव]

हुई है। माननीय सदस्य कुछ भी कहें, लेकिन किसान पहले है और पार्टियां बाद में है, देश पहले है और हम लोग बाद में हैं। राजस्थान में किसानों के दो घन्टे बिजली नहीं मिल रही है और वहां का किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है। वहां कपास की फसल बर्बाद हो गई है और प्याज की फसल बर्बाद हो गई है। लेकिन इस समस्या की ओर ध्यान दिलाने के लिए एक भी शब्द माननीय सदस्यों से नहीं निकला कि राजस्थान सरकार किसानों के हित में काम नहीं कर रही है। अभी माननीय सदस्य अखिलेश सिंह जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया। उन्होंने एक बात अच्छी कही कि जो लोग सत्ता में आ जाते हैं, वे कुर्सी पर बैठकर किसानों को भूल जाते हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह जी, जो आपके नेता है, मुख्य मंत्री थे और भारत सरकार में भी वे मंत्री रहे हैं, लेकिन आप एक भी योजना बतायें कि उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए उन्होंने कोई स्पेश योगदान किया है। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : आपने सवाल किया है, इसलिए मैं बता रहा हूं। हमने गन्ने का मूल्य 33 रुपए से बढ़ाकर 41.50 रुपए किया था। माननीय राम नगीना मिश्र जी बैठे हुए हैं, वे जानते हैं। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हमने गन्ने के मूल्य में वृद्धि की थी। *(व्यवधान)*

डॉ० जसवन्तसिंह यादव : महोदय, सारे लोग एक ही बात कहते हैं कि लागत मूल्य कम होना चाहिए।

हम सब जानते हैं कि लागत मूल्य में केन्द्र सरकार कमी नहीं ला सकती, राज्य सरकार ला सकती है। कृषि का रॉ-मेटिरियल बिजली ओर डीजल है। *(व्यवधान)* आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। कौन सी राज्य सरकारें हैं, जिन्होंने किसानों के टैक्स कम किए हैं। राज्य सरकार के अपने टैक्स होते हैं वे उसे तो कम कर सकती हैं, परन्तु किसी भी सरकार ने नहीं किए। हर सरकार बिजली के दाम घटा सकती है, मुफ्त बिजली दे सकती है लेकिन किसी भी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया।

मैं कल टेलीविजन पर देख रहा था, मध्य प्रदेश के बारे में टेलीविजन में स्टार न्यूज में तथा अन्य जगह भी आ रहा था कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की कपास की खरीद को यह कह कर बंद कर दिया कि क्वालिटी बेकार है और यह काम वहां के अधिकारियों ने किया। वहां किसान तड़प रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जी के भाई भाषण दे रहे थे और सब चुपचाप बैठ कर सुन रहे थे। आप आत्महत्याओं की बात भी कर रहे हैं। आत्महत्याएं कहां-कहां हो रही हैं। केरल और महाराष्ट्र में किस की सरकार है? ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : आपकी नीतियों के कारण से वहां ऐसा हो रहा है। *(व्यवधान)*

डॉ० जसवन्तसिंह यादव : किसान मर रहे हैं, उसे बचाइए। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सभी ने कहा है कि सब्सिडी बढ़नी चाहिए। हमारे विरोधी भाई बेतुकी बातों पर 10-10, 12-12 दिन तक हाउस नहीं चलने देते, एक बार किसानों की सब्सिडी बढ़ाने के लिए भी हाउस को पांच-दस दिन के लिए एडजर्न करा दीजिए तो हम आपके शुक्रगुज़ार होंगे और आपका समर्थन करेंगे परन्तु आपने ऐसा कभी नहीं किया। कभी किसानों के एवज़ में आपने हाउस एडजर्न नहीं कराया। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : इसके लिए पहले भी स्थगन प्रस्ताव लाया गया था, आपको इसकी जानकारी नहीं है। इन्हें जानकारी दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया उनके भाषण के बीच में व्यवधान मत डालिए?

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : पहले किसानों पर स्थगन प्रस्ताव आया था और इस बार भी आया है। *(व्यवधान)*

डॉ० जसवन्तसिंह यादव : आप लाइए, आप देखिए हम आपका समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। आज जितने लच्छेदार किसानों की एवज् में भाषण चल रहे हैं, ये इसलिए दिए जाते हैं कि जातिवाद का नारा लगा कर लोग जीत कर आ जाते हैं। ये समझ रहे हैं कि भोले-भाले किसान हमारे नारे से बेवकूफ बन जाते हैं। *(व्यवधान)*

अपराह्न 4.59 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

अगर जातिवाद का नारा खत्म हो जाए तो आप जीत कर नहीं आएंगे, आप सिर्फ जातिवाद के नारे पर जीत कर आते हैं। किसानों की समस्याओं का समाधान तब होगा जब पूरा सदन चिन्तन करे और फैसला करे कि किसानों को बचाना है तो उनकी सब्सिडी घटाने की बजाए बढ़ानी चाहिए, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। कृषि के अंदर नई टैक्नोलॉजी लानी चाहिए, उन्नत बीज लाने चाहिए। हमारे साथी अमेरिका की बात कर रहे थे। मैं भी चार-पांच कंट्री के किसानों से मिल चुका हूं। वहां मैंने देखा है, हम वहां के किसानों के साथ अपने यहां के किसानों की तुलना नहीं कर सकते। अमेरिका के किसान के पास एक हजार एकड़ जमीन है और हमारे किसान के पास पांच बीघा जमीन है। अमेरिका के किसान को यह नहीं पता कि 24 घंटे में बिजली जाने का वक्त भी होता है और हमारे किसान को यह नहीं पता कि बिजली एक या दो घंटे से ज्यादा भी आ सकती है। आप लोग ही अभी चर्चा कर रहे थे। वहां पानी की कमी नहीं है, सूखा भी नहीं है। वहां हजार-हजार बीघा जमीन भी है। हमें यह बात उठानी चाहिए कि इस बार अमेरिका के अंदर मक्का इतना पैदा हुआ है, मंत्री जी, आप वहां जाइए। ...*(व्यवधान)* विदेश में हमने भी देखा है।

अपराह्न 5.00 बजे

आज अमेरिका के अंदर आप जाकर देखें तो पता चलेगा कि वहां पर इतनी मक्का पैदा हुई है कि वहां बफर स्टॉक भरा पड़ा है। वहां की सरकार ने किसानों से पूछा कि आपने कितनी मक्का पैदा की है और उसके दाम किसानों के दे दिये। लेकिन हमारे देश में किसान कांग्रेस सरकार के 50 सालों की गलतियों का नतीजा भुगत रहे हैं लेकिन यहां पर किसानों के हितों पर केवल ये लोग बातें ही कर रहे हैं।

आज किसानों के हितों को बचाना बहुत ही जरूरी है और मैं तो केवल यही कह सकता हूं कि आज आप जिस किसान की बात कर रहे हो अगर आप उसके घर में जाकर देखें तो हकीकत यह है कि उसके यहां दो टाइम का अनाज भी नहीं है। किसान खेत में जितना पैसा लगाता है और उसको उसके जितनी पैदावार प्राप्त होती है उसको बेचने के बाद उसके पास एक पैसा भी नहीं बचता है। आप लोग भी गांव में जाते हैं और आपको पता ही होगा कि आज किसान सौ-सौ रुपये के लिए तरस रहा है, अपने बच्चों की दवा के लिए, बीमारी के लिए और उनकी शादी-ब्याह के लिए उसके पास पैसा नहीं है।

हमारे कृषि मंत्री जी बैठ हुए हैं। मेरे पास उनका 23 तारीख का एक लेख है। यह भी सही है कि अगर किसी ने किसानों को वोट क्लब दिखाया तो उनके पिता चौधरी चरण सिंह ने दिखाया था और किसानों के हक के लिए प्रयास किया था। मेरे पास 23 तारीख के लेख की फोटो-कॉपी है। उस लेख में जो वाक्य उन्होंने किसानों के लिए कहे थे वह उन्हें याद रखने चाहिए क्योंकि आज भी किसानों की दशा बदली नहीं है। आज कुर्सी पर बैठकर उन्हें किसानों की हालत को बदलना होगा। वे खुद एक कृषक परिवार से हैं और वे किसानों की हालत को अच्छी तरह जानते हैं।

मैं भारत के प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके प्रयास से यह चर्चा हम कर रहे हैं। इससे पहले तो किसानों पर इतनी गंभीरता से बात ही नहीं हुई। मैं समझता हूं कि आज हम सबको मिलकर किसानों की दशा सुधारने के लिए प्रयास करना होगा। हम चाहे एक दूसरे पर आज कितना ही आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहे लेकिन आज हकीकत यही है कि देश का किसान मर रहा है और आज हमें उसे ऊपर उठाने की जरूरत है।

अपराह्न 5.03 बजे

[अनुवाद]

मंत्री द्वारा वक्तव्य*

दोहा, कतर में विश्व व्यापार संगठन के चौथे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श के परिणाम

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 12 — मंत्री द्वारा द्वारा वक्तव्य लेंगे। श्री मुरासोली मारन।

*ग्रंथालय में भी रखा गया । *देखिए संख्या एल०टी० 4234/2001*

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : माननीय अध्यक्ष महोदय जी मैं दोहा, कतर में दिनांक 9-14 नवम्बर, 2001 को आयोजित विश्व व्यापार संगठन के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के परिणाम के बारे में एक वक्तव्य देना चाहता हूं और घोषणा-पत्रों की प्रतियाँ सभा-पटल पर रखी जा रही है।

दोहा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन से पहले, सरकार ने हितबद्ध पक्षों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किए थे और तदनुसार मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रमुख पहल की है और मंत्रिस्तरीय घोषणा-पत्रों में भारत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियां निहित है।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि हमने कार्यान्वयन संबंधी चिंताओं के समाधान को उच्च प्राथमिकता दी है। पहली बार विषमताओं को स्वीकार किया जाना एक मुख्य उपलब्धि थी। कुछ कार्यान्वयन संबंधी चिंताओं का पर्याप्त समाधान किया गया है। शेष मुद्दों को या तो वाताओं के लिए अथवा सहायक निकायों को आगे जांच के लिए भेजा गया है और इस प्रकार वे कार्यक्रम का अभिन्न हिस्सा है।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि भारत ने प्रमुख श्रम मानकों को व्यापार से जोड़ने का दृढ़तापूर्वक विरोध किया था। यह घोषणा-पत्र पुन: पुष्टि करता है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई०एल०ओ०) प्रमुख श्रम मानकों के समाधान के लिए उपयुक्त मंच है।

कृषि के मामले में भारत की मुख्य चिंताओं को इस घोषणा-पत्र में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है। दोहा में मंत्रियों ने वार्ताओं के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है जिनका उद्देश्य है — बाजार पहुंच में पर्याप्त सुधार व्यापार को विकृत करने वाली घरेलू सहायता में पर्याप्त कटौती और निर्यात इमदादों को क्रमिक रूप से सहायता करना। विकासशील देशों के लिए विशेष एवं अधिमानी व्यवहार, जिसमें खाद्य सुरक्षा एवं ग्रामीण विकास को मान्यता देना शामिल है, अब अधिदेशित कृषि संबंधी वार्ताओं का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है।

सेवाओं में, प्राकृतिक व्यक्तियों के आवागमन को वार्ताओं के दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं की पुन: पुष्टि के अलावा मुख्य केन्द्र बनाया गया है, जोकि व्यापक रूप से भारतीय प्रस्ताव पर आधारित हैं।

चार सिंगापुर मुद्दों, व्यापार व निदेश, व्यापार व प्रतिस्पर्धा, सरकारी खरीद में पारदर्शिता और व्यापार सुविधा के संबंध में अध्ययन प्रक्रिया पांचवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन तक जारी रहेगी और किसी वार्ता के संबंध में कोई निर्णय स्पष्ट आमराय पर आधारित होगा।

ट्रिप्स और लोक स्वास्थ्य के बारे में अलग से एक अद्वितीय घोषणा-पत्र एक प्रमुख उपलब्धि रही है जिसमें भारत ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसमें औषधियों की सुलभता और उपलब्धता को सार्वभौमिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। इससे अब सदस्य देश लोक स्वास्थ्य की रक्षा हेतु उपाय करने में समर्थ हो जाएंगे क्योंकि इस घोषणा-पत्र में ट्रिप्स करार के अंतर्गत उस स्थिति में लोचशीलता को स्वीकार किया गया है, जब एच०आई०वी०/एड्स, मलेरिया और

[श्री मुरासोली मारन]

अन्य महामरी जैसी मानव जीवन को प्रभावित करने वाली लोक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा रहा हो और संबंधित राष्ट्रीय सरकारें आपात परिस्थितियों ओर महामारियों के बारे में निर्णय करेंगी और औषधियों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करेंगी।

ट्रिप्स करार के संदर्भ में, हम भौगोलिक संकेतकों के लि सरंक्षण का उच्चतर स्तर प्रदान करने का मुद्दा उठा रहे हैं जैसा कि शराब, और स्पिरिट से इतर मदों के लिए करार में प्रावधान है। बासमती चावल, अल्फांसी आम, दार्जिलिंग चाय आदि जैसे उत्पादों पर संरक्षण का उच्चतर स्तर प्रदान करने पर विचार करने हेतु इस मुद्दे को ट्रिप्स परिषद द्वारा विशेष तौर पर उठाया जाएगा। इस बात पर भी सहमति हुई है कि ट्रिप्स परिषद जैव विविधता, पारम्परिक ज्ञान और लोक ज्ञान के संरक्षण के मुद्दों को हल करेगी।

उरूग्वे दौरे के करारों (1994) के पश्चात् व्यापार एवं पर्यावरण संबंधी समिति – (सी०टी०ई०) से कुछेक मुद्दों का अध्ययन करने और इस आशय की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था कि क्या डब्ल्यू०टी०ओ० नियमों मे किसी संशोधन की आवश्यकता है। दोहा धोषणा-पत्र में इन तीन मदों पर वार्ताओं का प्रस्ताव है, अर्थात् मौजूदा डब्ल्यू०टी०ओ० नियमों और पर्यावरण संबंधी बहुपक्षीय करारों (एम०ई०ए०) के बीच संबंध, एम०ई०ए० तथा डब्ल्यू०टी०ओ० के बीच सूचना का नियमित आदान-प्रदान तथा पर्यावरणिक वस्तुओं और सेवाओं के लिए बाजार पहुंच हेतु वार्ताएं। जैसाकि विदित है भारत पहले से ही इन अधिकांश एम०ई०ए० पर हस्ताक्षरकर्त्ता है और मैं सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि इन वार्ताओं से व्यापार में पर्यावरणिक विंडों का विस्तार नहीं होगा।

गैर कृषि उत्पादों के संबंध में बाजार पहुंच के क्षेत्र में वार्ताएं टैरिफ उच्चतम सीमाओं, टैरिफ वृद्धि तथा अन्य गैर-टैरिफ बाधाओं में कमी अथवा उनकी समाप्ति पर केन्द्रित होगी जिन्हें हमने ऐसी किसी वार्ता में प्राथमिकता के क्षेत्र के रूप में व्यापक तौर पर उठाया है। इसमें कमी करने से संबंधित वचनबद्धताओं में अपेक्षाकृत पूर्ण पारस्परिकता के जरिए विकासशील देशों की विशेष जरूरतों और हितों को भी स्वीकार किया गया है।

पाटन एवं इमदाद रोधी करारों के अंतर्गत भी वार्ताएं तय की गई हैं। इन विषयों पर विभिन्न क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव भी इन वार्ताओं का भाग होंगे।

विभिन्न डब्ल्यू०टी०ओ० करारों में विकासशील देशों के लिए विशेष अधिमानी व्यवहार के प्रावधानों की समीक्षा के प्रति स्पष्ट वचनबद्धता भी है ताकि इस बात पर गौर किया जा सके कि इन प्रावधानों को कैसे सुदृढ़ और अधिक सुस्पष्ट, कारगर तथा लागू होने योग्य बनाया जा सकता है। ये काफी स्वागत योग्य विशेषताएं हैं।

माननीय सदस्य इस बात पर सहमत होंगे कि दोहा सम्मेलन के परिणाम हितबद्ध पक्षों के हितों – कृषि, उद्योग के हितों और खास तौर पर हमारे विकास के अनुरूप हैं। ... *(व्यवधान)* संक्षेप में दोहा अधिदेश से हमें किसी भी रूप में हानि नहीं होगी; इसके विपरीत हमें पर्याप्त लाभ मिलेंगे।

अपना वक्तव्य समाप्त करने से पूर्व माननीय सदस्यों से मैं यह कहना चाहूंगा कि यह तो मात्र शुरूआत है। मैं इस बिन्दु को रेखांकित करने की अनुमति चाहता हूं कि उक्त वार्ताओं के 2005 तक आशाजनक ढंग से पूरा होने की आशा है और इसलिए हमारे पास मुद्दों को उजागर करने और प्रभावी ढंग से बातचीत करने के लिए पर्याप्त समय है। चूंकि ये मुद्दे दलगत चिंताओं से ऊपर हैं, इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय ढांचे में इस राष्ट्रीय प्रयास में आपके सहयोग की हार्दिक रूप से अपेक्षा करते हैं।

श्री पी०एच० पांडियन (तिरूनेलवेली) : अध्यक्ष महोदय, हम इस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। ... *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, इस वक्तव्य पर चर्चा होनी चाहिए। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब, आप अपने सदस्य को बोलने की अनुमति दे रहे हैं। मैंने श्री वी०एम० सुधीरन से बोलने के लिए कहा है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री पी०एच० पांडियन : मंत्री महोदय के वक्तव्य पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। ... *(व्यवधान)*

अपराह्न 5.10 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

किसानों के समक्ष आ रही समस्याएं – *जारी*

श्री वी०एम० सुधीरन (अलेप्पी) : अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।

महोदय, हमलोग मंत्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य को उत्सुकतापूर्वक सुन रहे थे। मुझे खेद है कि उन्होंने ऐसे समय पर, जब किसानों की दुर्दशा पर चर्चा हो रही है ऐसा वक्तव्य दिया है। मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूं कि दोहा शिखर वार्ता ने कृषक समुदाय के लिए और अधिक समस्याएं और अधिक कठिनाइयां उत्पन्न की है। इसमें इस देश के कृषक समुदाय के लिए किसी राहत उपाय अथवा किसी बचत उपाय पर विचार नहीं किया गया है। माननीय मंत्री ने हमसे अंतिम वार्ता संपन्न होने तक हमसे इंतजार करने के लिए कहा है। परंतु मुझे यह कहते हुए खेद है कि हमारे देश के किसानों की दशा और खराब होगी तथा और अधिक किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे। इसलिए डब्ल्यू०टी०ओ० की स्थिति पर गहराई से चर्चा की जाए तथा इससे संबंधित सभी पहलू सदन में

रखे जाएं और हमें विदेशी देशों के हित में आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए।

महोदय, हम सभी इस बात से सहमत है कि किसान भारतीय समाज की रीढ़ है। परंतु इस रीढ़ का अस्तित्व ही संकट में है तथा उन्हें अत्यधिक खतरे का सामना करना पड़ रहा है। निराशा, हताशा, गरीबी और बहुत अधिक ऋण ने उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया है। जैसाकि मेरे सम्मानित सहयोगी ने पहले ही उल्लेख किया है कि मेरे ही राज्य केरल सहित भारत के, विभिन्न भागों से किसानों की आत्महत्या संबंधी रिपोर्टें प्राप्त हो रही हैं। समग्र रूप से हमारे देश में और विशेषकर केरल में अधिकांश कृषि वस्तुओं की कीमतों में भारी कमी आ रही है। इसके फलस्वरूप किसान अत्यंत वित्तीय संकट में है तथा वे बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों के अदायगी करने की स्थिति में नहीं हैं।

महोदय, मूल्यांकन किया गया है कि 1999 से केरल में विभिन्न फसलों के औसत घरेलू थोक मूल्यों में, वार्षिक कमी नारियल तेल के लिए 45 प्रतिशत, कालीमिर्च के लिए 53 प्रतिशत, कॉफी के लिए 64 प्रतिशत, अदरक के लिए 41 प्रतिशत और चाय के लिए 16 प्रतिशत है। 1995-96 से प्राकृतिक रबड़ का मूल्य निरंतर कम हो रहा है। यह अत्यधिक खेद की बात है कि प्राकृतिक रबड़ के लिए न्यूनतम मूल्य की घोषणा की बावजूद मूल्य अधिसूचित न्यूनतम मूल्य से काफी कम है।

महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री यहां बैठे हुए हैं। कृपया वह इन सभी मुद्दों पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देंगे। यद्यपि केन्द्र सरकार ने कोपरा के समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी है, नेफेड ने अभी तक कोपरा की खरीद शुरू नहीं की है। केन्द्र सरकार द्वारा केरल के मुख्यमंत्री श्री ए०के० एन्टनी को बार-बार दिए गए आश्वासनों को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। इस कारण केन्द्र सरकार की विश्वसनीयता का बहुत अधिक नुकसान हुआ है।

महोदय, कृषि मंत्री श्री अजित सिंह बहुत सम्माननीय व्यक्ति है तथा देश के लोगों ने उन्हें सम्मान दिया है। फिर भी केरल में एक धारणा बन रही है कि उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वहां विश्वसनीयता संकट में है। इसलिए महोदय कृपया यह वक्तव्य देने की हमें अनुमति दें क्योंकि आपने केरल के मुख्यमंत्री को दो बार आश्वासन दिया है तथा मुख्यमंत्री ने आपके आश्वासन की घोषणा कर दी, परंतु आपके आश्वासन के अनुसार कुछ नहीं हुआ। इसके फलस्वरूप आपके सरकार की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

महोदय, यदि मूल्य में अभूतपूर्व कमी होने पर खरीद नहीं की जाती है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिसूचित करने का उद्देश्य ही पूर्णत: विफल हो जाता है। केरल में बागान क्षेत्र विशेषकर कॉफी, चाय, सुपारी आदि इन वस्तुओं के मूल्य में कमी के कारण गंभीर संकट का सामना कर रहा है।

अपराह्न 5.15 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए*]

महोदय, धान की खेती भी विलुप्त होने के कगार पर हैं क्योंकि इसकी खेती अलाभकारी हो गई है। कृषि वस्तुओं का मूल्य कम हो गया है जिसके फलस्वरूप केरल राज्य की अर्थव्यवस्था को काफी हानि हुई है। हाल ही में, केरल सरकार के माननीय राजस्व मंत्री, श्री के०एम० मणि ने स्पष्ट रूप से कहा कि कृषि वस्तुओं के मूल्य में गिरावट के कारण पिछले पांच वर्षों के दौरान केरल को कृषिगत आय में 6,000 करोड़ रुपए की हानि हुई है। इसके अतिरिक्त समय समय पर आने वाली प्राकृतिक विपत्तियों ने भी किसानों का जीवन बहुत दयनीय बना दिया है। इसी वर्ष केरल ने कुल 552 करोड़ रुपये का नुकसान उठाया है।

केन्द्र सरकार ने संभवत: राजनीतिक लाभ की दृष्टि से कुछ राज्यों के प्रति बहुत उदारता दर्शायी है जबकि केरल की पूर्णत: उपेक्षा की गई है। केरल राज्य के वैधानिक और बार-बार किये गये अनुरोधों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यह सोचनीय एवं अत्यन्त आपत्तिजनक है। मैं केरल के लोगों की तरफ से केन्द्र सरकार के भेदभाव के दृष्टिकोण के प्रति कड़ा विरोध दर्ज कराता हूं।

आपने अनेक राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में पर्याप्त उदारता दिखाई है। लेकिन यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि केरल के लोगों की मांग या अनुरोध अत्यन्त निर्दयतापूर्वक ठुकरा दिया गया है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि केरल को कृषि अर्थव्यवस्था के सुधार हेतु कम से कम 500 करोड़ रुपये की मंजूरी दी जाये।

महोदय, अस्थायी तौर पर किये गये उपायों से कृषक समुदाय की अभूतपूर्व गंभीर समस्याएं हल नहीं होंगी। किसानों के लिए रचनात्मक राष्ट्रीय नीति और उनके अनुकूल नया दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है। जैसा कि मुझसे पहले के वक्ताओं ने उल्लेख किया है कि, हम हर सत्र में किसानों के मुद्दे पर बहस करते हैं। लेकिन परिणाम क्या होता है ? कोई ठोस उपाय नहीं किये गये, इसलिए, मैं माननीय मंत्री और सरकार से अनुरोध करता हूं कि उन समस्याओं का गम्भीरता से अध्ययन करें जिनका सामना किसान कर रहे हैं। इस स्थिति का सामना करने के लिए और किसानों को बचाने के लिए एक राष्ट्रीय नीति और किसानों के अनुकूल दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत है।

अपने किसानों को असहाय और संकट की स्थिति से बचाने के लिए सरकार 20,000 करोड़ रुपये से राष्ट्रीय कृषक निधि बनाये जिससे कि किसानों को जिन्दा रखने के लिए पर्याप्त राहत, अनेक प्रकार की सहायता और प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके। हम अनेक निधियां और योजनायें बनाते हैं। लेकिन वास्तव में किसानों के लिए आपने क्या किया है ? केवल दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। अत: हमें चाहिए कि किसानों के हित में और उनके आस्तित्व के लिए भिन्न-भिन्न स्रोतों से संसाधन एकत्रित करके राष्ट्रीय कृषक निधि की स्थापना की जाए।

[श्री वी०एम० सुधीरन]

सरकार को उन्हें आगे आत्महत्या करने से रोकने के लिए उनके सारे कृषि संबंधी ऋण को माफ करके उनके जीवन को सहारा देना होगा। केरल सरकार ने कुछ सान्त्वना देने के लिए हाल ही में एक विधेयक पुरस्थापित किया है। लेकिन केन्द्र सरकार के रूप में आपको देश के सभी प्रकार के कृषकों के सभी ऋण को माफ करने के लिए सभी उपाय करने होंगे ताकि उन्हें कुछ राहत प्रदान की जा सके।

कृषि संबंधी विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अन्तर्गत, प्राकृतिक रबर और नारियल जटा को कृषि वस्तुओं के रूप में सम्मिलित करने के लिए अविलंब कदम उठाये जायें। इस संबंध में बातचीत शीघ्र ही होने वाली है। अत:, मैं माननीय वाणिज्य मंत्री से कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं। हमें अत्यन्त प्रसन्नता है कि माननीय वाणिज्य मंत्री ने इस दिशा में कुछ कदम उठाने की शुरूआत कर दी है। वे इसे जारी रखें और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठायें कि रबर और नारियल जटा कृषि वस्तुओं की सूची में सम्मिलित कर लिये जाएं।

भारत में प्राकृतिक रबर के आयात की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एस०टी०सी० को कम से कम 5000 टन प्राकृतिक रबर खरीदने का निदेश दिया जाए।

महोदय, टायर उत्पादकों से कहा जाए कि वे प्राकृतिक रबड़ की खरीददारी करें ताकि उत्पादकों को घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के भुगतान की सुनिश्चितता की जा सके। नाफेड से घोषित समर्थन मूल्य पर कोपरा खरीदने को कहा जाए जैसा कि सरकार ने आश्वासन दिया है। यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाये जाएं कि खरीद का लाभ वास्तविक उत्पादकों तक पहुंचे। कोपरा खरीद के कुछ समझौतें की व्यापक आलोचना हुई है। अत:, यह सुनिश्चित किया जाए कि कोपरा की खरीद का वास्तविक लाभ किसानों तक पहुंचे।

महोदय, पाम ऑयल के आयात पर प्रतिबन्ध लगाया जाये और पमा ऑयल पर आयात शुल्क 300 प्रतिशत की दर से बढ़ाया जाना चाहिये। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री की मलेशिया यात्रा के परिणामस्वरूप पाम ऑयल पर आयात ड्यूटी की दर घटा दी गई है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है और यह कहने के लिए मैं क्षमाप्रार्थी हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री जब भी बाहर जाते हैं तो वे जिस देश की यात्रा करते हैं उसके हितों के प्रति अत्यन्त दयावान हो जाते हैं लेकिन वे इस देश की जनता के हितों के प्रति दयावान नहीं रहते। अब अपने देश के किसानों के हित का ध्यान न रखते हुए पाम ऑयल पर से टैरिफ और आयात ड्यूटी को घटा दिया गया है। इससे नारियल उत्पादक किसान अत्यन्त चिन्तित हैं और यह सुनकर हम हतप्रभ हैं कि सरकार ने पाम ऑयल से आयात शुल्क को कम करने का निश्चत किया है। इस निर्णय से अत्यन्त गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोग पूर्णत: निराश और कुंठित हो गये है और वे इस निर्णय का पुरजोर विरोध कर रहे हैं।

महोदय, भारत और श्रीलंका के बीच सम्पन्न द्विपक्षीय समझौते ने हमारे कुछ कृषि उत्पादों को बुरी तरह प्रभावित किया है। हम पड़ोसियों और अन्य देशों के साथ समझौते अपने देश के किसानों के हित की बाजी लगाकर कर रहे हैं। यह अत्यन्त बुरी बात है। विश्व व्यापार संगठन की 300 की दर के अनुरूप खाद्य तेल पर मूल सीमा शुल्क को बढ़ाने के लिये कदम उठाये जाने चाहिए। काफी और चाय पर क्रमश: 116 प्रतिशत और 150 प्रतिशत तक निर्यात शुल्क बढ़ाया जाना चाहिये। वृक्षा रोपण क्षेत्र (प्लानटेशन सेक्टर) के सुधार के लिये ठोस सहायता दी जानी चाहिये। देश में धान की खेती को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। काफी, काली मिर्च आदि के निम्नतम मूल्य घोषित किये जाने चाहिये और ये नाफेड द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार खरीदे जाने चाहिये।

महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुविधा बंद कर देने से देश के करोड़ों लोगों को एक दिन में केवल एक बार भोजन मिल पा रहा है। आप उसे अच्छी तरह जानते हैं। अगली फसल से समर्थन मूल्य और खाद्यान्नों की खरीद बंद कर देने से किसानों की स्थिति दयनीय हो जायेगी। उन्हें अपने उत्पादों को कौड़ी के भाव बेचना पड़ेगा और वे अन्य उत्पादक संघ की दया पर निर्भर हो जायेंगे।

महोदय, इस सरकार ने अप्रैल, 2002 से डीजल पर से राजसहायता हटाने का निश्चय किया है, इससे डीजल का मूल्य पेट्रोल के बराबर हो जायेगा जिससे यह किसानों और ट्रान्सपोर्टेरों की पहुंच से बाहर हो जायेगा। सरकार ने डीजल, उर्वरक, कोटनाशक और कृषि में प्रयोग होने वाली अन्य वस्तुओं पर से राजसहायता हटा ली है। इसके परिणामस्वरूप डीजल की कीमत पांच रुपये प्रति लीटर से बढ़कर सत्रह रुपये प्रति लीटर हो गई है। इसी प्रकार रसोई गैस, उर्वरक और कृषि में प्रयोग होने वाली अन्य वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। कार, कलर टीवी, फ्रिज आदि खरीदने के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज की दर घटा दी गई है यह एक वर्ष में 16 प्रतिशत से घटाकर 11 प्रतिशत कर दी गई है जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक किसानों से कृषि संबंधी कार्यों के लिए लिये गए ऋण पर 24 प्रतिशत ब्याज लेते हैं।

नाबार्ड भूमि विकास बैंकों को 17 प्रतिशत, कोआपरेटिव बैंकों को 24 प्रतिशत और अन्य बैंकों द्वारा किसानों को दिये जाने वाले धन का वित्तपोषण करता है और वह इन बैंकों से केवल चार प्रतिशत की दर से ब्याज लेता है। किसानों को ऋण न चुकता कर पाने के कारण गिरफ्तार किया जा रहा है। राष्ट्रीयकृत बैंक सिविल न्यायालयों से डिक्री प्राप्त कर नीलामी द्वारा उनकी भूमि बेच रहे हैं। किसानों की आत्महत्या के लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेवार हैं। यदि सरकार की ये नीतियां और रवैया अपनाती रहेगी तो हम इस प्रकार की आत्महत्याओं को रोक नहीं पायेंगे और इससे गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। यह देश के हित के विरुद्ध है।

पूरा कृषक समुदाय इस बहस को देख रहा है और इसके परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि किसानों को बचाने के लिए कोई सशक्त और ठोस उपाय किए जायें। अन्यथा इस बहस का कोई अर्थ नहीं रह जायेगा और हमारे संसद में बैठने की कोई सार्थकता नहीं रहेगी।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : माननीय सभापति महोदय, सदन आज एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहा है और मुझे खुशी है कि आपने इस विषय पर हो रहे वाद-विवाद में मुझे बोलने की इजाजत दी। सदन में गत वर्ष भी किसानों की हालत के बारे में चर्चा की गई, लेकिन उसका फलाफल नहीं मिला। उसके लिए कोई ठोस कार्रवाई हो, वह नहीं हो सकी।

महोदय, आपको याद होगा कि सदन में गत वर्ष किसानों के धान को क्रय करने के बारे में, चावल को क्रय के बारे में काफी जद्दोजहद हुई, विवाद हुए, प्रस्ताव आए। उस समय के खाद्य मंत्री, आज यहां उपस्थित नहीं हैं, श्री शान्ता कुमार जी, जो आज भी खाद्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जो राज्य जितने क्रय केन्द्र लेना चाहते हैं, वह देने के लिए वे तैयार हैं। हमारे यहां मैथिली में एक कहावत है 'की पर 'सई घी गप तलीऊ जप के लप।' उसके अनुसार जब कोई चीज नहीं देना चाहते हैं, तो इसी तरह का प्रस्ताव लोग दे देते हैं। यदि मैं यह कहूं कि गत वर्ष भारतीय खाद्य निगम ने बिहार के किसानों के साथ धोखाधड़ी की, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमें लगता है कि माननीय मंत्री जी का विभाग पर कोई असर नहीं है। माननीय मंत्री जी गत वर्ष बिहार गए, तो अधिकारियों से बात की और वापस अपने पार्टी दफ्तर में चले गए। उन्होंने बिहार से सांसदों से बात करने की भी आवश्यकता महसूस नहीं की।

सभापति महोदय : माननीय रघुनाथ झा जी, माननीय खाद्य मंत्री जी तो स्वयं सरकार हैं।

श्री रघुनाथ झा : माननीय सभापति महोदय, यह तो हम जानते हैं कि वे स्वयं सरकार हैं, लेकिन आज जो हमारी स्थिति है वह बहुत दयनीय है। हम बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहते हैं कि बिहार में देश के सबसे अधिक किसान रहते हैं और देश की कुल आबादी के 80 प्रतिशत लोग किसानी और खेती का काम करते हैं। आज देश के किसान और मजदूर की सबसे अधिक दुर्दशा है। हम लोग जो बिहार से आते हैं, वे बिहार के हालात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।

माननीय कृषि मंत्री जी और उनके पीछे बैठे हुए राज्य कृषि मंत्री जी, जो किसान परिवार से हैं, वे भी बिहार के हालात से अच्छी तरह परिचित हैं, लेकिन इस बार उनके बयान को पढ़कर मुझे बहुत निराशा हुई। उन्होंने बयान दे दिया कि बिहार में धान नहीं खरीदेंगे बल्कि चावल खरीदेंगे। अब आप स्वयं जानते हैं कि बिहार में धान से चावल बनाने की मिलें ही नहीं हैं, वहां चावल बनता ही नहीं है, तो आप चावल कहां से खरीदेंगे ? जैसा प्रधान मंत्री जी ने पंजाब में पैकेज ऐलान कर दिया, वैसा बिहार में भी होना चाहिए। जब बिहार का बंटवारा हो रहा था, तो इसी सदन में हम लोगों ने मांग की कि हमें एक विशेष पैकेज दिया जाए, तो माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत ही उदारतापूर्वक भाषण दिया कि बिहार के हालात से हम परिचित हैं।

बिहार के लिए हम डैडीकेटेड सैल प्लानिंग कमीशन में बनाना चाहते हैं और प्लानिंग कमीशन के जरिए बिहार को मदद करवाएंगे। बटवारा हुए एक साल हो गया लेकिन बिहार को क्या मिला ? बिहार के किसानों के साथ इस तरह से भेदभाव क्यों हो रहा है ? महोदय, आप बिहार की स्थिति से परिचित हैं। बिहार के बटवारे में हमारे सारे उद्योग-धंधे झारखंड में चले गए, हमारे बिजली के सारे कारखाने चले गए, हमारे पास सिर्फ कृषि, बाढ़, सुखाड़, आलू दूसरी बात नहीं बोलेंगे, रह गया। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : बिहार के बल पर ही यह सरकार चल रही है।

सभापति महोदय : दासमुंशी जी, आप सीनियर मैम्बर हैं, माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री रघुनाथ झा : बाढ़ कहां से आती है ? नेपाल की नदियों से आने वाली बाढ़ से हर साल हमारा नुकसान होता है। हम जहां से चुन कर आते हैं, गोपालगंज से किशनगंज तक उत्तर बिहार के सब जिले इस बार बुरी तरह प्रभावित हुए। कई जगह तटबंध टूटे, कई जगह सड़कें टूटीं, दो सौ से अधिक लोग बाढ़ में मारे गए लेकिन उनको कोई राहत देने की बात नहीं होती। फरक्का से लेकर कहलगांव तक गंगा से दोनों तरफ हर साल कटाव होता है। लाखों एकड़ जमीन चली गई, सैंकड़ों गांव गंगा में विलीन हो गए। भारत सरकार ने वहां के लोगों को आज तक किसी तरह की मदद देने का काम नहीं किया। हम मंत्री जी से विनतीपूर्वक कहना चाहते हैं कि बिहार के लोगों के साथ भेदभाव नही बरता जाना चाहिएं बिहार के लोगों की निश्चित रूप से मदद करनी चाहिए। हमारा बहुत बड़ा इलाका जलजमाव का है। बहरियाताल, मोकामा ताल आदि में दस लाख लोगों की जमीन में जलजमाव रहता है। अगर सरकार से मदद मिल जाती तो जिस जमीन में हम 15 से 20 मिलियन टन अनाज पैदा करते हैं, उस जमीन में 50 से 60 मिलियन टन अनाज पैदा कर सकते हैं। उन लोगों की मदद करने की आवश्यकता है लेकिन यह सरकार किसी तरह मदद करने को तैयार नहीं है। बिहार में 32 शुगर फैक्ट्रियां थीं। भारत सरकार ने देश के दूसरे राज्यों – गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, चाहे सरकारी क्षेत्र में हो चाहे निजी क्षेत्र में हो, नई-नई शुगर फैक्ट्रियां लगाने का काम किया लेकिन बिहार को एक भी शुगर फैक्ट्री देने का काम नहीं किया। हमारे यहां कृषि पर आधारित उद्योग थे। हमारे जूट उद्योग बंद हो गए। बसुदेव आचार्य जी बता रहे थे कि पूर्वी बिहार का किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, जो जूट उत्पादन इलाके थे, चले गए। आज गन्ने के किसानों के समाने बड़ी समस्या यह है कि वे अपने गन्ने को फैक्ट्री में कैसे पहुंचाएं। फैक्ट्री नहीं है, पुरानी फैक्ट्रियां लगभग बंद है, 5-6 फैक्ट्रियां चल रही हैं। हमारे साथ इस तरह की बात क्यों हुई, हम जानना चाहते हैं। जब दूसरे राज्यों में फैक्ट्री लगाने का काम किया गया तो बिहार में क्यों नहीं किया गया। हम सरकार पर चार्ज लगाना चाहते हैं। हमारे इलाके में आम, लीची की खेती होती है, मखाने की खेती होती है। उस इलाके से हुकुमदेव नारायण जी आते हैं। श्री नीतीश कुमार ने कुछ

[श्री रघुनाथ झा]

अच्छा काम शुरू किया, उसे बढ़ाने का काम कीजिए। आम, लीची बाहर कैसे जाएगी, यह देखना चाहिए। इसके लिए कारगो की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार को निवेश करके, चाहे पटना, मुज़फ्फरपुर या गया हो, कारगो से सामान को बाहर भेज सकते हैं। हमारे यहा स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है। आप सुनकर आश्चर्यचकित होंगे कि बिहार में एक कानून लागू है कि अगर कोई मर्डर, डकैती, किडनैपिंग करता है और जेल में जाता है तो वह सरकार का मेहमान होता है लेकिन अगर किसान बैंक से ऋण लेता है और महंगाई, बाढ़, सुखाड़ के कारण समय पर खेती नहीं कर सकता और उसे अगर पुलिस पकड़ कर जेल ले जाती है तो जब तक वह जेल में रहता है, उसका खर्च होता है।

यह अंग्रेजों का बनाया हुआ काला कानून आज तक बिहार में चल रहा है। वहां क्रिमिनल्स को सब सुविधा है, लेकिन किसान अगर जेल जायेगा तो उससे आप सारा खर्च वसूल करेंगे। उससे खाने का खर्चा, उसको पकड़ने का खर्चा लिया जायेगा, यह किसानों के साथ भेदभाव हो रहा है। हम मांग करना चाहते हैं कि किसानों की मदद करने का काम होना चाहिए।

वित्त मंत्री जी तो अब झारखण्ड के हो गये हैं, किसान क्रेडिट कार्ड की यहां बहुत बार चर्चा हुई, उसका बिहार में कितने परसेंट बंटवारा हुआ ? हमारे यहां उसका बंटवारा क्यों नहीं किया जा रहा है ? ये सारी परिस्थितियां बिहार के किसानों को झकझोर रही हैं, आन्दोलन करने को मजबूर कर रही हैं। हम सरकार के समर्थक दल हैं, हम विनतीपूर्वक कहना चाहते हैं। हम समर्थन करेंगे, लेकिन अगर यह रवैया बिहार के किसानों के साथ रहेगा तो हमें सोचना पड़ेगा। बिहार के लोगों ने हमें समर्थन देकर भेजा है और माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश ने जो समर्थन नहीं दिया, वह अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व को बिहार ने पार्लियामेंट में दिया। यह सरकार बनी तो बिहार के लोगों के बल पर बनी और सबसे उपेक्षित आज बिहार के लोग हैं। इसलिए बिहार के लोगों को उनका हक और हिस्सा मिलना चाहिए। आपने इस सदन में जो वायदा किया है कि हम पैकेज देंगे तो बिहार के लोगों को पैकेज देने का काम कीजिए। नेपाल की नदियों से हर साल हमारा नुकसान होता है, बिहार की सरकार क्या उससे बात कर सकती है ? आप आधिकारिक व्यक्ति हैं, आप उनसे हमारे लिए बात कीजिए।

किसी दूसरी जगह समुद्री तूफान आता है, किसी तरह की आपदा पड़ती है तो आप मदद करते हैं। यह खुशी की बात है, उनकी मदद होनी चाहिए, उसमें हम लोग सहयोग देते हैं। हम चाहते हैं कि उनकी मदद होनी चाहिए, लेकिन बिहार में अगर हमारा नेपाल से आने वाली नदियों से नुकसान होता है तो उसको रोकने का प्रयास कीजिए और जब तक रोकने का प्रयास नहीं करते, तब तक होने वाले नुकसान की भरपाई करिये। हमारा 850 करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष नुकसान होता है, हमारी जमीन बर्बाद होती है, हमारी सड़कें टूटती हैं, हमारे स्कूल के भवन गिरते हैं, हास्पिटल बर्बाद हो जाते हैं और हमारा पूरा आवागमन बर्बाद हो जाता है। इस सरकार का उसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए, हम यह मांग करना चाहते हैं। अजीत सिंह जी कृषि मंत्री हैं और हुक्मदेव नारायण यादव जी राज्य मंत्री, कृषि हैं, दोनों लोगों की बैकग्राउण्ड कृषि की है तो किसानों के हक में कुछ फैसला कीजिए और कुछ काम कीजिए। हुकमदेव बाबू इस तरह मुंह मत हिलाइये, कुछ हिम्मत जुटाकर किसानों के लिए काम करिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों के भाषण से जाहिर है और साबित हो रहा है कि देश भर के किसान तबाही में हैं। इंडिया टुडे पत्रिका ने मुख्यपृष्ठ पर लिख दिया कि खेती करे सो मरे। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, इससे बढ़कर क्या सबूत हो सकता है कि किसानों की दुर्दशा है, किसानों की हालत खराब है। आज केरल, कर्नाटक के किसान रो रहे हैं, आन्ध्र प्रदेश और केरल के किसान सुसाइड कर रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र के किसान तबाही में हैं। आज धान, गेहूं, सब्जी, दूध, फल, गन्ना, जूट, सोयाबीन पैदा करने वाले किसान तबाही में हैं। मुर्गीपालन, बकरीपालन, भेड़पालन, मछलीपालन करने वाले सभी किसान तबाही में हैं।

अब मेरा पहला सवाल आसन से है, पहला सवाल आपसे हैं कि इस सदन के सभी दलों ने मांग की कि किसानों की समस्या के समाधान के लिए एक स्थायी समिति बननी चाहिए।

श्री नीतीश कुमार तत्कालीन कृषि मंत्री और श्री प्रमोद महाजन, संसदीय कार्य मंत्री ने भी सहमति जाहिर की थी कि हमें कोई आपत्ति नहीं है इसलिए किसानों की समस्या के समाधान के लिए संयुक्त संसदीय स्थाई समिति बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए, इसलिए कि किसानों की समस्या से 18 विभागों का मतलब है। अभी रघुनाथ झा जी ने प्रोक्योरमेंट का सवाल उठाया, तो इसका कृषि मंत्री जी क्या जवाब देंगे। इसी तरह से कटाव का, बाढ़ का सवाल उठाया गया, उसका कृषि मंत्री जी क्या जवाब देंगे। इसलिए कैसे किसानों की समस्या का हल होगा ? खाद के बारे में, बीज के बारे में, विश्व व्यापार संगठन के मामले के बारे में कैसे ये जवाब दे पाएंगे। केवल रस्मी बहस होगी और रस्मी जवाब दे दिया जाएगा। उधर के माननीय सदस्य उनको धन्यवाद देंगे कि आपने क्रेडिट कार्ड किसानों को बांटे। अगर वास्तव में बांटे हैं तो फिर क्यों किसान आत्महत्या कर रहा है, क्यों आंदोलन कर रहा है। पूरे देश में आज किसानों की यह हालत हो रही है। इतना अनर्थ और अंधेरा हो रहा है कि कौन सी एंटी फार्मर्स फोर्स है, जो किसानों की स्थाई समिति बनने से सरकार को रोक रही है। मेरा दूसरा सवाल भी आसन से है।

सभापति महोदय : आप आसन से सवाल न पूछें, क्योंकि आसन से सवाल पूछने की परिपाटी नहीं है। आप सरकार से सवाल पूछिए।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : सवाल पूछ सकते हैं। अभी किसानों के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों से सम्बन्धित यहां सवाल किए गए, उनका जवाब कौन देगा, क्योंकि किसान ने अपना उत्पादन किया है,

उसकी बिक्री नहीं हो रही है, उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है इसलिए कौन इन चीजों का जवाब देगा। इसलिए या तो प्रधान मंत्री जी स्वयं इसका जवाब दें।

सभापति महोदय : सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी होती है। सरकार के मंत्री मौजूद हैं। संयुक्त जिम्मेदारी लेकर सरकार आपके प्रश्नों का जवाब देगी।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : जिस समय यह हुकूमत बनी, किसानों के लिए दुर्भाग्य हुआ, वर्किंग क्लास के लिए दुर्भाग्य हुआ। आज पूरे देश में किसान तबाह हो रहा है। लेकिन बिहार का मामला ही अलग है। बिहार के साथ भेदभाव हुआ है। कोई माई का लाल इस बात को नहीं काट सकता कि बिहार और वहां के किसानों के साथ भेदभाव ही नहीं, उपेक्षा ही नहीं, बल्कि दुश्मनी हुई है, धोखाधड़ी हुई है। हुकुमदेव जी वहां मंत्री पद पर बैठे हैं। जब वे हमारे साथ थे तो किसानों के बारे में बड़े-बड़े भाषण देते थे। इनको कभी जहाजरानी विभाग में तो कभी पशुपालन विभाग में स्थानांतरित कर दिया जाता है। आजकल ये कृषि मंत्रलाय में राज्य मंत्री हैं। इन्होंने 17.11.2001 के दैनिक हिन्दुस्तान में कहा कि सरकार किसानों से धान नहीं सिर्फ चावल खरीदेगी। यह खरीद भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से होगी। दूसरी तरफ उड़ीसा में इस सरकार के दूसरे मंत्री शांता कुमार जी, जो फूड मिनिस्टर हैं, उन्होंने शुक्रवार को वहां बयान दिया कि केन्द्र सरकार किसानों को संकट से उबारनेके लिए धान की सीधे खरीद करेगी। उड़ीसा के मुख्य मंत्री नवीन पटनायक जी की मौजूदगी में केन्द्रीय उपभोक्ता मामले एवम् सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्री श्री शांता कुमार ने यह घोषणा वहां की। उड़ीसा में इनकी सरकार है इसलिए वहां इस तरह का बयान दिया गया। दूसरी तरफ बिहार में विरोधी दल की सरकार है इसलिए दूसरे मंत्री जी ने वहां इस तरह का बयान दिया। अब आप देखें कि किस तरह से ये बिहार के किसानों का हित कर रहे हैं। इससे तो लगता है कि ये सिर्फ सरकार में बने रहना चाहते हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं।

सभापति महोदय : आप अपनी बात कहिए, सुझाव दीजिए।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह बहुत अच्छा प्रश्न है। दो मंत्री अलग-अलग राज्यों में विरोधी बातें कर रहे हैं।

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : बिहार के साथ अन्याय हुआ है। शान्ता कुमार जी ने 9.11.2001 को यह ब्यान दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को वसूली से अलग करना चाहती है। यह एक साजिश है और इसे सरकार को साफ करना चाहिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो दी जा रही है। उसको भी सरकार समाप्त करना चाहती है, अलग करना चाहती है। इस संबंध में गुप्ता कमेटी ने भी रिपोर्ट दी है, लेकिन सरकार किसानों के गले पर छूरी चलाना चाहती है। ब्यान दिया गया है कि बिहार छः प्रतिशत गेहूं पैदा करता है, लेकिन वहां से जरा भी वसूली नहीं हो रही है। किसानो के साथ धोखाधड़ी हो रही है। इतना ही नहीं, फूड एंड सिविल सप्लाईज़ विभाग की 11वीं रिपोर्ट में भी कहा गया है कि बिहार के साथ दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है और घोर उपेक्षा की जा रही है। अगर इस तरह से अन्याय होगा, अत्याचार होगा, भेदभाव होगा, तो कैसे देश का किसान आत्म-निर्भर हो सकता है।

इसके अलावा पिछले साल एक करोड़ दस लाख टन कृषि उत्पादन में कमी आई है। उत्पादन हर क्षेत्र में घट रहा है। जब यह स्थिति है, तो देश में फूड सिक्योरिटी कैसे होगी। जब सत्ता में आए थे, तो ऐलान किया गया था कि दस वर्षों में 100 प्रतिशत उत्पादन में वृद्धि करेंगे। आपको सत्ता में आए तीन वर्ष हो गए हैं, लेकिन दस प्रतिशत उत्पादन घट गया है, तो कैसे दस वर्षों में 100 प्रतिशत उत्पादन बढ़ायेंगे। यह किसानों के साथ धोखाधड़ी है और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है।

महोदय, इसके अलावा गोदामों में छः करोड़ टन अनाज सड़ रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार किसान विरोधी ही नहीं है, बल्कि अज्ञानी सरकार है। महोदय, आप स्वयं फूड मिनिस्टर रहे हैं। आप जानते हैं कि देश में 16 करोड़ परिवार 1991 की जनगणना के अनुसार गरीबी हैं। अब यह स्थिति 20 करोड़ के करीब हो गई होगी। इनमें दस करोड़ परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर हैं और चार करोड़ परिवार गरीबी की रेखा से नीचे हैं। पी०डी०एस० के माध्यम से इन परिवारों के लिए नौ रुपए गेहूं देने की व्यवस्था की गई थी। मुझे नहीं मालूम कि नौ रुपए किलो गेहूं देने का मापदंड क्या है। *(व्यवधान)*

डॉ० जसवन्त सिंह यादव : महोदय, जब हम सदन में बोलते हैं, तो सारे कानून लागू होते हैं और जब ये बोल रहे हैं, तो *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप चेयर का संचालन नहीं कर सकते हैं। आप बैठ जाइए। आप सदन में पहली बार चुनकर आए हैं, आप नियमों को पढ़िए।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : बाजार में चार रुपए किलो गेहूं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में एक छटांक गेहूं भी पी०डी०एस० में नहीं बिका। इसके बाद पी०डी०एस० में कीमत 6.10 रुपए कर दी गई, फिर भी बाजार में गेहूं पांच या छः रुपए में मिल रहा है। पी०डी०एस० में ए०पी०एल० के लिए चीनी का कोटा खत्म कर दिया गया। गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों के लिए तय किया था। कि उनको 2.50-3.00 रुपए में उपलब्ध करायेंगे, लेकिन वह भी नहीं किया जा सका।

इन्होंने साढ़े चार रुपए किलो किया लेकिन बाजार में पांच रुपए किलो है। इसे कौन गरीब आदमी खरीदेगा। इसलिए अनाज का ऑफ-टेक बंद हो जाना चाहिए। *(व्यवधान)* पी०डी०एस० को भी खत्म कर दिया।

महोदय, छः करोड़ टन से ज्यादा अनाज गोदाम में रखा है। आपने इसे रखने के लिए कितनी सब्सिडी खर्च की, इसे गरीब में

[डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह]

बांटेंगे तो कितनी सब्सिडी लगेगी। आज इस बात का जवाब दें कि बांटने में कम सब्सिडी लगती और गोदाम में रखने में ज्यादा सब्सिडी लगी है। ··· *(व्यवधान)* यहां गरीब भूखा मर रहा है। उसे पूरा आहार नहीं मिल रहा है और अनाज सड़ रहा है। इनकी अन्नपूर्णा योजना फेल हो गई। अंत्योदय अनाज योजना फेल हो गई। अंत्योदय अनाज योजना में इन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान में छः करोड़ परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं, ये कहते हैं – पूअरेस्ट ऑफ द पूअर। *(व्यवधान)*

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं उसमें पूअरेस्ट ऑफ द पूअर आप कैसे खोजेंगे। इस कारण से देश भर में यह योजना चोपट हुई और अनाज की खपत नहीं हो रही है। इनके गोदाम भर गए, इसलिए ये प्रक्योरमेंट भी नहीं करना चाह रहे हैं। इसलिए अनाज खरीद में तबाही हो रही है। आप कहते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइप की पद्धति ही खत्म कर दीजिए। इस तरह करना अज्ञानता होगी। किसान और गरीब विरोधी नीति लागू होगी तो इस देश का क्या होगा ?

महोदय, कृषि विभाग में मंत्री जवाब दें कि बिहार के साथ इतना अन्याय क्यों हुआ ? नौवीं पंचवर्षीय योजना में 5000 करोड़ रुपए सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम में खर्च हुआ। बिहार हिन्दुस्तान का दसवां हिस्सा है, हमारा 500 करोड़ हिस्सा होना चाहिए, लेकिन 55 करोड़ की मंजूरी हुई। नौवीं पंचवर्षीय योजना में केवल 25 करोड़ मिला, इसका जवाब दें। बिहार के साथ क्यों अन्याय हो रहा है। बिहार को भूखा-नंगा कहते हैं। 37 हजार करोड़ रुपया पेट काट कर बिहार के किसानों और मजदूरों ने जमा किया। हिन्दुस्तान बिहार के पैसे से चल रहा है। रघुनाथ झा जी कह रहे थे बाढ़ आई तो उसे रोकने का प्रबंध नहीं हुआ। भारत-नेपाल समझौता नहीं हुआ। ··· *(व्यवधान)* सुखाड़ हुआ तो तीसरे दिन 300-400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया लेकिन बिहार को एक पैसा भी नहीं दिया, आप जवाब दें। अभी तक बिहार को बाढ़ और सुखाड़ में एक पैसा नहीं दिया। *(व्यवधान)*

महोदय, बिहार में दूध पैदा करने वाले किसान हैं। बिहार से कम दाम पर दिल्ली में दूध आ रहा है। हमारा किसान दूध पैदा कर रहा है। कलकत्ता दूध क्यों नहीं जा रहा है। पटना से कलकत्ता निकट है, इसका जवाब सरकार दें कि कम दाम पर वहां दूध उत्पादन करने वाले किसानों से दिल्ली में दूध आने का फैसला हुआ, कलकत्ता जाने का फैसला क्यों नहीं हुआ। इसमें कौन स्वार्थी तत्व लगे हुए हैं। बिहार के दूध पैदा करने वाले किसान के साथ अन्याय किया जा रहा है। *(व्यवधान)*

कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र पशुओं के लिए बंद हो गए। सरकार ने टैक्नोलॉजी मिशन में कहा था सभी सेंटर्स को चालू किया जाएगा, उसके लिए कुछ नहीं हुआ। ··· *(व्यवधान)* यह सरकार किसान और गरीब विरोधी है। इनसे किसानों का भला नहीं हो सकता है इसलिए इन्हें किसानों के मुद्दे पर हटाना पड़ेगा।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण चर्चा माननीय श्री बसुदेव आचार्य जी ने आरम्भ की है और मेरे से पहले भी बहुत से अनुभवी माननीय सदस्यों ने जो इस विषय के विशेषज्ञ हैं, इस पर चर्चा की है। मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से आता हूं। वहां एक कहावत है कि जब सियार को ठंड लगती है तो वह चिल्लाता है और सुबह को भूल जाता है। किसान का प्रश्न पहली बार नहीं आया है। हमने अपने महत्वपूर्ण 50 वर्ष निकाले हैं और कुछ लक्ष्य प्राप्ति पर हम गर्व करते हैं लेकिन जिस अधिकता की हमने कृषि में कल्पना की थी वह अधिकता आज हमारे लिए अभिशाप बन गयी है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि हम एकजुट होकर इस पर गंभीरता से विचार करें। आज जो समस्या किसान के सामने है वह समस्या किन नीतियों के कारण है और किन नीतियों के कारण किसान के लिए यह दुर्भाग्य पैदा हुआ है। आज किसान ने अधिक उत्पादन कर लिया और उसके सामने अपनी फसल को रखने की समस्या है उसके विक्रय की समस्या है। सारे खाद्यान्नों की स्थिति ऐसी नहीं है लेकिन गेहूं और धान की अधिकता के कारण आज किसान आत्महत्या के कगार पर खड़ा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद दूंगा कि जब माननीय नीतीश कुमार जी कृषि मंत्री थे तो कृषि नीति लेकर वे सदन में आये और सदन ने उसको स्वीकार भी किया। लेकिन क्रियान्वयन का जब समय आया है और किसान अपनी फसल लेकर जब सामने आता है तभी सरकार को उसकी चिंता होती है लेकिन हम चुप रह जाते हैं जब वह लुट-पिट जाता है। इस बात पर बहस हो सकती है कि कौन इसके लिए कितना जिम्मेदार है, दोषी है। मैं इस बात पर आज जाना नहीं चाहता हूं।

जहां तक सरकार का सवाल है सरकार बायो-डायवर्सिटी बिल लेकर आई और यह किसान से जुड़ा हुआ कितना महत्वपूर्ण सवाल था लेकिन किसान चाहे कितना ही पढ़ा-लिखा क्यों न तो, उसको उसकी जानकारी नहीं है। सरकार प्लॉट वैराइटी बिल लेकर आई, लेकिन हमने उसकी चिंता नहीं की। मैंने पिछले सत्र में इस मामले को उठाया था कि एक कृषि चैनल हमारे देश में होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उस पर कोई प्रयास हो रहा है। पृथक कृषि चैनल की बात जब हम करते हैं तो उसमें सीधा संबंध किसान का सरकार की नीतियों से हो जाता है। जो अनियंत्रित तरीके से विकास हुआ है उसकी भरपाई हम नहीं कर पायेंगे।

मैं धान के क्षेत्र से आता हूं। अभी अगर किसान के पास 200 क्विंटल धान है तो मंडी या सोसाइटी या फैडरेशन उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है। मैं इस बात पर टिप्पणी कर सकता हूं लेकिन मुझे लगता है कि यह समय टिप्पणी करने के लिए उपयुक्त नहीं है। वर्तमान में किसान के पास ऊर्जा के स्रोत के रूप में बिजली या डीजल नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब उसके पास बिजली या डीजल नहीं है तो वह खेती कैसे करेगा ? मेरा नरसिंह पुर क्षेत्र एशिया का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है लेकिन मुझे उस पर गर्व नहीं होता क्योंकि वहां खाद तो नहीं लगता है, लेकिन पानी का स्तर नीचे चला गया है, दूसरी फसल किसान ले नहीं सकता है। जब मेरा क्षेत्र इस

हालत में है तो मैं नहीं समझता कि दूसरे किसानों की हालत अच्छी होगी। एक तरफ हमने उत्पादन तो बढ़ाया, लेकिन किस कीमत पर बढ़ाया ? जो कीमत किसान ने ली और जो लागत उसने लगाई, उसी के लिए किसान आत्महत्या कर रहा है। सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाया, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है लेकिन उसको समर्थन मूल्य मिल कहां रहा है ? उसको समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। आज धान का समर्थन मूल्य 522 रुपये से 540 रुपये के बीच है लेकिन उसे 360 से 362 रुपये से ऊपर समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। हमारे मध्य प्रदेश के एक माननीय सदस्य यहां पर अब नहीं हैं। जब वे भाषण कर रहे थे तो कह रहे थे कि एफ०सी०आई० की गलती है। हमने कहा है कि सोसाइटी को और फैडरेशन को खरीद करनी चाहिएं लेकिन पता चला कि किसान लुट गया क्योंकि व्यापारी उसका खाद्यान्न लेने के लिए तैयार नहीं है। किसान के पास अनाज है लकिन वह बिक नहीं सकता है। इस विपणन की व्यवस्था को कौन बनाएगा ? जो मिश्रित खेती हमारे यहां होती है उस पर कोई विचार नहीं होता है। मिश्रित खेती को बढ़ाने पर विचार होना चाहिए।

सायं 6.00 बजे

उसके बाद हम गेहूं की अधिकता में जी रहे हैं। हमने पहले उत्पादन का आन्दोलन शुरू किया जो हमारे विनाश का आन्दोलन बन गया, खास तौर पर गेहूं और धान के क्षेत्र में। हमें इस पर विचार करना चाहिए। क्या हमने अधिक उत्पादन किया इसलिए मरने के लिए तैयार रहें ? आज पंजाब, हरियाणा में क्या हो रहा है ? मैं छत्तीसगढ़ म०प्र०, हरियाणा, पंजाब चार प्रांतों की बात जानता हूं जहां गेहूं का अधिक उत्पादन किसान की मौत का कारण है क्योंकि हमने लागत बढ़ाई लेकिन उसे पूरा नहीं किया। हमसे उससे ऊंचे दर्जे पर ब्याज वसूल किया। बाद में किसान को समर्थन मूल्य नहीं मिला। इस कारण किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ। हमने फसल चक्र को जो बिगाड़ा, उसका कौन गुनाहगार है ? प्राकृतिक आपदा आने से नुकसान हुआ। ओला और पाला पड़ने से फसल को नुकसान हुआ। अनावारी की रिपोर्ट अंग्रेजों के समय की है। उस समय प्रति-हैक्टेयर जो अनाज उत्पादित होता था वहीं स्केल आज भी हमारे समाने है। हमारा उत्पादन बढ़ गया लेकिन अनावारी की रिपोर्ट नहीं बदली। मुआवजे का भी पुराना तरीका है। *(व्यवधान)* जब किसान की खेती का सवाल उठता है, तो हम उस पर बहुत चर्चा करते हैं प्राकृतिक आपदाओं के कारण उसे नुकसान होता है। उसके मूल्यांकन का जो स्केल है और अनावरी की रिपोर्ट 1937 के पहले की हैं। उस समय प्रति-हैक्टेयर जो उपज थी, वही हमारा स्केल है। आज हमने उससे दस गुना अधिक उपज बढ़ा ली, उसके बाद भी नुकसान का पैमाना बदला नहीं जाता। उस पर जो मुआवजा मिलता है और यदि 37 प्रतिशत से अधिक नुकसान नहीं हुआ तो उसके नीचे क्षति-पूर्ति नहीं होगी और हम हानि के क्षेत्र में नहीं आएंगे। उसके बाद मुआवजा तय हुआ और हमारा नुकसान मान लिया गया, पूरी तरह नष्ट होने के बाद तो हमें 100 रुपए हैक्टेयर मिलेगा। यह परिस्थिति को बदलने के लिए पचास सालों में प्रयास नहीं हुआ। मैं तीसरी बार इस सदन में चुन कर आया हूं। 1996 में मैंने अनावारी का प्रश्न लगाया था। मुझे से पूछा गया कि अनावारी का मतलब क्या होता है ? मुझे यह सुन कर आश्चर्य हुआ। जो इस क्षेत्र में स्केल माने गए हैं, उनका कहीं हिसाब-किताब नहीं है। दुनिया में हमारा कोई बाजार नहीं, देश के भीतर नहीं,। भंडारण की क्षमता पर हम एक-दूसरे पर ऊंगली उठाते हैं। केन्द्र और राज्य सरकार सम्मिलित जवाबदेही के साथ भंडारण करती है लेकिन सभी पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। इससे समस्या हल नहीं हो सकती। मेरा क्षेत्र महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगता है। पिछले वर्ष पंजाब में धान का क्या हाल हुआ ? खुले बाजार में चावल नीलाम हुआ और वह विदर्भ महाराष्ट्र में गया उसकी रिपॉलिशिंग हुई। उसके बाद वह चावल लेवी के रूप में दे दिया गया।

मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। वहां एक अक्तूबर को लेवी की पॉलिसी तय हो जानी चाहिए थी। 9 नवम्बर तक लेवी की पॉलिसी तय नहीं हुई क्योंकि सब को अपना हिस्सा चाहिए। वहां जो नीति है, मैं समझता हूं कि वही दूसरे प्रदेशों में धान के मामले में होगी। एक तरफ किसान अपना धान देता है और दूसरी तरफ राइस मिलें और व्यापारी उसी धान को खरीद कर उसके बदले चावल देते हैं। कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ कि पहले धान खरीदा जाए और फिर चावल बना कर दिया जाए। पहले चावल लिया जाता है, फिर वह दे दिया जाता है। अच्छी धान सारे के सारे व्यापारी रख लेते हैं और किसान को उसका उचित मूल्य नहीं देते। समर्थन मूल्य से कम पर व्यापारी उसे खरीदते हैं। इस कारण किसान को उसका पूरा मूल्य नहीं मिलता। इससे किसान मर जाता है। इस परिस्थिति के लिए कहा जाता है कि केन्द्र सरकार जिम्मेदार है लेकिन इसके लिए दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं। किसान को नकारा नहीं जा सकता। हमें उसके बारे में सोचना होगा।

मैं तीन बातें सरकार से कहना चाहता हूं। जब मैं स्वतंत्र कृषि चैनल की बात कहता हूं तो मेरी इस मांग को स्वीकार किया जाए। जब स्पोर्टस चैनल आ सकते हैं तो कृषि चैनल क्यों नहीं आ सकता ? दुनिया में बदलती हुई परिस्थिति को देखते हुए हमें किसान के साथ संवाद की स्थिति को बनाए रखना होगा।

सभापति महोदय, मैं कहता हूं कि प्रसार भारती जैसे बोर्ड से हटकर पूरी तरह यह चैनल सरकार का होना चाहिये ताकि हम बदलती परिस्थितियों में अगर इस देश में फसल चक्र बदलना चाहें तो बदल सकें। हमारे देश में पूर्वांचल भाग में कुछ पैदा होता है, केरल में नारियल होता है और उत्तर भारत में धान और गेहूं की खेती होती है। इसी प्रकार कहीं दलहन और कहीं तिलहन पैदा होता है। सारे देश में एक सी खेती नहीं होती। इसलिये सरकारी चैनल को लगाकर उपयोग करना चाहिये अगर आप किसानों का हित चाहते हैं।

सभापति महोदय, अंत में मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि प्राकृतिक आपदाओं से जो नुकसान होता है, उसमें बीमा आता है। प्रदेश सरकारों ने बीमा प्रक्रिया में काफी मजाक किया है। मैं सदन को मध्य प्रदेश का उदाहरण देना चाहूंगा। वहां 1997 में अनावारी रिपोर्ट तीन वर्षों

[श्री प्रहलाद सिंह पटेल]

के लिये चाही गई लेकिन नेशनल कृषि बीमा क्षेत्र में रिपोर्ट राज्य सरकार ने नहीं दी क्योंकि उसकी बाध्यता हो जाती। हम हिसाब नहीं करना चाहते हैं और किसान लुट गया। जो सच्चाई है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अभी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के भाई बोल रहे थे और बड़ी अच्छी बातें कृषि मंडी के बारे में बता रहे थे उन्होंने वहां क्या किया ? किसान 80 पैसे प्रति क्विंटल शुल्क देता लेकिन उसे डेढ़ रुपया देना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि किसान को ज्यादा इसलिये देना पड़ रहा है क्योंकि जो गांव मंडी से नहीं जुड़े हुये हैं, उन्हें जोड़ा जायेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ बल्कि सारा पैसा एक पूल में रखकर लोक निर्माण विभाग सड़कें बना रहा है। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिये। मेरा निवेदन है कि कहीं न कहीं इन बातों का आपस में खंडन करने का स्वाभाव बन गया है, जिसे छोड़ना होगा।

सभापति महोदय, इस विषय पर अच्छी चर्चा की गई है लेकिन इतना पूर्वाग्रह हमें इस बात का नहीं करना चाहिये, इतनी संवेदनायें और अपेक्षायें बढ़ाना किसानों के हित में नहीं हैं बल्कि उनके बारे में ज्यादा बात करें तो अच्छा होगा।

सायं 6.06 बजे

कम्पनी संशोधन अध्यादेश द्वारा तुरंत विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला विवरण

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, मैं कम्पनी (संशोधन) अध्यादेश, 2001 द्वारा तुरंत विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

सभापति महोदय : सभा कल 23, नवम्बर 2001 को ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.07 बजे

तत्पश्चात, लोक सभा शुक्रवार, 23 नवम्बर 2001/2 अग्रहायण, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

पी०एल०एस०-48/20/4/2001 (एन०)
280

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।